सप्तम माला खंड 1 अंक 1

शुक्रवार 18 दिसम्बर 1981

27 अग्रहायण 1903 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

# विषय-सूची

अंक 20, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1981/27 अग्रहायण, 1903 (शक)


| विषय | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| *प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | ... | ... | 1—19 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 391 से 395, 397 और 399 | | | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | ... | ... | 19—229 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 396, 398, 400 से 413 और 302 | ... | ... | 19—31 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 4430 से 4433, 4435 से 4493, 4495 से 4603, 4605 से 4663, 4663क, 4663ख, और 4663ग | ... | ... | 31—229 |
| प्रतारांकित प्रश्न संख्या 2210 दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य | ... | ... | 230—231 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ... | ... | 231—238 |
| प्राक्कलन समिति | ... | ... | —239 |
| सरकार का उत्तर दर्शाने वाला विवरण | | | |
| राज्य सभा से सन्देश | ... | ... | —239 |
| विधेयकों पर अनुमति | ... | ... | —240 |
| लोक लेखा समिति | ... | ... | —240 |
| बासठवां और चौसठवां प्रतिवेदन | | | |
| सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति | ... | ... | —240 |
| पच्चीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश | | | |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | ... | ... | 240—256 |
| शीत लहर के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने का समाचार | | | |
| श्री मनीराम बागड़ी | ... | ... | 240—246 |
| श्री बालेश्वर राम | ... | ... | 246—256 |
| श्री हरिकेश बहादुर | ... | ... | 248—250 |
| श्री रामविलास पासवान | ... | ... | 251—255 |


* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| अम्बाला छावनी में वैज्ञानिक/इलैक्ट्रानिक उपकरणों के निर्यातकों को प्रोत्साहन और सुविधाएं देने के बारे में याचिका | ... | ... | —256 |
| सभा का कार्य | ... | ... | 256—262 |
| असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन आने वाली सेवाओं को असम राज्य में आवश्यक सेवायें घोषित करने वाली अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा अनुदानों की अनूपूरक मांगें (असम), 1981-82 | ... | ... | 262—273 |
| श्री योगेन्द्र मकवाना | .... | .... | —271 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | .... | .... | 272—273 |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति तेतीसवां प्रतिवेदन | ... | ... | —273 |
| पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने के लिए कदम उठाने संबंधी संकल्प-अस्वीकृत हुआ | ... | ... | 273—309 |
| श्री चित्त बसु | ... | ... | 273—280 |
| श्री गिरधारी लाल व्यास | ... | ... | 280—283 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | ... | ... | 283—295 |
| श्रीमती गीता मुखर्जी | ... | ... | 295—297 |
| श्री चरणजीत चानना | ... | ... | 297—306 |
| निर्माण कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के बारे में संकल्प श्री एम० एम० लारेंस | ... | ... | —309 |
| आधे घंटे की चर्चा | ... | ... | 310—317 |
| (जीवन रक्षक औषधियां) | | | |
| श्री राम विलास पासवान | ... | ... | 310 - 312 |
| श्री दलबीर सिंह | ... | ... | 312—317 |
| श्री सूरज भान | ... | ... | 313—314 |
| श्री कमला मिश्र मधुकर | ... | ... | 314—315 |
| श्री सुधीर गिरि | ... | ... | 315—316 |
| प्रो० रूपचन्द पाल | ... | .... | —316 |
| सदस्य की गिरफ्तारी श्री रामलाल राही | ... | ... | —318 |

# लोक सभा

शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1981/27 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बड़ौदा को की गई बोइंग 737 की उद्घाटन उड़ान में यात्रियों को हुई कठिनाई

*391. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा बड़ौदा को की गई बोइंग 737 की उद्घाटन उड़ान में असावधानी के कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) से (ग) यह असुविधा बोइंग विमान के लिए सीढ़ी उपलब्ध न होने के कारण हुई । बड़ौदा के लिए सीढ़ी ले जाने वाले वाहन की दुर्घटना हो गई थी और वह समय पर बड़ौदा नहीं पहुंच सका जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को असुविधा हुई ।

**श्री अजित कुमार साहा** : महोदय, मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को विलम्ब तथा असुविधा के लिये खेद प्रकट करना चाहिये भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठये गये हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : महोदय, इस प्रश्न पर और आगे अनुपूरक प्रश्न न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं । परन्तु सदन तथा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स के क्षेत्रीय निदेशक उस विमान में थे तथा वे इस असुविधा के लिए पहले ही क्षमायाचना कर चुके हैं । मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी ।

**श्रीमती कृष्णा साही** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कोई प्रश्न नहीं पूछ रही हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हम लोगों को नाश्ता-वाश्ता सब प्लेन में देना बन्द कर दिया गया है । कुछ नहीं मिलता है कहा जाता है कि मांगेंगे तब देंगे । ऐसा क्यों है ?

**अध्यक्ष महोदय** : वजन पहले ही ज्यादा है ।

## मूल्य वृद्धि

**श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि से चिन्तित है ; और

(ख) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

## विवरण

मूल्य स्थिति में काफी सुधार हो जाने के बावजूद, सरकार मुद्रास्फीतिकारी दबावों के बारे में विशेष रूप से कुछ आवश्यक वस्तुओं के संबन्ध में संतुष्ट नहीं है । अत: अब भी सापेक्षिक रूप से मूल्य स्थिरता प्राप्त करना सरकार की नीति का प्रमुख उद्देश्य है ।

इसलिए मांग और पूर्ति दोनों पक्षों के संबन्ध में अनेक मुद्रास्फीति—रोधी उपाय किए गए हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया है तथा उसका विस्तार किया गया है । देश में होने वाले उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा अतिमहत्वपूर्ण उद्योगों और आधारभूत क्षेत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं । घरेलू पूर्ति को बढ़ाने के लिए गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों और सीमेंट के आयात की व्यवस्था की गई है । काला बाजारियों, जमाखोरों और अन्य समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है । काले धन को समेटने के लिए भी उपाय किए गए हैं । मुद्रा उपलब्धि तथा बैंक ऋण के अनुचित विस्तार को रोकने के लिए अनेक भौतिक उपाय किए गए हैं, जिनमें बैंक दर, नकद-प्रारक्षित अनुपात (कैश रिजर्व रेश्यों) सांविधिक नकदी अनुपात (स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेश्यों) में वृद्धि करना तथा चयनात्मक ऋण नियन्त्रणों में समुचित परिवर्तन करना शमिल हैं ।

इन उपायों के फलस्वरूप, थोक मूल्य सूचाकांक के रूप में, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में, बिन्दु-प्रति-बिन्दु के आधार पर, काफी कमी हो गई है, अर्थात यह दर घटते-घटते 28 नवम्बर, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह में 7.7 प्रतिशत रह गई है जबकि यह एक वर्ष पहले 14.5 प्रतिशत थी ।

**श्री निहाल सिंह** : स्टेटमैंट को मैंने देखा है । ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ती गयी यह कहते हैं कि थोक मूल्य सूचाकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में काफी कमी हो गई है और 28 नवम्बर 1981 को समाप्त हुए सप्ताह में यह 7.7 प्रतिशत रह गई है जबकि एक वर्ष पहले यह 14.5 प्रतिशत थी। इससे ये यह साबित करना चाहते हैं कि मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन आप मार्किट में कीमतों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1965 से 1981 तक लगातार मूल्य वृद्धि होती गई है । हर इन्सान थोक नहीं बल्कि फुटकर खरीदता है । भारतीय गेहूं के मुकाबले में विदेशी गेहूं ड्योढ़े दामों पर खरीदा जाता है और उसको मार्किट में घाटे पर बेचा जाता

है । हिन्दुस्तान के किसान को जो गेहूं की कीमत दी जाती है उससे ड्योढ़ी कीमत गेहूं की खरीद पर बाहर दी जाती है । क्या इससे मूल्य वृद्धि होगी या नहीं होगी ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : महोदय इस सभा में मैंने अनेक बार बताया है कि थोक मूल्यों तथा खुदरा मूल्यों में कुछ न कुछ समय का अन्तर होता ही है तथा जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, 1 जनवरी, 1981 से थोक मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट आई है । विशेषरूप से 1 अगस्त, 1981 के बाद से इसमें लगातार गिरावट आती रही है आंकडों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है क्योंकि 288 अंकों से अब यह घटकर 277.6 अंक तक आ चुका है । अत: इससे यह पता चलता है कि मुद्रास्फीति की दर में कमी आती जा रही है। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि मैंने मूल्यों में कमी कर दी है । मैंने यही कहा है कि मैं मुद्रास्फीति की दर में कमी करने की चेष्टा करूंगा । जबकि इग्लैण्ड, फ्रांस तथा अन्य हर देश सहित शेष विश्व में मुद्रास्फीति की दर 10 से 12 प्रतिशत रही है, हमारे देश में यह दर 7 प्रतिशत है । **(व्यवधान)** मंहगाई भत्ते के लिये ये सरकार द्वारा जारी किए गये थोक मूल्य सूचकांक पर निर्भर करते हैं, परन्तु यदि मैं थोक मूल्य सूचकांक के लिये आंकड़े देता हूं, तो वे आपत्ति करते हैं । वे इस प्रकार का दोहरा मानदण्ड अपना रहे हैं ।

अब मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये दूसरे प्रश्न का उत्तर दूगां । जहा तक गेहूं का संबन्ध है, इसका एक विक्री मूल्य है । चाहे वह स्थानीय बाजार से खरीदा गया हो अथवा आयातित गेहूं हो, उसे विक्री मूल्य पर ही बेचा जाता है ।

**श्री निहाल सिंह** : हमारे यहां कहा जाता है ।

"कमाता है धोती वाला और खाता है टोपी वाला ।"

**श्री निहाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, विदेश का किसान ड्योढ़ा दाम पाये और यहां का किसान उत्पादन मूल्य भी न पाये । मैं जानना चाहता हूं कि जो मिल की वस्तुएं हैं, उनको जिस तरीके से लाइसेंस देते हैं विदेश व्यापार के लिये क्या किसानों को भी अपना गल्ला सीधे विदेश बेचने के लिए लाइसेंस देंगे ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके ?

**श्री आर० वेंकटरामन** : सरकार का प्राथमिक कर्तव्य अपने देश की जनता को अन्न उपलब्ध कराना है तथा अपने देश की जनता को भोजन दिलाने के लिये हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि खाद्यानों का भण्डारण देश में ही किया जाये तथा किसी प्रकार की कमी की अवस्था में उनका आयात करके लोगों को वितरित किया जाये । हमने सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए इसका आयात किया है तथा हम बहुत शीघ्र इसका भण्डारण कर रहे हैं । अत: यह कहना लोकहित के विरुद्ध होगा कि खाद्यान्नों का निर्यात किया जाना चाहिये ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्या यह सच नहीं है कि 10 जुलाई, 1981 को घोषित किये गये आर्थिक उपायों के द्वारा, जिनमें पैट्रोल के मूल्यों में 53 पैसे प्रति लीटर की दर से वृद्धि, हाई स्पीड डीजल के मूल्यों में 32 पैसे प्रति लीटर की दर से वृद्धि तथा यूरिया के मूल्यों में 350 रु० प्रति टन की दर से वृद्धि की घोषणा की गई थी, औद्योगिक तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के

कारण मुद्रास्फीति की दर में बढ़ोत्तरी हुई है ? क्या यह भी सच नहीं है कि रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुद्रास्फीति की दर को रोका नहीं जा सका है ?

**श्री आर० वेंकटरामन :** मैं पहले दूसरे मुद्दे का उत्तर दूंगा । मेरे पास रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है । रिपोर्ट के पहले वाक्य में कहा गया है : "जबकि जुलाई से जून तक के वर्ष 1980-81 में मूल्य वृद्धि की दर में कमी हुई, मुद्रास्फीति के प्रभावों को रोके जाने अथवा कम करने के अनुसार नजर नहीं आये ।" इस रिपोर्ट में मूल्य वृद्धि में कमी को स्वीकार किया गया है । मैं भी यही बात कहता रहा हूं । मैंने यह दावा नहीं किया है कि हमने मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोक दिया है । विश्व में कोई भी व्यक्ति इस काम को नहीं कर पाया है तथा मैं कोई जादू नहीं कर सकता हूं । अतः मैंने यह कहा है कि मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है तथा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से भी यही पता चलता है । समाचार पत्रों ने अपने शीर्षक में इस बात का उल्लेख नहीं किया है । पहला भाग.....

**प्रो० मधु दण्डवते :** यह सही नहीं है । प्रैस के बारे में यह बात उचित नहीं है । आपने जो यह वाक्य पढ़ा है, वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ।

**श्री आर० वेंकटरामन :** मेरे पास प्रैस रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें यह कहा गया है : "भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि मुद्रास्फीति की दर में कोई कमी नहीं आई है, इसमें दूसरे पहलू अर्थात् 'जबकि मूल्य वृद्धि में कमी हुई है' का उल्लेख नहीं किया है । अतः यह सही नहीं है । रिजर्व बैंक रिपोर्ट में अनेक ऐसे पैराग्राफ हैं, जिनमें मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण के प्रयासों को सराहा गया है । मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा..... .....

**अध्यक्ष महोदय :** हमारी पंजाबी भाषा में एक कहावत है :

"मीठा मीठा खा, कड़ुवा कड़ुवा थू"

**श्री आर० वेंकटरामन :** इसका क्या अर्थ है ? शायद इसका अर्थ यह है कि आप अपनी पसन्द की चीज को अपने पास रखें तथा जो पसन्द न हो, उसे छोड़ दें ।

अतः यह तो प्रथम बात है । जहां तक पैट्रोल मूल्यों का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि जब भी हम मूल्य वृद्धि करेंगे तो इसका प्रभाव थोक मूल्य सूचकांक पर पड़ेगा । परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि इसके बावजूद भी इसमें गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षित है ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मैंने स्पष्ट रूप से यह प्रश्न पूछा था : सरकार द्वारा अर्थोपायों में वृद्धि को देखते हुए क्या औद्योगिक तथा कृषि पदार्थों की लागत में वृद्धि नहीं हुई और उसके परिणामस्वरूप क्या दोनों के उत्पादों में वृद्धि नहीं हुई है ?

**श्री आर० वेंकटरामन :** मैंने भी यही कहा है । वृद्धियों के परिणामस्वरूप कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि सहित थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी हुई है । परन्तु मैंने यह भी कहा कि इसके बावजूद अगस्त माह से थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आती रही है तथा अब यह 289 के मुकाबले 277 है ।

**श्री के० लकप्पा :** विपक्ष के लोगों का यह कहना है कि वित्त मंत्रालय के अर्थोपायों के बावजूद भी देश में मुद्रास्फीति की दर में कमी नहीं आई है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि विपक्ष द्वारा उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों अथवा औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों में असन्तोष तथा हड़तालों द्वारा इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि और पैट्रोल आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण ही मुद्रास्फीति की दर में कमी नहीं आ पाई है अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में मुद्रास्फीति को बढ़ाने अथवा कम न कर पाने में उपरोक्त कारण किस सीमा तक जिम्मेदार रहा है तथा यदि हां, तो उपभोक्ता वस्तुओं के उचित उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ताकि मूल्यों को कम किया जा सके ? देश में इस प्रकार से महगांई बढ़ाई जा रही है । यह तो वही बात हुई कि पहले तो बच्चे को मार कर रूला दिया जाये तथा फिर उसे लोरी सुना कर चुप कराया जाये । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि विपक्ष द्वारा उपभोक्त उत्पदक औद्योगिक संस्थानों में हडतालें तथा घेराव कराकर उत्पादन में कमी करने तथा माँग को पूरा न कर पाने के कारण महंगाई बढने को रोकने के लिये भारत सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** विपक्ष के ही कारण जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है ।

**श्री आर० वेंकटरामन :** महोदय, यह बात सभी को ज्ञात है कि मूल्य चाहे जो भी हों, यदि सप्लाई कम कर दी जाती है, तो मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी । बहुत से पहलू हो सकते हैं । जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, कि पहलू हड़तालें तथा उत्पादन का कम होना है । दूसरा पहलू विद्युत की कमी और इसके कारण क्षमता का कम उपयोग कम हो किया जाना है । बहुत से पहलू हैं·····।

**श्री आर० एन० राकेश :** परन्तु सरकार के कारण नहीं ?

**श्री आर० वेंकटरामन :** आप कह सकते हैं परन्तु कर नहीं सकते मुझे क्या करना है ?

जहाँ तक सरकार का प्रश्न है सरकार उत्पादन चालू रखती है । हम सहज ढंग से श्रमिक तथा प्रबन्धकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं । कमी में समास्यायें नियंत्रण से परे हो जाती है और कभी इनका समाधान हो जाता है । इस बारे में कोई सामान्य नियम बना लेना सम्भव नहीं है ।

**श्री माधव राव सिन्धिया :** मुद्रास्फीति को 7.7 प्रतिशत पर रखने के लिए, जो एक बहुत बड़ा कार्य है, मंत्री महोदय सदन की बधाई के पात्र हैं ।

मुद्रास्फीति रोकने सम्बन्धी दो महत्वपूर्ण पहलू हैं : (क) उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करना और (ख) मुद्रा सप्लाई को कम करना । मंत्री महोदय से मैं यह बात जानना चाहता हूं कि (क) क्या अधिक उत्पादन बचत तथा अधिक पूंजी निवेश के विचार से वह प्रत्यक्ष दरों में कमी करने का विचार कर रहे हैं और (ख) क्या सरकार कठोर ऋण नीति का अनुसरण करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त कदम उठायेगी कि बैंक ऋणों पर नियन्त्रण के द्वारा उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को चयनात्मक ऋण नियन्त्रण नीति अपनाकर दूर किया जायेगा ।

**श्री आर० वेंकट रामन** : मैं पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह आपकी आदत है ?

**प्रो० मधु दंडवते** : वह सदैव गलत ढंग से आरम्भ करते हैं।

**श्री आर० वेंकट रामन** : रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्वयं कहा है कि ऋण नियन्त्रण को इस प्रकार लागू नहीं किया जाएगा कि उससे उत्पादन कम हो जाये। वास्तव में, ये नियन्त्रण माल सूचियों के बारे में तथा कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी पर लागू किये जाते हैं। इन्हें पूंजी निवेश अथवा उत्पादन कार्यों पर किसी प्रकार भी लागू नहीं किया जाता। रिजर्व बैंक उस बात का ध्यान रखता है कि ऋण नियन्त्रण को देश में उत्पादन पर अथवा उत्पादन प्रक्रिया पर खराब असर न पड़े।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है न तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य और न विपक्ष के सदस्य ही मुझे बजट प्रस्तावों के बारे में कुछ बताने पर विवश कर सकते हैं।

**श्री डी० पी० यादव** : अध्यक्ष महोदय, बात चाहे हम कितनी करें, सच्चाई यह है कि हर चीज का मूल्य बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, यह श्री वेंकटरामन जानें। आज से एक साल पहले पार्लियामेंट हाउस में घी मिलता था 25 रूपये किलो टिन में।

**श्री जगन्नाथ राव** : 22 रूपये।

**श्री डी० पी० यादव**: इस वक्त 35 रूपये किलो घी मिलता है, टिन के बगैर। एक साल में एक किलो घी का दाम 11 रूपये बढ़ गया है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि होलसेल प्राइस इनडेक्स घटा है कैसे घटा है ?

**अध्यक्ष महोदय**: सवाल पूछिए।

**श्री डी० पी० यादव**: घी के बाद में दूध पर आता हूं। दूध की हालत यह है कि विदेश से मिल्क पाउडर मंगा कर सारे मिल्क प्लांट्स को भर दिया है। नतीजा यह है कि असली मिल्क प्रोड्यूसर्ज को रीम्युनरेटिव प्राइस, ठीक भाव, नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकारी विदेश से मिल्क पाउडर मंगाना बन्द करेगी, मिल्क प्रोड्यूसर्ज को रीम्युनरेटिव प्राइस देगी और घी इत्यादि का दाम अन्य चीजों के दामों के साथ रैशनलाइज करेगी ?

**श्री आर० वेंकटारामन** : महोदय इन सभी चीजों के लिये मूल्य नियंत्रण लागू करना नहीं चाहते जब तक मूल्य नियंत्रण लागू नहीं किया जाता तब तक हम इन सब चीजों के मूल्यों में भी कमी नहीं ला सकते। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि मूल्य नियंत्रण से इतनी अधिक काला बाजारी बढ़ती है कि सरकार इन चीजों के बारे में मूल्य नियंत्रण करना ठीक नहीं समझती।

**श्री आर० एन० राकेश** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्दगी को कायम रखने की रोज-मर्रा की जितनी चीजें हैं, उन सब के भावों के बारे में तो वह फेल हुए हैं, सारी चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, उनको सस्ता रखने में वह नाकामयाब हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद जिन्दगी को सस्ता कर दिया है। इस सस्ताई के लिए मैं उनको बधाई देता

हूं। मेरा क्वशचन यह है कि क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि जिन चीजों पर उन्होंने कंट्रोल रखा है, उस कंट्रोल को कंट्रोल करने में वह नाकामयाब हैं और इस लिए क्या वह उनको डीकंट्रोल करने पर विचार कर रहे हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन :** स्थाननीय सदस्यों ने यह मामला कि सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित रखने में असफल रही है चुनावों के दौरान उठाया था और लोगों ने उस पर अपना मत व्यक्त कर दिया है। उन्होंने इस वात को स्वीकार नहीं किया। अब मैं इस से अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता। मूल्य वृद्धि के वारे में हमने सदन से वाहर भी चर्चा है और इस वारे में हम अव यहां चर्चा नहीं करेंगे कि हम में से कोई भी दूसरे दल का मतदान करने वाला नहीं है। हम सभी को अपने दल के पक्ष में मत देना है।

अत: प्रश्न यह नहीं है कि सरकार असफल रही अथवा नहीं, सरकार प्रत्येक वस्तु से नियंत्रण हटाने में विश्वास नहीं करती नाही प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण रखने को विश्वास रखती है। सरकार की नीति ऐसी है कि समाज के दुर्बल वर्गों के लाभ के लिये जिन वस्तुओं को आवश्यक समझती है उन पर नियंत्रण लागू करती है और ऐसा कुछ नहीं करती जो इन वर्गों के हितों के प्रतिकूल है।

**अध्यक्ष महोदय:** एक सवाल पूछने का तो मेरा भी जी चाहता था। क्विस्चन 393- श्री सैफुद्दीन चौधरी।

## पूर्व की और जाने वाली विमान सेवाओं के लिए विदेशी हवाई कम्पनियों द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे का प्रयोग

*393. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों किसी विदेशी हवाई कम्पनी ने पूर्व को जाने वाली विमान सेवा के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे का प्रयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) और (ख) नार्वे, स्वीडन और डेनमार्क की नामित एयरलाइन एस० ए० एस० ने हाल ही में कलकत्ता तथा सिंगापुर के बीच यातायात अधिकारों के लिये आवेदन किया था। एयरलाइन को कलकत्ता होकर निम्नलिखित मार्ग पर परिचालन करने का अधिकार है :—

स्केडिनेविया-फ्रैंकफर्ट-जूरिच-ऐथन्स-तेहरान-कराची-कलकत्ता-बैंकॉक-मनीला-टोकियो।

चूंकि सिंगापुर अनुसूचित मार्ग में निर्दिष्ट स्थान नहीं है इसलिये कलकत्ता तथा सिंगापुर के बीच यातायात अधिकार दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। तथापि एस० ए० एस० को कलकत्ता और सिंगापुर के वीच यातायात अधिकारों का प्रयोग किए बिना कलकत्ता होकर सिंगापुर के लिये परिचालन करने की अनुमति दे दी गई थी।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** महोदय, उत्तर से ज्ञात हुआ है कि एस० ए० एस० कलकत्ता और सिंगापुर के बीच एक नया मार्ग चाहती थी और मुझे बताया गया था कि अन्य एयरलाइनें भी कलकत्ता से परिचालन करना चाहती थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अन्य एयरलाइन कलकत्ता से परिचालन करना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एस० ए० एस० को इस मार्ग पर परिचालन की अनुमति क्यों नहीं दी गई ? यह एक नया मार्ग ही है जिस पर कि परिचालन चाहती थी।

**पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) :** ऐसी अठारह एयरलाइन्स हैं जिन्हें कलकत्ता में यातायात अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से बात कार्य कर रही हैं। एस० ए० एस० को कलकत्ता से परिचालन का यातायात अधिकार न देने का कारण यह है कि यह उस समझौते से सहमत नहीं हैं जो दो देशों के बीच हुआ है। दूसरे, यदि हम एस० ए० एस० को कलकत्ता से यातायात करने की अनुमति प्रदान करते हैं तो इससे एयरइण्डिया के यातायात पर खराब असर पड़ेगा।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** महोदय, उत्तर से यह बात स्पष्ट हो गई है कि एयर इण्डिया के यातायात के हित में हम विदेशी एयरलाइनों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसे अच्छा समझा गया है। परन्तु कलकत्ता से एयर इण्डिया के परिचालन की स्थिति क्या है। महोदय, कलकत्ता से वे 2.3 प्रतिशत एयर का भाग अर्जित कर पाते हैं इसी कारण से वे कलकत्ता से परिचालन करना नहीं चाहते। वे यह भी महसूस करते हैं कि कलकत्ता में पर्यटकों के लिये कोई आकर्षण नहीं है। मैं चाहता हूं कि अन्य हवाई अड्डों का भी विकास किया जाने पर क्या सरकार कलकत्ता का विकास करने पर ध्यान देगी।

**श्री अनन्त प्रसाद शर्मा :** वास्तव में कलकत्ता हमारा एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। परन्तु फिर भी यातायात बढ़ाने की दृष्टि से कलकत्ता और विकास के लिये क्या उपाय किये गये हैं। जहां तक कलकत्ता से एयर इण्डिया के यातायात का सम्बन्ध है, यह यातायात इतना नहीं है कि वह कलकत्ता से परिचालन आरम्भ कर सके। इसलिये एयर इण्डिया को कलकत्ता से जितना भी यातायात प्राप्त हो सकता है उतना यातायात अन्य हवाई अड्डों से किया जा रहा है।

**श्री सन्तोष मोहन देव :** महोदय, कलकत्ता बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा था, परन्तु इस तथ्य को देखते हुये कि कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में ये हड़ताल और बन्द बहुत होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को बहुत कठिनाइयां होती हैं और, महोदय, इनमें से बहुत सी हड़ताल तथा बन्द सरकार द्वारा कराये जाते हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह बात जान सकता हूं कि उनके कलकत्ता से अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स आरम्भ करने से पूर्व क्या सुनिश्चित करायेगा कि पश्चिमी बंगाल सरकार कोई बन्द आयोजित नहीं करेगी।

**श्री अनन्त प्रसाद शर्मा :** इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कलकत्ता एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है परन्तु वहां कई बार परेशानियां सामने आती हैं। कलकत्ता से केवल इसी आधार पर किसी सेवा को बन्द नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कलकत्ता में यातायात की स्थिति ऐसी है कि एयर इण्डिया इस समय वहां से परिचालन नहीं कर रही है।

हम इसके लिये सर्वेक्षण करायेंगे कि क्या यातायात स्थिति एयर इण्डिया के वहां से परिचालन योग्य हो गई है । इस समय जितना यातायात कलकत्ता से अन्य स्थानों के लिये होता है उतना यातायात अन्य हवाई अड्डों से किया जा रहा ।

**रेल वैगन न मिलने के कारण इस्पात संयन्त्रों में कोकिंग कोल का संकट**

*394. **श्री रेणुपद दास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपेक्षित रेल-वैगनों के न मिलने के कारण इस्पात संयन्त्रों को प्रायः हर समय कोकिंग कोल के संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस्पात मन्त्रालय ने इस मामले में रेल मन्त्रालय से अच्छी तरह बात-चीत की है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) भविष्य में कोकिंग कोल के उक्त संकट को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) से (घ) यह सच है कि पिछले कुछ महीनों से इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का स्टाक निर्धारित स्तर से काफी कम है । ऐसा कोयले की खपत में वृद्धि होने से हुआ है इसकी तुलना में आपूर्ति कम हुई है । रेलवे बोर्ड तथा कोयला विभाग से परामर्श करके स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय किये गये हैं । किये गये उपायों से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है तथा इस सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास किये जाते रहेंगे ।

**श्री रेणुपद दास** : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के संयन्त्रों में रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता, कोक ओवन बैटरियों के सामान्य कार्यकरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । साथ ही मैं सभी छः समेकिन इस्पात संयन्त्रों के स्टॉक की संयन्त्र वार अद्यतन स्थिति भी जानना चाहूंगा ।

**श्री प्रणब मुकर्जी** : प्रश्न यह नहीं है कि कुछेक आधारभूत बाधाओं के कारण कोक ओवन बैटरियां चल नहीं पा रही हैं और उत्पादन कम हो गया है । माननीय सदस्य को इससे अवगत होना चाहिए । मैं यह सूचना सदन को भी देना चाहूंगा । इस्पात उत्पादन में वृद्धि हो रही है, कमी नहीं । जहां तक बिकने वाले इस्पात के उत्पादन का सम्बन्ध है, यह लगभग 20 प्रतिशत से अधिक हो गया है । लौह पिंड के उत्पादन में भी 17 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इसलिए मूल उत्तर में मैंने यही कहा है कि हमारी खपत ज्यादा हो गई है। कुछेक बाधाएं भी हैं । औसतन 350,000 टन का स्टॉक रहना चाहिए । अब स्टॉक कम हो गया है । प्रत्येक संयन्त्र के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि कोकिंग कोल का स्टॉक कल तक (अर्थात, 17 दिसम्बर तक) 2,25,400 टन था ।

**श्री रेणुपद दास** : यह स्टॉक बहुत ही कम है जबकि इस्पात संयन्त्रों की सामान्य आवश्यकता 5 लाख टन की है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं

कि सभी 6 सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों में बिकने योग्य कुल इस्पात अक्तूबर में 7.1 लाख टन था जबकि एक अप्रैल, 1981 को इसकी मात्रा 5.7 लाख टन थी। महोदय, इस सम्बन्ध में राउरकेला संयन्त्र की स्थिति सबसे अधिक खराब है। पिछले अक्तूबर में इनके पास 94,000 टन बिकने योग्य इस्पात का भण्डार था। दुर्गापुर के पास 54,000 टन था। इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। क्या इससे बाजार में मूल्य नहीं बढ़ेंगे ?

**श्री प्रणब मुकर्जी** : मेरे विचार से माननीय सदस्य को बाजार की स्थिति का पता नहीं है। पिछले साल इस्पात के मूल्यों में 150 रुपये से 160 रुपये प्रति टन की गिरावट आई है। कच्चा लोहा के अलावा सभी प्रकार के इस्पात से मूल्यों में गिरावट आई है। यदि माननीय सदस्य का यह निष्कर्ष है कि प्रत्येक संयन्त्र में स्टॉक की मात्रा बढ़ती जा रही है—कुछ हद तक स्टॉक बढ़ा भी है—क्योंकि उत्पादन बढ़ने के साथ स्टॉक भी बढ़ेगा। साथ ही लाने ले जाने के लिए जो रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता है उसकी वजह से भी स्टॉक जमा हो गया है और इस सब को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि कोयले की स्थिति बिल्कुल गम्भीर नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है।

**श्री कमल नाथ** : मन्त्री महोदय ने बताया है कि इस्पात का उत्पादन बढ़ा है। महोदय, अभी तक तो इस्पात संयन्त्रों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा था। हमने वह स्थिति भी देखी है जब इस्पात संयन्त्रों के पास बिजली नहीं थी, विद्युत संयन्त्रों के पास कोयला नहीं था, इस्पात संयन्त्रों के पास वैगन नहीं थे और वैगन उद्योग के पास वैगन बनाने के पर्याप्त आर्डर नहीं थे। मैं यह जानना चाहूंगा कि कोयला कम उपलब्ध होने के कारण उत्पादन कितना कम हुआ। मेरे मित्र ने बताया कि कोयला बहुत कम उपलब्ध है। उसकी वजह से कितनी हानि हुई है ?

**श्री प्रणब मुकर्जी** : यह कम उत्पादन नहीं है। मैं इसकी स्थिति इस प्रकार बताना चाहूंगा कि आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त करने की स्थिति में आप नहीं हैं। जैसा कि सभी सदस्य जानते हैं कि पिछले वर्ष विभिन्न इस्पात संयन्त्रों में उत्पादन 47 लाख टन था। इस वर्ष प्रारम्भिक अवस्था में इस्पात संयन्त्रों ने 75 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था। बाद में, वित्त मन्त्री के निर्देश के अनुसार और जब सरकारी उद्यम ब्यूरो के साथ हमारी बैठक हुई थी तब हमने 63 लाख टन का संशोधित लक्ष्य रखा। बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन यदि हम 57 लाख टन करें तो स्वदेशी सप्लाई से कोकिंग कोल की कुल आवश्यकता इस्पात संयन्त्रों के लिए 1.36 करोड़ टन होगी और टिस्को के लिए 29 लाख टन होगा। इसका यह तात्पर्य है कि कुल आवश्यकता 16 मिलियन टन की होगी। इसका अनुपात सभी माननीय सदस्यों को मालूम है। जहां तक कारो जैसे परिष्कृत संयन्त्र का सम्बन्ध है उसमें एक टन हॉट मैटल के उत्पादन के लिए 1.53 न कोकिंग कोल चाहिए और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड जैसे संयन्त्र के लिए 1.9 कोकिंग कोल चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि कुल उत्पादन में कमी नहीं हुई है। परन्तु हम ने लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक पर्याप्त कोयला नहीं मिलता। जहां कोयले की सप्लाई के लिए वैगनों की उपलब्धता का सम्बन्ध है 3300 वैगन प्रतिदिन चाहिए

जबकि आजकल हमें 3100 वैगन मिल रहे हैं। परन्तु फिर भी हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री ए० के० राय** : कोयला, इस्पात और रेल परिवहन एक त्रिकोण की तीन भुजाओं के समान हैं जिससे गड़बड़ी हो रही है। कोकिंग कोल की सप्लाई के सम्बन्ध में, इनके पास कोकिंग कोल का स्टॉक काफी अधिक है। अतरांकित प्रश्न सं० 3227 के उत्तर में रेल मन्त्री ने 10.12.81 को बताया था कि 1981 में, कोयला खानों में वैगनों की मांग प्रतिदिन लगभग 11,000 वैगन थी और उन्हें केवल 10,000 वैगन ही सप्लाई किए जा रहे थे। इसका यह अर्थ है कि वैगनों की सप्लाई में कोई कमी नहीं थी। इसलिए कोकिंग कोल और वैगनों की अनुपलब्धता तथा इस्पात उद्योग द्वारा सही योजना न बनाने तथा समय पर सही मांग पत्र न देने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इस्पात उद्योग का इस वर्ष का मांग पत्र क्या है तथा कितने वैगन उपलब्ध हैं या फिर मन्त्रालय अपना दायित्व ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा है।

**श्री प्रणब मुकर्जी** : अपने उत्तरदायित्व से कोई नहीं बच रहा है। वास्तव में वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में जो मन्त्रिमण्डलीय समिति है जो कि औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति के नाम से जानी जाती है तथा जिसके सदस्य तथा मेरे साथ-साथ ऊर्जा मन्त्री और रेल मन्त्री भी हैं, यह समिति बराबर इस मामले की जांच कर रही है। माननीय सदस्य ने स्वयं ही आंकड़े बताए हैं तथा वह कहते हैं कि कमी है। आवश्यकता 11,000 वैगन के लगभग थी और सप्लाई 10,000 वैगन की थी। उन्होंने स्वयं ही यह बताया है। उस प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा था कि सप्लाई और आवश्यकता उत्पादन के लक्ष्य पर निर्भर करती हैं। 5.7 मिलियन टन के उत्पादन के लिए आवश्यकता 16 मिलियन टन की होगी यह मैं बता चुका हूं। परन्तु हमें उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया है जिससे आवश्यकता तो बढ़ेगी ही और इसीलिए मैंने यह आंकड़े दिए हैं कि एक टन 'हॉट मैटल' के उत्पादन के लिए बोकारो जैसे परिष्कृत संयन्त्र में 1.53 टन, और टिस्को में 1.9 टन कोकिंग कोल की आवश्यकता पड़ेगी।

**श्री ए० के० राय** : मेरा प्रश्न मांग पत्र और सप्लाई से सम्बन्धित था। आपसे कितनी मांग की गई थी ?

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। अगला प्रश्न, श्री भीखा भाई।

## केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क की तुलना में आयकर की वसूली पर आने वाला खर्च

*395. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क की तुलना में आयकर की वसूली पर बहुत अधिक खर्च आता है;

(क) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग ने कुल कितने राजस्व की वसूली की और आयकर राजस्व को तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क राजस्व को प्राप्त करने पर कितना-कितना खर्च आया; और

(ग) आयकर विभाग में वसूली पर आने वाले खर्च में कमी करने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सदन-पटल पर रखा गया है।

## विवरण

(क) तथा (ख) वित्तीय वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के लिए प्रत्यक्ष करों, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में वसूली की लागत के आंकड़े (अनन्तिम आंकड़े) इस प्रकार थे :

### सारणी

### वसूली की तुलनात्मक लागत

(रुपये करोड़ों में)

| वित्तीय वर्ष | प्रत्यक्ष कर | | | केन्द्रीय उत्पादन शुल्क | | | सीमा-शुल्क | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वसूली | व्यय | व्यय का वसूली के साथ प्रतिशत अनुपात | वसूली | व्यय | व्यय का वसूली के साथ प्रतिशत अनुपात | वसूली | व्यय | व्यय का वसूली के साथ प्रतिशत अनुपात |
| 1978-79 | 2527.15 | 49.50 | 1.96 | 5341.95 | 35.35 | 0.66 | 2448.20 | 24.75 | 1.01 |
| 1979-80 | 2817.57 | 51.71 | 1.83 | 6011.09 | 35.39 | 0.58 | 2923.99 | 28.37 | 0.97 |
| 1980-81 (अनन्तिम) | 2997.15 | 60.31 | 2.01 | 6469.14 | 38.43 | 0.59 | 3309.60 | 36.50 | 1.10 |

केवल एक जैसी स्थितियों में ही किसी अर्थपूर्ण तुलना की गुंजाइश होती है। आयकर एक प्रत्यक्ष -कर है, जो विभिन्न स्रोतों, जिनमें भारत से बाहर स्थित स्रोत, भी शामिल हैं, से प्राप्त की गई आय पर लगाया जाता है। दूसरी ओर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, या तो मूल्यानुसार शुल्क होते है या फिर आयात किये गये अथवा निर्यात किये गये माल अथवा उत्पादित अथवा विनिमित जिन्सों अथवा वस्तुओं की मात्रा अथवा मूल्य पर आधारित विशिष्ट शुल्क होते हैं। आय की संगणना और उस पर कर लगाना, आयकर का निर्धारण और उसकी वसूली विभिन्न तथ्यों का पता लगाने और कानून के पेचीदा उपबन्धों को, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिसंख्या राहतें और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन शामिल

हैं, लागू करने के बाद की जानी होती है। इनके परिणामत कर लाने योग्य आय में कमी भी आ सकती है हालांकि कर निर्धारण करने में काफी प्रयत्न करना होता है। साथ ही, अधिकाँश उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क, सामान्य स्रोत पर ही वसूल किया जाता है। चूंकि शुल्क लगाने, उसका निर्धारण करने और वसूली करने के तरीकों में बड़ा अन्तर होता है, इसलिए इनमें उपयुक्त तुलना करने का कोई आधार नहीं है।

(ग) आयकर विभाग में वसूली की लागत हमेशा अल्पतम रखी गयी है। तथापि, विभाग, कर निर्धारिणों की क्वालिटी में सुधार करके, बड़े कर निर्धारितियों के मामलों की जांच पर अधिक ध्यान देकर, अपने आसूचना और प्रवर्तन कार्यकलापों को युक्तियुक्त बनाकर और संक्षेप में, अपने सभी कार्य क्षेत्रों में आधुनिक प्रबंध तकनीकों को लागू करके, कम से कम लागत में अधिकतम सीमा तक वसूलियां करने का लगातार प्रयास कर रहा है।

**श्री भीखा भाई :** अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालय द्वारा जो विवरण तैयार किया गया है उससे एक साधारण आदमी को झूठा तर्क देकर संतुष्ट किया जा रहा है, परन्तु जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे सच्चाई प्रकट नहीं होती है। इसलिए मैं दो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा एक प्रत्यक्ष करों से सम्बधित है और दूसरा अप्रत्यक्ष करों जैसे केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क से सम्बद्ध है। विवरण में दिए गए आंकड़ों में यह बताया गया है कि प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में वर्ष 1678-79 में वसूली 2527.15 करोड़ रु० थी और व्यय 49.50 करोड़ रु० था जो कि वसूली का लगभग 1.96 प्रतिशत बैठता है। वर्ष 1979-80 में वसूली 2817.57 करोड़ रु० थी और व्यय 51.71 करोड़ रु० जो कि 1.83 प्रतिशत बैठता है। वर्ष 1980-81 में वसूली का व्यय लगभग 2.01 प्रतिशत बैठता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है व्यय का प्रतिशत बढ़ रहा है। इस वृद्धि के क्या कारण हैं ? अप्रत्क्ष करों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क का कर इकट्ठा करने वाले और उसे लागू करने वाले तंत्र को दृढ़ क्यों नहीं किया जाता। दूसरी ओर आय कर में और छूट क्यों नहीं दी जाती है। अनावश्यक मुकदमे क्यों किए जाते हैं। वेतन पाने वाले व्यक्ति, जो बढ़ते हुए मूल्यों से परेशान हैं उन्हें और अधिक छूट क्यों नहीं दी जाती। मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ छूट तो दी हैं परन्तु जितनी आवश्यकता थी उतनी छूट नहीं दी हैं।

**श्री सवाई सिंह सिसोदिया :** सिद्धान्ततः तो प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों में कोई तुलना नहीं हो सकती। वसूली और कर निर्धारण की प्रक्रिया अलग अलग हैं। जहां तक आय कर का सम्बन्ध है, वह उसका निर्धारण होता है फिर लगाया जाता है तब संसद के एक अधिनियम द्वारा उसकी वसूली की जाती है। यह एक व्यापक अधिनियम है और इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसलिए उस उद्देश्य के लिए आवश्यक तंत्र रखना पड़ता है। अपीलीय आयुक्तों और अपीलीय आय-कर अधिकरणों में इसकी अपील होती रहती है जिसका सारा खर्च विभाग को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही आय-कर अधिनियम के अनुसार सर्वे, जांच, पकड़-धकड़ और आवश्यक सूचना प्राप्त करने तथा आय-कर से बेचने और काले धन आदि की जांच करने के लिए एक अलग विभाग है।• अधिनियम के अन्तर्गत विभाग के कई अन्य दायित्व भी हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष कर लगाना इतना

आसान नहीं है। निर्धारितियों द्वारा तथ्यों का विवरण देने वाला एक विवरण होता है, कुछ छूटें और कुछ के लाभ आदि होते हैं। आय-कर अधिकारियों द्वारा सभी मदों पर विचार किया जाता है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है कर या तो किसी आयातित और निर्यातित वस्तु के यथा मूल्य पर लगाया जाता है या किसी विशिष्ट मूल्य पर। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है यह निर्मित वस्तुओं पर अथवा फैक्ट्री में बनाए गए सामान और निर्धारित मूल्य पर लगाया जाता है और इसे लगाना और वसूलना बहुत आसान और सुविधा जनक है। और इसमें अन्तर इसलिए है क्योंकि जब भी घरों में संशोधन होता है तंत्र तो वही रहता है। यदि एक सौ रु० कीमत की वस्तु पर शुल्क एक रुपया होता है और किसी साल यह शुल्क बढ़ा कर दो रुपये कर दिया जाता है, तो उसे वसूल करने वाले तंत्र में तदनुसार वृद्धि नहीं की जाती।

अत: अप्रत्यक्ष कर वसूल करने पर होने वाला खर्च कम होने और प्रत्यक्ष कर वसूल करने पर होने वाले खर्च के अधिक होने के और बहुत कारण हैं।

**श्री भीखाभाई :** अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मंत्री महोदय का उत्तर उतना ही विश्वासोत्पादक है जितना कि उनका विवरण, परन्तु मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उससे मालूम होता है कि कर वसूल करने पर खर्च वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा है और 1980-81 में यह दुगना हो गया है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वे इसे किस प्रकार कम करने जा रहे हैं, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि अप्रत्यक्ष करो पर खर्च कम होता जा रहा है— 1·05, 0·97 तथा 1·14 और वह विभाग जो प्रति वर्ष 8 हजार करोड़ रुपए कमा कर देता है वहां व्यय की प्रतिशतता कम है जबकि 2000 करोड़ रु० कमा कर देने वाले विभाग में व्यय की प्रतिशतता अधिक है। अत: क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह कर वसूली करने की प्रणाली की समीक्षा करेंगे और कर वसूलने वाली मशीनरी में बढ़ोत्तरी करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप तो एक सुझाव दे रहे हैं। एक मामले के हक में बोल रहे हैं। कृपया इसे बजट स्पीच के लिए रख लीजिए।

**श्री भीखाभाई :** मैंने एक प्रश्न पूछा है। यह मेरा मुख्य प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया इसको बजट के लिए रख लीजिए तब यह बेहतर सिद्ध होगा।

**श्री भीखाभाई :** परन्तु इन्हें भी तो आश्वासन देना चाहिए कि ये कर वसूल करने वाले अधिकारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं और अप्रत्यक्ष करों को कम करने जा रहे हैं।

**श्री के० मागातेवर :** वर्ष 1975-76 के दौरान यह सरकार न केवल आय-कर वसूल करने में ही सफल हुई थी, अपितु सरकार कालाबाजारियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों तथा तस्करों को अपने नियंत्रण में ले आई थी। मैं भी यहीं था और आप भी यहीं थे। दुर्भाग्यवश जनता सरकार सत्ता में आई और यह 1977-79 के दौरान आई और अगस्त 1979 में चली गई। संसद के भंग हो जाने की वजह से मुझ पर भी असर हुआ था। जनता शासन के दौरान सभी काला बाजारियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों और तस्करों को छोड़ दिया गया था। अब उनके पास सरकार

के तहत कुछ हथियार हैं। आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत बहुत से अधिकार हैं। आप आयकर के बकाया को वसूल करने के लिए बहुत से कानूनों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूं आयकर अधिनियम में किसी निश्चित सीमा में आयकर की बकाया की ऐसी राशि को वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो। कालाबाजारियों, तस्करों, मुनाफाखोरों और जमाखोरों को आयकर अधिनियम के उपबंधों की इस ढील का फायदा होता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे आयकर अधिनियम में कोई समुचित प्रभावकारी संशोधन करने जा रहे हैं ताकि आयकर की बकाया राशियों को जल्द से जल्द वसूल किया जा सके।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : विशेषकर, श्री एम० जी० रामचन्द्रन से

**श्री के० मागातेवर** : मेरा इससे कोई मतलब नहीं। यह केवल एम० जी० रामचन्द्रन का मामला नहीं हैं। सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे आपको उकसा रहे हैं ?

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : लगता है ये निदेशक बनने जा रहे हैं।

**श्री के० मागातेवर** : मैं तो सरकार से केवल इतना जानना चाहता हूं कि वे आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि आयकर की बकाया राशियों के लिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधिकरणों में अनिश्चित समय के लिए मामले लटके न रहें ?

**श्री सवाई सिंह सिसोदिया** : श्रीमन् सरकार निरन्तर आय कर की बकाया राशियों की स्थिति की समीक्षा करती रहती है और हर वर्ष इसके लिए एक विभागीय बैठक बुलाई जाती है। हर वर्ष बकाया राशियों को वसूल करने और अपीलों को निपटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। मैं नहीं समझता कि फिलहाल कानून में संशोधन करने की कोई आवश्यकता है। कानून में, आय कर विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने सम्बन्धी, कुछ प्रावधान हैं और विभाग द्वारा करों को वसूल करने और मामलों को निपटाने के लिए हर सम्भव अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : यह एक आम धारणा है कि अप्रत्यक्ष कर आम आदमी, गरीब आदमी द्वारा दिए जाते हैं जबकि प्रत्यक्ष कर विशेषकर आय कर समाज के उच्च वर्ग द्वारा दिया जाता है। कराधान के सिद्धांतों के आधार पर आयकर विशेष रूप से एक अच्छी प्रणाली है। क्योंकि सिद्धान्त यह है कि "जो ज्यादा बोझ सह सकें उन पर ज्यादा बोझ पड़ना चाहिए।" परन्तु हाल ही में हमने यह देखा कि अप्रत्यक्ष करों के अनुपात बदल गये हैं। अब अप्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व एकत्रित होता है जिसका सीधा अर्थ यह है कि गरीब आदमी ज्यादा कर दे रहा है। जितने अप्रत्यक्ष कर अधिक होंगे उतने ही मूल्य बढ़ेंगे क्योंकि अप्रत्यक्ष करों के मामले में करों को बढ़ाना या घटाना सम्भव है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार क्या अप्रत्यक्ष करों को घटाने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है ? दूसरे, क्या इस सम्बन्ध में सरकार

प्रो० कालडोर के सुझाव का अनुसरण करने जा रही है तथा व्यय कर लगाने जा रही है ताकि व्यय के खर्चों को रोका जा सके ?

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। व्यय कर के मामले में तो पहले ही बहस हो चुकी है। इसे बार-बार क्यों दोहराया जाये।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं प्रो० साहब को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह थ्योरी जिसके अनुसार प्रत्यक्ष कर का असर अमीरों पर और अप्रत्यक्ष कर का असर गरीबों पर पड़ता है पुरानी हो चुकी है। वास्तव में जब हम उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे फ्रिज, टेलीविजन, इत्यादि मदों पर अधिक कर लगाते हैं तो यह अमीरों पर कर हुआ, उनकी कर दे सकने की क्षमता के हिसाब से। अतः यह थ्योरी जिसकी बात उठाई जा रही है, बहुत पुरानी हो चुकी है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे इस सब की सीमा निश्चित की जा सके।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या मैं उनकी गलती ठीक कर सकता हूं ?

**श्री आर० वेंकटरामन** : नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वह इस बारे में बजट के समय बोल लें। वे मुझे प्रश्न काल के दौरान सुझाव नहीं दे सकते। यहां मुझे छूट है कि मैं बिना रोक-टोक के बोल सकूं। यहां पर मानवीय सदस्य महोदय सार्वजनिक वित्त के सम्बन्ध में अपनी गलत जानकारी दे रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे अर्थशास्त्री हैं ?

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : नहीं, मेरा विषय राजनीतिशास्त्र है।

**डा० सुब्रह्मण्य स्वामी** : वे राजनीति शास्त्र, विशेषकर मार्क्सवादी राजनीति के प्रो० हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन** : प्रत्यक्ष कर कराधान के सिद्धान्तों अर्थात् समानता, सहभागिता और निश्चितता के सिद्धान्त के अनुसार लगाये जाते हैं और कोई भी कर समानता के सिद्धान्त को पूरा किये बिना नहीं लगाया जा सकता। आयकर भी इसी सिद्धान्त के आधार पर लगाया जाता है। और इसे उस सीमा से अधिक नहीं लगाया जा सकता जितना कि लोगे बर्दाश्त कर सकें।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या 396—श्री राजेश कुमार सिंह उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 397।

## राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित पामोलाइन का कांडला पत्तन में पड़ा रहना

*397. **श्री अजित बाग** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया गया पामोलाइन का भारी स्टाक लम्बे अरसे से कांडला पत्तन में पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पामोलाइन की मात्रा कितनी है;

(ग) उपरोक्त तेल कांडला पत्तन में कब से पड़ा हुआ है और राज्य व्यापार निगम द्वारा अक्तूबर, 1981 के अन्त तक कितना विलम्ब शुल्क अदा किया गया ?

**वाणिज्य, मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

## विवरण

(क) और (ग) राज्य व्यापार निगम कांडला के पास स्टाक में पड़ी हुई पामोलाइन की मात्रा 1-7-1981 से 1-12-1981 के बीच की अवधि के दौरान 10,000 से 20,000 मी० टन तक घटती बढ़ती रही ।

(ग) स्टाक का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि पामोलाइन के नए स्टाक को पुराने स्टाक के साथ मिला दिया जाता है । तथापि, कांडला पर पामोलाइन की अन्तिम आवक 10-11-1981 को आई जब 5000 मे० टन का एक जहाज आया ।

कांडला पर पामोलाइन के आयतों की वजह से राज्य व्यापार निगम ने 1-4-1981 से 31-10-1981 के बीच विलम्ब शुल्क के रूप में लगभग 5,72,000 रु० लगभग (63,566 अमरीकी डालर) भुगतान किया ।

**श्री अजित सिंह बाग** : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखने से मालूम होता है कि 63,566 डालरों तक की भारी राजस्व हानि हुई है । इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष जून और जुलाई के महीनों में दो जहाजों को जो 40,000 टन खाद्यान्न तेल ले जा रहे थे समुद्र में केवल इसी वजह से रोके रखा गया कि बम्बई बन्दरगाह में जहाज उतारने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी । क्या मंत्री महोदय इस सभा को बतायेंगे कि भारतीय राज्य व्यापार निगम को इस वजह से कितना विलंब शुल्क अदा करना पड़ा । और इसी प्रकार की अन्य कमियों के कारण भारतीय राज्य व्यापार निगम को भारत में अन्य बन्दरगाहों पर कितना विलंब शुल्क देना पड़ा ? यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है ।

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : जहां तक भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा माननीय सदस्य महोदय द्वारा पूछी गई अवधि के दौरान, अर्थात् कांडला बन्दरगाह के सम्बन्ध में, दिये गये विलंब शुल्क का सम्बन्ध है मैंने अपने विवरण में ही यह उत्तर दे दिया है । परन्तु जहां तक विभिन्न बंदरगाहों पर भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा अदा किए गए विलम्ब शुल्क का प्रश्न है इस संबंध में एक अलग से प्रश्न पूछना होगा क्योंकि मेरे पास सम्बन्धित जानकारी नहीं है । माननीय सदस्य महोदय इस बात के लिए मेरे से सहमत होंगे कि इसका राज्य व्यापार निगम से कोई सम्बन्ध नहीं । यदि बन्दरगाहों पर स्थान की कमी होती है, तो हम जहाजों को किसी दूसरे बन्दरगाह पर भेज देते हैं । परन्तु आयल जैटी पर जितना भी स्थान उपलब्ध होता है हम उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं । इसमें भी पेट्रोलियम को

सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। उदाहरण के लिए कांडला में केवल एक ही आयल जैटी है जिसे कि खाद्यान्नों, पैट्रोल या पैट्रोलियम पदार्थों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यही कारण है कि हम कई बार जहाजों को प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं और यदि हम उन्हें अधिक समय रुकने के लिए कहते हैं तो विलंब शुल्क भी हमें देना ही होगा इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।

**सरकारी उद्यमों में परियोजना प्रबन्ध के बारे में वर्कशाप**

*399. **श्री बी० डी० सिंह**
**श्री कृष्ण कुमार गोयल** } : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं को क्रियान्विति में विलंब के कारण उनकी लागत में वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए राजधानी में सरकारी उद्यमों में परियोजना प्रबन्ध के बारे में एक वर्कशाप आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) सरकारी उद्योगों में परियोजना प्रबन्ध संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला 19 से 21 नवम्बर, 1981 तक दिल्ली में आयोजित की गयी थी। इस कार्यशाला का प्रयोजन सरकारी उद्यमों में परियोजना प्रबन्ध को बेहतर बनाने की ओर विशेष ध्यान दिलाना तथा उसके लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श करना था, इस कार्यशाला का उद्देश्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण उनकी लागत वृद्धि का विश्लेषण करना नहीं था।

(ख) और (ग) इस कार्यशाला में सरकारी उद्यमों के अन्तर्गत परियोजना प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए अनेक उपयोगी सिफारिशें की गयी हैं। इनमें से अनेक सिफारिशें तो परियोजना प्राधिकारियों द्वारा स्वयं ही लागू की जानी हैं। जहां कहीं सामान्य नीति एवं प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों को जांच करनी होगी, वहां यथावश्यक रूप से ऐसा ही किया जाएगा।

**श्री बी० डी० सिंह** : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा कि इसमें प्रोजेक्ट्स के इमप्लीमेंटेशन में जो विलम्ब से अधिक व्यय हो जाता है उस पर विचार नहीं हुआ। लेकिन वहां पर जो लोग आये थे उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किये वह ज्यादातर इसी समस्या पर केन्द्रित थे। यह एक बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। इस बारे में मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं। भिलाई और बोकारो प्लान्ट्स के एक्सपेंशन की बात थी, उसमें शुरू मे 969 करोड़ की योजना थी, वह बढ़कर के 1459 करोड़ हो गई। बोकारों में 513 करोड़ के स्थान पर 1279 करोड़ हो गई। इस प्रकार से 490 करोड़ और 766 करोड़ रु० की वृद्धि हो गई विलम्ब के कारण। इसके अतिरिक्त अभी पिछली 16 तारीख को अनस्टार्ड सवाल के जवाब में आया है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप देखें कि 39 करोड़ की केरल न्यूजप्रिन्ट प्रोजेक्ट की कास्ट थी

जो बढ़ कर 151 करोड़ हो गई, नागालैंड में पल्प और पेपर कम्पनी की कोस्ट 19 करोड़ से बढ़ कर 83 करोड़ हो गई, नौगांव प्रोजेक्ट की 114 करोड़ से बढ़ कर 228 करोड़ हो, गई और कछार प्रोजेक्ट में 114 करोड़ से बढ़ कर 226 करोड़ हो गई विलम्ब से इमप्लीमेंशन के कारण। इस प्रकार इमप्लीमेंशन में जो बिलंब हो रहा है उसकी वजह से बराबर कोस्ट बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण कारण है जो हमारे देश के डैवलपमेंट में बाधक हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई आपने वर्क आउट कराया है कि विभिन्न प्रोजेक्ट्स में विलम्ब होने से टोटल कितना बढ़ जाता है ? और यह जो प्रोजेक्ट्स के निर्णय लिये जाते हैं यह पोलिटिकल होते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाता है, हर एक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता है। तो पोलिटिकल निर्णय वाले प्रोजेक्ट्स को दूर करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में वस्तुओं की बिक्री के जरिए कर अपवंचन

*396. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में आयोजित साप्ताहिक बाजारों में बहुत से लोग शाम को कुछ घंटों के लिए सप्ताह के दिनों में वस्तुएं बेचते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वे नियमित आधार पर पर्याप्त धन कमा लेते हैं;

(ख) क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया है कि इन लोगों द्वारा तथा थोक विक्रेताओं द्वारा जिन से वे इन वस्तुओं को खरीदते हैं, कितना कर अपवंचन किया जा रहा है क्योंकि यह समस्त प्रक्रिया लेखा बाह्य होती है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसदिया)** : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में बहुत से लोग सप्ताह के दिनों में शाम को कुछ घंटों के लिए वस्तुएं बेचते हैं। इन साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुएं साधारणत: आम इस्तेमाल की और सामान्त: कम कीमत की होती हैं। सामन्य ग्राहक, निम्न-मध्यम वर्ग के तथा गरीब लोग होते हैं। इसलिए ऐसी सम्भावना नहीं है कि विक्रेता नियमित आधार पर काफी बड़ी रकम कमाते हैं।

(ख) से (घ) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि आयकर से छूट की सीमा 15000/- रु० तक है, इस प्रकार का सर्वेक्षण आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

## सोवियत संघ के साथ व्यापार

*398. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ के साथ वर्ष 1980 और चालू वर्ष (अब तक) के दौरान किन-किन वस्तुओं का और कितनी विदेशी मुद्रा के मूल्य का व्यापार हुआ है; और

(ख) इसमें राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होने वाले व्यापार का अनुपात क्या है?

**वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) कैलन्डर वर्ष 1980/1981 के लिए सोवियत संघ के साथ भारत के व्यापार से संबंधित मदवार आँकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह अनुमान है कि कैलेन्डर वर्ष 1980 और 1981 के पहले आठ महीनों के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच कुल व्यापार परिमाण क्रमशः 2,088 करोड़ रु० तथा 2,024 करोड़ रु० रहा है।

(ख) सोवियत संघ के साथ राज्य व्यापार निगम का व्यापार कैलेन्डर वर्ष 1980 में 178.31 करोड़ रु० और जनवरी से नवम्बर, 1981 तक 154.13 करोड़ रु० का रहा है।

## खली के निर्यात में कमी

*400. **श्री मोहन लाल पाटिल**<br>**श्री डी० पी० जदेजा** } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खली का निर्यात दिन-प्रति-दिन कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां खली की मांग है; और

(घ) विदेशी मुद्रा कमाने हेतु निर्यात में वृद्धि करने के लिए विदेशों में अपने खली के उत्पादों को लोक प्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) तथा (ख) 1976-77 से लेकर तेल रहित चावल की भूसी सहित खली तथा वनस्पति तेलों के अवशेष का निर्यात निम्नांक्त प्रकार रहा :—

| वर्ष | मात्रा (लाख मे० टन) | मूल्य (रु०/करोड़) |
|---|---|---|
| 1976-77 | 21.38 | 246.95 |
| 1977-78 | 11.78 | 149.34 |
| 1978-79 | 13.64 | 135.11 |
| 1979-80 | 15.91 | 159.84 |
| 1980-81 | 13.77 | 168.61 |

1980-81 के आंकड़े अनन्तिम हैं तथा केवल मूंगफली निस्सारण, बिनौला निस्सारण, सोयावीन निस्सारण तथा तेल रहित चावल की भूसी के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त आंकड़ों से तेल रहित खली के निर्यात की किसी निश्चित प्रवृति का पता नहीं चलता।

(ग) तथा (घ) निर्यात नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, पोलैंड सोवियत संघ तथा थाइलैंड सहित अनेक देशों को किए गए हैं। चूंकि घरेलू आवश्यकताओं के हित में इस ग्रुप की प्रमुख मदों के निर्यात अधिकतम सीमाओं के अन्दर प्रतिबन्धित हैं। अतः निर्यात के लिए रिलीज की गई अधिकतम सीमाओं के भीतर तेल रहित खली के निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने के बराबर प्रयत्न किए जाते हैं।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नए मजूरी ढांचे को उत्पादिता तथा एकक के कार्यकरण के साथ जोड़ना**

*401. **श्री बाबा साहिब विखेपाटिल : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में नए मजूरी ढांचे को श्रमिकों की उत्पादिता तथा सम्बन्धित एकक के कार्यकरण के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी प्रतिष्ठान ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र में मजूरी पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कोई नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र में इस समय मजूरी पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जो मार्गदर्शी सिद्धान्त लागू हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) से (ग) मजूरी को उत्पादकता/लाभकारिता के साथ जोड़ने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) वर्तमान नीति, लोकउद्यम सर्वेक्षण 1979-80 के खण्ड 1 में अध्याय 23 के पैरा 4 (1) (पृष्ठ 423) पर उल्लिखित है, जिसे 27 फरवरी, 1981 को संसद के सभा पटल पर रखा गया था।

**कम्पनियों द्वारा विस्तृत आधार पर कारपोरेट इक्विटी पूंजी का लगाया जाना**

*402. **श्री सन्तोष मोहन देव**
**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** } : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों द्वारा निर्धारित सीमा के साथ अधिक पूंजी लगाये जाने की व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या कम्पनियों को यह सुझाव देने का भी प्रस्ताव है कि पूंजी निवेश के लिये वे अपने ही संसाधनों का मूल रूप में उपयोग करें; और

(ग) कारपोरेट इक्विटी पूंजी निवेश विस्तृत आधार पर हो तथा आर्थिक शक्ति का जमाव न हो, इसके लिए अन्य कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, साधारणतः संस्थागत ऋण मंजूर करने की एक शर्त के रूप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं नयी परियोजनाओं अथवा वर्तमान परियोजनाओं के विकास के लिए प्रवर्तकों से परियोजना लागत के 20 प्रतिशत अंशदान पर जोर देती है। पहाड़ी क्षेत्रों या पिछड़े हुए जिलों में स्थापित होने वाले और व्यावसायिक उद्यमियों या नये स्थानीय उद्यमियों या अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रवर्तकों के अंशदान की मात्रा के बारे में उपयुक्त रूप से रियायत दे दी जाती है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम के अधीन आने वाले घरानों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के मामले में सरकार और इन संस्थाओं की नीति और प्रथा यह है कि परियोजना की लागत के रूप में प्रवर्तकों के अंशदान को अधिक से अधिक रखा जाए। क्योंकि सूची के प्रयोजनों की यह सामान्य शर्त कि प्रवर्तकगण किसी नयी कम्पनी की साम्य पूंजी में 40 प्रतिशत से अधिक अंशों को धारित नहीं रख सकते, वित्तीय संस्थाओं/एम० आर० टी० पी० अधिनियम की इस अपेक्षा के विपरीत पड़ती थी कि प्रवर्तकगण परियोजना की कुल लागत का एक न्यूनतम प्रतिशत अवश्य लगाएं, उन्हें यह अनुमति दे दी गयी है कि वे परियोजना के आरम्भिक स्तरों पर 40 प्रतिशत से अधिक साम्य-पूंजी-अंशों को धारण कर सकते हैं जिसकी अधिकतम सीमा 70 प्रतिशत तक हो सकती है, शर्त यह है कि 40 प्रतिशत से अधिक की साम्या धारिता वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रचलित बाजार मूल्य पर सामान्य जनता को बेच दी जाए। शर्तों को इस प्रकार तर्कसंगत बना देने से आशा है उद्योग में नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ेगी और सरकार की नीति के अनुसार प्रवर्तकों के अंशदान को अधिकतम बनाने में सुविधा मिलेगी ।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) घरानों के लिए नयी परियोजनाओं के विस्तार के लिए एम० आर० टी० पी० के उपबन्धों के अनुसार सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यद्यपि इस विषयक प्राप्त आवेदन की हर मामले के आधार पर अलग-अलग जांच की जाती है किन्तु फिर भी सरकार का प्रयास रहता है कि :—

(1) प्रवर्तकों का अंशदान अधिकतम हो;

(2) वित्तीय संस्थाओं से ऋण की मात्रा कम से कम रहे ताकि गैर एम० आर० टी० पी० लघु उद्योगों के विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सके;

(3) अन्य उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं की तुलना में एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के प्रस्तावों के बारे में साम्या-ऋण अनुपात विषयक अधिक कठोर मानदण्ड अपनाने को प्रोत्साहन देना;

(4) कम्पनियों को नयी साम्या और डिबेंचरों के लिए जनता से अंशदान आमन्त्रित करने को प्रोत्साहन देना क्योंकि इससे औद्योगिक उपक्रमों में जनता की भागीदारी बढ़ती है और जनता की बचत राशियों को इनके लिए प्राप्त किया जा सकता है;

(5) सरकार की स्वीकृति नीति के अनुरूप भारतीय कम्पनी की साम्या पूंजी की अनिवासी धारिता को कम करना;

(6) सामूहिक धारिता में कमी को सुनिश्चित करना;

(7) प्राइवेट और निजी रूप से धृत कम्पनियों को पब्लिक कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन देना और उनके शेयरों को मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सूची में दर्ज कराना तथा उपयुक्त मामलों में एक नये नियमित निकाय का निर्माण करना जिसमें शर्त हो कि शेयरों को मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सूची में दर्ज कराया जाएगा।

एम० आर० टी० पी० घरानों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं को स्वीकृति तभी दी जाती है जबकि सरकार इस विषय में पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि वह योजना आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की अनुमति न देने की सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है।

## लौह अयस्क का जमा होना

*403. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा परादीप बन्दरगाह से कम मात्रा में लोहे अयस्क का निर्यात किए जाने के कारण गर्त मुहानों और बन्दरगाह पर भारी मात्रा में लौह अयस्क जमा हो गया है जिससे उड़ीसा में बड़ी संख्या में लौह अयस्क खानें बन्द हो रही हैं और हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो संकट का सामना करने के लिए क्या उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात उसी स्तर के आस पास रहे हैं, वास्तव में, 1980-81 में निर्यात पिछले दो वर्षों की अपेक्षा अधिक हुए। सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उड़ीसा में ऐसी केवल तीन खानों द्वारा श्रमिक अशान्ति या निम्न ग्रेड अयस्कों के लिए प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण जनवरी, 1981 से उत्पादन बन्द कर दिया गया बताया जाता है। इससे उड़ीसा में खनन क्षेत्र में रोजगार स्थिति पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होता।

## भारतीय वस्त्रों का निर्यात संवर्धन

*404. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय वस्त्रों के निर्यात-संवर्धन के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) तथा (ख) भारत से सिले सिलाये परिधानों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(1) भारत से परिधानों का निर्यात बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक उपायों की तरफ विशेष ध्यान देने के वास्ते सरकार द्वारा एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद् अर्थात् अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है;

(2) विदेशी बाजारों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के विचार से सरकार, बाजार अध्ययनों, क्रेता विक्रेता बैठकों तथा व्यापार मेलों में भाग लेने जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित तथा प्रायोजित करती हैं। इस प्रकार के कई अध्ययन किये जा चुके हैं और कई बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं;

(3) परिधानों की कुछ श्रेणियों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती है;

(4) (क) पूरे तौर पर कोटे के उपयोग (ख) अधिक इकाई मूल्य की प्राप्ति; तथा (ग) व्यापार के क्रमवद्ध विकास, जो तीन उद्देश्यों को लेकर परिधान निर्यात कोटा नीति बनाई जा रही है।

नीति के विभिन्न उपबन्ध इतने लचीले हैं कि उनमें व्यापार की मांगों और उपभोक्ता की पसन्दों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(5) वर्ष 1981-82 का आयात नीति में टैक्सटाइलों और क्लोदिंग के निर्यातों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कई बातें हैं। परिधान बनाने की अनेक मशीनों का आयात करने की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दी गई है। वस्त्र अन्त-र्निविष्टों के आर० ई० पी० लाइसेंसों के अधीन हकदारियों को उदार बना दिया गया है। परिधान उद्योग ब्लैंडिड/मिक्स्ड वस्त्रों, सूती डेनिम व कार्डराय जैसे अन्त-र्निविष्टों की अनुमति निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अधीन दी गई है;

(6) सरकार ने शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की थी। योजना को इस तरह से बनाया गया है कि जिससे नये एककों के लिए बोर्ड द्वारा औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी सहयोग, पूंजीगत माल और कच्ची सामग्री के आयात आदि के सम्बन्ध में एकल प्वाइंट विलयरेंस दे दी जाये। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादों की सूची में सिले सिलाये परिधान भी शामिल हैं।

**पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के परिवर्तनीय ऋणपत्र**

*405. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में स्टाक मार्किटों में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा परिवर्तनीय ऋणपत्र भारी मात्रा में जारी किए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ का दस से बारह गुना तक भुगतान किया गया;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान कितनी कम्पनियों को कुल कितनी राशि के परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने की अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या सामान्य जनता द्वारा इसके प्रति व्यक्त की गई रुचि से पता चलता है कि लोगों के पास उपलब्ध फालतू धन का उपयोग करने की काफी गुंजाइश है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार संसाधनों का उपयोग करने के लिए आकर्षक बचत योजनायें पेश करके इस अनुकूल बाजार की स्थिति का लाभ उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) तथा (ख) यह सच है कि हाल ही के महीनों में बहुत सी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों ने परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा सामान्य शेयर प्राप्त करने के अधिकार वाले ऋणपत्रों के प्रास्पेक्ट्स के जरिए जनता को पेशकश की हैं। 1-4-1981 से 31-10-1981 तक की अवधि के दौरान 8 कम्पनियों ने इस प्रकार के ऋण-पत्र जनता के सामने पेश किए हैं जिनका कुल मिलाकर मूल्य 33.07 करोड़ रुपए है। इनमें से दो ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में दस गुना से भी ज्यादा अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) प्राप्त हुआ। चार ऋण-पत्रों के संबंध में पांच गुना से भी ज्यादा अभिदान मिला और बाकी दो के सम्बन्ध में एक से अधिक पर पाँच गुना से कम अभिदान प्राप्त हुआ।

(ग) 30 नवम्बर, 1981 को समाप्त पिछली तिमाही में 19 कम्पनियों को पूंजी निर्गम नियन्त्रण अधिनियम 1947 के अन्तर्गत कुल मिलाकर 130.37 करोड़ रु० की राशि के परिवर्तनीय ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।

(घ) से (च) इन ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में आम जनता ने जो अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित की है उससे जनता के साधन जुटाने की संभावनाओं का स्पष्ट संकेत मिलता है। इस प्रकार से साधन जुटाने के लिए सरकार ने निवेश के विभिन्न माध्यम उपलब्ध करा दिए हैं जैसे कि राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक जमा खाते, कम्पनियों के पास सावधि जमा तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट आदि। (सरकार ने) 1 मई, 1981 से राष्ट्रीय बचत पत्रों की दो नई श्रृंखलाएं जारी की हैं अर्थात (i) 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VI निर्गम) जिन पर 12 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा जिसे हर 6 महीने के बाद जोड़ा जाएगा (ii) 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VII निर्गम) जिस पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा जिसे हर 6 महीने के बाद जोड़ा जाएगा और परिपक्वता पर अदा किया जाएगा (ii) 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VII निर्गम) जिस पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा और छमाही तौर पर अदा किया जाएगा। एक वर्ष या उससे ऊपर पांच वर्ष तक की परिपक्वता वाली सावधि जमा रकमों पर बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज की दर में भी 2 मार्च, 1981 से वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों ने विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त बहुत-सी आकर्षण जमा योजनाएं तैयार की हैं। सरकार इन सभी उपायों का पुनरीक्षण समय-समय पर करती रहती है और जनता की बचतों को जुटाने की दृष्टि से वर्तमान योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करती है तथा/अथवा नई योजना शुरू करती है।

## लेह में "एअर टर्मिनल बिल्डिंग" का निर्माण

*406. **श्री पी० नामग्याल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री लेह टर्मिनल के निर्माण के बारे में दिनांक 18 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4861 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह में "एयर टर्मिनल बिल्डिंग" के निर्माण की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या विभाग को अब भी आशा है कि यह निर्माण कार्य दिसम्बर, 1981 तक पूरा हो जाएगा; और यदि नहीं, तो निर्माण की धीमी प्रगति में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने तक यात्रियों को आवश्यक न्यूनतम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :** (क) लेह में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। नींव से ऊपर की चिनाई छत तक पहुंच गई है।

(ख) नये टर्मिनल भवन का कार्य नवम्बर, 1982 तक पूरा हो जाने की आशा है। जम्मू तथा काश्मीर के लोक निर्माण विभाग से जिन्हें कि इन कार्यों को पूरा करने का काम सौंपा गया है, इन्हें शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) अन्तरिम उपाय के रूप में पैसेंजर हैंडलिंग सुविधाओं के लिये निस्सान कुटीरों का उनका नवीकरण करने के पश्चात्, प्रयोग किया जा रहा है।

## दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों का निर्माण

*407. **श्री भीकू राम जैन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पर्यटन विकास निगम को ऐसे होटलों के निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है जो मध्य और निम्न आय वाले व्यक्तियों की पहुंच के भीतर हों; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निगम की विशिष्ट योजनाएं क्या हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :** (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली पर्यटन विकास निगम की दिल्ली के विभिन्न भागों में पर्यटक गृहों का निर्माण करने की एक योजना है ताकि मध्य और निम्न आय वर्ग के यात्रियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। शुरूआत के तौर पर दिल्ली पर्यटन विकास निगम पर्यटक गृहों के निर्माण के लिए स्थलों को निर्धारित करेगा। इस उद्देश्य के लिए चालू वर्ष की योजना में दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

## महानगरों के बीच सस्ती रात्रि उड़ानें

*408. **श्री कमल नाथ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री "एयर इंडिया द्वारा महानगरों के बीच सस्ती रात्रि उड़ानों" के बारे में दिनांक 28 अगस्त, 1981 के अतारांक्ति प्रश्न संख्या 1920 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एयर इण्डिया द्वारा महानगरों के बीच सस्ती रात्रि उड़ानों" से सम्बन्धित सम्पूर्ण योजनाओं को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) महानगरों के बीच सस्ती दरों पर रात्रिकालीन उड़ानों के प्रस्ताव की अभी एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा जाँच की जा रही है ।

## गलाधारी बंधुओं के खिलाफ लम्बित पड़े मामलों का वापस लिया जाना

*409. **श्री सूरजभान**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार राजस्व आसूचना निदेशालय ने दुबई के तीन गलाधारी और बंधुओं मैसर्स अब्दुल लतीफ गलाधारी, अब्दुल वहाब गलाधारी और अब्दुल रहीम गलाधारी के विरुद्ध लम्बे समय से लम्बित पड़े मुकदमों को वापस ले लिया है;

(ख) उनके विरुद्ध क्या आरोप थे और किन आधारों पर मामलों को वापस लिया गया और भारत में उनके प्रवेश की अनुमति दी गई और क्या उनमें से किसी ने, मामलों को वापस लिए जाने से पहले, किसी (मंत्रिमण्डल) मंत्री से मुलाकात की थी;

(ग) क्या उन्होंने भारत में पूंजी लगाने के प्रस्ताव किए हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मामलों को वापस लिए जाने के लिए सरकारी निर्देश दिए जाने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) से (घ) विदेश मंत्रालय द्वारा रखी जाने वाली संदिग्ध व्यक्तियों की सूची से जुलाई 1977 में मैसर्स अब्दुल लतीफ गलाधारी, अब्दुल वहाब गलाधारी और अब्दुल रहीम गलाधारी के नामों को हटा दिया गया था। सितम्बर 1977 में अब्दुल वहाब गलाधारी के नामों को भी गृह मंत्रालय की संदिग्ध सूची से हटा दिया गया था। उन पर वर्ष 1964, 1969 और 1970 से संबंधित तस्करी के चार मामलों में बम्बई के न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा रहा था। अगस्त, 1979 में विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक मामलों से संबंधित मंत्रिमण्डलीय समिति के लिए एक टिप्पणी तैयार की थी, जिसमें गलाधारी बन्धुओं के

खिलाफ विचाराधीन मामलों को इस आधार पर वापस लेने की सिफारिश की गई थी कि इससे संयुक्त अरब अमीरात के साथ राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध सुधरेंगे। मामलों को वापस लेने के बारे में अन्तिम रूप से एक फैसला अप्रैल 1981 में विदेश मंत्रालय से इसी तरह की प्राप्त सिफारिश के आधार पर लिया गया था।

विशिष्ट ब्यौरों के अभाव में इस बात का पता लगाना कठिन है कि मामलों को वापस लिए जाने से पूर्व गलाधारी बन्धुओं में से किसी बन्धु ने मंत्रिमण्डल के स्तर के किसी मंत्री से मुलाकात की थी;

(ग) गलाधारी बन्धुओं से ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने भारत में पूंजी लगाने की अनुमति मांगी हो।

**इंडियन एयरलाइंस की इनफ्लाइट पत्रिका में शराब के विज्ञापन**

*410 **श्री बापूसाहिब परुलेकर**
**श्रीमती प्रमिला दण्डवते** } : **क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस इनफ्लाईट पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि यह पत्रिका थामसन प्रेस, हाँगकांग लिमिटेड, हांगकाँग द्वारा मुद्रित और प्रकाशित की जा रही है;

(ग) क्या यह पत्रिका भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के विज्ञापन छापती है;

(घ) क्या जुलाई-सितम्बर, 1981 के पत्रिका के अंक में "यूनाइटेड ब्रूवरीज इंटरनेशनल" एवर्ट हाउस, होमीमोदी स्ट्रीट, बम्बई का विस्की, रम, बोदका आदि विज्ञापन छापा गया था; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह मद्य निषेध की सरकारी नीति का उल्लंघन है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) इंडियन एयरलाइन्स के लिए "स्वागत" नाम से एक "उड़ानगत पत्रिका मैसर्स मीडिया ट्रांसेशिया थाइलैण्ड, लिमिटेड, बैंकॉक द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही है।

(ख) से (घ) जी, हाँ।

(ङ) प्रकाशक को भविष्य में ऐसे विज्ञापन न छापने की हिदायतें दे दी गयी हैं।

**प्रिवी पर्स पाने वाले भूतपूर्व नरेशों से आयकर की बकाया राशि की वसूली**

*411 **श्री कँवर भूषण** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रिवी पर्स की समाप्ति से पूर्व ऐसे कितने भूतपूर्व नरेश थे जिन्हें 1 लाख रुपये से अधिक राशि के प्रिवी पर्स मिल रहे थे;

(ख) उन पर विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय करों की कितनी राशि बकाया है;

(ग) इस बकाया कर की राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस प्रकार की बकाया राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) ऐसे 102 भूतपूर्व भारतीय नरेश थे जो वर्ष 971 से पूर्व अर्थात् प्रिवी पर्स की समाप्ति से पूर्व प्रतिवर्ष एक लाख रुपए अथवा उससे अधिक का प्रिवी पर्स ले रहे थे।

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि "केन्द्रीय करों" शब्दों से आयकर, धन-कर, दान-कर, तथा सम्पदा-शुल्क का उल्लेख होता है। ऐसे भूतपूर्व भारतीय नरेशों में से प्रत्येक की ओर कर की बकाया पड़ी रकमों के सम्बन्ध में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम लगेगा। लेकिन, इस समय उन नरेशों में से ऐसे नरेशों के बारे में सूचना उपलब्ध है जिनमें से प्रत्येक की ओर 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार कर की बाकी पड़ी मांगें 10 लाख रुपए से अधिक की थी। 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार बाकी पड़ी ऐसी मांगों के योग इस प्रकार से थे—

(लाख रुपयों में)

| | मामलों की संख्या | सकल मांग | देय नहीं बनी मांग | शुद्ध बकाया |
|---|---|---|---|---|
| आयकर | 5 | 140.95 | 57.84 | 83.11 |
| धन कर | 17 | 1947.17 | 988.26 | 958.91 |
| दानकर | 3 | 211.68 | 31.73 | 179.95 |
| सम्पदा-शुल्क | 4 | 160.71 | 30.12 | 130.59 |

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों में करों की बकाया की वसूली के लिए विभिन्न उपायों की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, करों की वसूली/उगाही के लिए सम्बन्धित कर अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

(घ) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, बाकी पड़े करों की वसूली/घटौती के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा, विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबन्धों के अनुसार, समय-समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। लेकिन, ये उपबन्ध करों की वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते। जबकि प्रायः करों को यथा सम्भव शीघ्रता से वसूल करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उनकी पूरी वसूली/घटौती के किए, जो विभिन्न कारणों पर निर्भर करती हैं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

**"एयर-इंडिया" द्वारा कलकत्ता से पूर्व के लिए उड़ान सेवा शरू करना**

*412. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या "एयर-इंडिया" के लिए यह सम्भव होगा कि वह पूर्व के लिए कलकत्ता से अपनी कुछ उड़ान-सेवाएं शुरू करे;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सम्भावनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यातायात कम होने के कारण, कलकत्ता से शुरू होने वाली उड़ान का परिचालन प्रारम्भ करना अलाभकारी होगा ।

**दिल्ली में एक सैक्स-क्लीनिक पर आयकर विभाग का छापा**

*413. **श्री अर्जुन सेठी**
**श्री के० लकप्पा** } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवम्बर, 1981 के "हिन्दुतान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि एक सेक्स क्लीनिक पर मारे गए छापे में जो इसके कार्यालयों और आवासीय परिसरों में दो दिन तक चलता रहा, आयकर विभाग ने यह संकेत देने वाले दस्तावेज जब्त किए जाने का दावा किया है कि लंदन में इस फर्म की 29 लाख रुपए मूल्य की सम्पत्ति है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं;

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) छिपायी गई आय तथा धन का पता लगाने की दृष्टि से, आयकर प्राधिकारियों ने, यौन सम्बन्धी बीमारियों का इलाज करने वाली तथा औषध-वितरण करने वाली दिल्ली की एक ज्ञात फर्म के मामले में 20-11-1981 को तलाशी ली थी । तलाशी के दौरान प्रथम-दृष्टया लगभग 7,90,508/-रु० मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं जिनमें नकदी, सावधि जमा रकमें, जवाहिरात आदि शामिल हैं । इसके अलावा, अनेक अपराध-आरोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गये हैं । पकड़े गये दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि मालिकों ने, भारत में सावधि जमा में 10 लाख रु० लन्दन में अचल सम्पतियों में लगभग 29 लाख रु० लगाये हैं । ऐसे विदेशी बैंक खाते होने के बारे में भी संकेत मिले हैं जिनमें कोई लगभग 5 लाख रु० की अधिकतम

रकम जमा कराई गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में ग्रस्त व्यक्तियों ने लगभग 6.40 लाख रुपए भारत से लन्दन को अन्तरित किये हैं । यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा में 60,000/- रु० की प्राप्तियों को कराधान से छिपाया है ।

(ग) इस मामले में कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए नए निदेशक मण्डल**

*302. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के 120 निदेशक बढ़ाये गए सेवाकाल में कार्य कर रहे हैं और उनकी अवधि नवम्बर, 1980 और जून, 1981 के बीच समाप्त हो गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नये निदेशक मण्डलों की नियुक्ति की योजना बना रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इन बोर्डों के गठन में कितना समय लगेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालत में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) यद्यपि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों की तीन वर्ष की निर्धारित अवधि 1980 में समाप्त हो गयी थी, तो भी राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 की धारा 9 (3) के अधीन वे अपने उत्तरवर्तियों के नियुक्त होने तक कार्यभार सम्भाले रहेंगे ।

बोर्डों का पुनर्गठन सरकार के विचाराधीन है तथा इस विषय का निर्णय शीघ्र कर लिया जाएगा ।

**केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय मदुरई (तमिलनाडु)**
**केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ग्रेड के अधिकारी (सेवानिवृत्त)**

4430. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय तमिलनाडु में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक के ग्रेड के उन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है जो 1979 से आज तक पेंशन पर अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें पेंशन अन्तिम रूप से तय कर दी गई तथा पेंशन सम्बन्धी अन्य सुविधाएं स्वीकृत कर गई दी थीं;

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें केवल अस्थायी पेंशन स्वीकृत की गई तथा अन्तिम रूप से पेंशन तय करने के बजाय अस्थाई पेंशन स्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन अधिकारियों के नाम और पद क्या हैं जिनके बारे में अन्तिम रूप से पेंशन तय करने तथा पेंशन संबंधी अन्य सुविधाओं को स्वीकृत किया जाना लम्बित पड़ा हुआ है ।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

## एशियाई खेलों के लिए होटलों का निर्माण करने हेतु सामग्री की सप्लाई

4431. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण सामग्री की अपर्याप्त सप्लाई के कारण दिल्ली संघ क्षेत्र में निर्माणाधीन होटल एशियाई खेलों के शुरू होने तक की अवधि में तैयार नहीं होंगे;

(ख) यदि हाँ, तो इन होटलों को समय पर पूरा करने के लिए सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की सप्लाई करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) इन होटलों को पूरा करने के लिए सीमेंट की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) दिल्ली के संघ शासित क्षेत्रों में बन रहे होटलों को सीमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामग्री की सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक है । तथापि, समय सम्बन्धी प्रतिबन्ध के कारण कुछ होटल एशियाई खेलों तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे । प्रत्येक मामले में एशियाई खेलों तक फ्लाश किए गए कमरों की तथा तब तक सम्भावित रूप से पूरे हो जाने वाले कमरों की संख्या निम्नलिखित होती—

| क्रम सं० नाम | कमरों की कुल संख्या | एशियाई खेलों तक संभावित रूप से पूरे हो जाने वाले कमरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. होटल कौटिल्य (आई० टी० डी० सी०) | 300 | 300 |
| 2. सरदार पटेल मार्ग (डी० डी० ए०/ताज ग्रुप) | 500 | 200 |
| 3. भीकाजी कामा प्लेस (एशियन होटल्स लि०) | 588 | 300 |
| 4. सूर्य इन्टरनेशनल होटल (न्यू फ्रेन्डस कालोनी) | 258 | 258 |
| 5. सिद्धार्थ इन्टरकान्टीनेन्टल होटल्स (इंडिया) लि० (वसन्त विहार) | 156 | 156 |
| 6. सेन्टौर होटल (एच० सी० आई०) | 400 | 200 |

(जारी.....)

| | | |
|---|---|---|
| 7. मौर्य शेराटन (विस्तार) | 122 | 122 |
| 8. नरेन्द्र प्लेस (नार्दन एंटरप्राइसेज कार्पो० प्रा० लि०) | 231 | 100 |
| 9. वारा खम्वा लेन मै० भारत होटल्स लि० | 500 | 150 |
| 10. विन्डसर प्लेस (मै० प्योर डिन्क्स) (न्यू दिल्ली) लि० | 425 | 110 |
| | 3480 | 1896 |

(ग) इन होटलों द्वारा इनकी सीमेन्ट सम्बन्धी आवश्यकता 115008 टन बताई गई है।

**ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ऋण**

4432. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में गांवों के विद्युतीकरण तथा पम्प सैटों को बिजली देने के लिये चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं ;

(ख) विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को ऋण की कितनी राशि दी गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) विश्व बैंक समूह ने अभी तक चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए किसी सहायता का वचन नहीं दिया है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

**सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को हानि**

4433. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भारी घाटा हो रहा है ; और

(ख) इन एककों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सहायता करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के सभी चालू उद्यमों के कर पूर्व लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 |
|---|---|---|---|---|
| | | (करोड़ रुपयों में) | | |
| 420.75 | 159.54 | 185.05 | 225.13 | 39.16 |

इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में उद्यमों में कुल मिलाकर घाटा नहीं हो रहा है। प्रत्येक उद्यम के लाभ/हानि का ब्यौरा सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा प्रकाशित लोक उद्यम सर्वेक्षण में दिया जाता है, जिसे हर साल बजट सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए किये गए उपाय इस प्रकार है :—

(1) अवस्थापना सम्बन्धी उद्यमों के कार्य-निष्पादन के परिवीक्षण तथा उनका कार्य-चालन सुधारने सम्बन्धी सदुपायों का काम अवस्थापना सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति को सौंपा गया है।

(2) अधिक आर्डर प्राप्त करने और लाभ कारिता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्य अधिमान्यता योजना पुनः लागू कर दी है।

(3) संतोलक सुविधाओं, प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने तथा निजी उपयोगार्थ बिजली संयन्त्रों में पूंजी लगाने की स्वीकृति दी गई है ताकि समग्र स्थिति सुधारी जा सके।

(4) औद्योगिक सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए मजूरी विवादों को शीघ्र तय किया जा रहा है।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आयकर की अदायगी से छूट

4435. **श्री जायनाल अबेदिन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1976 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आयकर की अदायगी से छूट प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आयकर के लिये राष्ट्रीय प्रावधान किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का उल्लेख कर रहे हैं इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सहकारी समिति माना जाता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 त के उपबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 त के अनुसार सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में किये गये बैंकिंग व्यवसाय की मात्रा उसकी

कराधान योग्य आय की गणना में से घटाई जा सकती है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू है।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। अलवत्ता, बोनस की अदायगी के वास्ते, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 10 (1) के अधीन विनियतन योग्य अधिशेष की गणना करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्य है कि आयकर की सैद्धान्तिक रूप से (नेशनली) गणना कर ली जाए और उसे बैंक के सकल लाभों में से घटा दिया जाए। तदनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे बोनस संदाय अधिनियम के अधीन विनियतन योग्य अधिशेष राशि की गणना करने में उपर्युक्त स्थिति का ध्यान रखें।

**व्यापार केन्द्र**

4436. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापार केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य में, उस राज्यों में इस तरह के केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस राज्य में इस तरह का केन्द्र कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

**छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में सुकिन्दा में निक्कल परियोजना**

4437. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सुकिन्दा में देश की एक मात्र निक्कल परियोजना, जो छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जानी थी, अब सम्मिलित नहीं की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस संयन्त्र में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी का निर्णय करने के लिए कनाडा के विशेषज्ञों की सहायता मांगी गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कनाडा के विशेषज्ञों ने संयन्त्र, संसाधनों, आदि के संबन्ध में योजना पर विचार किया है और इस संबन्ध में उनके सुझाव क्या हैं ;

(ङ) क्या इस संयन्त्र में प्रयोग की जाने वाली स्वदेशी प्रौद्योगिकी का अब परित्याग कर दिया गया है और यदि हां, तो किस आधार पर और अब किस प्रौद्योगिकी को चुना गया है ; और

(च) इस परियोजना पर काम, जिसकी स्वीकृति वर्ष 1974 में दी गई थी, कब आरम्भ होगा ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) से (ख) उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले अयस्क के आधार पर निक्किल और कोबाल्ट निकासी संयन्त्र लगाने की मंजूरी 1974 में दी गई थी। यह मंजूरी प्रारंभिक साध्यता रिपोर्ट पर आधारित थी जिसमें देशी प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कहा गया था। जब इस चुनी गई प्रौद्योगिकी का प्रायोगिक संयन्त्र पर परीक्षण किया गया तो वह कारगर नहीं हुई और इसलिए परियोजना में प्रगित नहीं हो सकी।

देशी प्रौद्योगिकी के असफल होने पर विदेशी प्रौद्योगिकी का सोच-समझ कर चयन किया जाना था। चूंकि निक्किल उत्पादन में कनाडा अग्रणी देश है अत: इस बारे में उपलब्ध आंकड़ों का कनाडा के विशेषज्ञों से साध्यता-पूर्व मूल्यांकन कराने का फैसला किया गया। मामला कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को पहले हो सौंपा जा चुका है। इस एजेंसी का एक विशेषज्ञ उपलब्ध आंकड़ों के प्रारम्भिक मूल्यांकन के बारे में खान विभाग और हिन्दुस्तान कापर लि० के अधिकारियों से चर्चा कर चुका है और उसकी रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है। कनाडाई विशेषज्ञ के सुझाव/सलाह के आधार पर साध्यता रिपोर्ट तैयार करने, प्रायोगिक संयन्त्र निर्माण आदि से संबन्धित आगे कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा।

परियोजना को छठी योजना की 'बी' श्रेणी में रखा गया है। अगर परियोजना साध्यता पाई गई, तो अधिकांश खर्च अगली पंचवर्षीय योजना में ले जाया जाएगा।

**दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना**

4438. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में शुष्क पत्तन स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या पत्तन का स्थान निश्चित किया जा चुका है और सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) 1974 में सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया था कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक ड्राइ पोर्ट स्थापित किया जाए। परन्तु जुलाई, 1977 में तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि इस परियोजना का तत्काल कार्यान्वयन न किया जाए। प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया गया है कि तुगलकाबाद में एक अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो स्थापित किया जाए, जो ड्राइ पोर्ट सुविधाओं और साथ ही कन्टेनराइजेशन सम्बन्धी दोनों के प्रयोजनों को पूरा करेगा। रेल मंत्रालय ने एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया है और इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जब तक अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो की स्थापना नहीं हो जाती तब तक के लिये यह निर्णय लिया गया है कि प्रायोगिक परियोजना आधार पर प्रगित मैदान साइडिंग पर एक डिपो स्थापित किया जाए जिसके शीघ्र आरम्भ होने की संभावना है।

**राजस्थान सुपर जस्ता प्रद्रावक की स्थापना करना**

4439. **श्री महोन लाल सुखाड़िया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में सुपर जस्ता प्रद्रावक की स्थापना करने के संबन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां पर स्थापित किया जाएगा तथा तत्संबन्धी अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) और (ख) सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81) के लिए स्कीमें बनाने हेतु गठित अलौह धातु कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट (जून 1980) में अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम क्षेत्र में 1,00,000 टन वार्षिक क्षमता के जस्ता प्रद्रावक तथा 35,000 टन वार्षिक क्षमता के सीसा प्रद्रावक स्थापति करने की भी सिफारिश की थी । सरकार के अनुमोदन से हिन्दुस्तान जिंक लि० ने एक नए जस्ता सीसा-प्रद्रावक कम्पलैक्स की स्थापना के लिए साध्यता-पूर्व अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु पश्चिम जर्मनी के मै० स्टील वर्ग इंजीनियर बरतंग जी० एम० बी० एच०, के साथ करार किया है । इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नए प्रद्रावक के लिए अति उपयुक्त स्थान के चयन का प्रश्न भी सम्मिलित है । अध्ययन के 1981-82 के अन्त तक पूरा होने की आशा है ।

रामपुरा-अगुचा निक्षेप तथा अन्य निक्षेपों पर आधारित नए जस्ता-सीसा प्रद्रावक कम्प्लैक्स के स्थान के बारे में निर्णय कम्पनी से व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लिया जाएगा ।

**उड़ीसा में आय-कर छापे**

4440. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में आयकर विभाग द्वारा कुल कितने छापे मारे गये; और

(ख) प्रत्येक छापे के दौरान कुल कितने रुपये का अवैध सामान पकड़ा गया ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) महोदय, आयकर विभाग ने 1-4-1981 से 14-12-1981 की अवधि में उड़ीसा में 20 (बीस) तलाशियां ली हैं ।

(ख) इन तलाशियों के दौरान, प्रथम दृष्ट्या, 78,000 रुपये की लेखा-बाह्य और लगभग 3.42 लाख रुपये मूल्य के जवाहरात पकड़े गये हैं ।

**लेखापरीक्षा विभाग में आन्तरिक सुधार**

4441. **डा० सरदीश राय** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नियन्त्रक महालेखापरीक्षक ने लेखा परीक्षा की प्रक्रिया सीमा और कार्य-क्षेत्र में आन्तरिक सुधारों के उपाय किये थे;

(ख) यदि हां, तो इन उपायों का, वर्षवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या लेखा विभाग में ऐसे कोई उपाय किये गये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) से (ग) भारत का नियन्त्रक महालेखापरीक्षक एक सांविधिक प्राधिकारी है। लेखा परीक्षा के कार्य-क्षेत्र, सीमा तथा प्रक्रिया का निर्धारण भारत के नियन्त्रक महा लेखापरीक्षक द्वारा भारत के नियन्त्रक महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार किया जाता है। सरकारी लेन देनों की मात्रा में वृद्धि, लेन-देनों के स्वरूप, आन्तरिक नियन्त्रणों की सीमा, अनियमितताओं तथा व्यापक लेखा परीक्षा की आवश्यकताओं जैसी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए, नियन्त्रक महा लेखापरीक्षक द्वारा इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की समीक्षाएं की गई हैं तथा कुछ संशोधन किए गए हैं। नियन्त्रक महा लेखापरीक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देश केवल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के मार्ग दर्शन के लिए होते हैं और लेखा-परीक्षा की प्रभावकारिता के हित को देखते हुए इन्हें प्रकट नहीं किया जाता।

**उड़ीसा पर्यटन निगम द्वारा प्रस्तुत पर्यटन सम्बन्धी प्रस्ताव**

4442. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा राज्य की छठी योजना के लिये उनके मन्त्रालय को अनुमोदन तथा वार्षिक योजनाओं हेतु सहायता के लिये क्या प्रस्ताव पेश किये हैं;

(ख) क्या उड़ीसा पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन सम्बन्धी स्थानों तथा पर्यटक स्थलों का पता लगाने के लिये राज्य के जिलों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि उक्त सर्वेक्षण पूरा हो गया है तो निश्चित किये गये स्थानों के जिला-वार नाम क्या हैं; और

(घ) पर्यटकों को राज्य के विभिन्न जिलों में आने हेतु आकर्षित करने के लिये क्या प्रचार सामग्री प्रकाशित की गई है और राज्य में तथा उसके बाहर प्रचार के लिये कौन-कौन सी एजेंसियां नियुक्त की गई हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) से (घ) उड़ीसा पर्यटन निकास निगम की गतिविधियां केन्द्रीय पर्यटन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, चूंकि उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित यह एक स्वायत्त निगम है और इसलिए इसकी गतिविधियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नजर नहीं रखी जाती। तथापि यह उल्लेखनीय है कि छठी योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम का संयुक्त रूप से पुरी में एक होटल और कोणार्क में समुद्र तट कुटीरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

**कोकई कैनाल में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल**

4443. **श्री ए० सेनापति गाडर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कैनाल, जिला मदुरै, तमिलनाडु, में जो कि एक प्रसिद्ध तथा सुन्दर स्वास्थ्यवर्द्धक पहाड़ी स्थान है, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधीन तीन सितारा और पांच सितारा होटल निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार का विचार अधिक विदेशी पर्यटकों को इस स्थान की ओर आकर्षित करने के लिये कोई सर्वेक्षण करने का है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) निगम की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में, संसाधनों पर प्रतिबन्ध के कारण तमिलनाडु के मदुरै जिले के अन्तर्गत कोकईकैनाल में एक होटल के निर्माण की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**सामान्य बीमा निगम में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के कर्मचारियों की शिकायतें**

4444. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामान्य बीमा निगम और इसकी चार अनुषंगी शाखाओं में अनुसूचित जातियों/जन जातियों की शिकायतों की जांच के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने के बारे में सरकारी आदेश अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या भारतीय सामान्य बीमा निगम और उसकी चार अनुषंगी शाखाओं में केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने और अनुसूचित जाति/जन जाति प्रकोष्ठ बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) के अनुसार अभी तक नहीं किया है तो ऐसा कब तक किया जायेगा;

(घ) भारतीय आम बीमा और इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों में सीधी भर्ती और पदोन्नतियों के लिए बनाये जा रहे बोर्ड में अनुसूचित जातियों/जन जातियों का कोई प्रतिनिधि नहीं हैं; और

(ड़) यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त बोर्डों में अनुसूचित जाति/जन जाति प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को सामान्य नीति के अनुसार भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कम्पनियों

में अनुसूचित जातियों/जन जातियों की शिकायतों की जांच करने के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ।

(घ) और (ड़) भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कम्पनियों में सीधी भर्ती और पदोन्नतियों के लिए गठित चयन बोर्डों/चयन समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधि भी नियुक्त किए जा रहे हैं ।

**बिड़ला, टाटा तथा साहू जैन बन्धुओं की चल एवं अचल सम्पत्ति**

4445. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 के दिन बिड़ला, टाटा तथा साहू जैन बन्धुओं की चल तथा अचल सम्पत्ति कितनी थी;

(ख) उनके द्वारा आरम्भ में कितनी पूंजी लगाई गई थी तथा उसमें वृद्धि की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) क्या उनके द्वारा सरकार को करों की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :** (क) से (ग) 'बिरलास', 'टाटाज' और 'साहू जैन्स' 'नियोजित पूंजी (केपिटल इम्पलायड)' पदों के सुनिश्चित अर्थ और विषय-विस्तार का पता न होने और यह मालूम न होने के कारण कि तुलनात्मक स्थिति निर्धारित करने के लिए किस अवधि के लिए आंकड़े मांगे गये हैं, सूचना एकत्र कर पाना सम्भव नहीं हुआ है । यदि माननीय सदस्य, प्रयुक्त शब्दों के सम्बन्ध में बताते हुए इस प्रश्न को और अधिक सुस्पष्ट करें तो सूचना एकत्र कर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

**राजस्थान में छोटी बचत योजना**

4446. **आचार्य भगवान देव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में छोटी बचत योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ख) राजस्थान में अब तक उसके अन्तर्गत जिलावार कितनी राशियां प्राप्त हुई हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मदन भाई बरोट) :** (क) राजस्थान सरकार ने 1981-82 के दौरान राज्य में छोटी बचतों के अन्तर्गत 23 करोड़ रुपये के निवल संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया था ।

(ख) राजस्थान में अप्रैल-नवम्बर, 1981 की अवधि में विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत जो जिलावार राशियां (निवल) जमा हुई, वे इस प्रकार हैं :—

| क्रम सं० | जिलों का नाम | छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत निवल जमा | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | अजमेर | (+) | 131.75 | (लाख रुपए) |
| 2. | भीलवाड़ा | (−) | 26.30 | |
| 3. | भरतपुर | (−) | 134.15 | |
| 4. | अलवर | (−) | 72.25 | |
| 5. | सवाई माधोपुर | (+) | 1.25 | (केवल अक्तूबर, 1981 तक के आंकड़े) |
| 6. | बीकानेर | (+) | 39.40 | |
| 7. | श्री गंगा नगर | (−) | 308.60 | |
| 8. | नागौर | (−) | 1.75 | |
| 9. | जयपुर | (+) | 1743.65 | |
| 10. | टोंक | (−) | 17.00 | |
| 11. | सीकर | (−) | 52.90 | |
| 12. | चुरू | (−) | 25.40 | |
| 13. | झुनझुनू | (+) | 20.60 | (केवल अक्तूबर, 1981 तक के आंकड़े) |
| 14. | जोधपुर | (−) | 20.85 | —तदैव— |
| 15. | पाली | (−) | 155.55 | |
| 16. | सिरोही | (−) | 67.90 | |
| 17. | बाडमेर | (−) | 109.60 | |
| 18. | जालोर | (−) | 23.65 | |
| 19. | जैसलमेर | (−) | 32.15 | (केवल अक्तूबर, 1981 तक के आंकड़े) |
| 20. | कोटा | (+) | 40.60 | |
| 21. | बूंदी | (−) | 1.80 | |
| 22. | झालावाड़ | (−) | 43.15 | |
| 23. | उदयपुर | (+) | 150.95 | |
| 24. | चित्तोड़गढ़ | (+) | 1.10 | |
| 25. | डूंगरपुर | (−) | 4.60 | |
| 26. | बांसवाड़ा | (−) | 0.65 | |

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं ।

"टिस्को" और "सेल" के उच्च अधिकारी

4447. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के 25 उच्च अधिकारियों के वेतनमान, ग्रेड और उनके नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) "टिस्को" के इन 25 उच्च अधिकारियों में सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं और "सेल" के उच्च 25 अधिकारियों में "टिस्को" के सेवा-निवृत्त अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) "टिस्को" और "सेल" के इन 25 उच्च अधिकारियों को उपलब्ध स्पष्ट अथवा छुपी हुई अन्य सुविधाएं क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि "सेल" अधिकारियों को उपलब्ध वेतनमान और सुविधाएं सामान्य रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र में और विशेष रूप से "टिस्को" में उपलब्ध वेतनमान और सुविधाओं की तुलना में बहुत कम है, जिसके परिणाम स्वरूप भिलाई इस्पात संयन्त्र के सभी वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में वहाँ से अन्यत्र चले गये हैं और तत्सम्बंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार "टिस्को" के अधिकारियों के वेतनमानों और सुविधाओं में कमी करने का है ताकि इन्हें "सेल" के अधिकारियों के समान लाया जा सके; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के 25 उच्च अधिकारियों के नाम, पदनाम, वेतनमान तथा उन इकाइयों के नाम जिनमें वे कार्य कर रहे हैं, विवरण में दिए गए हैं। टिस्को के बारे में इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) न तो टिस्को के 25 उच्च अधिकारियों में कोई सेवा-मुक्त सरकारी अधिकारी है और न ही सेल के 25 उच्च अधिकारियों में टिस्को का कोई सेवा-मुक्त अधिकारी है।

(ग) सेल के 25 उच्च अधिकारियों को कम्पनी के नियमानुसार उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। टिस्को के बारे में ईसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) टिस्को द्वारा अन्य प्राइवेट संगठनों द्वारा अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। भिलाई इस्पात कारखाने के किसी उच्च अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़कर टिस्को की नौकरी नहीं की है।

(ङ) और (च) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## विवरण-1

### सेल (उसकी इकाइयाँ/सहायक कम्पनियाँ भी शामिल हैं) के 25 उच्च अधिकारियों की सूची

| क्र० सं० | नाम सर्वश्री | पदनाम | इकाई जिसमें काम कर रहे हैं | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | **सेल के निदेशक-मण्डल में शामिल अधिकारी** | | | |
| 1. | एस० समरपुंगवन | अध्यक्ष | निगम कार्यालय | 3500-4000/- रुपये |
| 2. | के० सी० खन्ना | अवकाश | —तदैव— | |
| 3. | एम० पी० वधावन | उपाध्यक्ष | —तदैव— | 3250-3500/- रुपये |
| 4. | डा० जी० मुखर्जी | निदेशक | अनुसन्धान और विकास केन्द्र | 3000-3500/- रुपये |
| 5. | वी० सुब्रह्मण्यम | प्रबन्ध निदेशक | विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना | 3000-3500/- रुपये |
| 6. | डी० आर० अहूजा | प्रबन्ध निदेशक | बोकारो इस्पात कारखाना | 3000-3500/- रुपये |
| 7. | डा० एन० एस० दातार | प्रबन्ध निदेशक | राउरकेला इस्पात कारखाना | 3000-3500/- रुपये |
| 8. | एन० के० मिश्रा | प्रबन्ध निदेशक | भिलाई इस्पात कारखाना | 3000-3500/- रुपये |
| 9. | डी० मुखर्जी | प्रबन्ध निदेशक | दुर्गापुर इस्पात कारखाना | 3000-3500/- रुपये |
| 10. | वी० सुब्रामणि | निदेशक (तकनीकी) | निगम कार्यालय | 3000-3500/- रुपये |
| 11. | एम० आर० आर० नायर | निदेशक (कार्मिक) | —तदैव— | 3000-3500/- रुपये |

जारी.....)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | वह कर्मचारी जो सेल के निदेशक मण्डल में शामिल नही हैं | | | |
| 12. | रूप राय | अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध-निदेशक | मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (सेल की सहायक कम्पनी) | 3000-3500/- रुपये |
| | निदेशक-मण्डल में न शामिल अधिकारी | | | |
| 13. | ए० आर० शंकरानारायणन | निदेशक (विपणन) | निगम कार्यालय | 3000-3500/- रुपये |
| 14. | ए० ए० राजू | कार्यपालक निदेशक | सेलम इस्पात कारखाना | 3000-3500/- रुपये |
| 15. | के० पी० सेन गुप्त | निदेशक (वित्त) | निगम कार्यालय | 3000-3500/- रुपये |
| 16. | टी० टी० जोसेफ | निदेशक (परियोजना) | निगम कार्यालय | 3000-3500/- रुपये |
| | अन्य | | | |
| 17. | एन० पी० धुसिया | सलाहकार (औद्योगिक) | निगम कार्यालय | 2500-3000/- रुपये |
| 18. | ब्रिगेडियर एस० एन० सेन | मुख्य कार्यपालक (सामग्री और समन्वय) | इस्को | 2500-3000/- रुपये |
| 19. | के० एन० राजू | महाप्रबन्धक | विजयनगर इस्पात कारखाना | 2500-3000/- रुपये |
| 20. | एन० के० सिंह | सलाहकार (निगम आयोजन) | निगम कार्यालय | 2500-3000/-रुपये |

(जारी.....)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | एच० डी० एन्डले | महा-प्रबन्धक (वित्त तथा लेखा परीक्षा) | भिलाई इस्पात कारखाना | 2500-3000/- रुपये |
| 22. | पी० के० रथ | महा-प्रबन्धक | पारादीप परियोजना | 2600-3100/- रुपये |
| 23. | के० पी० सक्सेना | अपर निदेशक (वित्त तथा लेखा परीक्षा) | निगम कार्यालय | 2500-3000/- रुपये |
| 24. | आई० एम० पुरी | अपर निदेशक (सी० ए० एफ० एण्ड आई० ए० ए० एण्ड बी०) | निगम कार्यालय | 2500-3000/- रुपये |
| 25. | वी० पी० मित्तल | अपर निदेशक (इंजीनियरिंग) | निगम कार्यालय | 2500-3000/-रुपये |

## विवरण-2

### सेल के उच्च अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाएं

1. मकान किराया भत्ता अथवा शहरों में कम्पनी के पट्टे पर आवास, और निर्धारित किराए के भुगतान पर इस्पात बस्तियों में कम्पनी के आवास ।
2. निर्धारित वार्षिक सीमा में सरकारी मेहमानों के मनोरंजन के लिए खर्च किए गए मनोरंजन खर्च की प्रतिपूर्ति ।
3. छुट्टी का नकद भुगतान ।
4. हवाई जहाज/रेल द्वारा प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच द्वारा छुट्टी-यात्रा रियायत ।
5. निदेशक-मण्डल में शामिल तथा निदेशक-मण्डल में शामिल नहीं अधिकारी कार्यालय के काम के लिए कम्पनी की कारों का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं । वे सरकारी उद्यम ब्यूरो के इस विषय पर बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कम्पनी की कारों का निजी कार्य के लिए भी उपयोग कर सकते हैं । अन्य अधिकारियों को कार्यालय के काम के लिए कार रखने के लिए स्थानीय यात्रा खर्चों/यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

### चाय उद्योग को होने वाली दिक्कतें

4448. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा अन्य संगठनों द्वारा चाय उद्योग की तकनीकी सहायता सहित क्या सहायता दी गई; और

(ख) चाय उद्योग के निर्यातों के सम्बन्ध में क्या दिक्कतें अनुभव करनी पड़ती हैं और उनको दूर करने लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जी॰खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) चाय बोर्ड अपनी चल रही योजनाओं अर्थात् चाय बागान वित्त योजना, चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना, पुनर्रोपण उपदान योजना, जिसमें चाय क्षेत्र जीर्णोद्धार तथा चकबन्दी उपदान योजना आदि शामिल हैं, के अन्तर्गत चाय उद्योग को, चाय बागनों के विकास, चाय फैक्टरियों के आधुनिकीकरण, सिंचाई और यातायात सुविधाएं आदि जुटाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है । उपरोक्त के अतिरिक्त, छोटे उपजकर्ताओं के लिये विशेष विकासात्मक योजनाएं और गैर परम्परागत क्षेत्रों में चाय की खेती का विस्तार करने की योजनाएं हैं ।

चाय उद्योग वाणिज्यक बैंकों से कार्यकारी पूंजी आवश्यकताएं और ए० आर० डी० सी० से पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत विकास वित्त भी प्राप्त करता है । टी० आर० ए० और यू० पी० ए० एस० आई० द्वारा चाय उद्योग को क्रमश: उत्तर और दक्षिण भारत में तकनीकी सहायता दी जाती है । चाय बोर्ड के तकनीकी अधिकारी चाय की खेती, अनुसंधान के निष्कर्षों के प्रचार,

चाय उगाने वाले परम्परागत और गैर परम्परागत क्षेत्रों क्लोनल रोपण सामग्री के वितरण आदि मामलों में भी सहायता करते हैं। चाय बोर्ड विभिन्न स्रोतों से आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधन जैसे कोयला, खनिज तेल, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों आदि प्राप्त करने में भी चाय उद्योग की सहायता करता है।

(ख) चाय निर्यातों के सम्बन्ध में चाय उद्योग के सम्मुख आ रही कठिनाइयां प्रमुख रूप से अन्य चाय उत्पादक/निर्यातक देशों के साथ कीमत प्रतियोगिता और अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण हैं।

सरकार ने, अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार में भारतीय चाय को अधिक प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से हाल ही में निर्यात की जाने वाली चाय पेटियां में प्रयोग होने वाली पैकिंग सामग्री पर और सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की वापसी सहित चाय के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क छूट योजना की घोषणा की है। सरकार चाय के निर्यातों पर मूल्य वर्धित चाय पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता, एक किलोग्राम तक के वजन वाली पैकेज की गई चाय के निर्यात पर से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वापसी, खुले सामान्य लाइसैंस के अन्तर्गत चाय के थैले बनाने वाली मशीनरी आयात, चाय के थैलों में प्रयोग किये जाने वाले फिल्टर कागज और अन्य सामग्री पर शुल्क वापसी की सर्व उद्योग दर आदि के रूप में भी चाय के निर्यातों के लिये सुविधाएं प्रदान करती है।

**हिमाचल प्रदेश में पवित्र तीर्थ स्थानों में पर्यटन सुविधाएं**

4449. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम अथवा संघ सरकार ने हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित पवित्र तीर्थ स्थानों में जहां वर्ष पर्यन्त हजारों पर्यटक तीर्थयात्री आते हैं पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(i) कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी,
(ii) विलासपुर जिले में नैना देवी,
(iii) मंडी जिले में खेलसार,
(iv) उना जिले में चिंतापूरणी,
(v) हमीरपुर जिले में द्योती सिद्धा

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना बनाने का विचार है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) से (ग) पर्यटन विभाग ने राज्य के पर्यटन विभाग से परामर्श करके पर्यटक अधारिक संरचना के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश

में 3 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के इन यात्रा परिपथों में से एक यात्रा परिपथ में ज्वालामुखी और नैना देवी को एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से विकसित करने के लिए शामिल किया गया है। धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने परामर्श करके ऐसे विकास की प्रकृति और उसके कार्यक्षेत्र का अभी निर्धारण किया जाना है।

**नियंत्रक, रक्षा लेखा पटना के कार्यालय का कार्यकरण**

4450. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक रक्षा लेखा पटना में कार्यालय में कार्य के स्तर में गिरावट आई है;

(ख) क्या वहां बैठने का स्थान बहुत तंग है कार्यकाल संबंधी अपेक्षित सुविधाओं का अभाव है और सफाई की हालत असंतोषजनक है ;

(ग) क्या उक्त कार्यालय में आई० डी० ए० एस० अधिकारियों की कमी है प्रशासनिक ढांचा असंतोषजनक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सीसोदिया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय रक्षा लेखा सेवा आई० डी० ए० एस० के 13 अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या में केवल एक अधिकारी की कमी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**काले धन में वृद्धि को रोकने के उपाय**

4451. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 1981 के 'पैट्रियाट' नई दिल्ली में "स्टार वास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) काले धन की इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सीसोदिया)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयकर प्राधिकारी, संगत कर-निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान इस प्रकार के निवेशों के बारे में आवश्यक पूछताछ करते हैं और जहां कहीं ऐसे निवेशों का पता लगता है, जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया हो, वहां समुचित कार्यवाही की जाती है।

## चीन द्वारा भारत को इस्पात का निर्यात

4452. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के एक शिष्टमंडल ने भारत में माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन भारत को बड़े पैमाने पर लोहा और इस्पात निर्यात करने की योजना बना रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) चीन के मेटलर्जीकल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल हाल में भारत आया था। प्रतिनिधिमंडल ने सेल के अधिकारियों के साथ हुई अपनी बातचीत में भारत में माल चढ़ाने और उतारने की उपलब्ध सुविधाओं का मामला नहीं उठाया था।

(ख) और (ग) सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि भारत को लोहा और इस्पात सामग्री निर्यात करने के लिए चीन कोई योजना बना रहा है।

## हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में नुकसान

4453. **श्री पलास बर्मन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 1979-80 और 1980-81 के वित्तीय वर्ष में बहुत गिरावट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** (क) जी, हां। वर्ष 1978-80 और 1980-81 के दौरान हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को भारी हानि हुई है।

(ख) कम्पनी को हानि ठेके की शर्तों के अनुसार लागत-वृद्धि निष्प्रभावित न की जा सकने के कारण हुई हानि, अलाभकारी दरों और औद्योगिक सम्बन्धों, जिनमें श्रमिक लगाने की कठिनाइयां भी शामिल हैं, के कारण हुई है।

(ग) चूंकि कम्पनी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अत: सरकार कम्पनी के प्रबन्धकों से परमर्श करके सतत् आधार पर अधिक कार्य प्राप्त करने, कार्य-कुशलता में सुधार करने, जहां कहीं सम्भव हो ग्राहकों से विचार-विमर्श करके ठेके की शर्तों की समीक्षा करने और मालिक-मजदूर सम्बन्धी समस्याओं को हल करने जैसे विभिन्न उपाय करने पर गहरायी से विचार कर रही है।

**सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को राहत**

4454. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उन कर्मचारियों, जो सेवा के दौरान मर जाते हैं और जिनका वेतन प्रतिमास 1200 रुपये से अधिक नहीं होता है, के परिवारों को तत्काल राहत के रूप में अधिकतम एक हजार या तीन महीने का वेतन, जो भी कम हो देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राशि को मूल्यों में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2500 रुपये या तीन महीने का वेतन जो भी कम हो, तक बढ़ाने का है ;

(ग) क्या सेवा के दौरान अथवा सेवा-निवृत के बाद मरने वाले सभी कर्मचारियों के लिए इस अग्रिम राशि को सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति प्रेम के रूप में अनुदान में समेकित करने का क्या विचार है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत की अनुग्रह निधि के अन्तर्गत कितने परिवारों को लाभ मिला और किन आधारों पर मिला तथा वित्त मन्त्रालय में गत 6 महीनों के दौरान 1000 रुपये की तत्काल राहत किन-किन परिवारों को दी गई ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) से (ग) 1971 में लागू की गयी तथा समय-समय पर संशोधित की गयी एक स्कीम के अन्तर्गत 1200/-रुपये प्रतिमास तक वेतन प्राप्त करने वाले उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार, जिन की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तीन महीने के वेतन तक अथवा 1000/-रुपये जो भी कम हो, अग्रिम के रूप में तत्काल राहत पाने के पात्र हैं। तत्काल रहात की राशि में वृद्धि करने अथवा इस अग्रिम को अनुदान में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान भारत की अनुकम्मा निधि से 243 परिवारों को अकिंचन परिस्थितियों के आधार पर अनुदान स्वीकृत किये गये थे। गत 6 महीनों के दौरान वित्त मंत्रालय (सचिवालय) में एक मामले में तत्काल राहत स्वीकृत की गयी।

**"टेक्सटाइल पावर, प्रोसेसिंग" गृहों द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान किया जाना**

4455. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में "टेक्सटाइल" पावर प्रोसेसिंग गृहों" की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे टेक्सटाइल पावर प्रोसेसिंग गृहों की संख्या क्या है जिन्होंने उत्पादन शुल्क नियमित रूप से दिया है और इसी अवधि के दौरान ऐसे कितने गृहों ने इसका भुगतान नहीं किया है; और

(ग) जिन गृहों ने उत्पादन शुल्क का भुगतान नहीं किया है उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) इस समय दिल्ली में शक्ति की सहायता से टेक्सटाइल पर प्रक्रिया करने वाले 29 गृह ऐसे हैं जिनके पास केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लाइसेन्स हैं (इस संख्या में फैब्रिकों की बुनाई और उनकी प्रक्रिया करने वाली एकीकृत इकाइयां शामिल नहीं है) ।

(ख) उपर्युक्त में से शक्ति की सहायता से टेक्सटाइल पर प्रक्रिया करने वाले 23 गृहों ने पिछले तीन वर्षों में नियमित रूप से उत्पादन शुल्क अदा कर दिया है । परन्तु बाकी 6 इकाइयों के संबंध में प्रत्येक के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज कर लिया गया है । इन 6 के अतिरिक्त 5 अन्य ऐसी इकाईयाँ पाई गई थीं जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन दिए बिना उसे प्राप्त किए बिना शक्ति अथवा भाप की सहायता से टेक्सटाइलों पर प्रक्रिया कर रही हैं तथा उन पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी किए बिना इस प्रकार प्रक्रियागत फब्रिकों की निकासी कर रही हैं । तथापि, इन सभी निर्माताओं ने बाद में शक्ति अथवा भाप का इस्तेमाल करना बन्द कर दिया है और इसलिए इन्होंने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लाइसेन्स हेतु आवेदन नहीं दिये हैं ।

(ग) शुल्क अदा न करने के इन सभी 11 मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा रही थी/की जा रही है । इनमें से छः मामलों में अब न्यायनिर्णय कर लिया गया है जिनमें, अंतर्ग्रस्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क माँगने के अतिरिक्त, व्यक्तिगत अर्थदन्ड लगाया गया है और पकड़े गए माल की जब्ती की एवज में जुर्माना लगाया गया है ।

**अफीम उत्पादकों को दी जाने वाली अफीम की दर**

4456. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान अफीम उत्पादन कर्त्ताओं को किस दर से अफीम का मूल्य प्रति किलो दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि यह दर मौजूदा चल रही दर से कम है; और

(ग) यदि हां, तो उस समय की बढ़ती हुई बेहतर दर और उर्वरकों, कृमिनाशकों इत्यादि के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए 1981-82 के लिये निर्धारित की गई अफीम की दर क्या लाभकारी है और यदि हां, तो कैसे ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) अफीम का मूल्य काश्तकारों द्वारा दी गई अफीम की प्रति हैक्टेयर पैदावार से संबधित होता है । वर्ष 1981-82 की फसल के लिए निर्धारित मूल्य निम्नानुसार है :—

| काश्तकारों द्वारा दी गई अफीम की प्रति हैक्टेयर पैदावार | काश्तकारों को किये जाने वाले भुगतान की दर | |
|---|---|---|
| | (रुपये प्रति किलोग्राम) | |
| प्रति हैक्टेयर 30 किलोग्राम से कम | 130.00 | |
| 30 किलोग्राम अथवा उससे अधिक परन्तु 45 किलोग्राम से कम | 240.00 | उच्चतर दरों पर भुगतान संबंधित खण्डों की समस्त मात्रा के लिए नहीं करके केवल उनकी अतिरिक्त मात्रा के लिए ही किया जाएगा। |
| 45 किलोग्राम अथवा उससे अधिक परन्तु 60 किलोग्राम से कम | 280.00 | |
| 60 किलोग्राम अथवा अधिक | 300.00 | |

(ख) प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम अथवा उससे अधिक परन्तु 30 किलोग्राम तक की औसत पैदावार देने वाले काश्तकारों पर लागू दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरी ओर, 25 किलोग्राम से कम पैदावार देने वाले काश्तकारों के मामले में प्रति किलोग्राम दर बढ़ा दी गई है। परन्तु प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम अथवा अधिक की औसत पैदावार देने वाले काश्तकारों के मामले में, उनकी समस्त पैदावार के लिए उच्चतर दरों पर भुगतान करने की पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर केवल अपेक्षाकृत उच्चतर खण्डों के अधीन आने वाली अतिरिक्त अफीम के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मूल्य देकर मूल्य-दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(ग) पोस्त के काश्तकारों को होने वाली निबल आय लाभकारी आंकी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ काश्तकारों द्वारा पोस्त की काश्त करने के लिए लाइसेन्सों की मांग भारी संख्या में करने से यह बात साबित हो जाती है।

**लद्दाख क्षेत्र में संख्या (ओरपीमेंट निक्षेपों का पाया जाना)**

4457. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख क्षेत्र में संख्या (ओरपीमेंट) निक्षेप पाए गए है ;

(ख) यदि हां, तो संख्या को अनुमानित मात्रा क्या होगी ; और

(ग) व्यवसायिक रूप से इसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) खोज कार्य अभी चल रहा है। इन निक्षेपों के वाणिज्यक दोहन की संभावना पर इनकी मात्रा की पुष्टि की जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

## निर्यात और आयात में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता

4458 **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान निर्यात में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुई बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता क्या है;

(ख) इस वर्ष आयात में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुई वृद्धि/कमी की प्रतिशतता क्या है;

(ग) इस वर्ष के लिये जिन लक्ष्यों पर विचार किया गया था उसकी तुलना में चालू वर्ष के दौरान वास्तव में किया गया निर्यात और आयात कितना कम या अधिक है; और

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये और आयात में कमी के लिये इस वर्ष के दौरान कौन से प्रभावी कदम उठाए गये हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) :** (क) अन्तिम आकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान भारत के समग्र निर्यात 3326.45 करोड़ रु० के हुए थे जब कि गत वर्ष की उसी अवधि के अनन्तिम आंकड़े 2853.85 करोड़ रु० के थे जो 16.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान अनन्तिम आधार पर 5606.69 करोड़ रु० के आयात हुए । इस प्रकार, गत वर्ष में उसी अवधि के दौरान हुए 5781-60 करोड़ रु० के अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट आई ।

(ग) आम तौर पर वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में निर्यातों की वृद्धि दर बढ़ती है । जहां तक आयातों का सम्बन्ध है, 1981-82 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये पहले ही अनेक निर्यात संवर्धनात्मक उपाय आरम्भ किये गये हैं। इनमें शामिल हैं । निर्यात उत्पादन सम्बन्धी लाइसेंसिंग बाधाओं को हटाना, सारे देश में शतप्रतिशत निर्यात एककों एवं एक्जिम बैंक को स्थापित करना, शुल्क वापसी का सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण, निर्यातों पर राजकोषीय रियायतें आदि । इसके साथ साथ आवश्यक आयातों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

## राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण सगंठनों के लिए कार्यालय-आवास

4459. **श्री आर० आर० भोले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण संगठनों को कार्यालय-आवास दे रखे हैं ;

(ख) क्या बैंक आफ बड़ौदा के अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारी कल्याण-संगठन (पंजीकृत) ने भी अपनी कल्याणकारी गतिविधियां चलाने के लिये ऐसे ही आवास के लिये आवेदन कर रखा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसे भी आवास प्रदान किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) जहां कहीं सम्भव होता है, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सामान्यत: अपने कर्मचारियों को केवल ऐसी यूनियनों को कार्यालय स्थान की सुविधा प्रदान की जाती है जिनको औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन क़रार करने के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त है ।

(ख) जी, हां । बैंक आफ बड़ौदा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कल्याण-संगठन ने कार्यालय स्थान के लिए अनुरोध किया था ।

(ग) यह बैंक स्थान उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है ।

**भारत में वीमेंस वर्ल्ड बैंकिग कार्यक्रम**

4460. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वीमेन्स वर्ल्ड कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत में केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन महिलाओं के विश्व बैंकिंग कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, नीदरलैंड में पंजीकृत एक ग़ैर-सरकारी संगठन है । उपलब्ध सूचना के अनुसार वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग ने अहमदाबाद में एक दिसम्बर से 4 दिसम्बर, 1981 तक "व्यवसाय में महिलाएं" महिला उद्यमियों के वास्ते ऋण संवर्द्धन के लिए गारन्टी फंड शीर्षक परियोजना के अधीन एक चार दिवसीय कार्यशिविर आयोजित किया था । इस कार्यशिविर के प्रमुख उद्देश्य ये थे :-

(1) क्षेत्र में वीमेन वर्ल्ड बैंकिंग की भूमिका की समझ को बढ़ावा देना ;

(2) गारन्टी फंड प्रक्रिया तथा वित्तीय संस्थाओं एवं प्रबन्ध सहायक एजेंसियों से इसके सम्बन्धों का गहराई से विश्लेषण करना ; और

(3) सम्पूर्ण एशिया तथा प्रशान्त में बैंकिग और व्यवसाय में महिलाओं के नेटवर्क को प्रोत्साहित करना ।

(ख) वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिग द्वारा तैयार की गई यू० एन० डी० पी० सहायता के लिए भारत सरकार ने एक अन्तर-क्षेत्रीय परियोजना का अनुमोदन किया था । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया बनाना था जिससे कि महिलाओं को व्यवसाय उपक्रमों के लिए, स्थानीय ऋण संस्थाओं से आसानी से ऋण प्राप्त हो सके । वीमेंस वर्ल्ड बैंकिग का कोई अन्य कार्यक्रम भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**नाविकों द्वारा प्राप्त किए गए पारिश्रमिक पर आयकर छूट किया जाना**

4461. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बाहर नाविकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में पारिश्रमिक स्वरूप प्राप्त किए गए धन पर 1 अप्रैल, 1978 से आयकर अधिनियम की धारा 80 आर० आर० ए० के अन्तर्गत छूट का प्रावधान है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि संबंधित आयकर आयुक्त ऐसी छूट नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में आयुक्तों को कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं; और

(ग) ऐसी छूटों के लिए कितने नाविकों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और 1 अप्रैल 1978 से कितने नाविकों को ऐसी छूटें दी गई हैं तथा कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) किसी नाविकों द्वारा जो भारत का नागरिक है और जिसे धारा 80-दद क के स्पष्टीकरण में बताये गए क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होने के कारण "तकनीशियन" समझा जा सकता है और जिसकी भारत से बाहर सेवा की शर्तें केन्द्रीय सरकार अथवा विनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित की जाती हैं, उसके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत भाग के बराबर की रकम की कटौती 1-4-78 से उपलब्ध होगी।

(ख) चूंकि किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा की शर्तें, जो भारत का नागरिक है और जिसे धारा 80-दद क के प्रयोजनों के लिए तकनीशियन समझा जा सकता है, केन्द्रीय सरकार अथवा विनिर्धारित प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित की जानी होती हैं, इसलिये इस सम्बन्ध में आयुक्तों को कोई सामान्य अनुदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसे नाविकों के सम्बन्ध में कटौती की रकम, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदिनों के आधार पर, कर निर्धारण के समय सम्बन्धित आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार, ऐसी कटौतियों के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये दावों की संख्या और ऐसे नाविकों की संख्या जिन्हें 1-4-1978 से ऐसी कटौतियां मंजूर की गई हैं और अनिर्णीत पड़े दावों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

**सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों से वसूल की गयी ब्याज दर**

4462 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों से ब्याज की क्या दर वसूल की जाती है ;

(ख) क्या विशेषतः बिहार में, स्वयं रोजगार के लिये जिन भूतपूर्व सैनिकों ने बैंकों से ऋण ले रखे हैं उनके लिये राजसहायता-प्राप्त क्या ब्याज दर रखी गई है;

(ग) क्या इस तरह का कोई प्रश्न 27 फरवरी, 1981 को स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ बिहार राज्य सैनिक बोर्ड ने उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये दिये गये उत्तर का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972**

4463. **श्री हरीश कुमार गंगवार**
**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** } : क्या **वित्त मंत्री** केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64 के उपखण्ड 3 (क) (1) की ओर ध्यान देने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह शोक संलग्न परिवार का किस प्रकार हित करती है जबकि शिक्षा, विवाह आदि आवश्यक व्यय ज्यों के त्यों बने रहते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नियमों को हितकर बनाने के लिये पंक्ति 7,9 और 12 पर लिखी "जो भी कम हो "और "7 वर्ष की अवधि के लिये और जो भी कम हो" को निकाल देने का है; और

(ग) अधिवर्षता प्राप्त कर्मचारियों के पेंशन के कितने मामलों में देरी हुई है और उसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)**: (क) मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को देय पेंशन संबंधी लाभों में पिछले कुछ वर्षों से काफी सुधार किया गया है। सामान्य परिवार पेंशन की राशि क्रमशः कम से कम 25 रु० प्रतिमास और अधिक से अधिक 150 रु० प्रतिमास से बढ़ाकर कम से कम 60 रु० प्रतिमास और अधिक 250 रु० प्रतिमास कर दी गई है । इसके अलावा, अब परिवार पेंशन सामान्य दर से दुगनी दर पर सात वर्ष के लिए अथवा जब तक कि मृत सरकारी कर्मचारी 65 वर्ष की आयु प्राप्त करता, इसमें जो भी पहले हो, तब तक के लिए देय है । इसके अतिरिक्त, मृत सरकारी कर्मचारी के बच्चों की परिवार पेंशन संबंधी पात्रता के लिए अधिकतम आयु की सीमा भी बढ़ा दी गई है । परिवार पेंशन के अलावा, परिवार पेंशन भोगियों को पेंशन के 65 प्रतिशत की दर पर ग्रेडिड राहत भी दी जाती है, बशर्ते कि ये कम से कम 65 रु० प्रतिमास और अधिक से अधिक 325 रु० प्रतिमास हो, और इस राहत में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के बाद संशोधन किया जाता है । इसके अतिरिक्त, सरकार, 1 जनवरी, 1982 से एक ग्रुप बीमा योजना शुरू कर रही है जिससे कि परिवार पेंशनभोगियों की उपलब्ध निधियों में काफी सुधार हो जाएगा । अतः सरकार ने उपलब्ध संसाधनों में से अधिकतम संभव सीमा तक परिवार पेंशनभोगियों की अदायगी को उदारीकृत करने का प्रयास किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है और इसे देश भर में फेले हुए विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित किया जाना होगा। इस प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त समय और श्रम, प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

**आय-कर सर्वेक्षण**

4464. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त मंत्री** सार्वजनिक विभागों में कार्यरत व्यक्तियों की सम्पत्तियों के बारे में 28 अगस्त, 1981 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1912 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने कितने गृहों अब के तक सर्वेक्षण किये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) सर्वेक्षण का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या सभी फाइलों को अद्यतन बनाने के लिये ही उन सबका सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) आयकर विभाग ने 3,180 गृह-सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया है, जिसके परिणामतः धनकर के 916 नये मामलों का पता चला है।

(ख) से (घ) आयकर प्राधिकारियों को दिल्ली के सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा करने को कहा गया है। यद्यपि सर्वेक्षण यथासंभव शीघ्र पूरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, तथापि यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि सम्पूर्ण सर्वेक्षण कब तक पूरा किया जाएगा।

**सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में काम कर रहे भारतीय भाषाओं को पत्रिकाओं के कर्मचारियों के वेतनमान**

4465. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय हिन्दी समिति के इस आशय के निर्णय को पूरी तरह या आंशिक रूप से क्रियान्वित किया है कि अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के सम्पादकीय विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान, पदनाम तथा अन्य सेवा-शर्तों में समानता होनी चाहिए ; और

(ख) जिन उपक्रमों ने इस निर्णय को आंशिक रूप से लागू किया है या लागू नहीं किया है उनके द्वारा उसे पूरी तरह लागू किए जाने में क्या बाधाएं आ रही हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) और (ख) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन**

4466. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर में राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी और इस सम्मेलन में कितने राज्यों के मंत्रियों ने भाग लिया था ; और

(ग) पर्यटन उद्योग को सुधारने और बढ़ावा देने के लिये क्या निर्णय लिये गये थे ?

**पर्यटन और विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में पहली और दूसरी दिसम्बर, 1981 को हुआ था और राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से 22 पर्यटन-मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में यात्रा परिपथ संकल्पना पर पर्यटन के विकास, स्वदेशी पर्यटन के लिए सुविधाओं और आंकड़ों के संकलन की व्यवस्था करने, पर्यटन सेवाओं में सुधार करने, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गठित करने संबन्धी मसलों पर विस्तारपूर्व विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) सम्मेलन ने पर्यटन उद्योग को निम्नलिखित प्रोत्साहन तथा परियायतें देने के सवाल पर विचार-विमर्श किया :—होटलों के लिए स्थलों का आरक्षण, वार्षिक किराये के आधार पर स्थलों का आवंटन, होटल ऋणों पर ब्याज सहायता, सामग्री की प्राप्ति में प्राथमिकता, अन्य औद्योगिक उद्यमों पर यथा-लागू दरों पर होटलों को बिजली तथा पानी की सप्लाई, एफ० ए० आर०/एफ० एस० आई० प्रतिबन्धों में छूट आदि। सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा समुचित प्रोत्साहन तथा रियायतें उपलब्ध करायी जाएं। सम्मेलन ने उड़ीसा द्वारा 1980 की अपनी औद्योगिक नीति के अधीन होटलों को उद्योग मानने में स्थापित उदाहरण की प्रशंसा की और यह सिफारिश की कि अन्य राज्य सरकारें भी होटल क्षेत्र को इसी प्रकार की मान्यता प्रदान करें।

सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र (1) दलालों, भिखारियों तथा अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा पर्यटकों को तंग किए जाने से बचाव हेतु उपयुक्त कार्यवाही करें (2) अखिल भारतीय परमिट प्रदान करने में भारत पर्यटन विकास निगम, राज्य पर्यटन विकास निगमों और केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित पर्यटन कार आपरेटरों/ट्रैवल एजेंसियों को प्राथमिकता प्रदान करें। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि प्रशिक्षण कार्यक्रम तेज कर दिए जाएं ताकि पर्यटकों को कुशल तथा शिष्टतापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकें।

**भारतीय परियोजना और उपकरण निगम में कार्यकारी निदेशक के पद के लिए चुनाव**

4467. **श्री दिलीप सिंह भूरिया**<br>**श्री सोमजीभाई दामोर** } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के ब्यौरे और योग्यता क्या है जो मंत्रालय द्वारा गठित चुनाव व समिति द्वारा भारतीय परियोजना और उपकरण निगम में कार्यकारी निदेशक के पद के लिए अक्तूबर/नवम्बर, 1981 के दौरान चुने तथा नियुक्त किए गये हैं, तथा कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे।

(ख) क्या चुने गये उम्मीदवारों से भी अधिक योग्य उम्मीदवार थे ; और

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा अधिक योग्यता वाले व्यक्ति क्यों अस्वीकृत किये गये और इसके क्या कारण थे ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) सरकारी उपक्रम चयन बोर्ड द्वारा समुचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किये गये पन्द्रह प्रत्याशियों में से श्री सी० एल० सुब्रह्मण्यम को सर्वाधिक योग्य समझा गया और उन्हें अक्तूबर/नवम्बर, 1981 के दौरान पी० ई० सी० लि० के निदेशक के पद के लिए चुन लिया गया। उनकी अर्हताएं ये हैं :—

(1) बी० ई० (कैमी.इंजी)।

(2) व्यापार प्रबन्ध में डिप्लोमा।

(3) रैफरीजेटर तथा एअर कंडीशनिंग में डिप्लोमा।

(4) इंस्टीट्यूट आफ फयूल, लन्दन के सहयोजित सदस्य।

(5) इंस्टीट्यूट आफ कैमीकल इंजीनियर्स, कलकत्ता के सहयोजित सदस्य।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**सेलम, तमिलनाडु में इस्पात संयंत्र का द्वितीय चरण**

4468. **श्री एम० कन्डा स्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम, तमिलनाडु में इस्पात संयन्त्र में द्वितीय चरण शुरू किए जाने का विचार है क्योंकि प्रथम चरण पहले से पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो द्वितीय चरण के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है और द्वितीय चरण से सेलम में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो द्वितीय चरण शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) से (ग) सेलम इस्पात परियोजना का प्रथम चरण 13 सितम्बर, 81 को ही चालू किया गया है। वर्तमान उत्पादन के स्थिर हो जाने, इसकी अर्थ-क्षमता का पता लग जाने और उस समय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि को देखने के पश्चात् ही परियोजना के दूसरे चरण पर विचार किया जा सकता है।

**रेफ्रीजरेटरों पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाया जाना**

4469. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि घरेलू रेफ्रीजरेटर घर गृहस्थी की एक आवश्यक वस्तु है तथा यह टेलिविजन, खाना पकाने के यंत्रों धुलाई मशीन, मिक्सरों, ग्राइन्डरों, टोस्टरों आदि के साथ-साथ विजली के उपकरणों की श्रेणी में आता है ;

(ख) यदि हां, तो इस वात के क्या कारण हैं कि घर गृहस्थी की अन्य वस्तुएं जिस उत्पादन शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत आती हैं, रेफ्रीजरेटर को उसने भिन्न केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत रखा गया है ; और

(ग) इस बात के क्या कारण हैं कि टेलीविजन जैसी ऊपर बताई गई अन्य वस्तुओं पर जितना उत्पादन शुल्क लगता है उससे रेफ्रीजरेटर पर कहीं अधिक उत्पादन शुल्क लगता है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रयोजनार्थ, किसी खास जिस अथवा माल के वर्गीकरण का निर्धारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अन्तर्गत सूचीबद्ध माल के विवरण द्वारा किया जाता है। "सभी प्रकार के प्रशतिन और वातानुकूलन संयंत्रों और मशीनों और उनके पुर्जों" से संवन्धित उक्त प्रथम अनुसूची की मद 29 क और जिसके अन्तर्गत घरेलू प्रशीतक 1961 के बजट में दिये अनुसार वर्गीकरण योग्य हैं। दूसरी तरफ कुकिंग रेंज कपड़े धोने की मशीन, मिक्सर और ग्राइन्डर और टोस्टर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची में मद 33 ग 1.3.69 से लागू होने से उत्पादन शुल्क लगाया गया।

(ग) किसी खास उत्पाद पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की दर, अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के स्वरूप उपभोक्ता वर्ग, उपयोग के स्वरूप आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। दूरदर्शन सैट जन-संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है इसलिए इन पर उत्पादन शुल्क की अपेक्षाकृत निम्नतर दर लगाई जाती है पर यह बात प्रशीतकों पर लागू नहीं होती।

**बर्फ में जमाई "पामफ्रेट" मछली के निर्यात के लिये निर्यात राजसहायता प्रोत्साहन**

4470. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजी "पामफ्रेट" मछली के निर्यात हेतु कोई निर्यात राजसहायता/प्रोत्साहन दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी असंगति को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जमायी हुई पामफ्रेट के लिये प्रोत्साहनों के रूप में 5 प्रतिशत की दर पर आयात प्रतिपूर्ति और 5 प्रतिशत की दर पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता दी जाती है।

(ख) सरकार ताजी पामफ्रेट के लिये उपरोक्त प्रोत्साहन न दिये जाने को असंगति के रूप में नहीं समझती ।

**पंजाव एण्ड सिंध बैंक की आय, व्यय और लाभ**

4471. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के 1974 के बाद आय, व्यय और लाभ के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उक्त बैंक के वर्ष 1979, 1980 और 1981 के लिये चालू व्यय, वेतन और मजदूरी सकल लाभ कुल आय, प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्वस क्या-क्या हैं और

(ग) बैंक द्वारा वर्ष 1980 के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के भुगतान पर कितना व्यय किया गया और बोनस के भुगतान के बाद बैंक को कितना लाभ हुआ है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :** (क) पंजाव एण्ड सिन्ध बैंक के प्रकाशित लाभ-हानि लेखों के अनुसार 1974 से 1980 तक के वर्षों के दौरान इस बैंक की आय, व्यय तथा लाभ सम्बन्धी सूचना नीचे लिखे अनुसार है :—

(राशि लाख रुपयों में)

| वर्ष | आय | व्यय | लाभ |
|---|---|---|---|
| 1974 | 956.00 | 934.12 | 21.88 |
| 1975 | 1374.29 | 1352.22 | 22.07 |
| 1976 | 2175.81 | 2153.58 | 22.23 |
| 1977 | 3083.43 | 3058.27 | 25.16 |
| 1978 | 3862.27 | 3836.76 | 25.51 |
| 1979 | 4964.11 | 4924.09 | 40.02 |
| 1980 | 6330.08 | 6288.46 | 41.62 |

बैंक के प्रकाशित तुलनपत्रों तथा लाभ-हानि लेखों के अनुसार बैंक के स्थापना खर्चों अर्थात् वेतनों, मजदूरियों, भत्तों आदि तथा जमाराशियों पर अदा किये गये ब्याज, ऋणों आदि, प्रदत्त पूंजी तथा 1979 और 1980 के वर्षों के लिए बैंक की प्रारक्षित निधि सहित अन्य खर्चों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

(राशि लाख रुपयों में)

| मदें | वर्ष | |
|---|---|---|
| | 1979 | 1980 |
| 1. वेतन, भत्ते तथा भविष्य निधि अंशदान | 1186.85 | 1605.92 |
| 2. जमाराशियों पर अदा किए गए ब्याज, ऋणों आदि समेत अन्य खर्चे | 3737.24 | 4682.54 |

(जारी.....)

| | | |
|---|---|---|
| 3. प्रदत्त पूंजी | 89.04 | 88.60 |
| 4. प्रारक्षित निधि तथा अन्य रिजर्व | 146.02 | 194.02 |

वर्ष 1981 के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) वर्ष, 1980 के दौरान बोनस की अदायगी के लिए 64 लाख रुपये की व्यवस्था करने के बाद बैंक ने 41.62 लाख रुपये का निवल लाभ कमाया।

**फर्स्ट क्वालिटी के नायलन और पोलिएस्टर फिलामेंट धागे के आयात पर प्रतिबन्ध**

4472. **श्री सी० डी० पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्स्ट क्वालिटी के नायलन और पोलिएस्टर फिलामेंट धागे के आयात पर प्रतिबन्धों के कारण बुनकरों को बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ख) फर्स्ट क्वालिटी के नायलन तथा पोलिएस्टर फिलामेंट धागे के, जो इस समय वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये खुले सामान्य लाइसेंस पर हैं, आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

**विस्कोस फिलामेंट फैब्रिक्स का निर्यात**

4473. **श्री अहमद मोहम्मद पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्कोस फिलामेंट फैब्रिक्स के निर्यात में भारी कमी आई है क्योंकि निर्यात पर रियायती दरों पर देशी विस्कोस यार्न की सप्लाई सम्बन्धी योजना बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) तथा (ख) निर्यातकों को रियायती कीमतों पर आर्ट सिल्क यार्न की सप्लाई के लिये एक स्वैच्छिक योजना 1977 से पहले चल रही थी। असन्तोषजनक कार्यचालन के कारण इसे बन्द कर दिया गया। विस्कोस फिलामेंट यार्न की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इस माल के आयात की अनुमति दी जाती है। निर्यातक भी इस अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत इसका आयात कर सकते हैं।

**कर्नाटक में रायचूर जिले के गंगावती नगर में जीवन बीमा निगम का शाखा कार्यालय खोलना**

4474. **श्री एम० जी० रामुलु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रायचूर जिले के गंगावती नगर में जीवन बीमा निगम का एक शाखा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) उनके मन्त्रालय ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) माननीय सदस्य महोदय से गंगावती में एक शाखा कार्यालय खोले जाने के बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है । इस सुझाव पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान नई शाखाएं खोले जाने का कार्यक्रम तैयार करते समय विचार किया जाएगा ।

**दार्जिलिंग मेलगाड़ी द्वारा वस्तुओं की तस्करी**

4475. **श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग मेल गाड़ी द्वारा प्रतिदिन न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदाह स्टेशन तक तस्करों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के साथ साठ-गांठ करके अपनी वस्तुओं को शौचालयों, प्रथम श्रेणी के डिब्बों तथा स्लीपर के डिब्बों में छुपाकर पर्याप्त मात्रा में तस्करी का माल ले जाया जा रहा है; और

(ख) सरकार पश्चिमी बंगाल में सिलीगुड़ी के पास भारत-नेपाल तथा भारत-बंगला देश सीमाओं पर वस्तुओं की भारी तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने ऐसे अनेक मामले पकड़े हैं जिनमें दार्जिलिंग मेल से चोरी-छिपे लाये गये माल को न्यू जलपाईगुड़ी से स्यालदाह स्टेशन को ले जाया जा रहा था । यह माल रेल गाड़ी के डिब्बों की दिल्हाबन्दी और शौचालयों में छिपाया हुआ पाया गया था ।

परन्तु, इन मामलों से रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों की साठ-गांठ होने का कोई संकेत नहीं मिलता है ।

(ख) बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंग-रूप में सरकार ने तस्करी रोकने के लिए एक कार्य-योजना बनाई थी । इस कार्य योजना के अनुसरण में, एक जोरदार कार्य योजना बनाई गई है ताकि पूर्वी भू-सीमाओं पर हो रही तस्करी को प्रभावी ढंग से रोका जा सके । प्रस्तावित उपायों में ये उपाय शामिल हैं :—गुप्त सूचना तन्त्र की सीमाओं पर तस्करी संचालन कर रहे बड़ तस्कर गिरोहों का पता लगाने का कार्य सौंपना । इन गिरोहों के सदस्यों पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करना था । इस क्षेत्र में तस्करी पर काबू पाने के लिए सीमा शुल्क विभाग राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच अधिकाधिक समन्वय स्थापित करना ।

**तमिलनाडु महालेखापाल के कार्यालय में एस० ए० एस० संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां**

4476. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**
**श्री कुंवर राम** } : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालेखापाल तमिलनाडु के कार्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे चारों उम्मीदवार जो दिसम्बर, 1980 में आयोजित एस० ए० एस० पार्ट-2 परीक्षा में बैठे थे फेल हो गए हैं इन में से दो उम्मीदवार सभी सामान्य विषयों में न्यूनतम मानक अंकों के साथ उत्तीर्ण हो गए थे परन्तु कुल अंकों में 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की कमी के कारण फेल हो गए;

(ख) यदि हां, तो क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/10/76-ईस्ट-11 (एस० सी० टी०) दिनांक 21 जुलाई, 1977 के संदर्भ में एस० ए० एस० अर्हकर परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को कितनी छूट दी गई थी; और

(ग) क्या महालेखापाल, तमिलनाडु के कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए एस० ए० एस० संवर्ग में आरक्षित 99 प्रतिशत रिक्तियों को वरिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत करने के स्थाई आदेशों के महाधिवक्ता और महालेखापाल मेनुअल के पैरा 298 (बी) अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के बावजूद आरक्षित कर दिया गया, यदि हाँ, तो इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) से (ग) सम्बन्धित उम्मीदवारों में से दो उम्मीदवारों ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई की तारीख 17.12.1981 निश्चित की गई है। चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए इस स्थिति में कोई ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

**दिल्ली में लघु खनिजों के मूल्य में वृद्धि**

4477. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पिछले एक साल में भवन सामग्री जैसे पत्थर उत्पाद जमुना की बालू और बदरपुर की बालू के मूल्य सौ प्रतिशत तक बढ़ गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन निजी भूमि पर लघु खनिजों के उत्पादन के लिए अनुमति न देकर मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सहायक हो रहा है;

(ग) ऐशियाड 1982 के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई गई है जबकि कई हजार लघु खनिजों के भण्डारों वाली जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है और दिल्ली प्रशासन निजी भूमि में इनका उत्पादन करने के प्रति उदासीन है; और

(घ) गरीब उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इन खनिजों के मूल्य में नियन्त्रण करने हेतु सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) दिल्ली के खान व उत्खनन डिप्टी कलेक्टर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत एक वर्ष में खनिजों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, जो आज मूल्य वृद्धि तथा एशियाड 1982 सहित बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों के लिए खनिजों की भारी मांग और बढ़ी हुई मजदूरी के कारण हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्तमान खानों में सुरक्षा के अनुरूप उपाय करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। गैर-सरकारी स्वामित्व वाली जमीनों से गौण खनिज निकालने के लिए परमिट दिए जा रहे हैं अतः दिल्ली प्रशासन की उदासीनता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आशा है कि उत्पादन बढ़ने से इन खनिजों की कीमतों में स्थिरता आएगी।

**मानसून से पूर्व यमुना से रेत निकालने के परमिट रोकने के कारण दिल्ली प्रशासन को हुई रायल्टी की हानि**

4478. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में यमुना से रेत निकालने के परमिट उस समय जारी किए गए जबकि मानसून शुरू होने पर यमुना में बाढ़ आ जाने पर हरियाणा के ठेकेदारों के लिए यमुना से रेत निकालने का मौसम समाप्त हो गया था;

(ख) 1-4-1981 से 15-11-1981 तक इस प्रकार के परमिट रोकने के कारण दिल्ली प्रशासन की रायल्टी का कितना नुकसान हुआ; और

(ग) दिल्ली को भविष्य में रायल्टी के नुकसान से बचाने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) दिल्ली के खान और खदान कलैक्टर से मिली जानकारी के अनुसार उत्खनन परमिट मानसून सत्र से पूर्व तक लागू रहते हैं। रेत का परमिट तो विशेषतया ओखला राजस्व भूमि के लिए होते हैं, जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का मुख्य उत्खनन स्थल है, और यह 20-11-1979 से चल रहा है, जहां कि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० रेत का खनन करता है।

(ख) परमिट धारकों से उनके परमिट में उल्लिखित मात्रा के लिए पेशगी रायल्टी दिल्ली गौण खनिज नियमावली 1969 के प्रावधानों के अनुसार ली जाती है। प्रशासन 1-4-1981 से 15-11-1981 तक की अवधि के लिए सभी परमिट धारियों से पेशगी रायल्टी ले ली है। इसलिए घाटा होने का सवाल नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

**टिन प्लेट का आयात**

4479. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (1) सामान्य कार्यों के लिए प्राइम क्वालिटी प्लेटों (2) ओपन टाप सेनेटरी केन (ओ० टी० एस०) क्वालिटी केन टिन प्लेटों और (3) टिन प्लेटों के निर्माण के लिए टिन मिल काली प्लेटों का आयात भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है और पंजीकृत निर्यातकों को आर० ई० पी० लाइसेंस पर टिन प्लेटों का सीधा आयात करने की अनुमति है, और

(ख) यदि हाँ, तो अप्रैल, 1976 से मार्च, 1980 तक और अप्रैल, 1980 से मार्च, 1981 तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और आई० ई० पी० लाइसेंस के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों द्वारा (1) टिन प्लेटों और (2) प्रत्येक मोटाई की टिन मिल काली प्लेटों की कितनी मात्रा का आयात किया गया, और चालू वर्ष (1981-82) के दौरान कितनी मात्रा का आयात किया गया है और कितनी मात्रा का आयात किये जाने की सम्भावना है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) जी, हाँ । टिन प्लेटों तथा टिन मिल ब्लैक प्लेटों का आयात स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है । आर० ई० पी० लाइसेंस-धारियों को भी उनके लाइसेंसों में निर्दिष्ट मात्रा के लिए आयात करने की अनुमति है ।

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और अप्रैल-अक्तूबर, 1981 की अवधि में टिन-प्लेटों और टिन मिल ब्लैक प्लेट के आयात की मात्रा नीचे दी गई है :—

मात्रा टनों में

| मद | 1979-80 | 1980-81 | अप्रैल-अक्तूबर, 1981 |
|---|---|---|---|
| टिन मिल ब्लैक प्लेट | 34638 | 48367 | 34369 |
| टिन प्लेट | 21589 | 26806 | 15655 |

आयात की गई प्लेटों के मोटाई वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस वर्ष नवम्बर के अन्त तक सेल ने 8,945 टन टिन प्लेट तथा 92,000 टन टिन मिल ब्लैक प्लेट आयात करने के लिए आर्डर दे दिए हैं। पंजीकृत निर्यातकों द्वारा किए गए वास्तविक आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

**चाय उद्योग को राहत**

4480. **श्री वी० के० नायर**
**डा सुब्रह्मण्यम स्वामी** } : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या हाल ही में नई दिल्ली में सम्बद्ध हितों के हुए सम्मेलन में उसे राहत देने के उपायों पर चर्चा की गई थी;

(ग) उस सम्मेलन ने क्या चर्चा की गई और कौन से संकल्प पारित किये गये;

(घ) इन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि स्थिति में कोई सुधार हुआ है तो वह क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) चाय उद्योग बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अगस्त, 1981 में चाय सम्बन्धी राष्ट्रीय स्तर की बैठक में की गई सिफारिशों का उल्लेख किया गया है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने पहले ही चाय के निर्यातों पर एक उत्पादन शुल्क छूट योजना की घोषणा कर दी है और कई क्षेत्रों में चाय पर मूलभूत उत्पादन शुल्क को कम कर दिया है । चाय की पेटियों के निर्यात में प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री पर सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क की शुल्क वापसी की भी अनुमति दे दी गई है ।

केरल व तमिलनाडु सरकारों ने चाय की बिक्रियों पर बिक्री कर भी हटा दिया है । केरल सरकार ने चाय बागानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों पर भी बिक्री कर हटा दिया है और घोषित किया है कि चाय पर बागान कर बढ़ी हुई दर पन लगा कर पूर्व संशोधित दर पर लगाया जाएगा । राष्ट्रीय स्तर की बठक की अन्य सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य सम्बन्धित विभागों के परामर्श में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ङ) सितम्बर, 1981 से भारत में मुख्य नीलामी केन्द्रों में चाय की कीमतों में कुछ सुधार हुआ है । तथापि, हाल में किए गए उपायों का अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

## विवरण

### चाय उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय बैठक 3-8-1981 की सिफारिशें

3 अगस्त, 1981 को वाणिज्य सचिव श्री पी० के० कौल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चाय उद्योग सम्बन्धी बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार, आसाम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश की सरकारों और छोटे उपभोक्ताओं सहित चाय उपजकर्त्ताओं की ऐसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उन्होंने चाय उद्योग की वर्तमान संकट पूर्ण स्थिति पर विचार करने के बाद निम्नोक्त सिफारिशें की :

उद्योग

(1) यह कि उद्योग :

(क) निर्यातों को प्राथमिकता देगा ताकि निर्यातों के लिये निर्धारित किए गए लक्ष्य पूरे कर लिए जाएं;

(ख) बेहतर क्वालिटी की चाय का उत्पादन करेगा ताकि और अधिक लाभकारी कीमतें वसूल हो सकें;

(ग) रोकी गई आय का और अधिक भाग सुधरे हुए उत्पादन, अनुसंधान तथा विकास के लिए पुनर्निवेश करेगा;

(घ) मूल्यवर्धित रूप में चाय का उत्पादन बढ़ाएगा;

भारत सरकार तथा राज्य सरकारें मिलकर

(2) कि अगले तीन वर्षों (1981-82 से 1983-84 तक) के लिए चाय उद्योग को इस योग्य बनाने के लिए कि वह वर्तमान संकटकाल पर काबू पा सके और स्थिति मजबूत बना सके;

(क) चाय पर उत्पादन शुल्क की काफी हद तक कम कर दिया जाए;

(ख) निर्यातों पर अदा किए गए अप्रत्यक्ष कर वापिस किए जाएं और शुल्क वापिस की क्रियाविधि को सरल कर दिया जाए;

(ग) चूंकि पैकेट चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है, अत: पैकेट चाय पर निर्यात शुल्क को काफी हद तक कम कर दिया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए; (यह सिफारिश, अगली समीक्षा तक, अगले तीन वर्षों के बाद भी वैध रहेगी)

(घ) नीलामी वाली चाय पर बिक्री कर स्थगित कर दिया जाना चाहिए;

(ङ) सम्बन्धित सरकारों द्वारा कृषि सम्बन्धी आय करों व अन्य स्थानीय करों को काफी हद तक कम कर दिया जाए और यदि किसी विशेष कानून के अन्तर्गत कर देयता कम करने में कोई लोचशीलता न हो तो अन्य कानूनों के अधीन समुचित समंजनों द्वारा उचित राहतें देने के प्रयास किये जाएं;

भारत सरकार

(3) कि प्रत्येक तिमाही में अर्जित की जाने वाली अनुमानित आय के आधार पर उद्योग को पेशगी आयकर देने में समर्थ बनाया जाए।

(4) कृषि स्वरूप के संचालनों को ध्यान में रखते हुए उद्योग की ऋण आवश्यकताओं को अगले तीन वर्षों के लिये रियायती ब्याज दर पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूरा किया जाए ।

(5) निम्नोक्त के लिये रेलवे प्राधिकारियों से बातचीत की जाए ।

(क) चाय बागनों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कोयले की ढुलाई के लिये पूरी ढुलाई सुविधाएं उपलब्ध कराना; और इसे सुकर बनाने के विचार से उद्योग को खान स्थल से रेल स्थल तक कोयले की ढुलाई के लिये समर्थ बनाया जाए;

(ख) ट्रेन भार से कम अर्थात कम संख्या में माल डिब्बों और साथ ही कन्टेनरों में, चाय की ढुलाई के लिये रेलवे द्वारा उद्योग को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं;

(6) कि आन्तरिक चाय बाजार प्रणाली के बारे में एक अध्ययन किया जाए और एक उचित रिपोर्टिंग तथा मानिटरिंग प्रणाली बनाई जाए ।

(7) कि सरकार द्वारा पहले से गठित की गई लघु उपजकर्ताओं सम्बन्धी समिति से कहा जाए कि वे उनकी विशेष कठिनाइयों और समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यथा-शीघ्र अपनी सिफारिशें दें ।

(8) कि चाय बोर्ड के अध्यक्ष महोदय त्रिपुरा में उद्योग के साथ एक अलग बैठक बुलाएं जिससे त्रिपुरा की विशिष्ट समस्याओं पर विचार किया जा सके तथा उपयुक्त उपायों की सिफारिश की जा सके ।

**राज्य सरकारें**

(9) कि चाय उपजाने वाले राज्यों की सरकारें परामर्श समितियों के गठन पर विचार करें जिससे वे चाय उद्योग के साथ समय-समय पर उठने वाली उनकी समस्याओं पर आवधिक रूप से तथा नियमित रूप से बातचीत कर सकें । इन समितियों में सम्बन्धित सरकारों और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे । यदि राज्य सरकारें ऐसा चाहें तो भारत सरकार के प्रतिनिधि भी ऐसी बैठकों में शामिल होंगे । केरल सरकार ने ऐसी व्यवस्था आरम्भ भी कर दी है ।

(10) कि राज्य सरकारों को (क) चाय की सभी निर्यात विक्रियों, (ख) पैकेटिंग प्रयोजनों के लिये अपनी ही चाय का प्रयोग करने वाले उपजकर्त्ताओं को ग्रामीण रोजगार उपकर से छूट देने पर विचार करना चाहिए ।

(11) कि जो चाय मूल्यवर्धित रूप में उत्पादन के लिये इस्तेमाल की जा रही हो, उसके सम्बन्ध में नीलामी की प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य न हो;

(12) कि पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया जाए कि सी० ई० पी० ए० ने उन्हें निम्नलिखित के बारे में जो अभ्यावेदन दिया है, उस पर शीघ्र निर्णय किया जाए।

(क) विपणन के अपना चैनल चुनने में उद्योग की स्वतन्त्रता; और (ख) ग्रामीण रोजगार उपकर से छूट;

(13) राज्य सरकार को चाहिए कि वह चाय उद्योग के साथ लकड़ी ईंधन की जो ऊर्जा का नवीकरण योग्य स्रोत है, उपलब्धता के लिये उनकी प्रस्थापनाओं पर बातचीत करें।

**सामान्य**

(14) कि उद्योग के साथ निरन्तर बातचीत करते रहने के लिए समय-समय पर चाय उद्योग के बारे में राष्ट्रीय स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएं।

**जनेवा में एयर इंडिया के प्रबन्धक का तस्करी के सम्बन्ध में पकड़ा जाना**

4481. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनेवा में एयर इण्डिया के प्रबन्धक को घड़ियों के फालतू पुर्जों की तस्करी के सम्बन्ध में पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाही की गई है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :** (क) और (ख) जनेवा में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे एयर इण्डिया के एक स्थानीय कर्मचारी श्री मार्क रेवर्डी को सीमा-शुल्क खुफिया कर्मचारियों ने उस समय रोका जब वह 20.9.81 को जनेवा से बम्बई विमान क्षेत्र पर आने पर "वाक थ्रू चैनल" से गुजर रहा था। जांच करने पर पाया गया कि वह 4.5 किलो ग्राम वजन का एक पैकट ले जा रहा था जिसमें 11.73 लाख रुपए मूल्य के कलाई की घड़ियों के पुर्जे थे। उसे 24.9.81 को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे जमानत पर रिहा कर दिया है।

(ग) और (घ) सीमा-शुल्क प्राधिकारी और आगे जांच कर रहे हैं। एयर इण्डिया ने

उक्त अधिकारी को निलम्बित कर दिया है और सीमा-शुल्क के केस के बारे में कोई निर्णय हो जाने पर उसके विरुद्ध अगली कार्यवाही की जाएगी ।

**कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात**

4482. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने हेतु समुचित नीति की सिफारिश करने के लिए संघ सरकार द्वारा सचिवालय स्तर पर एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) गठित किया जा रहा है;

(ख) क्या गठित की जाने वाली कृतिक बल समिति की कार्य-पद्धति तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके निदेश पद क्या होंगे;

(घ) क्या कृतिक बल में राज्य प्रतिनिधि शामिल कर लिए गये है; और

(ङ) इस प्रकार के कृतिक बल के गठन से विदेशी निर्यात में कितनी वृद्धि होगी;

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ङ) टास्क फोर्स के गठन तथा विचारार्थ विषय निर्धारित करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है जिससे कृषि सम्बन्धी मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति सिफारिश करने की अपेक्षा की जाती है ।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के एक स्थायी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाना**

4483. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में स्थाई कर्मचारी को कोई आरोप पत्र दिए बिना, अथवा बिना कोई कारण बताए और उसका स्पष्टीकरण सुने बिना ही सीधे सेवा मुक्त किया जा सकता है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों द्वारा कामगारों एवं कर्मचारियों को नियुक्ति को शर्तें सामान्यतः आदेश स्थाई आदेश तथा सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों के साथ-साथ सांविधिक उपबन्धों को ध्यान में रख कर क्रमशः उनकी यूनियनों एवं श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के परामर्श से निर्धारित की जाती हैं । नियुक्ति की ये शर्तें सामान्यतः सांविधिक किस्म की हैं तथा प्रबन्धकों द्वारा किसी कर्मचारी की सेवा केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद ही समाप्त की जा सकती है । सरकारी उद्यम कार्यालय ने आदर्श आचरण, अनुशासन और अपील नियम अप्रैल,

1974 में परिचालित किए थे, जिन्हें अधिकांश सरकारी उद्यमों ने अपना लिया है तथा इनके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सेवा से बर्खास्तगी, हटाने आदि का भारी दण्ड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसको विधिवत जांच न कर ली जाए।

**पंजाब में जालंधर स्थित एक एयरकंडीशनिंग फर्म द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन**

4484. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर कंडीशनिंग और रेफ्रीजरेशन मशीनों का निर्माण करने वाली जालंधर, पंजाब स्थित एक फर्म द्वारा करोड़ों रुपए के उत्पादन शुल्क का अपवंचन किए जाने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो फर्म का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :** (क) तथा (ख) मैसर्स चन्द्र इण्डस्ट्रीज, जी० टी० रोड, जालन्धर प्रशीतन और वातानुकूलन मशीनों का निर्माण करते है, जिनके सम्बन्ध में यह पाया गया है कि इन्होंने कथित एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम का उत्पादन शुल्क अपवंचन किया है।

(ग) उक्त फर्म खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और अपराध के मामले के न्याय-निर्णय के निमित्त एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका जबाव चण्डीगढ़ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता के पास देना होगा।

**इस्पात की कमी**

4485. **श्री ए० ए० रहीम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में इस्पात की कमी है जिससे काले बाजार को बढ़ावा मिल रहा है; और

(ख) यदि हाँ तो इस्पात के वितरण को सुचारू बनाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) :** (क) और (ख) देशीय उत्पादन और आयात में वृद्धि के फलस्वरूप इस्पात की उपलब्धि में वृद्धि हुई है। इस बात को देखते हुए कच्चे लोहे, प्लेटों और संरचनात्मकों को छोड़कर अन्य मदें संयुक्त संयंत्र समिति की वितरण प्रक्रिया से निकाल दी गई हैं। प्रतिरक्षा, सिंचाई, लघु उद्योग, निर्यात आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों की

आवश्यकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाती हैं। अन्य क्षेत्रों की मांग उनकी आवश्यकताओं, भूत में उनके द्वारा की गई खरीद और उपलब्धता के आधार पर पूरी की जाती है। मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार कच्चे लोहे, संरचानत्मकों और इस्पात की कुछेक अन्य मदों का आयात भी कर रही है।

**पैदा किया गया, खरीदा गया और तस्करी से प्राप्त अफीम**

4486, **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
**श्री के० लकप्पा** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1979, 1980 और 1981 के कलैण्डर वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में और कितने कितने प्रतिशत अफीम पैदा किया और खरीदा; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान (वर्षवार) कितनी मात्रा में तथा कितने प्रतिशत अफीम की भारत से बाहर तस्करी की गई ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) पिछले तीन फसल वर्षों के दौरान उत्पादित और सरकार द्वारा खरीदी गई अफीम की मात्रा नीचे दी गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार, काश्तकारों द्वारा उत्पादित सारी की सारी अफीम को सरकार खरीदती है।

| फसल वर्ष | उत्पादित और खरीदी गई अफीम की मात्रा (मी० टनों में 900 गाढ़ता पर) |
|---|---|
| 1978-79 | 1413 |
| 1979-80 | 966 |
| 1980-81 | 1126 (अनन्तिम) |

(ख) देश से बाहर चोरी-छिपे ले जायी गयी अफीम की मात्रा का कोई प्रमाणिक अनुमान नहीं है। परन्तु सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिग्रहकों में अफीम की मात्रा नगण्य ही है। इसके अतिरिक्त देश से बाहर चोरी-छिपे ले जाने का प्रयास करते हुए पकड़ी गयी अफीम की मात्रा भी देश में हुए अफीम के कुल उत्पादन की तुलना में कम रही है :

**विदेशी मुद्रा विनियमन के अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत औषध फर्मों द्वारा विदेशी इक्युटी को कम किया जाना**

4487. **श्री पी० के० कौडियन**
**श्री बालकृष्ण वासनिक** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु-राष्ट्रीय औषध फर्मों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार अपनी विदेशी इक्युटी को कम करने का निदेश दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से प्रत्येक फर्म के सम्बन्ध में अनुक्षेय इक्युटी के स्तर के बारे में निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) से (ग) विदेशी औषध कम्पनियों के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर निर्णय ले लिए गए हैं । एक विवरण संलग्न है जिसमें कम्पनियों के नाम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनिवासी इक्विटी के अनुज्ञेय स्तर की उल्लेख कर दिया गया है । भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसे ये निर्णय भिजवा दिए गए हैं, शीघ्र ही निर्देश जारी करेगा ।

## विवरण

| क्र० सं० | कम्पनी का नाम | विद्यमान विदेशी इक्विटी | वह स्तर जिस तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी इक्विटी को कम किया जाना है । |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | बेयर इण्डिया "लिमिटेड" | 51 प्रतिशत | कम्पनी विद्यमान विदेशी इक्विटी की साझेदारी से कारोबार जारी रख सकती है । |
| 2. | बूटस कम्पनी (इंडिया) लि० | 53 ,, | कम्पनी विद्यमान विदेशी इक्विटी की भागीदारी से कार-बार जारी रख सकती है। |
| 3. | बरोज वेलकम एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्रा० लि० | 100 ,, | 74 प्रतिशत |
| 4. | सिवा-गीगी ऑफ इण्डिया लि० | 68.4 ,, | 51 प्रतिशत-10 प्रतिशत निर्यात दायित्व सहित |
| 5. | सिनामिड इण्डिया प्रा० लि० | 55 ,, | 51 प्रतिशत-10 प्रतिशत निर्यात दायित्व सहित |
| 6. | ई० मर्क (इण्डिया) प्रा० लि० | 60 ,, | 40 प्रतिशत |
| 7. | ग्लैक्सो लेवोरेट्रीज (इंडिया) लि० | 75.05 ,, | 40 प्रतिशत |

(जारी.....)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | होएश्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० | 50 ,, | कंपनी विद्यमान विदेशी इक्विटी के स्तर को कायम रख कर कार-बार कर सकती है । |
| 9. | जानसन एण्ड जानसन लि० | 75 ,, | 51 प्रतिशत-10 प्रतिशत निर्यात दायित्व सहित |
| 10. | मर्क शार्प एण्ड डाइम (इंडिया) लि० | 60 ,, | कम्पनी विद्यमान विदेशी इक्विटी के स्तर को कायम रख कर कार-वार कर सकती है । |
| 11. | आरगेनान (इंडिया) लि० | 49 ,, | कंपनी विद्यमान विदेशी इक्विटी के स्तर को कायम रख कर कारबार कर सकती है । लेकिन 10 प्रतिशत का निर्यात दायित्व रहेगा । |
| 12. | पार्क डेविस (इंडिया) लि० | 83.33 ,, | कम्पनी ऐच्छिक आधार पर 40 प्रतिशत तक तनुकरण कर रही है । |
| 13. | फाइजर लिमिटेड | 70.20 ,, | 51 प्रतिशत-10 प्रतिशत निर्यात दायित्व सहित |
| 14. | रोश प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 89 ,, | 74 प्रतिशत |
| 15. | यूनी सांक्यों लिमिटेड | 46 ,, | 40 प्रतिशत |
| 16. | सैंडोज इण्डिया लिमिटेड | 60.14 ,, | कम्पनी विदेशी शेयरधारिता के विद्यमान स्तर को कायम रखते हुए कारबार कर सकती है । |
| 17. | वारनर हिन्दुस्तान लि० | 50.3 ,, | कम्पनी ऐच्छिक आधार पर 40 प्रतिशत तक तनुकरण कर रही है । |
| 18. | मै एण्ड बेकर (इण्डिया) लि० | 60 ,, | —तदैव— |
| 19. | वाइथ लैब्स लि० | 74 ,, | कम्पनी विदेशी शेयरधारिता के विद्यमान स्तर को कायम रखते हुए कारबार कर सकती है । |
| 20. | जान वाइथ एण्ड ब्रादर्स लि० | शाखा | समापन की अपेक्षा है |
| 21. | वाइथ (इण्डिया) प्रा० लि० | 100 प्रतिशत | —तदैव— |

**बिजली परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक के साथ बातचीत**

4488: **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली परियोजनाओं के लिए सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन बिजली परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) हाल में नवम्बर, 1981 में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को रामगुंडम तापीय विद्युत परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार के लिए 30 करोड़ अमेरिका डालर के एक ऋण के वास्ते विश्व बैंक के साथ बातचीत पूरी हो गई है। किन्तु विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड द्वारा अभी इस ऋण का अनुमोदन किया जाना है।

(ख) विश्व बैंक समूह की सहायता से निष्पादित की जा रही मौजूदा विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुबन्ध में दी गई परियोजनाओं के अलावा विश्व बैंक से संबद्ध उदार शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने 7 जुलाई, 1981 को कोर्बा तापीय विद्युत परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार के वास्ते 40.00करोड़ अमेरिकी डालर की एक ऋण सहायता का अनुमोदन कर दिया है। इस करारों पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

**विवरण**

(लोकसभा आतारंकित प्रश्न संख्या 4488 के उत्तर के सम्बन्ध में)

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | ऋण/उधार की राशि | करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | चौथी विद्युत पारेषण परियोजना | 15.00 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ | 22.1.76 |
| 2- | सिंगरौली सुपर तापीय विद्युत परियोजना | 15.00 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ | 1.4.77 |
| 3. | कोर्बा सुपर तापीय विद्युत परियोजना | 20.00 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ | 12.5.78 |
| 4. | तीसरी ट्राम्बे तापीय विद्युत परियोजना | 10.5 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक | 19.6.78 |
| 5. | रायगुंडम सुपर तापीय विद्युत परियोजना | 20.00 करोड़ डालर | 2.2.79 (जारी···) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | रायगुडम सुपर तापीय विद्युत परियोजना | 5.0 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक | 2.2.79 |
| 7. | दूसरी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परियोजना | 17.5 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ | 21.6.79 |
| 8. | दूसरी सिंगरौली सुपर तापीय विद्युत परियोजना | 30.0 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ | 5.6.80 |
| 9. | फरक्का सुपर तापीय विद्युत परियोजना | 22.5 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ | 11.7.80 |
| 10. | फरक्का सुपर तापीय विद्युत परियोजना | 2.5 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक | 11.7.80 |

**शीर्ष अधिकारी के बिना राज्य व्यापार निगम**

4489. **श्री सुबोध सेन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि राज्य व्यापार निगम में अभी भी शीर्ष अधिकारी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) तथा (ख) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम के पद का अतिरिक्त कार्यभार तब तक के लिये संभाले हुए हैं जब तक कि उस पद के लिये एक पूर्णकालिक पदधारी की नियुक्ति न हो ।

**राजस्थान में उन पर आधारित संयंत्र**

4490. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में उन पर आधारित कितने संयंत्र हैं और ऐसे कितने संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) राज्य में, जिलावार कितनी मात्रा में ऊन उपलब्ध है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30 ऊनी एककों के पास भारत सरकार/वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स/परमिट हैं । राजस्थान में भविष्य में स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) ऊन को जिलावार उपलब्धता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, राजस्थान की महत्वपूर्ण मंडियों में बिक्री के लिये ऊन की आवक से सम्बन्धित जानकारी निम्नोक्त प्रकार है:—

(मिलियन किलोग्राम में)

| | 1979-80 | 1980-81 (नौ महीने) |
|---|---|---|
| बीकानेर | 7.7 | 7.9 |
| व्यावर | 3.1 | 2.1 |
| केकरी | 1.0 | 2.1 |
| सीकर | 0.5 | 0.4 |
| शिवगंज | 0.3 | 0.3 |
| जोधपुर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| बाढ़मेर | 1.3 | 1.8 |
| अन्य | 1.0 | 1.9 |
| योग | 14.9 | 15.5 |

(बीकानेर के लिये 1980-81 के आंकड़े फरवरी 1981 तक हैं। जैसलमेर में प्रति वर्ष 0.5 मिलियन किलोग्राम कच्ची ऊन का उत्पादन होता है किन्तु वहाँ कोई मण्डी नहीं है।

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम को निगम के अधिकारियों के साथ कपड़ा उद्योगपतियों की सांठगांठ के कारण हानि**

4491. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्तु निगम की दुकानों के माध्यम से बेचे गये कपड़े का मूल्य उन की तुलना में, जिन पर कि व्यापारियों को कपड़ा सप्लाई किया जाता हैं, अधिक हैं ; यदि हां, तो मूल्यों में इस अन्तर के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निगम के अधिकारियों के साथ टैक्सटाइल उद्योगपतियों की सांठगांठ से निगम के व्यापार में घाटा हो रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा निगम को अब तक कुल कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)**: (क) एन० टी० सी० शो रूमों के माध्यम से बिकने वाले कपड़े की कीमत उस दर से अपेक्षाकृत ऊंची होती हैं जिस पर डीलर को कपड़े की सप्लाई की जाती है क्योंकि डीलर को आवश्यक तौर पर अपने व्यय तथा न्यायोचित मार्जिन पूरे करने होते हैं।

(ख) सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं लाया गया है।

(ग) 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार निगम में सरकार की इक्विटी सहभागिता 190-9 करोड़ रु० थी और इसके अलावा सरकार ने निगम को ऋण के रूप में 265.75 करोड़ रु० अग्रिम भी दिया है।

## छठी योजना के दौरान कच्चे रेशम का उत्पादन

4492. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : छठी योजनावधि के दौरान कच्चे रेशम के उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : कच्चे रेशम के सम्बन्ध में छठी योजना का लक्ष्य उत्पादन का 1980-81 में 4800 टन से बढ़कर 1984-85 तक 9000 मी० टन करना है। राज्य योजनाओं में 136 करोड़ रु० का तथा केन्द्रीय योजनाओं में 31 करोड़ रु० का कुल प्रावधान किया गया है। कर्नाटक में 80 करोड़ रु० के परिव्यय से एक विश्व बैंक योजना कार्यान्वित की जा रही है कार्यान्वयन अधीन योजना में शामिल है : अनुसंधान तथा विकास सहायता, शहतूत की कलियों की सप्लाई, प्रशिक्षण केन्द्र, विस्तार कार्य, बढ़िया किस्म के बीजों की सप्लाई, कीट नियन्त्रण उपाय आदि।

## दिल्ली पर्यटन विकास निगम के आई० एम० एफ० एल० डिवीजन में कार्य कर रहे व्यक्ति

4493. **श्री बाल कृष्ण वासनिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पर्यटन विकास निगम के आई० एम० एफ० एल० डिवीजन में, कार्य कर रहे व्यक्तियों की पद-वार कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी के वेतनमान क्या हैं; और

(ख) उपर्युक्त निगम द्वारा उपर्युक्त श्रेणियों के अपने कर्मचारियों को अन्य लाभ दिये जा रहे हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)**: (क) दिल्ली पर्यटन विकास निगम के आई० एम० एफ० एल० डिवीजन में कुल 260 व्यक्ति काम करते हैं। पदनाम-वार ब्यौरा उनके वेतन सहित नीचे दर्शाए गए हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. मैनेजर मार्केटिंग | 1 | डी० एन०ए स० आई० सी० आफीसर जो दिल्ली प्रशासन से 650-1200 के वेतन मान में प्रतिनियुक्ति पर हैं। |
| 2. प्रशासन अधिकारी (एरिया) | 1 | 1135/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 3. एरिया अधिकारी | 1 | 1035/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 4. शाप मैनेजर | 13 | 1000/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 5. सीनियर सेल्समैन | 9 | 775/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 6. कार्यालय अधीक्षक | 1 | 1035/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 7. उपलेखा अधिकारी | 1 | 800/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |

(जारी.....)

| | | |
|---|---|---|
| 8. लेखा सहायक | 82 | 575/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 9. स्टोर कीपर | 4 | 575/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 10. स्टेनो टाइपिस्ट | 1 | 575/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 11. जूनियर सेल्समैन | 49 | 525/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 12. हैल्पर्स | 92 | 350/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 13. सिक्युरिटी गार्ड | 4 | 350/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |
| 14. क्लर्क ट्रेनी | 1 | 350/-रु० प्रतिमास कंसोलिडेटेड |

(ख) निगम के स्टाफ सदस्यों को वेतन के अतिरिक्त निम्नलिखित लाभ भी दिए जाते हैं;

(i) **नियत चिकित्सा भत्ता**

| | |
|---|---|
| नियमित कर्मचारी | 200/-रु० त्रमासिक रूप से |
| तदर्थ कर्मचारी | 125/-रु० त्रैमासिक रूप से |

(ii) वर्दियां

(iii) स्टाक वैलफेयर स्कीम के अधीन दिन में दो बार चाय

(iv) केवल शराब की दुकानों पर तैनात कर्मचारियों के लिए ड्यूटी एलाउंस भी स्वीकार्य है।

**हाई ड्यूटी एलाउंस की दर**

| | |
|---|---|
| 1. शाप मैनेजर | 35/-रु० प्रतिमास |
| 2. सेल्समैन, एकाउंटस असिस्टेंट | 25/-रु० प्रतिमास |
| 3. हैल्पर्स | 10/-रु० प्रतिमास |

**रिक्शाचालकों को दिये गये ऋणों का बट्टे खाते डाला जाना**

4495. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार रिक्शाचालकों को दिये गये ऋणों में से 50 प्रतिशत ऋणों का उत्तरदायित्व लेने को तैयार थी और उसने इन रिक्शाचालकों को राहत देने के लिए शेष ऋण को बट्टे खाते डालने हेतु सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर ब्यौरे सहित सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) और (ख) राज्य सरकार ने 2400 रुपये तक की वार्षिक आय वाले भूमिहीन व्यक्तियों, छोटे और सीमान्तिक किसानों और छोटे व्यापारियों तथा कारीगरों के बारे में बैंक ऋणों को बट्टे खाते डाल देने के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे हैं किन्तु इनमें विशेष रूप से रिक्शाचालकों का उल्लेख नहीं किया गया है। अलबत्ता, राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उसका विचार सभी रिक्शाओं का उनके 50 प्रतिशत पुस्तकों मूल्य

पर अधिग्रहण करने का है और उसने केन्द्रीय सरकार का से नहीं बल्कि बैंकों से 20 नवम्बर, 1981 को तदनुसार अनुरोध किया है। केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऋणों को सामान्यत: अथवा बड़े पैमाने पर बट्टे खाते डालने से ऋणों की वापसी के वातावरण, वित्तीय संस्थाओं के स्वास्थ्य और उनके द्वारा ऋण में दी गयी राशि को आदान-प्रदान के चक्र में पुन: डालने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

**धातु तथा खनिज व्यापार निगम के विशाखापत्तनम् क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ली गई स्थानान्तर और दौरा यात्रा भत्ता अग्रिम राशि**

4496. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) विशाखापत्तनम् क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तिम लेखों में धातु तथा खनिज व्यापार निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर बकाया स्थानांतरण तथा दौरा यात्रा भत्ता का अग्रिम वर्ष 1980-81 के लिए (मदवार) राशि क्या है;

(ख) 1 अप्रैल, 1978 से 12 महीने से अधिक समय से नियमित होने के लिए उपर्युक्त (क) की बकाया राशि को वर्षवार मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के यात्रा भत्तों सम्बन्धी नियमों के अनुसार इन राशियों के बकाया पड़े रहने की अनुमति है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे असाधारण विलम्ब का (मदवार) क्या औचित्य है; और

(ङ) ऐसे मामलों के विरुद्ध खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली तथा विशाखापत्तनम के प्रबन्धकों द्वारा (मदवार) क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :** (क) विवरण संलग्न के अनुसार।

(ख) 1933 रु०

(1978-79 — 1783 रु०)
(1980-81 — 150 रु०)

150 रु० की राशि इस बीच समायोजित की जा चुकी है।

(ग) भारत सरकार के नियम एम० एम० टी० सी० के मामले में लागू नहीं होते। एम० एम० टी० सी० के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है।

(घ) तथा (ङ) 1783.00 रु० के मामले में विलम्ब कर्मचारी द्वारा कुछेक अभ्यावेदन दिये जाने के कारण हुआ है जिन पर इस समय प्रबन्धकों द्वारा विचार किया जा रहा है।

## विवरण

| क्र० सं० | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | भुगतान की तारीख | राशि | वसूली/निपटान की तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री के० पी० राव | 26-3-81 | 521.00 | बिल का निपटान जुलाई, 1981 में किया गया । | |
| 2. | श्री के० नरसिंह राव | 31-3-81 | 297.00 | बिल का निपटान अप्रैल, 1981 में किया गया । | |
| 3. | श्री बी० मानिक्याला राव | 28-3-81 | 1,140.00 | बिल का निपटान मई, 1981 में किया गया । | स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का भुगतान आर० ओ० मद्रास द्वारा किया गया । |
| 4. | श्री ए० ई० सी० विद्यासागर | 24-10-80 | 950.00 | — | राशि बकाया थी क्योंकि संबंधित व्यक्ति 23-10-80 से 20-9-81 तक की लम्बी छुट्टी पर था । |
| 5. | श्री एन० सी० जोशी | 12-3-81 | 53.40 | वसूली जुलाई, 81 में हुई | |
| 6. | श्री एन० बी रमन | 15-12-80 | 151.40 | वसूली मई, 1981 में हुई । | |
| 7. | श्री डी० वी० चलपति | | 862.70 | वसूली मई, 1981 में हुई । | |
| 8. | श्री थामस फ्राँसीस | 21-6-80 | 7.40 | वसूली मई, 1981 में हुई । | |
| 9. | श्री सी० एच० बी० जोगा राव | जनवरी, 81 | 92.15 | वसूली अक्तूबर, 81 में हुई । | |
| 10. | श्री पी० पप्पा राव | मार्च, 81 | 61.00 | वसूली जुलाई, 81 में हुई । | |
| 11. | श्री वी० प्राशकर राव | अक्तूबर,80 | 10.05 | वसूली जुलाई, 81 में हुई । | |

(जारी···)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | श्री एस० के० चक्रवर्ती | 30-6-80 | 12.45 | वसूली जुलाई, 81 में हुई। | स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का भुगतान आर० ओ० कलकत्ता द्वारा टी० एम० संख्या सी० /81 दिनांक 30-6-81 के अधीन किया गया। |
| 13. | श्री डी० सांबा शिव राव | 1980 | 75.00 | जून, 81 | राज्य में चुनाव सम्बन्धी कार्य के लिए कर्मचारियों को अग्रिम राशि। |
| 14. | श्री वी० कामेश्वर राव | 1980 | 75.00 | जून, 81 | |
| 15. | श्री एन० सी० जोशी | 1978 | 1,783.00 | | चूंकि एक वर्ष की अनुमेय समय सीमा के बाद समय में छूट देने का निर्णय मुख्यालय लम्बित है, अतः श्री एन० सी० जोशी के परिवार के लिए 1783.00 रु० की स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अग्रिम राशि के सम्बन्ध में उनका दावा 1978 से बकाया है। |

**बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा ऋण पत्रों का जारी किया जाना**

4497. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त पूंजी बढ़ाने के लिए अभी हाल में कुछ बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा ऋण पत्र जारी करने की होड़ लगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा खुले आम जनता को ऐसे ऋण-पत्र आवंटित करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कम्पनियों द्वारा अपने-अपने मानदण्ड और इच्छानुसार ऐसे ऋण-पत्र आवंटित किए जाते हैं, सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या एकाधिकार और व्यापारिक अवरोधक अधिनियम से सम्बन्धित कुछ कम्पनियों द्वारा जारी किए गये ऋण-पत्रों को सरकारी प्रतिभूति के बतौर घोषित किया गया; यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए ऋण-पत्र जारी करने के मामले में वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार ने जनता को ऋण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी की एक प्रति संलग्न है।

**[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3135/81]**

(ग( इनमें से कोई भी ऋण-पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रतिभूति (पब्लिक सिक्यूरिटी) घोषित नहीं किया गया है।

**विशाखापत्तनम स्थित खनिज तथा धातु व्यापार निगम में स्थानीय टेलीफोन काल पर आने वाला खर्च**

4498. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तमन स्थित धातु तथा खनिज व्यापार निगम का प्रबन्ध मंडल रिहायशी टेलीफोनों के सम्बन्ध में स्थानीय कौल प्रभारों की खर्चे में डालते समय मुख्य कार्यालय द्वारा जारी किए गए टेलीफोन सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन कर रहा है।

(ख) क्या टेलीफोन नियमों में अधिकतम सीमा और प्रत्येक मामले में निर्धारित संख्या से अधिक स्थानीय कालों को नियमित करने के लिए सूक्षम प्राधिकारी की निर्धारित है;

(ग) निर्धारित संख्या से अधिक कालों का ब्यौरा क्या हैं; और 1-4-1977 से अब तक (वर्षवार और टेलीफोनवार) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों की ओर से कितना भुगतान किया है;

(घ) क्या 1-4-1977 से अब तक (वर्षवार और टेलीफोनवार) इन राशियों को सूक्षम प्राधिकारियों के आदेश से टेलीफोन नियमों के अनुसार नियमित किया गया है; और

(ङ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, विशाखापत्तनम् के महाप्रबन्धक के मामले में टेलीफोन नियमों के अनुसार खर्च को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन हैं और क्या ऐसे प्रत्येक अवसर पर ऐसे अधिकारी की स्वीकृति ले ली गई थी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी हां, ।

(ख) 1971 में आवासीय टेलीफोन कालों की अधिकतम सीमा संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धकों के औहदे तथा उससे नीचे के औहदे के अधिकारियों के लिए 1500 काल प्रति तिमाही तथा प्रभागीय प्रबन्धकों तथा उससे ऊपर के औहदे के अधिकारियों के लिए 2500 काल निर्धारित की गई थी, इसमें डाक तथा तार विभाग द्वारा फ्री काल के लिए दी गई अनुमति शामिल नहीं है। प्रत्येक मामले में निर्धारित स्थानीय काल विलों का मूल्यांकन करने के लिए सूक्षम अधिकारी विशाखापत्तनम् स्थित खनिज तथा धातु व्यापार निगम के महाप्रबन्धक हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) : ये राशियां सूक्षम प्राधिकारी, विशाखापत्तनम् स्थित खनिज तथा धातु व्यापार निगम के महाप्रबन्धक के अनुमोदन से कार्यालय के टेलीफोन खाते में नामे डाल दी गई हैं।

## विवरण

| वर्ष | फोन सं० | अधिक काल | भुगतान की गई राशि रु० |
|---|---|---|---|
| 1977-78 | — | — | शून्य |
| 1978-79 | 3810 | 7490 | 2247.00 |
| 1979-80 | 3810 | 24190 | 8499.00 |
| | 5118 | 1571 | 628.50 |
| | 3691 | 11387 | 4557.00 |
| | 2779 | 510 | 294.00 |
| 1980-81 | 2779 | 2090 | 835.00 |
| | 3810 | 1330 | 532.00 |
| | 5118 | 2130 | 852.00 |
| 1981-82 | 2779 | 2640 | 1056.00 |
| | 3810 | 1550 | 620.00 |
| (1981 तक) | 5118 | 1030 | 412.00 |

**सरकार क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात की अपनी मांगों का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के कलकत्ता और शाखा प्रबन्धकों के पास पंजीयन करवाना**

4499. **श्री के० लकप्पा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने विभिन्न इस्पात सामग्री की अपनी मांगों का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के शाखा प्रबन्धक, कलकत्ता (मुख्य उत्पादक शाखा) और शाखा प्रबन्धक, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० हावड़ा के पास पंजीयन करवाया है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर सरकारी उपक्रमों को जिन्होंने 31 अक्तूबर, 1981 को समाप्त होने वाले गत छः महीनों के दौरान अपनी मांगों का पंजीयन करवाया था, को अभी तक कोई सामग्री नहीं दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें सामग्री शीघ्र सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) वितरण के वर्तमान मार्ग-दर्शी-सिद्धान्तों के अनुसार श्रेणी "ए" और श्रेणी "बी" के सरकारी उपक्रमों की आवश्यकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाती हैं। श्रेणी "ए" के उपक्रमों की मांगें उनके अपने-अपने केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त संयंत्र समिति के पास पंजीकृत कराई जाती हैं।

श्रेणी "बी" अन्तर्गत आने वाले उपक्रम अपनी मांगें सीधे सेल के केन्द्रीय विपणन संगठन के शाखा कार्यालयों में पंजीकृत कराते हैं। ऐसे उपक्रमों की कुल संख्या 27 है जिन्होंने अपनी मांगें सेल के कलकत्ता और हावड़ा की शाखाओं में पंजीकृत कराई हैं। इन उपक्रमों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

| क्रम संख्या | पार्टी का नाम |
|---|---|
| 1. | मेसर्स एन्ड्यू यूले एण्ड कम्पनी लि० |
| 2. | वीको लौरी (ई०) लि० |
| 3. | बर्तानियां इंजीनियरिंग कम्पनी लि० |
| 4. | सेन्ट्रल इग्लैण्ड वाटर ट्रांस्पोर्ट |
| 5. | कलकत्ता स्टेट ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन |
| 6. | नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि० |
| 7. | इण्डियन डेरी कारपोरेशन |
| 8. | नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन |

(जारी···)

9. कलकत्ता ट्रोम्बे कम्पनी लि०
10. दुर्गापुर कैमिकल्स लि०
11. कारपोरेशन आफ कलकत्ता ।
12. शालीमार वर्क्स (1980) लि०
13. नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि०
14. बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लि०
15. साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
16. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०
17. वेस्ट बंगाल इसंशियल कोमुडिटीज सप्लाई कारपोरेशन लि०
18. हुगली डोकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि०
19. वेस्टिंग हाउस सेक्सवी फार्मर लि०
20. हिन्दुस्तान कॉपर लि०
21. भारतीय जीवन बीमा निगम
22. रीहैवि लिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
23. नेशनल आयरन एण्ड कम्पनी लि०
24. लगन जूट मशीनरी कम्पनी लि०
25. एन० एस० आई० सी०
26. नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लि०
27. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, सिक्किम

(ख) कलकत्ता तथा हावड़ा की शाखाओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कहना ठीक न होगा कि अभी तक उन्होंने कोई सामग्री नहीं दी है । मंत्रालय में भी इस बारे में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा माल जब्त किया जाना**

4500. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
**श्री सूरज भान** } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्त्तन निदेशालय ने अक्तूबर और नवम्बर, 1981 में ऐसे अनेक दस्तावेज और धन पकड़ा है जिन्हें प्राय: पाकिस्तान और कुछ पश्चिम ऐशियाई देशों को धन भेजने के लिए किए जाने वाले सौदे (हवाला) के नाम से पुकारा जाता है, जिससे अवध प्रतिपूर्ति भुगतान का पता चलता है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सम्बन्धित देशों के नाम क्या है और इसमें भारत में लिप्त लोगों के नाम और पते क्या हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) और (ख) अक्तूबर और नवम्बर, 1981 के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय ने बम्बई में ऐसे व्यक्तियों के कुछेक परिसरों की तलाशियां लीं जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता था कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच धन के अन्तरण का काम करते हैं। उक्त तलाशियों के परिणामतः, दस्तावेजों के अलावा 923/– अमरीकी डालर, 1,67,416 सऊदी-अरब रियाल और 550/– पाकिस्तानी रुपए और 19,09,280/– रुपए की भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी।

अक्तूबर-नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान, हवाला-लेन-देन द्वारा धन को भारत से पश्चिम जर्मनी भेजे जाने का कोई मामला उक्त निदेशालय की जानकारी में नहीं आया है।

जांच-कार्य अभी जारी है। इस मामले में ग्रस्त व्यक्तियों के नाम और पतों को फिलहाल प्रकट करना मामले की प्रभावकारी जांच के हित में कालोचित नहीं होगा।

**खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उद्योग विशेषकर लघु एककों को ताम्बा सप्लाई न करने का प्रभाव**

4501. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ताम्बा सप्लाई न किए जाने का उद्योग विशेषकर लघु एककों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) उद्योग की सामग्री सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम लघु एककों सहित उद्योग को तांबे की पर्याप्त सप्लाइयों की पेशकश करता रहा है। सितम्बर/अक्तूबर, 1981 में एक अस्थायी अवरोध आया जबकि बम्बई पत्तन पर भीड़भाड़ के कारण आयातित कार्गो के प्रवाह में विलम्ब हुआ था। नवम्बर से स्थिति में सुधार हुआ है और उद्योग को सप्लाइयों की समस्याओं का समाधान हो गया है।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अब उद्योग को तांबे की सुगम सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी गोदामों में पर्याप्त स्टाकों का प्रबन्ध कर लिया है।

**अभ्रक की मांग में कमी होना**

4502. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक की मांग में कमी होने के क्या कारण हैं यद्यपि विश्व व्यापार से अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों का लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यापार होने का पता चलता है;

(ख) क्या यह सच है कि सरणीकरण के कारण परिष्कृत अभ्रक के निर्यात में गिरावट आई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं और इस पर काबू पाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) सरणीकरण के कारण संसाधित अभ्रक की माँग में न तो गिरावट आई है और न ही उसके निर्यात में कमी आई है। यह नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट हो जाएगा :—

| वर्ष | मात्रा (हजार मे० टन) | मूल्य (करोड़ रु०) |
|---|---|---|
| 1976-77 | 14.43 | 17.67 |
| 1977-78 | 14.91 | 18.75 |
| 1978-79 | 14.67 | 19.23 |
| 1979-80 | 16.80 | 23.04 |
| 1980-81 | 16.32 | 21.60 |

1980-81 में मार्जिनल कमी 1981-82 के दौरान होने वाली वृद्धि से भी पूरी न होने की सम्भावना है। चालू वर्ष के दौरान नवम्बर तक निर्यातों का मूल्य 18.99 करोड़ रु० तक पहले ही पहुंच चुका है जबकि 1980-81 के दौरान तत्सम्बन्धी आंकड़े 13.19 करोड़ रु० थे। अभ्रक व्यापार निगम एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम इस वस्तु के निर्यात के माध्यम से आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न अभ्रक उत्पादों के लिए फैब्रिकेशन तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।

**जबलपुर में "धुआंधार" जलप्रपात और मेडाघाट के प्रति विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना**

4503. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर स्थित देश के प्रसिद्ध जल प्रपात "धुआंधार" और सुन्दर स्थान मेडाघाट की ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : धुआंधार जल-प्रपात और मेडाघाट में मार्बल राक्स की ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभी तक कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। तथापि, धुआंधार जल-प्रपात और मेड़ाघाट की मार्बल राक्स के बारे में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा जबलपुर-कान्हा-अमरकंटक-पचमढ़ी पर प्रकाशित निर्देशिका में सूचना दी गई है, जिसे पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में व्यापक रूप से सर्कुलेट किया जाता है।

केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से पर्यटक आधारिक संरचना का विकास करने के लिए मध्य प्रदेश में निर्धारित यात्रा परिपथों में से एक यात्रा परिपथ में जबलपुर को भी शामिल किया गया है।

राज्य सरकार ने पहले से ही पर्यटक सुख-सुविधाएं प्रदान की हैं और उसका छठी योजना के दौरान इन स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों, प्रधान रूप से स्वदेशी पर्यटकों के लिए धुआं-धार जलप्रपात और मेड़ाघाट दोनों ही स्थानों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

**निवेश करने के प्रयोजन से भारतीय उद्यमियों को उगाँडा का आमन्त्रण**

4504. **श्री एस० बी० सिदनाल**
**श्री आर० एन० राकेश** } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उगांडा के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने भारत दौरे के समय, भारतीय समुदाय द्वारा दिये गये अंशदानों की प्रशंसा करते हुए, भारतीय उद्यमियों से उस देश में निवेश करने हेतु आमन्त्रित किया था;

(ख) क्या उगांडा में भारतीय निवेशों के बारे में कोई नीति तैयार कर ली गई है; और

(ग) क्या निवेश हेतु, क्षेत्रों का चुनाव कर लिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) जी हां। उगांडा के राष्ट्रपति की भारत की हाल की यात्रा के दौरान उगांडा प्रतिनिधिमण्डल ने भारतीय उद्यमियों को उगांडा में निवेश करने हेतु आमन्त्रित किया। उगांडा सरकार ने उगांडा में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है। उगांडा वालों ने पुनर्स्थापन के लिए अनेक उद्योगों का पता लगाया है जैसे सिरेमिक, कागज, चीनी, इंजीनियरिंग तथा केवल्स, क्लप बोर्ड, साबुन तथा तेल, उर्वरक, खाद्य तेल, लघु उद्योग अर्थात् कंटेनर ग्लास पैकेजिंग, निर्यात हेतु पल्प एकक, जूते, ड्राई सैल, मोटर गाड़ियों की बैटरियां, मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूबें, कृषि आधारित आदि ।

**दक्षिण अफ्रीका के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं का व्यापार**

4505. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाएं देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए जातिभेदी दक्षिण अफ्रीका से व्यापार बन्द करने के बारे में आंखें मूंदे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये शाखायें सरकार की नीति के ही अनुसार ऐसा कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए ऐसी नीति का औचित्य क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी मामले के बारे में जांच करने के आदेश दे रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (ङ) दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में कूटनीतिक और अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार एक स्थिर नीति का अनुपालन कर रही है। जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं विदेशों में हैं उनके द्वारा पालन करने के लिए उचित मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने की सलाह रिजर्व बैंक को दी गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस नीति का कोई उल्लंघन न हो। यदि संकलित की जा रही सूचना के आधार पर विदेश में कार्यरत किसी शाखा विशेष के किसी कारबार में कोई आपत्तिजनक बात पाई गई तो उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

**भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हंगरी द्वारा वस्तुओं का प्रदर्शन**

4506. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी ने अपने तैयार माल और मशीनों का भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शन करके बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में प्रवेश पाने का प्रयास किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय उपभोक्ता वस्तुएं हंगरी में बहुत लोकप्रिय हैं;

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन दोनों देशों के बीच कोई संयुक्त प्रयास या निकट सहयोग हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) हंगरी ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 598 वर्ग मीटर का पर्याप्त स्थान बुक किया।

(ख) भारतीय उपभोक्ता माल हंगरी में लोकप्रिय बन रहा है।

(ग) 1980 में हंगरी को होने वाले भारत के निर्यातों में मुख्य रूप से उपभोक्ता माल शामिल थे : जैसे जूते, होजरी, सिले सिलाये परिधान, वस्त्र, चमड़े के जैकेट, प्रसाधन सामग्री, पहले से रिकार्ड किये गये कैसेट, ट्रांजिस्टर रेडियो तथा टेप रिकार्ड।

(घ) हंगरी के सहयोग से भारत में 24 संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ये परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में हैं, जैसे थर्मल तथा हाइडल पावर स्टेशन, बिजली के लैम्पों के वैक्यूम प्रौद्योगिक, औषधियां, रसायन तथा भेषजीय पदार्थ, बिजली के उपस्कर, खनन मशीनरी आदि।

**गुजरात और पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग में कर्मचारियो और अधिकारियों की संख्या**

4507 **श्री दिग्विजय सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्य मानदण्ड के आधार पर गुजरात के आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बंगला के आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के मुकाबले लगभग 1/3 है;

(ख) क्या दिल्ली, तमिलनाडु तथा बम्बई जैसे अन्य राज्यों के आयकर विभागों की तुलना में भी यही स्थिति है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उसे आयकर,विभाग के कर्मचारियों के मामले में अन्य राज्यों के बराबर किया जा सके ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**निर्यात के लिये औद्योगिक माल के अंश में वृद्धि**

4508. **श्री ईरा अनाबारासु : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक माल के निर्यात से हमारी आय में कमी हो रही है जिस कारण कृषि वस्तुओं का निर्यात आवश्यक हो गया है जिनकी देश में पहले ही कम सप्लाई है ; और

(ख) क्या सरकार का निर्यात हेतु औद्योगिक माल में अपने हिस्से में वृद्धि करने की सभी संभावनाओं का पता लगाने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी नहीं। गत 20 वर्षों के दौरान विनिर्मित माल से निर्यात आय में सार्थक वृद्धि दर्शायी है। तेल की कीमतों में भारी वृद्धि की प्रमुख वजह से, बढ़ते हुए व्यापार घाटे ने यह आवश्यक कर दिया है कि सभी सम्भव निर्यातों में, जिनमें कृषि आधारित उत्पाद भी शामिल हैं, वृद्धि की जाए। तथापि, निर्यातों को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि देश में अनिवार्य रूप से आवश्यक वस्तुओं के अनियमित निर्यातों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो।

(ख) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विनिर्मित माल के निर्यात प्रतिवर्ष मात्रा के रूप में कुछ 9 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में अधिक ऊंची दर से बढ़ेंगे।

**भुवनेश्वर के धौली के पास जापानी शैली की सराय (इन)**

4509. **श्री रास बिहारी बहेरा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जापानी समूह (होक्के क्लब) ने भुवनेश्वर, उड़ीसा के धौली के पास जापानी शैली की एक सराय का निर्माण करने के लिए मंजूरी मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी योजनायें क्या हैं तथा वे कितना निवेश करेंगे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) भारतीय होटल निगम तथा जापान की मैसर्स होक्के क्लब ने इस विषय में बातचीत की है। मामले पर विचार किया जा रहा है और अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नये उद्यमियों को पूंजी की सहायता**

4510. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्यमियों को पूंजी की सहायता देता है;

(क) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1980-81 में और चालू वर्ष में अब तक कितने नये उद्यमियों को यह सहायता दी गई है; और

(घ) प्रत्येक मामले से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नए उद्यमियों को सीड पूंजी सहायता प्रदान करता है। इस समय यह योजना 25 अधिसूचित राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एस० आई० डी० सी०) के माध्यम से और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रत्यक्षतः संचालित की जाती है। यह योजना उन नए उद्यमियों की मदद के लिए है जिनके पास आवश्यक उद्यमीय क्षमता है लेकिन नए उद्योग स्थापित करने के वास्ते आवश्यक संसाधन नहीं हैं।

(ग) 1980-81 (जुलाई-जून) के दौरान 45 नए उद्यमियों को और 1981 (जुलाई-सितम्बर) के दौरान 18 नए उद्यमियों को यह सुविधा प्राप्त हुई।

(घ) सीड-पूंजी योजना के अधीन दी गई स्वीकृतियों के उद्यमवार ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संचालित सीड पूंजी योजना के अधीन वर्ष 1980-81 (जुलाई-जून) और 1981 (जुलाई-सितम्बर) के दौरान नए उद्यमियों को स्वीकृत तथा संवितरित की गई सहायताओं के एस० आई० डी० सी०/एस० आई० आई० सी० वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

## विवरण

(लाख रुपए)

| एस०आई०डी०सी० का नाम | 1980-81 (जुलाई-जून) | | | 1981 (जुलाई-सितम्बर) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एककों की संख्या | स्वीकृतियां | संवितरण | एककों की संख्या | स्वीकृतियां | संवितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ए०पी०आई०डी०सी० (अ० प्र०) | 4 | 17.85 | 6.31 | 1 | 5.54 | 1.00 |
| 2. ए०आई०डी०सी० (असम) | – | – | – | – | – | – |
| 3. बी०एस०सी०आई०सी० (बिहार) | 3 | 13.15 | – | 1 | 5.80 | – |
| 4. ई०डी०सी० (गोवा) | – | – | – | – | – | 1.56 |
| 5. जी०आई०आई०सी० (गुजरात) | 4 | 25.25 | 2.00 | 1 | 5.00 | – |
| 6. एच०एस०आई०डी०सी० (हरियाणा) | 1 | 2.23 | – | – | – | – |
| 7. एच०पी०एम०आई०डी०सी० (एच०पी०) | 4 | 18.22 | 5.42 | – | – | 0.69 |
| 8. आई०पी०आई०सी०ओ०एल० (उड़ीसा) | 1 | 3.00 | 1.70 | 1 | 5.00 | – |
| 9. जे० एंड के०एस०आई० डी० सी० (जम्मू) | – | – | – | – | – | – |
| 10. के०एस०आई०आई०डी०सी० (कर्नाटक) | 2 | 12.20 | 11.30 | 1 | 2.85 | 12.20 |
| 11. के०एस०आई०डी०सी० (केरल) | – | – | 2.25 | – | – | – |
| 12. एम०पी०ए०बी०एन० (एम० पी०) | 1 | 3.00 | 2-43 | – | – | – |
| 13. एम०आई०डी०सी० (मेघालय) | – | – | – | – | – | – |
| 14. एन०आई०डी०सी० (नागालैंड) | – | – | – | – | – | – |

(जारी···)

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. पी०आई०पी०डी०आई०सी० (पांडिचेरी) | 2 | 1.89 | 1.85 | 3 | 1.48 | – |
| 16. पी०आई०सी०यू०पी० (यू० पी०) | 1 | 5.18 | 11.41 | – | – | – |
| 17. पी०एस०आई०डी०सी० (पंजाब) | 1 | 4.25 | 5.22 | – | – | 0.85 |
| 18. आर०आई०आई०सी०ओ० (राजस्थान) | 3 | 18.66 | 4.00 | – | – | 4.95 |
| 19. एस०आई०सी०जी०एम० (महाराष्ट्र) | 10 | 33.31 | 38.36 | 6 | 25.62 | – |
| 20. एस०आई०पी०सी०ओ०टी० (तमिलनाडु) | 6 | 33.98 | 24.60 | 2 | 7.50 | 2.30 |
| 21. डब्ल्यू०बी०आई०डी०सी० (पश्चिम बंगाल) | 1 | 5.00 | – | 1 | 6.97 | 1.50 |
| उपजोड़ | 44 | 197.17 | 116.85 | 17 | 65.76 | 24.05 |
| आई०डी०बी०आई० (प्रत्यक्ष) | 1 | 1.50 | 1.50 | 1 | 2.00 | – |
| जोड़ : | 45 | 198.67 | 118.38 | 18 | 67.76 | 24.05 |

**राज्य सरकारों द्वारा ऐश्वर्यशाली होटलों के बिलों पर विशेष कर से आय के लिये मांग**

4511. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने पर्यटन संबन्धी विकास कार्यक्रमों के लिये ऐश्वर्यशाली होटलों के बिलों पर विशेष करों से होने वाली आय की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

**अवैध रूप से बीड़ियों के उत्पादन का संगठित क्षेत्र पर प्रभाव**

4512. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि बीड़ी उत्पादक राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बीड़ियों का उत्पादन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उससे संगठित क्षेत्र में बीड़ी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

**मिश्र-धातु इस्पात संयन्त्र दुर्गापुर की स्टील मेल्टिंग शाप संख्या-1 की भट्टी का बन्द होना**

4513. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र-धातु इस्पात संयन्त्र दुर्गापुर की स्टील मेल्टिंग शाप संख्या-1 की एस० डी० टाद भट्टी को कुछ परीक्षण जांच के बाद बन्द करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इसे बन्द करने के क्या कारण हैं और इस भट्टी का भविष्य क्या है; और

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि मिश्र-धातु इस्पात संयन्त्र के प्रबन्धकों द्वारा बहुत सी अन्य मूल्यवान मशीनों और उपकरणों की मदें स्क्रैप कर दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) और (ख) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयन्त्र की स्टील मेल्टिंग शाप नम्बर-1 की 50 टन विद्युत चाप भट्टी 26 सितम्बर, 1981 को परीक्षण के तौर पर चालू की गई थी । इसकी कुछ तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए इसे 23 अक्तूबर, 1981 को बन्द करने से पूर्व इसे 16 बार गर्म किया गया था । इस भट्टी के संभारक मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राऊन बोवरी को खराबियों को दूर करने के लिए कहा गया है । परीक्षण के दौरान नए उपस्करों में इस प्रकार की त्रुटियां प्रायः पाई जाती हैं । इन खराबियों को दूर करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है ।

(ग) कोई भी मूल्यावान मशीन तथा उपस्कर बेकार नहीं हुए हैं लेकिन विकसित प्रौद्योगिकी तथा मांग के ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ मशीनें तथा उपस्कर अब अप्रचलित हो गए हैं।

**विदेश तकनीकी लोगों द्वारा वेतन, वापस अपने देशों में भेजा जाना**

4514. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय आयात कर्त्ताओं द्वारा आयातित मशीनों की स्थापना हेतु विदेशी नियोक्ता कम्पनियों से विदेशी तकनीकी कार्मिकों की सेवाओं पर जोर दिये जाने तथा उन्हें आयकर मुक्त वेतन (5000 रु० से 10,000 रु० प्रति दिन) के रूप में विपुल विदेशी मुद्रा न चली जाय, इसे सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ; और

(ख) इन विदेशी तकनीकी कार्मिकों द्वारा इस वेतन को इस समय कैसे भेजने दिया जाता है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) भारत में विदेशी तकनीशियन की नियुक्ति के प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए उसके गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है :—

(i) कि विदेशी तकनीशियन की नियुक्ति अनिवार्य है ;

(ii) कि संबन्धित तकनीकी कौशल भारत में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है ;

(iii) कि विदेशी तकनीशियन की नियुक्ति की शर्त उचित है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी नजर में ऐसा कोई है मामला नहीं आया है जिसमें किसी विदेशी तकनीशियन को 5000 रुपए से 10,000 रुपए प्रतिदिन तक कर-मुक्त वेतन दिया गया हो ।

(ख) उन मामलों में जिनमें विदेशी तकनीशियन की नियुक्ति की अनुमति दी गई है, प्राधिकृत डीलर तकनीशियन को उसकी निवल आय का 50 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 2500 रुपए मासिक तक की राशि परिवार के भरण पोषण के लिए स्वदेश भेजने दे सकते हैं । संविदा की अवधि पूरी होने पर विदेशी तकनीशियन स्वदेश लौटते समय अपनी बचत आदि भी स्वदेश ले जा सकता है ।

**उत्तर प्रदेश में रानीखेत और कोसानी में पांच स्टार होटल**

4515. **श्री हरीश चन्द्रसिंह रावत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत और कोसानी में भारतीय पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पांच स्टार होटल बनाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**राज्य व्यापार निगम तथा इसके वितरकों द्वारा चीनी का आयात**

4516. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम इस वर्ष 2,15,000 टन चीनी का आयात कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने इस मात्रा में से 25,000 टन की पहली खेप का 585 रु० प्रति क्विंटल के न्यूनतम बिक्री मूल्य पर व्यापारियों के माध्यम से वितरण करने, जो 550 से 560 रु० प्रति क्विंटल के वर्तमान मूल्य से भी ज्यादा है, का निर्णय किया है ;

(ग) क्या इससे छोटे उपभोक्ताओं पर जो व्यापारियों की दया पर निर्भर करते हैं, बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो ऐसी नीति के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष लगभग 2.15 लाख मे० टन चीनी का आयात किया ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने चीनी की 12,245.4 मे० टन की कुल मात्रा निविदा में अधिकतम बोली लगाने वाले को डिलीवर की जिसकी कीमतें 501.1 रु० से 555.2 रु० प्रति क्विन्टल के बीच थी ।

(ग) तथा (घ) चीनी की लगभग 2.02 लाख मे० टन की शेष मात्रा की सप्लाई खाद्य विभाग के अनुदेशों के अनुसार लेवी कीमतों पर, जोकि कम है, जनता में निर्धारित करने के लिए की जा रही है । इससे लघु उपभोक्ताओं के हित की रक्षा होने की संभावना है ।

**उत्तर प्रदेश के खनिज युक्त क्षेत्रों की प्रगति**

4517. **श्री राम अवध** : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न खनिज युक्त क्षेत्रों में वे स्थान कौन से हैं जहां खनिजों का पता लगाने अथवा निकालने का कार्य चल रहा है ; और

(ख) उनका तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर खनिजों का अन्वेषण खनन चल रहा है :—

| जिला | खनिजों का नाम |
|---|---|
| 1. बांदा | बौक्साइट |
| 2. पिथौरागढ़ | ताँबा-सीसा-जस्ता |
| 3. मिर्जापुर | कोयला |
| 4. मिर्जापुर | हीरा |
| 5. मिर्जापुर | डोलोमाइट |
| 6. बांदा | क्ले |
| 7. इलाहाबाद और बांदा | कांच रेत |
| 8. देहरादून, पिथौरागढ़ और मिर्जापुर | चूना पत्थर |
| 9. अलमोड़ा और पिथौरागढ़ | मैग्नेसाइट |

(जारी.....)

| | |
|---|---|
| 10. देहरादून, टिहरी और ललितपुर | फास्फोराइट |
| 11. झांसी, ललितपुर | पाइरोफिलाइट और डायस्पोर |
| 12. अलमोड़ा, पिथौरागढ़ | टंगस्टन |
| 13. अलमोड़ा और पिथौरागढ़ | टीन |
| 14. अलमोड़ा और पिथौरागढ़ | स्वर्ण |
| 15. चमोली | भूतापीय अन्वेषण |

चूना पत्थर (सीमेंट और घमन भट्टी ग्रेड) कोयला, सिलिका सैंड, मैग्नेसाइट, फास्फोराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट पाईरोफिलाइट, सेलखड़ी, डायस्पोर तथा गौण खनिज उद्योगों में उपयोग के लिए निकाले जाते हैं। निकाले गए गौण खनिजों का वार्षिक मूल्य 5.60 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा उत्तर प्रदेश में वार्षिक रूप से उत्पादित सभी खनिजों का कुल मूल्य 21 करोड़ रुपए से अधिक है।

## भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

4518. **श्री ए० नीलालोहिथाद्सन नाडर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मामले में भारत सरकार की नीति को कार्यान्वित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रबन्धकीय और गैर-प्रबन्धकीय संवर्गों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उन संवर्गों अनुसूचित जन-जाति के कुल कितने व्यक्ति हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा)** : (क) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम, सरकार द्वारा 1.1.1972 को जारी किए गए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) विविध प्रबन्धकीय और गैर प्रबन्धकीय संवर्गों में 31.3.81 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों की कुल संख्या और इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

| | जोड़ | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|---|
| प्रबन्धकीय | 520 | 34 | 7 |
| गैर-प्रबन्धकीय | 6727 | 1746 | 75 |
| | 7247 | 1780 | 82 |

**भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत**

4519. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि भारत की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था बहुत ही विकट स्थिति में है और सुझाव दिया है कि अर्थ-व्यवस्था के सभी पक्षों को अनुशासित करने तथा मुद्रा-स्फीति के दबाव को रोकने के लिए राजकोषीय तथा धन संबन्धी नीतियों की व्यापक तथा एक मुक्त योजना बनाई जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन प्रस्तुत किया है। उसी रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को अनुशासन में रखने के लिए व्यापक मौद्रिक और राजकोषीय नीति समूह को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यद्यपि रिपोर्ट के व्यक्त किये गये विचारों से सरकार प्रतिबद्ध नहीं है यद्यपि ये स्थूल रूप में आर्थिक स्थिति के संबन्ध में सरकार की अपनी ही अवधारण के अनुरूप हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थ-व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के संबन्ध में निकट संपर्क बनाए रखते हैं।

मुद्रास्फीतिकारी दबावों में कमी करने के उपायों को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दवावों को कम करने के लिए पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों में कई प्रकार के मुद्रास्फीतिरोधी उपाय शुरू किए गये हैं। इनमें से कुछ उपाय हैं : अधिक उत्पादन और आवश्यकतानुसार आयात के जरिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और मुद्रा तथा ऋण के विस्तार को कम करना। इन उपायों के फलस्वरूप, 1980 के शुरू से कृषि और उद्योग दोनों के उत्पादन में काफी वृद्धि होनी शुरू हो गई है, आधारभूत क्षेत्रों में बराबर सुधार हो रहा है और थोक मूल्य सूचकांक के रूप में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर काफी कम हो गई है।

**वाराणसी क्षेत्र में रेशम उत्पादन (कोकून) केन्द्र का विकास किया जाना**

4520. **श्री जैनुल बशर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध रेशमी धागे का आधे से ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर रेशम उत्पादन (कोकून) केन्द्र का विकास करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) यह जानकारी सही तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

(ख) से (घ) कोकून केन्द्र विकास करने हेतु ऐसा पता चला है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने 32 जिलों में रेशम उत्पादन की गतिविधियां आरम्भ की हैं, इन जिलों में से 8 पर्वतीय क्षेत्र में, 7 तराई क्षेत्र में और शेष 17 जिले उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में हैं। 1980-81 के दौरान 1.25 लाख किग्रा० शहतूती तथा 5.36 लाख किग्रा० टसर कोकून उत्पादित किये गये थे । छठी योजना के दौरान 115.00 लाख रु० के स्वीकृत परिव्यय से उत्तर प्रदेश राज्य का 36 लाख किग्रा० शहतूती कोकून, 30 लाख किग्रा० ओक टसर तथा 1101.50 लाख किग्रा० ट्रापिकल टसर कोकून के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का विचार है ।

**पुष्पक एबियशन द्वारा खाड़ी के देशों को उड़ान के लिए परमिट जारी करना**

4521. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुष्पक एबियशन, बम्बई जो एक गैर-अनुसूचित विमान चालक कम्पनी है, को समय-समय पर एयर इंडिया के द्वारा जारी किए गए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के परमिटों पर बम्बई और खाड़ी के देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ानें करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) क्या यह सच है कि पुष्पक एबियशन बम्बई को अनुसूचित विमान चालक कम्पनी की मान्यता दी गई है, इस परमिट की अब इसे आवश्यकता नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या विमान निगम अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत इसकी मान्यता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) पुष्पक एविएशन एयर इंडिया द्वारा जारी किए गए "अनापत्ति" प्रमाण-पत्र के आधार पर बम्बई से शारजाह तक जून, 1979 से अनुसूचित उड़ानें परिचालित कर रही थी । परन्तु, 10 मार्च, 1981 से पुष्पक एविएशन, एयर इंडिया की एक सहयोगी कम्पनी के रूप में, बम्बई-शारजाह बम्बई मार्ग पर सप्ताह में पांच अनुसूचित सेवाएं परिचालित कर रही है । लिहाजा एयर इंडिया से "अनापत्ति" प्रमाण-पत्र लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बम्बई-शारजाह-बम्बई सैक्टर पर मैसर्स पुष्पक एविएशन के परिचालन उसके एयर इंडिया की एक सहयोगी कंपनी होने के नाते, वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 7, उप-धारा 2, खण्ड "ज" के अन्तर्गत अनुमत हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**हवाई-अड्डों पर "डकोता" और "पोकर विमानों की मरम्मत**

4522. **श्री नीरेन घोष :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "डकोता" और "पोकर" विमानों की मरम्मत के लिए किन-किन हवाई-अड्डों पर व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर 'बोइंग" विमानों और एयरबसों की मरम्मत के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन हवाई अड्डों पर इन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था है; और

(ङ) इस काम के लिए उन हवाई-अड्डों का चुने जाने के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :** (क) डकोटा की मरम्मत के लिए इंजीनियरिंग सुविधाएं (अगस्त, 1953 में राष्ट्रीयकरण से पहले देश में परिचालन कर रही) प्राइवेट एयरलाइनों द्वारा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा हैदराबाद में स्थापित की गयी थी। कारेपोरेशन ने कलकत्ता हवाई अड्डे पर पॉकर एफ-27 विमान के रखरखाव की सुविधाएं स्थापित की थी।

(ख) और (ग) जी, हां तथापि, कलकत्ता और मद्रास में सामान्य दर्जे के संधारण कार्य की सुविधाएं हैं।

(घ) बोइंग व एयरबस विमान के रखरखाव की सुविधाएं क्रमशः पालम विमान क्षेत्र, नई दिल्ली तथा सांताक्रुज विमान क्षेत्र, बम्बई में उपलब्ध है।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में उपलब्ध चारों प्रकार के विमानों के लिए महत्वपूर्ण संधारण कार्यों के लिए हरेक प्रकार के विमान के लिए एक-एक बेस नियत किया गया है; अर्थात एयरबस के लिए बम्बई, पॉकर के लिए कलकत्ता, बोइंग के लिए दिल्ली और एच०एस-748 (एवरो) विमानों के लिए हैदराबाद इन का निर्धारण इसलिए किया गया था क्योंकि प्रत्येक नये प्रकार के विमान को इन में हरेक बेस पर उस समय उपलब्ध जनशक्ति और सामर्थ्य को दृष्टि में रखते हुए ही बेड़े में शामिल किया गया था।

**गुजरात पंचमहल के जिले में अनुसूचित बैंकों द्वारा सेवित न हुए गांव**

4523. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में पंचमहले जिले के दांहद, ढालोह, लिम्खेर्स, देवगढ़, वसिया और सन्तरामपुर तातुकों में गांवों की तालुक-वार संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त तालुकों में ऋण आदि देने के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा तालुक-वार कुल कितने गांव सेवित हैं ;

(ग) तालुक-वार ऐसे गांवों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो अनुसूचित बैंकों द्वारा सेवित नहीं हो रहे हैं ; और

(घ) शेष गांवों तक भी उक्त बैंकों की सेवायें उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) सूचना जिस रूप में मांगी गई है, रिजर्व बैंकों की सूचना प्रणाली से वह उस रूप में प्राप्त नहीं होती । उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि 30 जून, 1981 की स्थिति के मुताबिक पंचमहल जिले में वाणिज्यिक बैंकों के 72 कार्यालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कार्य कर रहे थे:—

| बैंकों के नाम | इन स्थानों पर कार्यालयों की सं० | | |
|---|---|---|---|
| | ग्रामीण केन्द्र | अर्ध-शहरी केन्द्र | जोड़ |
| भारतीय स्टेट बैंक | 6 | 9 | 15 |
| स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | — | 1 | 1 |
| इलाहाबाद बैंक | 1 | — | 1 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 26 | 9 | 35 |
| सेंट्रल बैंक आफ इंडिया | 3 | 4 | 7 |
| बैंक आफ इंडिया | — | 1 | 1 |
| देना बैंक | 4 | 3 | 7 |
| इण्डियन बैंक | — | 1 | 1 |
| यूनियन बैंक आफ इण्डिया | 2 | 2 | 4 |
| जोड़ | 42 | 30 | 72 |

इसके अतिरिक्त जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक जिले में कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास 9 प्राधिकृतियां मौजूद थीं ।

बैंकों की शाखाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे केवल उन्हीं केन्द्रों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति न करें बल्कि साथ के क्षेत्रों के गांवों की आवश्यकताओं को भी पूरा करें । यद्यपि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों के शाखाजाल को और सुदृढ़ किया जा रहा है, अर्थक्षम परिचालनों के

व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे सभी दूर-दराज के गांवों के लिए प्रत्यक्ष व्याप्ति की व्यवस्था कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे गांवों के निवासियों को भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध हों, प्राथमिक किसान कृषि ऋण समितियों, कृषक सेवा समितियों और एल० ए० एम० पी० एस० आदि के गठन और पास की बैंक शाखाओं से उनका सम्बन्ध जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

**"गवर्नमेंट इकॉलोजिकल बैलेन्स नाट टू बी सैक्रीफाइस्ड" शीर्षक समाचार**

4524. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवम्बर, 1981 के 'टाइम्स आफ इंडिया, में "गवर्नमेंट इकालाजिकल बैलेन्स नाट टू बी सेक्रीफाइस्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

यदि हां, तो यह सच है कि जस्ता, जिंक और कैडमियम सम्बन्धी त्रिदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में अपने उद्घाटन भाषण में इस्पात और खान मंत्री से सुझाव दिया था कि परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन किए जाने चाहिएं।

(ग) क्या सरकार ने जस्ता और जिंक खानों तथा प्रदालकों एवं संयंत्रों को चलाने हेतु किए गए 122 करोड़ रु० से अधिक का भारी परिव्यय बनाने का निर्णय किया है;

(घ) देश में जस्ता और जिंक अयस्क की क्षमता क्या है ; और

(ड़) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए क्या उपयु क्त भाग (घ) में उल्लिखित भण्डारों के दोहन हेतु कोई योजना तैयार की गई है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) जी, हां

(ख) खनिज उद्योग का विकास करते समय प्रदूषण की रोकथाम के लिए समुचित उपाय अपनाकर परिवेशी सन्तुलन बनाए रखने की जरूरत से सरकार अवगत है। यह सही है कि 18 से 20 नवम्बर, 1981 को नई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय सीसा, जस्ता, कैडमियम सेमिनार में इस्पात और खान मंत्री के उद्घाटन भाषण, जिसे उनकी अनुपस्थिति में सचिव, खान विभाग ने पढ़ा था, में खनन तथा धातु उद्योगों के दायरे में पर्यावरण सुधार के लिए समेकित प्रयासों द्वारा उचित परिवेशी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उचित परिवेशी संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण सुधार अध्ययन शुरू करने होंगे।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में चालू स्कीमों के लिए 70.57 करोड़ रुपए, नई स्कीमों के लिए 26.86 करोड़ रुपए, प्रतिस्थापन और नवीकरण हेतु 23.00 करोड़ रुपए तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम हेतु 2.40 करोड़ रुपए का प्रावधान है अर्थात् हिन्दुस्तान जिंक लि० को जस्ता-सीसा खानों के विकास, प्रद्रावकों और शोधन संयंत्र के लिए कुल 122.83 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

(घ) अब देश में 1.42% सीमा और 4.73% जस्ता वाले कुल 347 मि० टन सीसा-जस्ता अयस्क भंडार होने का अनुमान है।

(ड़) राजस्थान में मोचिया और वलारिया खानें हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा चलाई जाती हैं और प्रत्येक खान की 2000 टन अयस्क की दैनिक उत्पादन क्षमता है। आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बांदलामोटू (अग्निगुंडला) सीमा खान का भी प्रतिदिन 200 टन अयस्क उत्पादन के लिए विकास किया गया है, जिसे अब बढ़ाकर 240 टन दैनिक किया जा रहा है। हिन्दुस्तान जिंक लि० निम्नलिखित खानें, (प्रत्येक के सामने दी गई उत्पादन क्षमता) विकास/निर्माण के चरणों में हैं:—

(1) रायपुरा' दरीबा सीसा-जस्ता खानें (राजस्थान) 3000 टन प्रतिदिन

(2) सरगीपल्ली सीसा खानें (सुन्दरगढ़ जिला, उड़ीसा) 500 टन प्रतिदिन

(3) जावरमाला सीसा-जस्ता खानों (राजस्थान) का सीमित निकास ...400 टन प्रतिदिन

राजस्थान की बरोई सीसा खान (जिला-उदयपुर) का गवेषण 1981-82 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। हिन्दुस्तान जिंक लि० इस समय रामपुरा-अगुचा जस्ता-सीसा खान (जिला भीलवाड़ा, राजस्थान) को भी व्यापक गवेषण कर रहा है। गवेषण परिणामों की जांच के बाद इस खान के विकास के लिए साध्यता अध्ययन किया जाएगा।

दार्जिलिंग जिले (प० बंगाल) में गोरू बाथन सीमा-जस्ता निक्षेप का खनिज गवेषण निगम द्वारा गवेषण शुरू किया जा रहा है।

## दिल्ली में निर्माण कम्पनी को राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिया गया ऋण

4525. श्री रशीद मसूद
श्री मोहम्मद असरार अहमद
श्री चिरंजी लाल शर्मा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की एक निर्माण कम्पनी को दी गई लगभग 3 करोड़ रुपयों की भारी राशि जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बैंक द्वारा उस निर्माण कम्पनी को समय-समय पर दी गई धनराशि का "ब्रेक अप" बताते हुए उसका ब्यौरा क्या है तथा यह ऋण किन परिस्थितियों में किया गया था;

(ग) क्या ऋण देने से पूर्व उस कंपनी द्वारा तुलनपत्र जांच पड़ताल के लिए प्रस्तुत किया गया था यदि नहीं, तो तुलनपत्र की जांच पड़ताल किए बिना ऋण दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) निर्माण कंपनी से सरकार का किस प्रकार ऋण वसूल करने का विचार है; और

(ड़) क्या इस बीच जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (ड़) क्योंकि प्रश्न में निर्माण कंपनी और बैंक का नाम नहीं दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वह स्थिति का पता लगाए। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले कानूनों और बैंकरों में प्रचलित प्रथा और रीति-रिवाज के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों और उनके कार्य-कलाप के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है। इन सीमाओं के अधीन यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**तमिलनाडु में और अधिक हवाई-अड्डे बनाया जाना**

4526. **श्री एन० डेनिस** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में और अधिक हवाई अड्डे बनाये जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन हैं ; और

(ख) क्या कन्याकुमारी के महत्व को देखते हुए वह हवाई अड्डा बनाये जाने के लिए विचार किया गया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) कन्याकुमारी में एक विमान क्षेत्र चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र कन्या कुमारी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

**तस्करी के कारण सीमा शुल्क में होने वाली वार्षिक हानि**

4527. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तस्करी के धन्धे ने बहुत खतरनाक रूप धारण कर लिया है और वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन-विभाग के पास उसका मुकाबला करने के लिए बहुत सीमित उपाय हैं जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क का नुकसान होता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) और (ख) देश में तस्कर-आयात किये गये तथा देश से बाहर तस्कर-निर्यात किये गये माल के मूल्य अथवा तस्करी से हुई सीमाशुल्क की हानि का कोई अधिकारिक अनुमान नहीं लगाया गया है। परन्तु सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि तस्करी पर नियंत्रण बना हुआ है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, तस्करी पर काबू पाने के लिए, सरकार ने एक कार्य योजना बनाई थी। जो उपाय किये गये हैं, उनमें निवारक तथा गुप्त सूचना संघ को, विशेषकर तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों तथा तस्करी के आकर्षण वाली वस्तुओं के संदर्भ में, सुदृढ़ बनाना शामिल है।

सरकार कार्य-योजना के कार्यन्वयन से प्राप्त परिणामों की सार्वधिक आधार समाप्त करके उनका मूल्यांकन करती है ताकि आवश्यक उपचारी उपाय किये जा सकें।

**भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में**
**दिखाया गया आधारभूत ढ़ाँचे में असंतुलन**

4528. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में आधारभूत ढांचे में असंतुलन दिखाया गया है;

(ख) क्या यह असंतुलन सरकार के बाजार पर निर्भर रहने के परिणामस्वरूप है जिसके कारण राजस्व में तीव्र कमी हुई है; और

(ग) रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) से (ग) "आधारभूत ढांचे में असंतुलन" वाक्यांश भारतीय रिजर्व बैंक की 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत सरकार की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में प्रयोग किया गया है जैसी की वह पिछले तीन वर्षों में राजस्व खाते के घाटों में देखी गई है। उसमें यह कहा गया है कि बाजार पर सरकार की निर्भरता राजस्व घाटे के अधिक होने के कारण है। रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि केन्द्रीय सरकार के 1981-82 के बजट में इस प्रवृत्ति को पलटने का प्रयत्न किया गया है। किये गये उपायों में ये शामिल हैं। पट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के लिए आर्थिक मूल्य वसूल करना, अनिवार्य जमा की दर में वृद्धि और कानूनी नकदी (लिक्विडिटी) अनुपात को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना। इसके अलावा, सरकार ने विशेष वाहक बाण्ड फिर से जारी किये हैं। राज्यों को ओवरड्राफ्ट लेने से रोकने और आयोजना भिन्न व्यय में बचत करने के लिए भी कदम उठाये गए हैं।

**अखिल भारतीय विकलांग बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन**
**जम्मू और कश्मीर के महासचिव का अभ्यावेदन**

4529. **श्री मोहम्मद इस्माइल**
**श्री मुकुन्द मण्डल** } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विकलाँग बोर्ड के कर्मचारियों के साथ किये जा रहे भेदभाव के

बारे में अखिल भारतीय विकलांग बोर्ड कर्मचारी एसोशिएशन, जम्मू और कश्मीर के महासचिव को 25-8-1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकलांग बोर्ड के कर्मचारियों को इसी बोर्ड के हथकरघा सैक्टर के कर्मचारियों के समान स्थाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी हां।

(ख) संगठन के अभ्यावेदन में उठाया गया मुख्य प्वाइंट यह है कि सरकार अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कर्मचारियों को स्थाई घोषित कर दे।

(ग) तथा (घ) हस्तशिल्प तथा हथकरघा दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी भारत सरकार के समान नियमों द्वारा शासित होते हैं। तथापि स्थायीकरण पद के स्वरूप पर निर्भर करता है तथा अस्थाई योजनाओं में कार्य कर रहे स्टाफ को स्थाई घोषित नहीं किया जा सकता।

**सोवियत रूस से कपड़े का क्रयादेश प्राप्त होना**

4530. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने भारत को कपड़े के लिए एक बड़ा क्रयादेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत रूस द्वारा मांगे गये कपड़े की कुल मात्रा कितनी है तथा उसकी किस्म क्या है; और

(ग) क्या उपर्युक्त क्रयादेश में हथकरघा क्षेत्र से सप्लाई किये जाने वाला कपड़ा शामिल है और यदि हां, तो इस क्षेत्र से सप्लाई किये जाने वाले कपड़े की मात्रा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) सोवियत सरकार ने एक दीर्घकालिक आधार पर भारत से सूती वस्त्रों के अधिक निर्यातों की संभावना के सम्बन्ध में भारत सरकार को अनौपचारिक रूप से सूचित कर दिया है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा की प्रतीक्षा की जा रही है।

**पाकिस्तानी व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल का भारत का दौरा**

4531. **श्री चित बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तानी व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने नये भारत पाक व्यापार समझौते की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी हां, ।

(ख) तथा (ग) प्रतिनिधि मण्डल ने यह महसूस किया कि एक नये भारत-पाकिस्तान व्यापार करार से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा लेकिन यह एक ऐसा विषय था जिसका दोनों सरकारों द्वारा हल किया जाना था । सरकार का यह भी विचार है कि एक नये भारत-पाकिस्तान व्यापार करार से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और ऐसी आशा है कि इस उद्देश्य के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ विचार विमर्श जारी रहेगा ।

**मूल्यवान पत्थरों तथा सोने के जेवरातों का निर्यात**

4532. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान भारत से कितने मूल्य के मूल्यवान पत्थरों तथा सोने के जेवरातों का निर्यात किया था;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी मदों के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस निर्यात से देश के स्वर्ण भण्डारों में कमी न हो, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान मूल्यवान रत्नों के, जिसमें हीरे तथा स्वर्ण आभूषण भी शामिल हैं, निर्यात निम्नक्ति प्रकार रहे :—

| मद | (मूल्य करोड़ रु० में) (अनन्तिम) |
|---|---|
| हीरे | 420.27 |
| मूल्यवान/अर्ध-मूल्यवान रत्न | 25.15 |
| स्वर्ण आभूषण | 21.53 |

(स्रोत : रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्)

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए रत्न तथा आभूषण की सभी मदों के लिए, जिनमें हीरे, मूल्यवान/अर्ध-मूल्यवान रत्न तथा स्वर्ण आभूषण भी शामिल हैं, निर्यात लक्ष्य 825 करोड़ रु० निर्धारित किये गये हैं ।

(ग) विदेशी खरीदारों द्वारा सप्लाई किये गये सोने के आधार पर स्वर्ण आभूषण के निर्यात के लिए 14-10-70 की घोषित योजना के अनुसार स्वर्ण आभूषणों तथा सोने की वस्तुओं

के निर्यात की अनुमति केवल सम्बन्धित विदेशी खरीदारों द्वारा बिना कुछ लिए सप्लाई किये गये सोने के आधार पर निर्यात की जाने वाली मदों को बनाने में उपयोग किए गये सोने की मात्रा तक है ।

**फोमेण्टो ग्रुप आफ कम्पनीज**

4533. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर निपटान (सैटलमेंट) ने कोमेंटों ग्रुप आफ कम्पनीज के सभी मामलों पर अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समूह की प्रत्येक कम्पनी जिनमें गोवा की पेवरेंट मैसर्स सोसाहडडे डी फोमेन्टों इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड मझगाँव भी शामिल है, द्वारा किये गये आयकर अपवंचन के सम्बन्ध में कितनी राशि का दावा किया गया है;

(ग) क्या उन्होंने समस्त राशि का भुगतान कर दिया है;

(घ) छापों के दौरान जब्त किए गये जवाहरातों का मूल्य क्या था; और

(ङ) सरकार ने श्री औदुथ टिम्बलों के विरुद्ध विदेशी बैंक में एक खाता अर्थात् खाता संख्या 933, योरू कुचो ब्रांच, बैंक आफ टोकियो, जापान, रखने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** :(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) कुछ नहीं ।

(ङ) प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा जाँच अभी जारी है । यदि यह पता लगा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का किसी प्रकार से उल्लंघन किया गया है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

**नोटों तथा छोटे सिक्कों की कमी**

4534. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के नोटिस में आई है कि 1/-, 2/- और 5/- रु० के नोटों तथा छोटे सिक्कों की कमी है; और

(ख) इस कमी को दूर करने तथा फटे पुराने नोटों के आजकल बढ़ रहे प्रयोग को न्यूनतम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) तथा (ख) एक रुपए के नोटों का उत्पादन धीरे-धीरे कम कर दिया गया है और दो रुपए के नोटों और एक रुपये के सिक्कों की उपलब्धता में काफी अधिक बढ़ोत्तरी कर दी गई है । इसलिए जनता से एक रुपये के

सिक्के और दो रुपये के नोट अधिक प्रयोग में लाए जाने की आशा की जाती है। हाल ही में, पांच रुपए के नोटों के उत्पादन में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए तेज गति वाली मशीन की एक अतिरिक्त पारी भी शुरू की गई है। इस प्रकार, नए नोटों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किई जा रहे हैं।

हालांकि छोटे सिक्कों की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है, फिर भी कतिपय क्षेत्रों से छोटे सिक्कों की अप्राप्यता के सम्बन्ध में प्राप्त छुट-फुट शिकायतों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जा रहा है।

**जीवन बीमा निगम का व्ययगत-अनुपात**

4535. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन बीमा निगम के व्ययगत-अनुपात को अधिक समझती है;

(ख) यदि हां, तो व्ययगत-अनुपात अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाना चाहती है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) पिछले कुछ वर्षों में मध्यमान जीवन बीमा कार-वार की तुलना में निवल व्ययगत अनुपात के प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

| वर्ष | व्ययगत अनुपात का प्रतिशत |
|---|---|
| 1977-78 | 5.4 |
| 1978-79 | 4.6 |
| 1979-80 | 3.8 |
| 1980-81 | 3.8 |

जबकि निवल व्ययगत अनुपात के प्रतिशत में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन सरकार का यह मत है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है और निवल व्ययगत अनुपात को और कम करने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) भारी व्ययगत अनुपात का कारण पालिसीहोल्डरों की वित्तीय कठिनाइयां हैं जिनके कारण वे अपनी पालिसियों को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से प्रीमियम अदा नहीं कर सकते। पालिसियों के व्ययगत होने को कम से कम करने के लिए जीवन बीमा निगम ने अलग-अलग व्यक्तियों के लिए बीमा कवच की सीमा तक आय से सम्बद्ध मानदण्ड निर्धारित किए हैं। जीवन बीमा निगम द्वारा उपयुक्त चयन एवं प्रशिक्षण के द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों के व्यावसायीकरण पर जोर देने और बिक्री की उन्नत रीतियां अपनाने से भी व्ययगत अनुपात में कमी हुई है।

कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सेवा की कोटि का भी व्ययगत अनुपात पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कार्यालयों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रीमियम की अदायगी के

स्मरणपत्र समय पर जारी हों, प्रीमियम की जमा राशियों का तेजी से समायोजन हो और व्ययगत पालिसियों को फिर से चालू करने की औपचारिकताएं जल्दी से जल्दी पूरी की जाएं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रीमियम की समायोजित न की गई जमा राशियों का समायोजन करने और व्ययगत पालिसियों को फिर से चालू करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

**शुभ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनता से धनराशि जमा किया जाना**

4536. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत (गुजरात) में एक निजी वित्तीय कम्पनी शुभ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड जनता से धन जमा करती है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के क्या उद्देश्य हैं और जून 1981 तक इस कम्पनी द्वारा अंशधारियों जमा कराई गई कुल धनराशि कितनी है और इससे कुल कितने अंशधार हैं; और

(ग) जून 1981 तक इस जमा राशि में से किन उद्देश्यों के लिए कितने लोगों को ऋण दिये ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :** (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई कम्पनियों की सूची के अनुसार सूरत (गुजरात) में शुभ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कम्पनी नहीं है। अलबत्ता, सूचना मिली है कि यहां पर शुभ लक्ष्मी सेविंग एण्ड फाइनेंस (प्रा०) लिमिटेड नाम की एक इनामी चिट कम्पनी है तथा पंजीकृत कार्यालय जयपुर में है। भारती रिजर्व बैंक के अनुसार यह कम्पनी इनामी चिट तथा धन परिचालन स्कीम (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के कार्य क्षेत्र में आती है जो कि 12 दिसम्बर, 1978 से लागू हुआ है तथा जिसका प्रशासन सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

**काले धन के चलन को रोकने के लिए करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण**

4537. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काला धन किन-किन स्रोतों से पैदा होता है;

(ख) देश में अनुमानत: कितनी राशि का काला धन है;

(ग) काला धन पैदा करने के रास्तों को बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या लगभग छः महीनों के भीतर विभिन्न मूल्यों अर्थात् एक रुपये से सौ रुपये मूल्य तक के सभी करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया जाना, भविष्य में काले धन के चलने को रोकने के प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है ;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब तक इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक प्रभावी उपाय किये जाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) कमी की अर्थ व्यवस्था, भ्रष्ट व्यापार-पद्धतियां, नैतिक मूल्यों का ह्रास आदि जैसे विभिन्न तथ्य काले धन की उत्पत्ति में सहायक होते हैं।

(ख) देश में काले धन का कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) काले धन की उत्पत्ति के स्रोतों को बन्द करने के लिये समय-समय पर विभिन्न विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किये जाते हैं। न्यून-मूल्यांकित अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण से सम्बन्धित सम्बन्धों का आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हाल ही में विस्तार किया गया है। इसी प्रकार, कम्पनियों बैंकों और फर्मों में बेनामी जमा खातों का पता लगाने के लिए, कानून में संशोधन किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि वे जमा रकमों तथा एक निश्चित रकम पर ब्याज की रकम का वापस अदायग/आदाता लेखा चैक/ड्राफ्ट के जरिए करें। ऐसे प्रस्तावों पर सरकार बराबर ध्यान देती है।

(घ) किसी एक अथवा समस्त करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उत्तर वही है जो ऊपर भाग (ग) में दिया गया है।

**विशाखापत्तनम् इस्पात संयन्त्र**

4538. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र से सम्बन्ध कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है और इसका प्रथम चरण 1985 के अन्त तक पूर्ण रूप से उत्पादन करने लगेगा जैसा कि मूल शैड्यूल बनाया गया था; और

(ख) यदि उसमें कोई विलम्ब है, जैसा कि समाचारपत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है और सम्बद्ध अधिकारियों को दण्ड देने और इसके प्रथम चरण में 1985 के अन्त तक अनिवार्य रूप से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**राजस्थान के जैसलमेर जिले में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए किए गए प्रावधान**

4539. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के पर्यटक स्थल और जिला मुख्यालय जैसलमेर में किए जाने वाले प्रत्येक विकास कार्य के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिए क्या प्रावधान किये हैं;

(ख) उक्त विकास कार्यों में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त पर्यटक स्थल के विकास के लिये बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) से (ग) जैसलमेर में एक पयटक कम्प्लैक्स को विकसित करने का प्रस्ताव है जो पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विविध श्रेणियों के आवास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही जैसलमेर की प्रस्तावित मास्टर प्लान (भूमि प्रयोग योजना) के अनुसार टूरिस्ट कम्प्लैक्स के विकास के लिये स्थल का एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद ही ब्यौरे तैयार किये जाएंगे। जिनमें आर्थिक मसले भी शामिल हैं; तथापि उन पर्यटक स्थलों पर तथा जैसलमेर में और आसपास जिन स्थानों की पर्यटक यात्रा करते हैं; किए जाने वाले सुधारों सम्बन्धी प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य सरकार से तत्काल अनुरोध किया जा रहा है।

**भारतीय स्टेट बैंक में कथित अनियमितताएं**

4540. **श्री त्रिलोक चन्द्र**
**श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री**
**श्री राम किंकर** } : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पटना से प्रकाशित दैनिक "आज" के 11 नवम्बर, 1981 के अन्त में भारतीय स्टेट बैंक में अनियमितताओं का बोलवाला शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) जी, हां।

(ख) बैंक प्रबन्धकों से इसकी जांच करने तथा इसकी सूचना देने को कहा गया है।

**रामशिला पहाड़ी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास**

4541. **श्री रुद प्रताप षांडगी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** गया शहर के निकट रामशिला पहाड़ी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास के बारे में 27 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह कहा था कि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गया के निकट रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ियों को एक अधिसूचना जारी करके रक्षित सार्वजनिक स्थान घोषित किया गया था और पर्यटक आकर्षण की इन पहाड़ियों को अब पूरी रक्षा प्रदान की जाएगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पहाड़ियों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है तब से आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) 27 फरवरी, 1970 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के उत्तर में यह कहा गया था कि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, रामशिला पर्वत के लिए माइनिंग सम्बन्धी पट्टों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद न ही बढ़ायी जाएगी और न नए पट्टे ही दिए जाएंगे।

(ख) वर्तमान स्थिति विहार सरकार से मालूम की जा रही है और जैसे ही उत्तर प्राप्त होगा, इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

## सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों में सुधार करना

4542. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात एककों में सुधार करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) और (ख) किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए विभिन्न उत्पादन-इकाइयों को सशक्त बनाना एक सतत् प्रक्रिया है और सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग भी इस प्रक्रिया का अनुसरण करता है।

## भारत में निवेश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों की नई दिल्ली में बैठक

4543. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निवेश तथा व्यापार की सम्भावनाओं पर बातचीत करने के लिए इस वर्ष दिसम्बर के पहले सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों की एक बैठक (इण्टर-नेशनल बिजनैस मीट) नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन के दौरान क्या मुख्य निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या भारत में निवेश तथा व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव किए गए हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय स्टेनफोर्ड अनुसन्धान संस्थान ने, "भारत में व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार" विषय पर नई दिल्ली में पहली दिसम्बर से 4 दिसम्बर, 1981 तक एक सेमिनार का आयोजन किया था। इस गोष्ठी का आशय विदेशों के बहुत से प्रमुख व्यापारियों और भारतवर्ष के व्यापारियों में मेल-जोल पैदा करने से था। इस सेमिनार के परिणाम अगले वर्ष के प्रारम्भ में "फारचून" पत्रिका के एक पूरक अंक में प्रकाशित किए जाएंगे।

**भारत के औद्योगिक विकास बैंक में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण**

4544. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के औद्योगिक विकास बैंक में प्रत्येक संवर्ग और श्रेणी में कुल कितने पद हैं और प्रत्येक संवर्ग और श्रणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की नीति उचित प्रकार से क्रियान्वित नहीं की जा रही है;

(ग) भारत के औद्योगिक विकास बैंक में गत तीन वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने पद रिक्त पड़े हैं और इस बकलाग को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि उक्त (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**गुजरात में गैस तथा आयरन आक्साईड पर आधारित एक स्पंज लौह परियोजना स्थापित करना**

4545. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने हजीरा, गुजरात में गैस तथा आयरन का आक्साइड पर आधारित एक स्पंज लौह परियोजना स्थापित करने की मांग की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की एक जांच समिति ने भी इस परियोजना के लिए गैस की सप्लाई के बारे में सिफारिश की है; और

(ग) क्या गैस पाइप लाइन और समुद्र तट के निकट होने और समुद्री परिवहन सुविधाओं की लब्धता को ध्यान में रखकर इस परियोजना को स्वीकृति देने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। इस बारे में गुजरात औद्योगिक और निवेश निगम ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ग) योजना आयोग ने सलाह दी है कि प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अर्थक्षम नहीं है और इसलिए निगम से संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

**टर्फ क्लब के अहाते में प्रवेश करने से रोके गये व्यक्ति**

4546. **श्री ओसकर फर्नांडीस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टर्फ क्लब के अहाते में कुछ व्यक्तियों के प्रवेश पर, उनके कदाचारों के कारण रोक लगा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम है ;

(ग) क्या यह सच है कि ये व्यक्ति अपने निश्चित घोड़ों को विजयी बनाने और भारी धनराशि अर्जित करने के लिए बड़े पैमाने पर घोखाघड़ी कर रहे हैं ; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री एस० एच० आनन्द, श्री बी० मोरा, श्री यू० आर० वाट्टस, श्री आर० बी० चागन, श्री मोहम्मद अली, श्री हरिचन्द, श्री लक्ष्मण परदेशी, श्री अब्दुल रशीद, श्री राज कुमारतथा श्री छोटू को, किसी घुड़ दोड़ विशेष में कुछ कदाचार के दोषी पाये जाने पर आगमी घुड़ दौड़ों के लिए टर्फ क्लब (मद्रास रेस कोर्स) में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**राष्ट्रीय पर्यटन नीति को अन्तिम रूप दिया जाना**

4547. **श्री जगपाल सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति निर्धारित करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस प्रकार की नीति निर्धारित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) पर्यटन से संबन्धित सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा एक व्यापक परिदृश्य में अभिव्यक्त किए गए विचारों के आधार पर राष्ट्रीय पर्यटन नीति संबन्धी ड्राफ्ट स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है। चूंकि पर्यटन पर एक विभिन्न विस्तृत नीति तैयार करने के लिए व्यक्त किए गए/विचारों में तालमेल बैठाने की जरूरत है, इसे तैयार करने में, कुछ सीमा तक, परिकल्पित समय लगे रहा है।

**जनरल इन्स्योरेन्स कारपोरेशन द्वारा 40 और 100 पाइण्ट के रोस्टर बनाया जाना**

4548. **श्री थाभाई एम० करुणानिधि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल इन्स्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया और इसकी चार अनुषंगी संस्थाएं 40 पाइण्ट और 100 पाइण्ट के रोस्टर नहीं बना रही है ;

(ख) यदि नहीं, बनाये गये हैं तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार जनरल इंस्योरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया और इसकी चार अनुषंगी संस्थाओं में कम स्तर की अलग से कोई परीक्षा/साक्षात्कार नहीं लिए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालल में उप मन्त्री (श्री मानभाई बरोट)** : (क) और (ख) साधारण बीमा निगम (जनरल इंस्योरेंस कारपोरेशन) ने प्रथम श्रेणी संवर्ग की केन्द्रीयकृत भर्ती के लिए एक 40 प्वाइंट रोस्टर बना रखा है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग की भर्ती के लिए साधारण बीमा निगम का सहायक कम्पनियों को 100 प्वाइण्ट रोस्टर रखने की सलाह दी गई है।

(ग) प्रथम श्रेणी की केन्द्रीयकृत भर्ती के लिए साधारण बीमा निगम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के ग्रुप के लिए अलग से इंटरव्यू की व्यवस्था करता है। साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों को भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अलग से इंटरव्यू की व्यवस्था करने के लिए अनुदेश दिये गए हैं।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रम**

4549. **श्री धर्मदास शास्त्री**
**श्री गुलाम मोहम्मद खान**
**श्री एन० के० शेजबलकर**
**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में इस समय केन्द्रीय सरकार (मंत्रालयों) के अन्तर्गत कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इन उपक्रमों के नाम क्या हैं और मुख्यालय कहां पर स्थित हैं;

(ग) इन प्रत्येक उपक्रमों के वर्तमान अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों के नाम तथा उनकी अवधि क्या है; और उनकी नियुक्ति कब की गई थी; और

(घ) उन उपक्रमों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनमें अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है और ये पद कब से खाली पड़े हैं और इन पदों पर कब तक नियुक्ति की जाएंगी और इन पदों को खाली रखने के कारण क्या हैं और क्या इस नौकरशाही को बढ़ावा नहीं मिला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकारी उपक्रमों की संख्या तथा उन मंत्रालयों, जिनके अधीन वे कार्य कर रहे हैं, से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना लोक उद्यम सर्वेक्षण 1979-80 जिसे फरवरी, 1981 में सभा-पटल पर रखा गया था, में दी गई है। इस विषय में अद्यतन जानकारी लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81, में दी जाएगी, जिसे अगले बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।

(ख) और (ग) वांछित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के ऐसे 21 पद हैं, जिन पर नियमित नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं, हालांकि इन सभी पदों के लिए चयन किया जा चुका है तथा सरकार इनकी नियुक्तियों के विषय में सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जिस तारीख से ये पद रिक्त हैं उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति, जिनके लिए जब कभी पुनर्चयन करना पड़ सकता है, तलाशने में समय लगना, सरकार द्वारा ऐसे मामलों में कार्रवाई करना, अधिकारियों द्वारा पदभार ग्रहण करने में देर लगाना, जिन व्यक्तियों को चुना गया है उनका उपलब्ध न होना आदि कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनसे ये पद रिक्त पड़े हैं। किन्तु ऐसे सभी रिक्त पदों पर अन्तरिम व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि कार्य में कोई हानि न हो। सरकार इस विषय में चिंतित है कि ऐसे पदों को खाली न रखा जाए और वस्तुतः सुचारु पदारोहण सुनिश्चित करने के लिए ऐसी रिक्तियां भरने की अग्रिम कार्यप्रणाली चालू की जा रही है।

## विवरण

### सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पदों की सूची

| पद/उद्यम का नाम | पद रिक्त होने की तारीख |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्प संस्थान | अप्रैल, 81 |
| 2. अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम | जून, 81 |
| 3. प्रबन्ध निदेशक, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर क० लि० | अप्रैल, 80 |
| 4. प्रबन्ध निदेशक, मिश्र धातु निगम लि० | अगस्त, 81 |
| 5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इलेक्ट्रोनिको व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम | मार्च, 81 |
| 6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सेमी कंडक्टर काम्प्लेक्स लि० | जुलाई, 81 |
| 7. प्रबन्ध निदेशक, कम्प्युटर मेंटीनेन्स कारपोरेशन | मई, 81 |
| 8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० | जुलाई, 81 |

(जारी...)

| 1 | 2 |
|---|---|
| 9. अध्यक्ष, स्टेट फार्म्स कारपो० तथा राष्ट्रीय बीज निगम | अगस्त, 81 |
| 10. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खनिज गवेषण निगम | अगस्त, 81 |
| 11. प्रबन्ध निदेशक, नेशनल जूट मैन्युफेक्चर्स कारपो० | जनवरी, 81 |
| 12. प्रबन्ध निदेशक, ल्यूब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड | नवम्बर, 81 |
| 13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट्स एण्ड साम्भर साल्ट्स लि० | सितम्बर, 81 |
| 14. प्रबन्ध निदेशक, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम | दिसम्बर, 81 |
| 15. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत एल्युमीनियम क० लि० | नवम्बर, 81 |
| 16. अध्यक्ष भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण | अक्तूबर, 81 |
| 17. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन | जून, 80 |
| 18. प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० | अगस्त, 81 |
| 19. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण | अगस्त, 81 |
| 20. प्रबन्ध निदेशक, अण्डमान एवं निकोबार दीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम | नवम्बर, 81 |
| 21. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम | फरवरी, 81 |

**उड़ीसा में टिन का मिलना**

4550. **श्री महमोहन वुडु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कुछ भागों में टिन पाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछली बार सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार टिन भंडारों की मात्रा तथा किस्म क्या है;

(घ) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर ऐसी धातु पाई गई है;

(ङ) इन भंडारों को दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी):** (क) से (ङ) उड़ीसा के खान निदेशालय द्वारा 1974-75 में तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1978-79 में शुरू किए गए सर्वेक्षण के दौरान उड़ीसा के कोरापुट जिले के मलकानगिरि संभाग में मुन्डागुडा, दामुगुडा, सालिमी तथा पेरामटासू के आसपास टिन के भंडार पाए गए हैं।

चूंकि अन्वेषण कार्य चल रहा है, इसलिए टिन निक्षेपों के आंकड़े देना इस समय संभव नहीं है। इन निक्षेपों के दोहन का प्रश्न उनकी मात्रा और ग्रेड की निश्चित पुष्टि हो जाने के बाद ही पैदा होगा।

**बैंक निपटान केन्द्रों का बन्द रहना**

4551. **श्री अशोक गहलौत : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल के वर्षों में बैंक निपटान केन्द्र क्लीयरिंग हाउस कितनी बार बन्द किये गये और कौन-कौन से स्थानों पर निपटान केन्द्रों को बन्द रखा गया था और प्रत्येक मामले में उनके बन्द रखने की अवधि क्या है;

(ख) बैंक निपटान केन्द्रों को चालू वर्ष के दौरान कितनी बार बन्द किया गया और किन-किन स्थानों पर ये निपटान केंन्द्र बन्द किए गए थे और प्रत्येक मामले में उनके बन्द रहने की अवधि क्या है;

(ग) देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, बैंक निपटान केन्द्रों के बार-बार बन्द रहने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक एसोसिएशन) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1977 के बाद की अवधि के दौरान समाशोधन गृहों (क्लीयरिंग हाउस) के काम में रुकावट की घटनाओं की संख्या नीचे लिखी अनुसार थी:—

| वर्ष | केन्द्रों की संख्या | घटनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1977 | 1 | 1 |
| 1978 | 6 | 7 |
| 1979 | 14 | 14 |
| 1980 | 47 | 121 |

प्रत्येक मामले में रुकावट की अवधि के केन्द्रवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1981 (जुलाई तक) के दौरान समाशोधन गृहों के परिचालनों में रुकावट निम्नलिखित केन्द्रों पर हुई:—

| समाशोधन केन्द्रों का नाम<br>1 | निलम्बन की अवधि<br>2 | निलम्बन रुकावट के कारण<br>3 |
|---|---|---|
| रांची | 1, 6 तथा 13 जनवरी, 1981 | कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों का देर से पहुंचना । |
| | 14 जनवरी, 1981 | भारतीय स्टेट बैंक के सिवाय सभी बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कार । |
| | 15 जनवरी, 1981 | पंजाब एंड सिंघ बैंक में आन्दोलन । |
| | फरवरी से मई, 81 के दौरान बार-बार रुकावट । | —तदैव— |
| धोराजी (गुजरात) | 9.1.81 तथा 21.1.81 | विद्यार्थी आंदोलन तथा धोराजी बन्द । |
| मोरवी (गुजरात) | 6.2.81 | मोरवी बन्द । |
| कानपुर | 10.2.81 | बैंक कर्मचारियों द्वारा जीवन बीमा निगम के आन्दोलन की सहानुभूति में हड़ताल । |
| श्रीगंगानगर (राजस्थान) | 11.2.81 से 25.3.81 तक | पंजाब एंड सिंघ बैंक में आन्दोलन । |
| इलाहाबाद | 5.2.81 | पंजाब एंड सिंघ बैंक में आन्दोलन । |
| | 16.5.81 | यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में आन्दोलन । |
| मुजफ्फरपुर | 3.2.81 | कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा लिखतों का बहिष्कार । |
| अजमेर | 20.2.81 से 8.3.81 तक | पंजाब एंड सिंघ बैंकों में आन्दोलन । |
| मुरैना (मध्य प्रदेश) | 11.3.81 | वाणिज्यक बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल । |
| | 7.4.81 | पंजाब एंड सिंघ बैंक में आन्दोलन । |

(जारी...)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| रीवां (मध्य प्रदेश) | 11.3.81 | वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल । |
| जालोर (राजस्थान) | 11.3.81 | —तदैव— |
| नई दिल्ली | 11.3.81 तथा 24.3.81 | भारतीय रिजर्व बैंक में आन्दोलन । |
| राउरकेला | 11.6.81 से 28.6.81 | बैंक कर्मचारियों द्वारा आंदोलन |
| कलकत्ता | 11.3.81 | भारतीय रिजर्व बैंक में आन्दोलन । |
| हैदराबाद | 11.3.81, 12.3.81 तथा 14.3.81 | भारतीय रिजर्व बैंक तथा पंजाब एंड सिंध बैंक में आन्दोलन । |
| छतरपुर (मध्य प्रदेश) | 11.3.81 | कुछ वाणिज्यक बैंक में आंदोलन |
| जयपुर | 11.3.81 | सदस्य बैंकों द्वारा भाग न लेना |
| | 11.7.81 | पंजाब एंड सिंध बैंक में आन्दोलन |
| चिकबलपुर (कर्नाटक) | 11.3.81 | वाणिज्यक बैंकों के अवार्ड स्टाफ द्वारा हड़ताल । |
| जामनगर | 11.3.81 | —तदैव— |
| भटिण्डा | 11.3.81 | —तदैव— |
| कानपुर | 21.3.81 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल । |
| भावनगर | 11.3.81 | बैंकों में अवार्ड स्टाफ द्वारा हड़ताल । |
| पटना | 24 3.81 | भारतीय रिजर्व बैंक के अवार्ड स्टाफ द्वारा हड़ताल । |
| जोधपुर | 20.2.81 | सिंडीकेट बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई लिखतों का बहिष्कार । |
| गोहाटी | 25.2.81 से 9.3.81 तक | इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक लि० द्वारा प्रस्तुत की गई लिखतों का अन्य बैंकों द्वारा बहिष्कार । |

(जारी···)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| बंगलौर | 11.3.81 तथा 24.3.81 | भारतीय रिजर्व बैंक में आंदोलन |
| देहरादून | जनवरी से अप्रैल, 1981 के दौरान बार-बार रुकावट | पंजाब एंड सिंध बैंक में आन्दोलन । |
| रीवाँ | 7.4.81 | —तदैव— |
| डाल्टनगंज (बिहार) | 28.4.81 से 1.5.81 तक | —तदैव— |
| जम्मू | 19.5.81 | यूको० बैंक का एक कर्मचारी लापता । |
| | 14.7.81 | सदस्यों द्वारा बहिष्कार । |
| बीवर (राजस्थान) | 14.4.81 | सदस्यों द्वारा बहिष्कार । |
| ग्वालियर | 24.4.81 से 11.5.81 तक | पंजाब एंड सिंध बैंक में आन्दोलन । |
| कोटा | 11.6.81 से 21.6.81 तक | न्यू बैंक आफ इण्डिया में आन्दोलन । |
| दिल्ली | 20.7.81 से 26.7.81 तक | यूको० बैंक के प्रतिनिधि द्वारा अन्य प्रतिनिधियों की 150 रुपये की मांग को स्वीकार न करना । |
| जयपुर | 10.7.81 से 20.7.81 तक | पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा दिये गए लिखितों का बहिष्कार । |
| वाराणसी | 20.4.81 से 6.5.81 तक | कुछ सदस्य बैंक द्वारा बहिष्कार |

(ग) और (घ) भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक एसोसिएशन) ने वाणिज्यिक बैंकों को देश में समाशोधन गृहों में बार-बार फैलने वाली अव्यवस्था/रुकावट की रोकथाम के लिए कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। इन उपायों में ये शामिल हैं:— (1) समाशोधन की रुकावट के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ बैंकों द्वारा पूरे दिन के वेतन की कटौती, (2) कर्मचारियों के आन्दोलन को रोकने के लिए तथा विविध सम्बद्ध संगठनों की सूचना के प्रसार को मानीटर करने एवं समाशोधन में अवरोध पैदा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के वास्ते सभी समाशोधन गृहों पर उप-समिति का गठन करना, तथा (3) 6 महीनों से अधिक की अवधि के लिए समाशोधन गृह

में एक ही प्रतिनिधि को जाने से रोकने के वास्ते बैंकों द्वारा अपने समाशोधन गृह प्रतिनिधि नियमित अदला-बदली।

समाशोधन गृहों में समायनुरूपता लाने तथा साथ ही समाशोधन गृहों के कार्यकलापों कमियों कों दूर करने के लिए आदर्श नियम (माडल रूल्स) बनाने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैं तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा सामूहिक रूप से एक समिति की नियुक्ति की गई है। इस समि की रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है। इस रिपोर्ट में बैंकों के प्रति निधियों द्वारा समाशोधन में रुकावट के मामले में किये जाने वाले उपाय भी शामिल हैं।

## दिल्ली-लखनऊ गोरखपुर और काठमांडू के लिए दैनिक और अन्य सेवाएं

4552. **श्री आशफाक हुसैन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली लखनऊ, गोरखपुर और काठमांडू के लिए "इण्डिय एयरलाइन्स" की दैनिक या सप्ताह में कम से कम तीन सेवाएं शुरू करने का है ;

(ख) क्या इस समय दिल्ली से लखनऊ होते हुए काठमांडू के लिए कोई सेवा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली-कानपुर-कलकत्ता एवरो सर्विस को दैनिक सेवा और बोइंग सेवा में बदलने के बारे में ध्यान देने का है ; और

(घ) इण्डिन एयरलाइन्स का गोरखपुर-हवाई अड्डे पर कब तक अपने निजी भवन के निर्माण कर लेने का विचार है और क्या उसके लिए भूमि उपलब्ध है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) जी, नहीं

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली-कानपुर तथा कलकत्ता को जोड़ने वाली ए दैनिक एफ-27 सेवा का परिचालन कर रही है। इस मार्ग पर बी-737 विमान परिचालित कर का कोई प्रास्ताव नहीं है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु नागर विमानन विभाग का एक मित्तव्ययी प्रकार का नया टर्मिनल भवन बनाने का प्रस्ताव है जिसके दिसम्बर, 198 तक पूरा हो जाने की आशा है।

## ऋण में कमी

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80 और 1980-81 की तुलना में 1981-82 में अब तक वस्तुतः ऋण में कितनी कमी की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1979-80 और 1980-81 की तुलना में 1981-82 के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी ऋण भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों से ले लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन सम्बद्ध वर्षों में कितनी राशि का ऋण लिया गया ; और

(घ) बाजार पर मुद्रास्फीति विरोधी कार्य (पैकेज) के स्पष्ट प्रभाव क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) से (ख) लगातार पड़ रहे मुद्रास्फीतिकारी दबावों को देखते हुए, सरकार ने मुद्रा उपलब्धि और ऋण के अनावश्यक विस्तार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही अर्थ-व्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त और उत्पादक क्षेत्रों की ऋण संबन्धी जरूरतों को आसानी से पूरा करने की भी सुनिश्चित व्यवस्था की है। चालू वर्ष में 20नवम्बर, 1981 तक खाद्य-भिन्न ऋण में 2521 करोड़ रुपए अथवा 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 1980-81 की इसी अवधि में 1759 करोड़ रुपए अथवा 9.0 प्रतिशत और 1979-80 की इसी अवधि में 1330 करोड़ रुपए अथवा 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1979-80, 1980-1981 और 1981-82 की इन्हीं अवधियों के दौरान सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण की राशि क्रमशः 989 करोड़ रुपए, 3060 करोड़ रुपए और 2959 करोड़ रुपए की थी।

(घ) इन उपायों के फलस्वरूप, थोक मूल्य सूचाकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 28 नवम्बर, 1981 को समाप्त सप्ताह (उद्यतन उपलब्ध) के दौरान काफी कम होकर 7.7 प्रतिशत हो गई जबकि एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि में यह दर 14.5 प्रतिशत थी। चालू वर्ष में, 28-3-1981 और 28-11-1981 के बीच, थोक मूल्यों में हुई वृद्धि 2.9 प्रतिशत बैठती है जोकि 1980-81 की इसी अवधि में हुई 11.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति है।

**असम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की विस्तार योजना**

4554. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के विस्तार कार्यक्रम में देश के पूर्वी और सुदूर पूर्वी भाग का कोई स्थल, जैसे असम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल आदि शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम (आइ० टी० डी० सी०) ने छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में देश के पूर्वी हिस्से में निम्नलिखित स्कीमों की परिकल्पना की है :—

| राज्य का नाम | स्कीमें |
|---|---|
| असम | गोहाटी में होटल |
| बिहार | (i) बोद्धगया में ट्रेबलर्ज लाज का विस्तार |
| | (ii) रांची में होटल (संयुक्त उद्यम) बिहार पर्यटन विकास के सहयोग से |

(जारी.....)

| | |
|---|---|
| उड़ीसा | (i) पुरी में होटल (संयुक्त उद्यम) उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से |
| | (ii) कोणार्क में होटल (संयुक्त उद्यम) उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से |
| पश्चिम बंगाल | कलकत्ता में होटल |

उपर्युक्त स्कीमों के ब्यौरा संगलन विवरण में दिए गए हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम ने एक विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है जिसमें उत्तर पूर्व सेक्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमों की परिकल्पना की गई है :—

| राज्य का नाम | केन्द्र का नाम | प्रस्तावित सुविधाएं |
|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | बोमदिला/इटानगर | 30 कमरे बेसिक सुविधाओं सहित |
| मणिपुर | इम्फाल | 30 कमरे बेसिक सुविधाओं सहित |
| त्रिपुरा | अगरतला | 30 कमरे बेसिक सुविधाओं सहित |
| मिजोरम | एजल और कोलासिब | प्रत्येक जगह पर 15/20 कमरे बेसिक सुविधाओं सहित |
| नागालैण्ड | कोहिमा | वनगृह की प्रबन्ध-व्यवस्था |

तथापि, उपर्युक्त स्कीमों का कार्यन्वित व्यवहार्यता अध्ययन के संतोषजनक होने तथा धन-राशि के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा ।

## विवरण

असम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की विस्तार योजना के बारे में 18.12.1981 को लोक सभा में पूछे जाने वाले लिखित प्रश्न सं० 4554 के संबन्ध में सभा-पटल पर रखा जाने वाला विवरण ।

### देश के पूर्वी क्षेत्र के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम की छठी योजना में परिकल्पित स्कीमों के ब्यौरे

**असम**

**गोहाटी में होटल :** यह प्रस्ताव है कि राज्य सरकार के सहयोग से गोहाटी में एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना की स्थापना की जाए । स्कीम में 100 कमरों वाली एक 3-स्टार होटल परियोजना की विभिन्न अवस्थाओं में, निर्माण की परिकल्पना की गई है । भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पूंजी-निवेश के हिस्से के रूप में निगम की छठी योजना में 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ।

**बिहार**

**बोधगया स्थित यात्री गृह का विस्तार :** कुछ यात्री गृहों के विस्तार के लिए, जिनमें बोधगया स्थित यात्री गृह शामिल है, निगम की छठी योजना में 50 लाख रुपए का एकमुश्त प्रावधान शामिल है । स्कीम तैयार की जा रही है ।

**रांची में होटल :** रांची में 30 कमरों वाले एक 3-स्टार होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसका भारत पर्यटन विकास निगम और बिहार पर्यटन विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न अवस्थाओं में विस्तार किया जाएगा। निगम की छठी योजना में, विभिन्न केन्द्रों पर जिनमें रांची शामिल है, संयुक्त उद्यम स्कीमों के लिए 100 लाख रुपए का एकमुश्त प्रावधान किया गया है।

**उड़ीसा**

**पुरी में होटल :** भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम (ओ० टी० डी० सी०) पुरी में 40/50 कमरों वाली एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना की स्थापना करने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पूंजी-निवेश के हिस्से के रूप में निगम की छठी योजना में इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

**कोणार्क में होटल :** भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम पुरी में प्रस्तावित होटल के अनुरूप कोर्णाक में एक होटल (समुद्र तट कुटीरें) के निर्माण के लिए भी सहमत हो गए हैं। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पूंजी निवेश हिस्से के रूप में निगम की छठी योजना में इस परियोजना के लिए 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

**होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर का विस्तार :** होटल की अत्यधिक आकूपैंसी को ध्यान में रखते हुए, होटल की मौजूदा क्षमता (38 कमरे/76 बैड्स) में विस्तार करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। कुछ होटलों के विस्तार के लिए, जिसमें होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर शामिल है, निगम की छठी योजना में 50 लाख रुपए का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। स्कीम तैयार की जा रही है।

**पश्चिम बंगाल**

**कलकत्ता में होटल :** कलकत्ता में एक अच्छे होटल के निर्माण का एक प्रस्ताव विचराधीन है। पश्चिम बंगाल सरकार से उपयुक्त स्थल के आवंटन के लिए अनुरोध किया गया है। निगम की छठी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान शामिल किया गया है। धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, परियोजना के आगामी योजना के लिए स्पिल ओवर किए जाने की संभावना है।

## आंध्र प्रदेश में वायुदूत सेवा

4555. **श्री जी० एस० रेड्डी**
**श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत का आन्ध्र प्रदेश में पूरक सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) जी, हां। वायुदूत सेवाओं का एक चरणबद्ध तरीके से भारत के अन्य भागों के लिए विस्तार किया जा रहा है। आंध्र-प्रदेश में कुद्दापा, राजामुंदरी तथा वारंगल उन 23 स्टेशनों की सूची में सम्मिलित हैं जिन्हें प्रथम चरण में विमान सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**महाराष्ट्र द्वारा सूत की एकाधिकार खरीद योजना चलाया जाना**

4556. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा पैदा की गई कुछ तकनीकी और वित्तीय कठिनाइयों के कारण सूत की एकाधिकार खरीद योजना को चलाने में आज तक सफल नहीं हो सकी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना कार्य कब करना शुरू कर देगी ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) जी नहीं। चालू रुई मौसम में योजना चलाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**बरौनी में पक्की हवाई पट्टी :**

4557. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी में केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान, उर्वरक संयन्त्र और तेल शोधक कारखाने में केन्द्र सरकार द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपये लगा देने के बाद भी बरौनी या इसके समीपस्थ क्षेत्र में कोई लम्बी और पक्की हवाई पट्टी की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस तरह की हवाई पट्टी न होने से साथ ही वर्षा काल के दौरान आवश्यक वस्तुओं के परिवहन तथा यातायात के चलने के लिए कोई सुविधा न होने के कारण सरकार को लाखों रुपये का नुकसान होता है; और

(ग) क्या सरकार बरौनी में एक पक्की हवाई पट्टी बनाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) से (ग) बरौनी रिफाइनरी के 25 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर भागलपुर तथा मुंघेर में बिहार सरकार की दो हवाई पट्टियां हैं। इण्डियन एयरलाइन्स, वायुदूत अथवा किसी अन्य अनुसूचित परिचालक से बरौनी के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए कोई मांग नहीं आई है। नागर विमानन विभाग की बरौनी में हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है।

**हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक का श्रमिक विरोधी रवैया**

4558. **श्री समर मुखर्जी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक श्रमिक-विरोधी रवैया अपना रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त विषय के बारे में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन कर्मचारी यूनियन (सी० टू०) से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सामूहिक समझौतों के सिद्धान्तों का पालन करने तथा समझौतों का पालन करने के लिए इस एकक में औद्योगिक शान्ति बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) :** (क) से (ग) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन वर्क्स यूनियन (सी० टू०) कलकत्ता द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1981 को प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० (एच० एस० सी० एल०), कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के श्रम आयुक्त को लिखे दो पत्रों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। ये दोनों पत्र एच० एस० सी० एल० के 6 कर्मचारियों का कलकत्ता से तबादला किये जाने के सम्बन्ध में हैं। यूनियन के प्रतिनिधियों को स्थिति के बारे में बता दिया गया है।

एच० एस० सी० एल० में सामूहिक सौदेबाजी की प्रथा का अनुसरण किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सर्वोच्च स्तरीय संयुक्त मंच है जिसमें एटक इन्टक०, सी० टू०, एच० एम० एस० तथा अन्य श्रमिक संघों के प्रतिनिधि हैं। इस मामले में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

**सीमेंट पर करों मे वृद्धि**

4559. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेन्ट के एक बोरे का इस समय बाजार भाव क्या है;

(ख) इस लागत में बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों का अंश इस समय कितना है और पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष के आंकड़े क्या थे; और

(ग) कराधान तथा उत्पादन शुल्क में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :** (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमेन्ट नियन्त्रण आदेश 1967 के खण्ड 8 के तहत सीमेन्ट का एक समान रेल-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तय किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य किस्मों के सीमेन्ट के

बारे में वर्तमान में तय किया गया समान रेल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 536.09 रु० है जिसमें पैकिंग व्यय 63.74 रु० तथा उत्पादन शुल्क 71.50 रु० भी शामिल है। बिक्री कर तथा अन्य ऐसे कर संघटक अन्तिम मूल्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होते हैं, क्योंकि उनका नियतन सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है । एक अक्तूबर, 1978 को तथा इसके बाद लागू उत्पादन शुल्क की दरों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) विगत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क की मात्रा में कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई है।

**विवरण**

**एक अक्तूबर 1978 को तथा इसके बाद लागू उत्पादन शुल्क की दरों का विवरण-पत्र**

| अवधि | प्रति मी० टन उत्पादन शुल्क |
|---|---|
| 1-10-78 से 18-6-80 तक | 68.25 रु०* |
| 19-6-80 को तथा इसके बाद | 71.50 रु०** |

**इसमें मूल उत्पादन शुल्क के रूप में 65 रु० और विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में 6.50 रु० शामिल हैं।

*इसमें मूल उत्पादन शुल्क के रूप में 65 रु० और विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में 3.25 रु० शामिल हैं।

**"टिस्को" द्वारा स्लैग का उत्पादन तथा निपटान**

4560. **भी ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिस्को द्वारा प्रतिदिन स्लैग का कितना उत्पादन किया जाता है और सीमेंट में इसके प्रयुक्त हिस्से के विशेष संदर्भ में इसका किस प्रकार से निपटान किया जाता है;

(ख) स्लैग के निपटान में लगे ठेकेदारों की संख्या क्या है, उनके नाम क्या हैं, तथा क्या टिस्को अधिकारियों द्वारा बेनामी ठेकेदार भी चलाये जा रहे हैं, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त संयन्त्र समिति मूल्य को तोड़कर बाद में काला बाजारी में बेचे जाने के लिए स्लैग के साथ काफी लौह और इस्पात सामग्री की चोरी की जाती है;

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि लोहे के कणों को इकट्ठा करने के सिलसिले में वर्ष 1978 में एक ठेकेदार द्वारा, जिसे छोटा नागपुर के आयुक्त ने "बेनामी" की संज्ञा दी थी, बाबुडीह स्लैग के ढेर (जमशेदपुर) में 6 आदिवासी महिलाओं तथा बच्चों का कत्ल कर दिया गया था; यदि हाँ, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है, यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) टिस्को में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिदन लगभग 2,600 टन स्लैग बनता है, जिसमें से 1,000 टन 'ग्रेनुलेटिड स्लैग' होता है, जिसका प्रयोग सीमेंट के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है ।

(ख) पता चला है कि टिस्को ने स्लैग के निपटान के लिए केवल एक ठेकेदार-मद्रास के मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी-को लगा रखा है । यह भी पता चला है कि इस फर्म का टिस्को के किसी अधिकारी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) इस्पात कारखाने से निकलने वाला स्लैग इ[illegible] पूर्व-निर्धारित विभिन्न निचले क्षेत्रों में डालने के लिए ले जाया जाता है । इस तरह [illegible] ए स्लैग में लोहे की बहुत कम मात्रा रह जाती है । यह नुकसान लोहे बनाने की प्रक्रिया में होता ही है और इसमें कोई बुरा इरादा नहीं है ।

(घ) और (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## पटसन के सामान (टाट-बोरा और कालीन अस्तर) के निर्माण की लागत में वृद्धि

4561. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पालेकर फार्मूले को आधार बनाकर (आधार सामग्री का स्रोत बनाते हुए) भिन्न-भिन्न प्रकार के पटसन सामान मुख्य रूप से टाट (40″×130″) बोरा (44″×26½″) और कालीन अस्तर के निर्माण की लागत में 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कितनी वृद्धि हुई जिसने केन्द्र सरकार को नकद क्षतिपूर्ति समर्थन देने को प्रेरित किया ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : पटसन माल के निर्यात पर नकद क्षतिपूर्ति समानता की सिफारिशों के लिए लगाई गई विभिन्न मदों की लागत में वृद्धि नीचे दी गई है :—

ला० मी० टन

| | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 |
|---|---|---|---|---|
| कालीन अस्तर | 6774 | 6571 | 8673 | 8610 |
| हैसियन | 5420 | 5433 | 6333 | 6368 |
| टाट | 4099 | 4150 | 4545 | 4792 |

कच्चे माल की लागत डब्ल्यू 5 किस्म की विद्यमान बाजार दर पर आधारित थी जो कि इस प्रकार है :—

रु०

1978-79 ——— 215.03 प्रति क्विंटल
1979-80 ——— 225-00 प्रति क्विंटल

(जारी···)

(नवम्बर, 1978 में मासिक औसत)

| | | |
|---|---|---|
| 1980-81 | ——— | 217.50 रु० (†) |
| 1981-82 | ——— | 217.50 रु० (†) |

(†) 217.50 रु० की कानूनी न्यूनतम कीमत 1980-81 तथा 1981-82 के लिए कच्चे पटसन की लागत का हिसाब लगाने के लिए आधार के रूप में ली गई थी जो कि सम्बन्धित अवधियों के लिए निवल के अनुसार विद्यमान बाजार कीमतें भी थी।

पटसन बैंच लागत का हिसाब लगाने में बैंच मिक्स और निवल निविष्ट के लिए जे० एम० डी० सी० तकनीकी समिति के मानदण्डों को अपनाया गया है।

बी ट्विल (टाट) के लिए परिवर्तन लागत पालेकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर आंकी गई थी जिनमें समय-समय पर हुए ऐसे परिवर्तनों के लिए आवश्यक समंजन के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। हैसियन तथा कालीन अस्तर की परिवर्तन लागतें उस अनुपात के अनुसार अंकित की गई हैं जिसके अनुसार बी० ट्विल की लागत, हैसियन तथा कालीन अस्तर के लिए टी० सी० आर० ई० आंकड़े के अनुपात में टी० सी० आर० ई० के 1972 के आंकड़ों के आधार पर परिवर्तित की गई है।

पालेकर आयोग ने बिजली की कटौती तथा लोड रीडिंग को अलग मद के रूप में लागत के लिए व्यवस्था नहीं की थी। चूंकि हाल ही के वर्षों में ये उद्योग के लिए लागत की मुख्य मद बन गई है अतः सभी उपलब्ध आँकड़ों का पूर्ण उपयोग करते हुए लगाये गये अनुमानों के आधार पर व्यवस्था की गई थी। चूंकि अधिकांश पटसन मिलों ने बिजली की कटौती के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए जनित्रण लगा लिये हैं अतः पूरा करने की लागत के प्रभाव को पर्याप्त ध्यान दिया गया था।

**स्पंज लौह संयंत्र की संख्या**

4562. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने स्पंज लोहा संयन्त्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) ऐसे स्पंज लोहा संयन्त्र किन-किन स्थानों में स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि स्पंज लोहा संयन्त्र स्थापित हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे नये स्पंज लोहा संयन्त्र स्थापित हो रहे हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) और (ख) इस समय आन्ध्र प्रदेश में कोटगुडेम के एक मात्र स्पंज लोहे के कारखाने में ही उत्पादन हो रहा है। इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेन्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (इपिकोल) को उड़ीसा में क्योंझर के स्थान पर प्रतिवर्ष 3,00,000 टन स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना

लगाने हेतु आशय-पक्ष जारी किया गया है। इसमें से 1,50,000 टन वार्षिक क्षमता के अगले वर्ष के आरम्भ में चालू हो जाने की सम्भावना है और शेष क्षमता लगाई जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और इपिकोल को क्रमशः 1,20,000 टन और 90,000 टन क्षमता के लिए और आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

**स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के केन्द्रीय कोयला सप्लाई संगठन म कदाचार**

3563. **श्री मुकुंद मण्डल :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "सेल" के केन्द्रीय कोयला सप्लाई संगठन में हो रहे कदाचार के बारे में दिनांक 8 अक्तूबर, 1981 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने शिकायत के बारे में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उक्त कदाचार में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जानी है; और

(घ) यदि नहीं, तो जाँच कराये जाने में देरी करने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी) :** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

**सेलम इस्पात संयन्त्र**

4564. **श्री के० टी० कौसल राम :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय लिया गया है कि केवल स्टेनलैस स्टील की चादर तैयार करने के लिये सेलम इस्पात संयन्त्र को दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र की एक सहायक यूनिट मात्र रखा जाये;

(ख) क्या कंजा भिलाई लोह अयस्क का उपयोग छोड़ दिया गया है; और

(ग) क्या ऐसी स्थिति में जबकि कुद्रेमुख लोह अयस्क का अब कोई खरीददार नहीं है, सेलम इस्पात संयन्त्र के लिये कुद्रेमुख लोह अयस्क के उपयोग की सम्भावना के बारे में विचार किया गया है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी) :** (क) से (ग) इस समय सेलम इस्पात कारखाने में चादरों का उत्पादन आयातित बेदाग इस्पात के गर्म बेलित क्वायलों से किया जाता है। आयातित कच्ची सामग्री पर निर्भरता कम करने तथा वर्तमान इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण/विस्तार करके उनकी वर्तमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए

प्रस्ताव है कि दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में उत्पादित सिल्लियों को बोकारो इस्पात कारखाने में गर्म बेलन किया जाय और फिर उनका उपयोग सेलम इस्पात कारखाने में किया जाय। सेलम इस्पात कारखाने की क्षमता में कोई परिवर्तन अथवा इसको कच्ची सामग्री की सप्लाई के तरीके में परिवर्तन पर, वर्तमान उत्पादन के स्थिर हो जाने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि को देखने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है।

**पारादीप में पत्तन-आधारित इस्पात संयन्त्र**

4565. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पारादीप में एक पत्तन आधारित इस्पात संयन्त्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित पत्तन आधारित इस्पात संयन्त्र लगाने के लिये स्थान चुन लिया गया है;

(ग) इस इस्पात संयन्त्र को स्थापित करने के लिये कुल कितने एकड़ खेतीहर भूमि अधिगृहीत की गई है, अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के लिए क्या मुआवजा दिया गया है अथवा देने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) जी, हां।

(ख) भूमि का चयन करने तथा सीमांकन करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद ही भूमि अर्जन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

(ग) से (ङ) यह जानकारी भूमि-अर्जन की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही दी जा सकती है।

**छठी योजना अवधि के दौरान भारत द्वारा आयात**

4566. **श्री चित्त महाटा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान आज तक देश में कितना आयात किया गया और 1982-83 के लिए आयात का लक्ष्य कितना है; और

(ख) छठी योजना अवधि में देश के आयात को घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1980-81 के दौरान भारत के आयात 12,434.58 करोड़ रु० के हुए। सरकार ने 1982-83 के लिए आयात का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ख) घरेलू उत्पादन बढ़ाकर तथा स्वदेशी तौर पर उत्पादित मदों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर आयातों पर निर्भरता कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

**पूर्णिया से पटना तक वायुदूत सेवा**

4567. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्णिया से पटना तक तीसरी एयरलाइन्स सर्विस (वायुदूत) चलाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) वायुदूत सेवाओं का एक चरणवद्ध तरीके से भारत के अन्य भागों तक विस्तार किया जा रहा है। बिहार में पूर्णिया प्रथम चरण में विमान सेवा से जोड़े जाने वाले 23 स्टेशनों में से एक है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक निदेशक और चेयरमैन**

4568. **श्री आर० पी० यादव**
**श्री एन० के० शेजवलकर**
**श्री माधवराव सिंधिया** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है जहाँ इस समय प्रबन्ध निदेशक या चेयरमैन नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के कुल उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों और चेयरमैनों में से कितने तकनीकी विद् और नौकरशाही हैं और कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा के हैं;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों के पास सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक और चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तकनीकी क्षमता व्यापार प्रबन्ध योग्यता, कानूनी विशेषज्ञता और प्रशासनिक एवं कार्मिक प्रबन्ध अनुभव हैं; और

(घ) क्या प्रबन्ध निदेशकों और चेयरमैनों को प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करने की सरकार की कोई योजना है जिससे कि उत्पादन अधिकतम हो सके और हानि कम से कम ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) ऐसे 21 सरकारी उद्यम हैं, जिनमें पूर्णकालिक अध्यक्षों अथवा प्रबन्ध निदेशकों को नियमित नियुक्तियां की जानी हैं, इन सभी पदों के लिए चयन किया जा चुका है तथा सरकार उन पर नियुक्ति के लिए

सक्रिया रूप से विचार कर रही है। इन उपक्रमों में इन सभी रिक्त पदों का दायित्व संभालने के लिये कार्यकारी व्यवस्थाएं की गई हैं।

(ख) और (ग) सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का ही एक ऐसा पद होता है, जो सामान्य प्रबन्धकीय किस्म का है। सरकार इन पदों को, इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं एवं इन पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की तदनुरूप अर्हताओं एवं अनुभव को ध्यान में रखकर भरती है केन्द्रीय सरकार के इन लगभग 190 में से केवल 9 उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन सरकारी उद्यमों में ऐसा कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है जो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा से नियमित आधार पर प्रतिनियुक्त पर हो।

(घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पद पर काम करते-करते ही इसका आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होता है। सरकार शीर्ष स्तरीय कार्यकारी अधिकारियों को समुचित रूप से अदल-बदल कर विभिन्न अनुभव प्रदान करने का प्रयास करती है, ताकि वे मुख्य कार्यकारी का पदभार सम्भाल सकें। इसके अलावा सामान्य प्रबन्ध के महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में समय-समय पर शीर्ष स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, ताकि शीर्ष स्तरीय प्रबन्धकों को अद्यतन ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी प्रबन्धकीय विशेषज्ञता समृद्ध करने के सुअवसर प्राप्त हो सकें। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकतम लाभकारिता प्राप्त करने, लागत घटाने, प्रोत्साहन प्रदान करने आदि पर विशेष जोर दिया जाता है।

**टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को नागर विमानन सुविधाएं**

4569. **श्री ए० के० राय :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिस्को की नागर विमानन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिसमें वर्ष 1981 के प्रथम दस महीनों में हवाई जहाजों की संख्या की उड़ानों की संख्या और प्रयोग में लाये गये ईंधन तथा व्यय का विवरण दर्शाया गया हो;

(ख) क्या टिसको के नागर विमानन का उपयोग राज्य और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, केन्द्रीय सरकार या सरकारी क्षेत्र उद्यम के अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है; यदि हां तो वर्ष 1981 के प्रथम 10 महीनों के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टिसको सरकार के ऊर्जा संरक्षण निदेशनों का उल्लंघन कर रहा है और सरकार की नीति को प्रभावित करने के लिए इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहा है;

(घ) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को इस प्रकार की नागर विमानन सुविधा देना समाप्त करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) निम्नलिखित तीन विमान टिस्को के स्वामित्व में हैं तथा नागर विमानन के महानिदेशक के पास पंजीकृत हैं:—

(i) वी० टी०—ई० एफ० बी—किंग एयर सी—90
(ii) वी० टी०—सी० जैड० वी०—बोनांजा ए—35
(iii) वी० टी०—सी० जैड० एम०—बोनांजा ए—35

वर्ष 1981 के पिछले दस महीनों के दौरान, टिस्को ने एक महीने में औसतन 50 से 55 उड़ानें कीं तथा उड़ान किए गए घण्टे 1002 थे। इन उड़ानों पर खपत किया गया ईंधन निम्न प्रकार है:—

ए० टी० एफ० —60,771 लीटर
एवियेशन गैस —100 ओक्टेन —33,651 लीटर

ईंधन की कुल लागत : टिस्को द्वारा बतायी गयी ईंधन (ए० टी० एफ० 100 ओक्टेन) की कीमत 4.89 लाख रुपए है।

(टिप्पणी : दो बीच बोनांजा विमानों पर उड़ानें कुछ फालतू पुर्जों की अत्यधिक कमी के कारण बहुत सीमित हैं क्योंकि वे अब 33 वर्ष से भी अधिक पुराने हो गये हैं।)

(ख) ये उड़ानें सामान्य : टिस्को के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए की जाती हैं। तथापि, उपर्युक्त उड़ानों में से, केवल 7 उड़ानें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए की गयी थीं तथा 5 उड़ानें प्रांतीय सरकार के अधिकारियों तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए की गयी थीं।

(ग), (घ) और (ङ) : टिस्को एक निजी परिचालक है जिसके पास कोई अनुसूचित परमिट नहीं है और विनियमों के अनुसार, विमान द्वारा अपने अधिकारियों के वहन के लिए उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे भाड़े या धन कमाने के लिए यात्री नहीं ले जा सकते। अतः निजी परिचालकों को दी जाने वाली सुविधाओं को समाप्त करने का प्रश्न न्याय प्रतीत नहीं होता।

## आयकर अधिनियम के अन्तर्गत लाभ देने के लिए मुर्गी-पालन (पोल्ट्री) करने वाले किसानों से अभ्यावेदन

4570. **श्री बालासाहिब विखेपाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर अधिनियम की धारा 80 ञ ञ के अन्तर्गत बिना किसी सीमा के आय के 20 प्रतिशत तक, जैसा कि पशु प्रजनन और कृषि के अन्य व्यापार के मामले में है, कटौती का लाभ देने के लिए देश में मुर्गी-पालन (पोल्ट्री) करने वाले किसानों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की मुर्गी-पालन में विभिन्न रोगों के लग सकने और आदानों की बढ़ती हुई लागत और इसके उत्पादों में अस्थिर मूल्यों के कारण इसमें अधिक जोखिम के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) जी हां। मुर्गी-पालन (पोल्ट्री) करने वाले किसानों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, कि मुर्गी-पालन (पोल्ट्री) से प्राप्त होने वाले लाभों और अभिलाभों के सम्बन्ध में वही छूट दी जाये जो आयकर अधिनियम की धारा 80 ञ ञ के अधीन पशुप्रजनन और गुग्ध उद्योग के सम्बन्ध में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) इस करछूट के दुरुपयोग के कतिपय मामले जानकारी में अन्य थे, जिनमें कतिपय का दाताओं ने मुर्गी-पालन (पोल्ट्री) उद्योग के माध्यम से अन्य काले धन की वैध आय में परिवर्तित करने की चेष्टा की थी। तदनुसार मौजूदा कानूनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

**देश के ऐसे उत्पाद जिनकी निर्यात क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया गया है**

4571. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऐसे उत्पादों का ब्यौरा क्या है, जिनकी निर्यात-क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) तथा (ख) कुछ वर्षों में चाय, काफी, तम्बाकू, काजू, गिरी, मूली, सूती वस्त्रों, बिना कमाये चमड़े, पटसन विनिर्मित वस्तुओं जैसी भारत की परम्परागत निर्यात वस्तुओं के कुल निर्यातों के सापेक्ष भाग में कमी रही है। दूसरी ओर, इंजीनियरी माल, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों, हस्तशिल्प की वस्तुओं जिनमें रत्न तथा आभूषण, समुद्री उत्पाद आदि भी शामिल हैं, जैसे गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यातों के सापेक्ष भाग में गैर-परम्परागत माल के निर्यातों के लिए विश्व मांग में तीव्र वृद्धि के कारण हुई है। निर्यात संभाव्यता का पूरी तरह उपयोग करने के मार्ग में जो मुख्य कारण उत्पन्न हुए उनमें ये शामिल हैं : कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगता, देश में उत्पादन सम्बन्धी बाधाएं, बढ़ती हुई आन्तरिक खपत, मंदी की परिस्थितियां तथा विकसित देशों में संरक्षणवाद में वृद्धि।

**ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए आई० डी० ए० से ऋण**

4572. **श्री जनार्दन पुजारी**
**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० ए० ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अपने विकास कार्यक्रम के लिए ऋण दिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए विश्व बैंक दल भारत आया था;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण दिया जाएगा;

(घ) क्या आई० डी० ए० द्वारा अब तक दिये गये ऋण का पूर्ण रूपेण उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्तमंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) से (ङ) विश्व बैंक की आसान शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए अब तक दो ऋण दिए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 5.7 करोड़ अमेरिकी डालर का पहला ऋण जिस पर 23 जुलाई, 1975 को हस्ताक्षर किए गए थे, पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 17.5 करोड़ अमेरिकी डालर के दूसरे ऋण करार पर 21 जून, 1979 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऋण में से 31 अक्तूबर, 1981 तक 84,932 करोड़ अमेरिकी डालर का इस्तेमाल कर लिया गया था। दूसरे ऋण की अन्तिम तारीख 31 मार्च, 1984 है।

विश्व बैंक समूह के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की तीसरी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के वास्ते सहायता के लिए विचार विमर्श चल रहा है। हालाँकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए प्रस्तावित तीसरे ऋण पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व बैंक मिशन भारत का दौरा कर चुका है लेकिन बैंक के साथ अभी बातचीत की जानी है। सम्भावित सहायता आदि की राशि का पता बैंक ग्रुप के साथ बातचीत पूरी हो जाने के बाद ही लगेगा।

### धागे (फाइबर) की उचित दर पर सप्लाई

4573. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर रेयन तथा अन्य निर्माताओं द्वारा विकास स्टेपल धागे के मूल्यों में नई वृद्धि किये जाने के कारण सूती कपड़ा मिलों ने परेशान हो कर उचित मूल्य पर धागे की सुचारू रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप पंजाब के बुनकरों को भी हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए पंजाब तथा अन्यत्र उद्योगों को हानि न हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) वस्त्र मिलों की कुछ संस्थाओं ने ग्वालियर रेयन्स द्वारा विस्कोस स्टेपल रेशा की कीमत में नई वृद्धि किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं।

(ख) तथा (ग) हाल की कीमत वृद्धि के बाद पंजाब से कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत विस्कोस स्टेपल रेशा के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है ताकि इसकी बराबर सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

**इस्पात उद्योग के विकास के लिए आपसी सहायता हेतु भारत-इण्डोनेशियायी समझौता**

4574. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के विकास के लिए आपसी सहायता हेतु भारत और इण्डोनेशिया के बीच सहयोग के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो समझौते के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इण्डोनेशिया ने अपने इस्पात उद्योग के विकास के लिये भारत से किस प्रकार की सहायता मांगी है और इस बारे में भारत को इण्डोनेशिया में किस प्रकार की सहायता प्राप्त होगी ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) से (ग) भारत के इस्पात और खान मंत्री तथा इन्डोनेशिया के उद्योग मंत्री के बीच हुई बातचीत के पश्चात् वर्ष 1979 की प्रथम तिमाही में एक करार किया गया था जिसके अनुसार दोनों देश आर्थिक क्षेत्र में आपसी लाभ के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। सहयोग के क्षेत्रों में इस्पात क्षेत्र भी शामिल है। अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी सहमति हुई थी कि इण्डोनेशिया भारत में बैलाडिला में लगाये जाने वाले पैलेट संयंत्रों से दीर्घावधि आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 17.5 लाख टन लौह-अयस्क के पैलेट खरीदेगा और भारत को वर्ष 1979 और 1990 के बीच लगभग 52 लाख टन स्पंज लोहा सप्लाई करेगा।

इस करार के अनुसरण में दोनों पक्षों के बीच समय-समय पर बातचीत हुई है। जून-जुलाई, 1981 में हुई चातचीत के फलस्वरूप इन्डोनेशिया बैलाडिया के पैलेटों के स्थान पर मंगलौर में लगाई जाने वाले पैलेट बनाने के कारखाने में कुद्रेमुख के लौह-अयस्क से बनाये जाने वाले पैलेटों को खरीदने के लिये सहमत हो गया है वशर्ते कि परीक्षण से पैलेट उपयुक्त पाये जाएं। मंगलौर के पैलेट बनाने के कारखाने में उत्पादन 1984 की तीसरी तिमाही से आरम्भ होगा तब तक इन्डोनेशिया 1982 से 1984 के तीन वर्षों में मन्डोवी पैलेट्स लिमिटेड, गोआ से प्रतिवर्ष 3 लाख टन तक पैलेट खरीदेगा।

इन्डोनेशिया इस बात के लिए भी सहमत हो गया है कि यदि वह भविष्य में पैलेट बनाने का अपना कारखाना लगायेगा तो वह कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड से पैलेट खरीदने के प्रश्न पर विचार करेगा। भारत का नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1982 की अवधि में इन्डोनेशिया से 3 लाख टन तक स्पंज लोहा खरीदने को

सहमत हो गया है। इससे भारत के लघु इस्पात कारखानों को, जिनको मेल्टिंग स्क्रैप की कमी का सामना करना पड़ रहा है, सहायता मिलेगी।

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में आधुनिकीकरण का कार्यक्रम**

4575. **श्री बाला साहिब विखेपाटिल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राष्ट्रीय वस्त्र मिल में राज्यवार गत तीन वर्षों के दौरान और 1981-82 में अब तक चलाए गए आधुनिकीकरण के कार्य-क्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर किस सीमा तक खर्च हुआ और ऊपर लिखित प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक इकाई में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) :** (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 (जून 1981 तक) के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र नियम की मिलों में आधुनिकीकरण/नवीकरण पर किये गये निवेश के मिलवार ब्यौरे दर्शाए गये हैं।

पहले ही किये गये आधुनिकीकरण/नवीकरण के कारण धागे तथा कपड़े का उत्पादन निरन्तर बढ़ा है। 1975-76 की तुलना में बाजार धागे का उत्पादन बढ़कर 1980-81 में 49.28 मिलियन किग्रा० से 68.72 मिलियन किग्रा० तथा कपड़े का उत्पादन 764.16 मिलियन मीटर से बढ़कर 940.48 मिलियन मीटर हो गया।

**विवरण**

| क्रमांक | मिल का नाम | (निवेश की गई राशि) (लाख रु०) 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 (जून तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| **दिल्ली** | | | | | |
| 1. | अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स | — | 16 | 5 | — |
| **पंजाब** | | | | | |
| 2. | दयालबाग स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, अमृतसर, पंजाब। | — | 8 | 30 | 19.16 |
| 3. | सूरज टेक्सटाइल मिल्स, मलोट, पंजाब। | — | 10 | 19 | 20.51 |

(जारी...)

| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. खरर टेक्सटाइल मिल्स, खरर पंजाब । | — | 13 | 5 | 5.00 |
| 5. पानीपत वूलन मिल्स, खरर पंजाब । | — | 1 | 7 | 3.00 |
| **राजस्थान** | | | | |
| 6. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर, राजस्थान | — | 44 | 10 | 7.58 |
| 7. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर, राजस्थान | — | 16 | 20 | 17.80 |
| 7. श्री बिजय कॉटन मिल्स, विजयनगर, राजस्थान | — | 16 | 30 | 14.16 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | | |
| 1. मोयर मिल्स, कानपुर | 19 | — | 200 | 98.85 |
| 2. न्यू विक्टोरिया मिल्स, काटपुर । | — | 5 | 183 | 109.24 |
| 3. विजली कॉटन मिल्स, हाथरस । | — | 6 | 30 | 8.71 |
| 4. लाल कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर । | 13 | 5 | 100 | 78.48 |
| 5. श्री विमल कॉटन मिल्स, लखनऊ | 14 | 2 | 5 | 16.44 |
| 6. लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स, कानपुर | 62 | 22 | 50 | 42.29 |
| 7. अथरटन वेस्ट कॉटन मिल्स, | 59 | — | 120 | 5.09 |
| **वेस्ट बंगाल** | | | | |
| 1. बंगाल टेक्सटाइल मिल्स, कासिमबजार । | 7 | 43 | — | 18.82 |
| 2. मनिन्द्रा मिल्स, कासिमबजार । | — | — | — | 10.36 |

(जारी...)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. सेन्ट्रल कॉटन मिल्स, कलकत्ता । | 7 | 2 | — | 11.71 |
| 4. बंगाल फाइन स्पि० एंड वीविंग मिल्स नं० 1 कोननगर । | — | 9 | 20 | 24.08 |
| 5. बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स नं० 2 कोननगर । | — | 1 | 6 | 22.68 |
| 6. श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स, पाल्टा । | 25 | 2 | 10 | 34.79 |
| 7. रामपुरिया कॉटन मिल्स, सीरामपुर । | 14 | 10 | 70 | 63.79 |
| 8. लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स, रिश्रा । | 5 | 13 | 17 | 12.32 |
| 9. आरती कॉटन मिल्स, हावड़ा । | 28 | 14 | 20 | 29.51 |
| 10. बांनश्री कॉटन मिल्स, सोड़ीपुर । | 19 | 30 | 30 | 42.48 |
| 11. बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स, सीरामपुर । | 11 | 20 | 51 | 37.73 |
| 12. ज्योती वीविंग फैक्ट्री, कलकत्ता । | — | — | 20 | 13.25 |
| 13. कनोरिया इंडस्ट्रीज कोननगर । | 7 | 19 | 30 | 3.45 |
| 14. साडीपुर कॉटन मिल्स, सोड़ीपुर । | — | 53 | 30 | 6.77 |
| 15. एसोसिएटिड इंडडस्ट्रीज, असम । | — | 2 | 20 | 13.83 |
| **बिहार** | | | | |
| 16. गया कॉटन एन्ड जूट मिल्स, गया । | 7 | 61 | 12 | 27.10 |

(जारी ··)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. बिहार काप० स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, मोकामेह | — | 2 | 11 | 14.46 |
| **उड़ीसा** | | | | |
| 18. उड़ीसा कॉटन मिल्स, भगतपुर | 10 | 24 | 10 | 42.84 |
| **तमिलनाडु** | | | | |
| 1. ओम परासक्थी मिल्स, कोयम्बतूर | 2 | 1 | 7 | 4.55 |
| 2. कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बतूर | 17 | 14 | 75 | 34.06 |
| 3. किशनावेनी टेक्सटाल मिल्स, कोयम्बतूर | 7 | 14 | 30 | 15.18 |
| 4. श्री रंगविलास स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, कोयम्बतूर | 12 | 31 | 30 | 25.95 |
| 5. कोयम्बतूर मूरुगन मिल्स, कोयम्बतूर | 57 | 39 | 16 | 15.73 |
| 6. सोमासुन्दरम मिल्स, कोयम्बतूर | — | 20 | 60 | 21.07 |
| 7. कालेश्वर मिल्स "ए" यूनिटा कोयम्बतूर | — | 1 | 14 | 30.58 |
| 8. पंकजा मिल्स, कोयम्बतूर | 11 | 5 | 7 | 27.54 |
| 9. कोयम्बतूर स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, कोयम्बतूर | — | — | — | 10.26 |
| 10. बलराम वर्मा टेक्सटाइल मिल्स, तीरुनवेली | 9 | 18 | 13 | 27.54 |
| 11. श्री सारदा मिल्स, कोयम्बतूर | 12 | — | 20 | 13.64 |
| 12. कालेश्वरर मिल्स, "बी" यूनिट | 10 | 2 | 39 | 21.33 |
| 13. पायोनीर स्पिनर्स, कसाडाकुडी | 1 | 12 | — | 0.24 |
| **पांडिचेरी** | | | | |
| 14. श्री भारथी मिल्स, पांडिचेरी | 26 | 17 | 73 | 24.91 |

(जारी...)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **आंध्र प्रदेश** | | | | |
| 1. आजम जाही मिल्स, हैदराबाद | 6 | 1 | 60 | 8.35 |
| 2. नीथा स्पि० एन्ड वीविंग मिल्स, सिकन्दराबाद | 11 | 3 | 22 | — |
| 3. नटराज स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, अदीलाबाद | 59 | 13 | 20 | 10.00 |
| 4. अनन्तापुर कॉटन मिल्स, टाडापत्री | — | — | 10 | 4.68 |
| 5. तीरूपति कॉटन मिल्स, रेनूगुन्ता | 20 | — | 20 | 38.81 |
| 6. अदोनी कॉटन मिल्स, अदोनी | — | 13 | 31 | 5.74 |
| **कर्नाटक** | | | | |
| 7. मैसूर स्पि० एण्ड मैन्यू० मिल्स, बंगलौर । | 32 | — | 132 | 52.06 |
| 8. मिनर्वा मिल्स, बंगलौर | — | — | 40 | 33.65 |
| 9, श्री यालामा कॉटन, वूलन एण्ड सिल्क मिल्स, यालामानगर | 5 | 1 | 80 | 36.04 |
| 10. मेहबूब शाही कुलबर्गा मिल्स, गुलबर्गा | — | — | 95 | 40.48 |
| **केरल** | | | | |
| 11. केन्नानोर स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, केन्नानोर | 2 | 1 | 1 | — |
| 12. अलागप्पा टेक्सटाइल, कोचीन | 19 | — | 46 | 48.05 |
| 13. पार्वथी मिल्स, क्वीलून | 30 | 2 | 66 | 21.48 |
| 14. केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचुर | 6 | 7 | 15 | 0.17 |
| 15. विजय मोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम | — | — | 44 | 39.96 |

(जारी...)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| माहे | | | | |
| 16. केन्नानोर स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, माहे | 12 | 4 | 12 | —— |
| महाराष्ट्र | | | | |
| 1. ओरंगावाद टेक्सटाइल मिल्स, ओरंगावाद | 9 | 11 | 24 | 9.49 |
| 2. दिगविजय टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई | 34 | 16 | 67 | 25.05 |
| 3. छालिसगाँव टेक्सटाइल मिल्स, छालिसगाँव | 19 | 12 | 28 | 25.60 |
| 4. अहमदाबाद जुपीटर मिल्स, बम्बई | 11 | 18 | 71 | 25.05 |
| 5. अपोलो मिल्स, बम्बई | 34 | 23 | 89 | 19.94 |
| 6. भारत टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई | 41 | 52 | 63 | 19.96 |
| 7. न्यू हिन्द टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई | 13 | 27 | 97 | 20.24 |
| 8. बर्सी टेक्सटाइल मिल्स, बर्सी | 10 | 7 | 5 | 4.12 |
| 9. धुले टेक्सटाइल मिल्स, धुले | 42 | 50 | 28 | 18.84 |
| 10. ननदेड़ टेक्सटाइल मिल्स, ननदेड़ | 9 | 1 | 62 | 10.13 |
| 11. मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई | 20 | 14 | 33 | 25.55 |
| 12. मॉडल मिल्स, नागपुर | 36 | 22 | 23 | 9.37 |
| 13. आर० एस० आर० जी० मेहता स्पि० मिल्स, अकोला | — | 33 | 11 | 20.88 |
| 14. से इण्डिया यूनाइटिड मिल्स 19. (6 यूनिट) | 272 | 260 | 604 | 180.14 |
| 20. आर० बी० बी० ए० स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट | 20 | 17 | 21 | 9.37 |

(जारी···)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. सावतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला | 29 | 46 | 7 | 3.37 |
| 22. विदरभा मिल्स, बरार, आचलपुर | 2 | 30 | 8 | 13.07 |
| **गुजरात** | | | | |
| 1. न्यू मानकचौक टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद | — | — | 20 | 16.37 |
| 2. अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद | — | 18 | 100 | 48.17 |
| 3. हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद | 1 | 16 | 161 | 30.91 |
| 4. राजकोट टेक्सटाइल मिल्स, राजकोट | — | 2 | 50 | 17.73 |
| 5. महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, भावनगर | 21 | 7 | 75 | 9.73 |
| 6. पेटलद टेक्सटाइल मिल्स, पेटलद | 19 | 8 | 46 | 10.42 |
| 7. जहाँगीर टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद | 31 | 11 | 111 | 29.82 |
| 8. अहमदाबाद जुपीटर टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद | 35 | 26 | 80 | 10.27 |
| 9. राजनगर टेक्सटाइल मिल्स 1 एण्ड 2, अहमदाबाद | 6 | 11 | 123 | 2.51 |
| 10. वीरामगम टेक्सटाइल मिल्स, वीरामगम | 38 | 33 | 86 | 43.82 |
| **मध्य प्रदेश** | | | | |
| 1. वेगम नागपुर कॉटन मिल्स, राजनन्द गांव | — | 48 | 10 | 28.05 |
| 2. न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, भोपाल | 49 | 35 | 2 | 36.03 |

(जारी....)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. हीरा मिल्स, उज्जैन | 39 | 9 | — | 18.68 |
| 4. स्वदेशी कॉटन एण्ड फ्लौर मिल्स, इन्दौर | 6 | 5 | 26 | 33.48 |
| 5. बुरहानपुर तप्ती मिल्स, बुरहानपुर | 2 | 64 | 50 | 54.70 |
| 6. इन्दौर माल्वा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर | 3 | 2 | 14 | 55.28 |
| 7. कल्यानमल मिल्स, सिलनाथ कैम्प | 3 | 18 | 6 | 42.87 |

**सरकारी उपक्रमों के बारे में फजल समिति का प्रतिवेदन**

4576. **श्री बालासाहिब विखेपाटिल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी फजल समिति के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर अब तक कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो फजल समिति को सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या समिति ने अपने कार्य को पूरा कर दिया है ;

(घ) यदि नहीं तो उसके द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :** (क) और (ख) सरकार ने कोयला और उर्वरक क्षेत्रों के बारे में सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेष समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है। कोयला क्षेत्र के उद्यमों के विषय में समिति द्वारा की गई 30 प्रमुख सिफारिशों में से 24 सिफारिशें पूर्णतः स्वीकार कर ली गई हैं अथवा कुछ संशोधित रूप में स्वीकार्य हैं। उर्वरक क्षेत्र के बारे में 56 में से 47 सिफारिशें पूर्णतः स्वीकार कर ली गई हैं अथवा उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं। इन दो क्षेत्रों के बारे में सरकार द्वारा स्वीकृत सिफ़ारिशों के अन्तर्गत उत्पादन प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्ध तथा विपणन के विभिन्न पहलुओं तथा उत्पादनकारी एककों के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली संयन्त्रों आदि की व्यवस्था जैसी विशेष सुविधाएं भी शामिल हैं। सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की इंजीनियरी, नौवहन एवं टेलिफोन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) समिति ने अपना कार्य अभी समाप्त नहीं किया है और उसका कार्यकाल 31-3-1982 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। आशा है कि यह तब तक शेष कार्य पूरा कर लेगी।

**राष्ट्रीय कपड़ा के निगम निर्यातों में कमी**

4577. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979-80 में किए गए निर्यात की तुलना में 1980-81 में तथा 1981-82 में अब तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किए गए निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक वर्ग में कितनी कितनी कमी हुई और इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी हां ।

(ख) इन अवधियों के निर्यात निचे दिए गए हैं :—

| | करोड़ रु० में |
|---|---|
| 1979-80 | 6.42 |
| 1980-81 | 2.42 |
| 1981-82 (अप्रैल से सितम्बर) | 1.04 |

एन० टी० सी० के निर्यातों में गिरावट के कारण हैं :—

(1) अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसे मुख्य उपभोक्ता देशों में मन्दी की स्थिति तथा मांग में गिरावट ;

(2) ब्राजील, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान तथा चीन जैसे देशों से कड़ी प्रतियोगिता ;

(3) देशी कीमतों के मुकाबले आयातकों द्वारा आमतौर से कम कीमतें पेश की गईं ; तथा

(4) एन० टी० सी० मिलों की मशीनरी की तकनीकी सीमाएं जिससे वे निर्यातों के लिए विशिष्टताएं प्राप्त नहीं कर सकीं ।

(ग) एन० टी० सी० मिलों को विरासत में मिली मशीनरी/प्रोद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए आधुनिकी करण/विस्तार की योजनाएं बनाई गई हैं जो कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इन योजनाओं के पूरा होने पर, एन० टी० सी० वस्त्रों की क्वालिटी तथा उत्पादन लागत एन० टी० सी० कपड़े के निर्यात बढ़ाने के लिए अनुकूल हो जाएगी ।

**लेख परीक्षा के कार्य क्षेत्र के सम्बंध में किए गये संशोधन**

4578. **डा० सरवीश राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक तथा महा-लेखा परीक्षक (कार्य, शक्तियों और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 24 और 25 के अन्तर्गत नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने कुछ जांचों को समाप्त करने तथा समूचे लेखा परीक्षा सहित लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र तथा उसकी सीमा के बारे में कुछ संशोधन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संशोधन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने इन संशोधनों के बारे में सरकार को सूचित कर दिया है ; यदि हां, तो कब ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) और (ख) नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 24 द्वारा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को किसी खाते अथवा किसी किस्म के लेन देनों की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी अंश को छोड़ने का और ऐसे खातों अथवा लेन देनों के बारे में ऐसी सीमित जांच-पड़ताल करने का, जैसी वह निर्धारित करें, पूर्ण प्राधिकार दिया गया है। विभिन्न किस्मों के लेन देनों के बारे में लेखा परीक्षा संबन्धी जांच किस सीमा तक की जानी चाहिए, इसकी समीक्षा उसके द्वारा समय-समय पर की जाती है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन किए जाते हैं। इस संबन्ध में उसके द्वारा जारी किए गए निदेश केवल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के मार्ग दर्शन के लिए होते हैं और इन्हें लेखा परीक्षा की प्रभावकारिता के हित को देखते हुए प्रकट नहीं किया जाता।

(ग) नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के लिए इनकी सूचना सरकार को देना आवश्यक नहीं है।

**सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की भर्ती नीति**

4579. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने भर्ती नीति के संबन्ध में सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यागों तथा भारत सरकार को परियोजनाओं को कोई निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुदेशों और मार्गदर्शी निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उसी क्षेत्र के जहां यह परियोजना से संयन्त्र स्थित हैं शिक्षित तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को विशेषकर 800/- रु० से कम वेतनमान वाले स्थानीय लोगों को परियोजना में रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाती है ;

(घ) अनुदेशों के अनुसार प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित स्थानीय श्रमिकों रोजगार प्रदान कराने के लिए सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) 800/- रु० से कम वेतनमान में भर्ती हेतु भर्ती नीति को स्थानीय लोगों पर लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों के लिए भर्ती नीति के निर्धारित व्यापक प्राचल इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को शीर्ष पद पर नियुक्त उस विशिष्ट पद के लिए उसकी सुयोग्यता के आधार पर की जाएगी ।

(2) मध्य स्तरीय एवं वरिष्ठ मध्य स्तरीय कार्यकारी संवर्ग में अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्तयां की जाती हैं, जिसमें गुणवत्ता एवं अर्हता ही मुख्य कसौटी मानी जाती है । इसमें यह सुनिश्चित करने का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि स्थानीय उम्मीदवारों को कोई उचित शिकायत करने का मौका न मिले । उच्चत्तर तकनीकी पदों के लिए श्रेष्ठतम अर्हता प्राप्त व्यक्ति की भर्ती या तो अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से या व्यक्तिगत सम्पर्क से की जाती है ।

(3) निम्न स्तरीय पदों, जिनका अधिकतम वेतनमान 800 रु० मासिक से अधिक न हो पर भर्ती केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही की जाएगी । अकुशल कामगारों की भर्ती में स्थानीय रोजगार कार्यालय, जो परियोजना के निकटस्थ हो, के द्वारा आने वाले व्यक्तियों को तरजीह दी जाएगी । इस प्रकार की भर्ती के अन्तर्गत उस परियोजना के लिए अधिग्रहीत क्षेत्रों के विस्थापितों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । इसके बाद अन्य सरकारी उद्यमों से छटनी में निकाले गए अथवा निकाले जाने वाले व्यक्तियों भले ही वे दूरवर्ती हों, को तरजीह दी जाएगी । कुशल कामगारों, लिपिकों तथा अन्य गैर-तकनीकी कर्मचारियों को भर्ती में भी, जहां तक आधारभूत अर्हताओं एवं अनुभव का प्रश्न है, उपर्युक्त वरीयता क्रमनुसार अधिमान्यता दी जाएगी ।

(4) उद्यमों में उच्चत्तर श्रेणी के रिक्त पदों के बारे में सूचना रोजगार कार्यालय को भेजना और स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में समुचित विज्ञापन देना भी आवश्यक है ।

केन्द्रीय सरकार के सभी क्षेत्रों में लागू की जाने वाली उपर्युक्त नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है कि ये संगठन वाणिज्यिक आधार पर अपना कार्य चालू रख सक और साथ ही स्थानीय उम्मीदवारों, अर्थात जिस राज्य में वह उद्यम स्थित है, वहां के रहने वालों को भी रोजगार के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें ।

**"टिस्को" निदेशकों तथा उच्च अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं**

4580. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि टिस्को के निदेशक तथा उच्च अधिकारी नरेश कुमार एण्ड कम्पनी नामक एक बेनामी कम्पनी के पक्ष में, जिसको धनबाद की इसकी कोयला खानों में ठेकों में एकाधिकार की स्थिति प्राप्त है, अनियमितताएं करने में अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) क्या टिस्को द्वारा खरीदे गए और टैल्को से प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए गए 30 ट्रक मैसर्स नरेश कुमार एण्ड कम्पनी को दे दिए गए थे;

(ग) क्या क्रेताओं को ट्रकों के निपटान के लिये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का उलंघन किया गया था;

(घ) क्या टिस्को के मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक को ऐसी अनियमितताएं बताने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था;

(ङ) क्या यह मामला टिस्को के बोर्ड की बैठक में उठाया गया था जिसमें सरकारी निदेशक हैं; और

(च) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कदम उठाये गए हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) इस प्रकार की कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) पता चला है कि टिस्को ने कोयले की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोयले की ढुलाई के लिए बहुत से ट्रक खरीदे थे। बाद में कम्पनी ने परिचालनात्मक सुविधा के लिए 15 ट्रक किराया-खरीद आधार पर ट्रांसपोर्ट कंट्रक्टरों को इस शर्त पर बेचने का फैसला किया कि इन ट्रकों का प्रयोग टाटा स्टील के लिए आवश्यक सामग्री के लाने-ले जाने के लिए ही किया जाएगा। चूंकि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि किसी सार्वजनिक वितरण प्रक्रिया का उलंघन किया गया है।

(घ) जी, नहीं। पता चला है कि मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक ने अन्य कारणों से त्याग पत्र दिया है।

(ङ) और (च) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का प्रश्न किस मामले के बारे में है।

4581. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष में वर्षवार निर्यात की गई रबड़ की वस्तुओं की मात्रा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 में किया गया निर्यात लक्ष्य से बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्यात में बढ़ोत्तरी करने लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद कलकत्ता द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान रबड़ विनिर्मित उत्पादों के निर्यात निम्नलिखित थे :—

| 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 (लाख रु०) |
|---|---|---|
| के दौरान निर्यात (अनुमानित) | | |
| 2228.4 | 2282.9 | 3023.0 |

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार के साथ परामर्श करके संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सामान्य निर्यात संवर्धन उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रदर्शनियों में भाग लेना, बिक्री दल बाहर भेजना तथा बाजार सर्वेक्षण करना। इसके अलावा निर्यातक समुदाय की विशिष्ट समस्याओं द्वारा विचार किया जाता है और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

**पटसन की खरीद में कमी**

4582. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय संकट के कारण पटसन की खरीद में काफी कमी हुई है; और

(ख) सरकार ने वित्तीय दृष्टि से सक्षम एककों की यह कहने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा कहने का विचार है कि वे अधिक खरीद करें ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) पैसे की कमी होने के कारण पटसन मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीद में मंदी आई है। तथापि, भारतीय पटसन निगम द्वारा की गई खरीद अधिकांशत: गत वर्ष में की खरीदारियों से दुगनी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर भारतीय पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में सितम्बर, 1981 में एक मानिटरिंग समिति गठित की गई थी जिसमें भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन, भारतीय पटसन निगम तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो समय-समय पर पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की खरीद की समीक्षा करेगी एवं मॉनिटर करेगी। इसके अलावा सरकार ने उद्योग की नकद राशि की स्थिति में सुधार करने हेतु मदद करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों में बी ट्रिवल बोरों की 1 लाख गांठों की एक बार खरीद, 14 सप्ताह की खपत जिसमें 4 सप्ताह की भारतीय पटसन निगम से खपत और नवम्बर, 1981 से जनवरी, 1982 के भरपूर मौसम में 2 सप्ताह की अतिरिक्त खपत के लिए अतिरिक्त ऋण देना, नवम्बर तथा दिसम्बर में की गई खरीद के लिये 10 प्रतिशत तथा जनवरी, 1982 में की गई खरीद के लिए 15 प्रतिशत तक मार्जिन में कमी, पटसन माल के निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य पर नकद मुआवजा सहायता का दिया जाना आदि।

**राजधानी में आयकर विभाग द्वारा पता लगाए गये 'आडम्बरपूर्ण खर्चे के मामले**

4583. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में आयकर विभाग द्वारा गत एक वर्ष के दौरान 5 स्टार होटलों में 'आडम्बरपूर्ण खर्चे' के कितने मामलों का पता लगाया जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 113-5(ए) में निर्धारित है;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम के इस उपबन्ध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या यह उपबन्ध अब तक सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए निष्फल सिद्ध हुआ है; और यदि नहीं, तो ऐसे खर्च को उचित न ठहरा सकने वाले कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया)** : (क) से (ग) यह सही नहीं है कि धारा 133-क (5) का उपबन्ध सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये 'निष्फल' सिद्ध हुआ है। आयकर आयुक्तों से कहा गया है कि वे आसूचना पक्ष के माध्यम से धारा 133-क (क) के अन्तर्गत सूचना एकत्र करने तथा साथ ही साथ होटलों आदि से भी सूचना/प्रमाण एकत्र करने के लिये सम्मिलित प्रयास करें। मामलों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

**मध्य वर्गीय भारतीय पर्यटनों की आवश्यकताओं को पूरा करना**

4584. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्य वर्गीय भारतीय पर्यटकों के साधारण बजट को ध्यान में रखते हुए अपने रुख और जिन क्षेत्रों पर वह अधिक बल देती है उस बारे में परिवर्तन करने का है;

(ख) क्या उसका विचार देशी पर्यटन व्यापार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी बढ़ती हुई पंच-सितारा होटल संस्कृति में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) जी हां, एक नीति के तौर पर निगम स्वदेशी और साथ ही विदेशी पर्यटन के विकास पर समान रूप से बल दे रही है। भारत पर्यटन विकास निगम की सेवाओं का वर्तमान नेटवर्क प्रायः समस्त देश को कवर करता है और विदेशी तथा स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विशेष रूप से, देश में विभिन्न 12 केन्द्रों पर स्थित यात्री गृह सस्ता आवास प्रदान करते हैं जो कि बजट टूरिस्टों जिनमें भारतीय पर्यटन शामिल हैं, की पहुंच के अन्दर है। स्वदेशी पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से, अब 2 से 3-स्टार होटलों यात्री गृहों और जनता टाइप होटलों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम सभी वर्गों के पर्यटकों, यथा संपन्न, मध्य, निम्न आय वर्ग के और बजट पर्यटकों, की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। भारत पर्यटन

विकास निगम द्वारा 5-स्टार होटलों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पर्यटनों की जरूरतों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वस्तुतः अशोक ग्रुप के होटलों की वर्तमान शृंखला में, 23 यूनिटों में से केवल 6 होटल ऐसे होंगे जो 5-स्टार की सुविधाएं प्रदान करेंगे।

(ग) निगम ने राज्य सरकार/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम का आधारभूत उद्देश्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर माध्यम दरों वाले होटलों का निर्माण करना है ताकि सभी क्षेत्रों में पर्यटन विकास की संतुलित अभिवृद्धि करना सुविधाजनक हो सके। इस स्कीम में भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार/राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा लगभग बराबर इक्विटी पार्टिसिपेशन सहित प्रत्येक राज्य में एक अलग कम्पनी की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। भारत पर्यटन विकास निगम आयोजना, डिजाइनिंग और होटलों के निर्माण में परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा और इन होटलों का निर्माण पूरा हो जाने के बाद इनका प्रबंध संचालन तथा मार्केटिंग भी करेगा। यह प्रबंध राज्यों के साथ निकटतर समन्वय को पर्यटक स्थलों के क्षेत्र-वार विकास को निश्चित करने के लिए पर्यटन के लाभों के व्यापक फैलाव को और भारत पर्यटन विकास निगम की विशेषज्ञता-सेवाओं के प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

**औद्योगिक गृहों द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए संस्थागत राशियों के मुक्त प्रवाह पर रोक लगाना**

4585. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक गृहों द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए अथवा विद्यमान परियोजनाओं का पर्याप्त विस्तार करने के लिए संस्थागत राशियों के मुक्त प्रवाह पर रोक लगाने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पर रोक लगाने के लिए उपाय के रूप में प्रवर्तकों द्वारा वहन की जाने वाली परियोजनाओं की कुल लागत का कुछ न्यूनतम प्रतिशत निश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बारे में सामान्यतः प्रवर्तकों द्वारा एक न्यूनतम अंशदान उपलब्ध कराये जाने पर जोर देती हैं जिसे परियोजना की कुछ लागत के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सरकार की नीति के अनुसार और सरकार द्वारा जारी किये गये विशिष्ट मागदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में इन संस्थओं द्वारा प्रवर्तकों के अंशदान और ऋण-साम्य अनुपात विषयक मानदण्डों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि पहाड़ी क्षेत्रों और अधिसूचित पिछड़े जिलों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं तथा तकनीकी उद्योमियों, नये स्थानीय उद्योमियों, अनिवासी भारतीयों और गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों

द्वारा प्रवर्तित उद्यमियों के लिए संस्थागत वित्त अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। इन मानदण्डों का यह भी उद्देश्य है कि प्रवर्तकों के अंशदान की उच्चतर मात्रा और निम्नतर साम्यानुपात निर्धारित करके एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को कम किया जाए। संस्थागत ऋण चाहने वाली नयी परियोजनाएं और बड़े विस्तार की स्कीमें इन मानदण्डों से व्याप्त होती हैं। जहां कहीं संभव हो बड़े घरानों की कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी परियोजनाओं की लागत के एक अंश को अपने शेयर/डिबेंचर सार्वजनिक रूप से जारी करके पूरा करें और इस प्रकार संस्थाओं के साधनों पर दवाव कम हो जाए।

**सामान्य बीमा निगम में कर्मचारियों की संख्या**

4586. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कंपनियों में इन कम्पनियों का राष्ट्रीकरण किये जाने की तारीख को, ग्रुप i से iv तक के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन कंपनियों के राष्ट्रीकरण की तारीख के ग्रुप i से ग्रुप iv संवर्गों में कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए और पदोन्नत किए गए ; तथा इस सम्बन्ध में 31 अक्तूबर, 1981 तक का वर्ष वार/संवर्ग वार/सहायक कम्पनी वार/क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की तारीख से लेकर 31 अक्तूबर, 1981 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्ति और पदोन्नत किये गये तथा इस सम्बन्ध में ग्रुप i से ग्रुप iv तक का वर्ष वार/संवर्ग वार/क्षेत्र वार/सहायक कम्पनी वार ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (ग) जितनी सूचना तत्काल उपलब्ध है उतनी नीचे दी गई है;

(i) राष्ट्रीयकरण की तारीख अर्थात् पहली जनवरी 1973 को साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी;

| | |
|---|---|
| पहली श्रेणी | 3,504 |
| दूसरी श्रेणी | 4,270 |
| तीसरी और चौथी श्रेणी | 18,338 |
| जोड़ : | 26,112 |

(ii) राष्ट्रीयकरण के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :-

| | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पहली श्रेणी | 37 | 367 | 447 | 57 | 225 | 197 | 299 | 355 |
| दूसरी श्रेणी | 11 | 517 | 166 | 884 | 1365 | 948 | 1658 | 979 |
| तीसरी श्रेणी | 230 | 1616 | 815 | 1362 | 1592 | 1847 | 2525 | 1834 |
| चौथी श्रेणी | 61 | 457 | 50 | 48 | 184 | 398 | 429 | 345 |
| जोड़ : | 339 | 2957 | 1478 | 2351 | 3866 | 3390 | 4911 | 3513 |

(iii) यद्यपि साधारण बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था, लेकिन इस उद्योग का पुनर्गठन और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का युक्तिकरण विभिन्न दौरों में किया था। नियमित भर्ती सम्बन्धी नीति 1976 में ही तैयार की गई थी। जिसमें अनुसूचित जातियों और अमुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की भर्ती के आंकड़े इस प्रकार हैं ;

| | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|
| पहली श्रेणी | 1 | 26 | 30 | 45 | 31 |
| दूसरी श्रेणी | 2 | 10 | 4 | 1 | 17 |
| तीसरी श्रेणी | 246 | 239 | 481 | 505 | 189 |
| चौथी श्रेणी | 11 | 59 | 139 | 161 | 95 |
| जोड़ | 260 | 334 | 654 | 712 | 332 |

**ब्यावर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए "प्रोसेसिंग हाउस" की स्थापना की मांग**

4587. **आचार्य भगवान देव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला अजमेर के लोगों ने राजस्थान के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के "प्रोसेसिंग हाउस" की स्थापना ब्यावर में किए जाने की मांग की है क्योंकि इस जिले में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के तीन मिल स्थित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है और उसे कहाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान) लिमिटेड ने ब्यावर (राजस्थान) में स्थित अपनी दो मिलों को आवश्यक प्रोसेसिंग सुविधाएं प्रदान करने और उसके द्वारा उनकी सक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सिदान्त रूप में जयपुर में विश्वकर्ता औद्योगिक एस्टेट में एक प्रासैसिंग हाउस स्थापित करने के लिए अजमेर जिले में लोगों की मांग उस स्थान पर पानी की अपेक्षित क्वालिटी तथा मात्रा उपलब्ध न होने की वजह से पूरी नहीं की जा सकी।

**भूमि विकास बैंकों की प्रबंध क्षमता की समीक्षा के लिए समिति**

4588. **आचार्य भगवान देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने भूमि विकास बैंकों को प्रबन्ध क्षमता की समीक्षा करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के चेयरमैन और सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस समिति के निवेश पद क्या हैं और इस समिति को अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारिताओं के माध्यम से सावधि ऋण विषयक एक संचालन समिति की नियुक्ति की है। इस समिति के विचारणीय विषय नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(1) परियोजना-गत ऋणों तथा संसाधनों के आदान-प्रदान के चक्र में तत्परता से शामिल किए जाने में भूमि विकास बैंकों (एल० डी० बी०) की संगठनात्मक क्षमता की समीक्षा करना तथा उचित सुझाव देना।

(2) भूमि विकास बैंकों की प्रक्रियाओं तथा ऋण नीतियों की जांच करना और उनके युक्तिकरण एवं सुधरे हुए वित्तीय प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शन करना।

(3) समय-समय पर भूमि विकास बैंकों के वसूली कार्य की समीक्षा करना तथा उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

(4) कमजोर भूमि विकास बैंकों के वास्ते समयबद्ध पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करना और उनके कार्यान्वयन पर नजर रखना।

(5) भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रमों को तय करने के मानदण्डों की समीक्षा करना।

(6) एक ओर भूमि विकास बैंकों तथा दूसरी ओर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बीच कार्यमूलक समन्वत स्थापित करने के बारे में कार्यवाही के कार्यक्रमों को बनाना।

(7) किसी अन्य सम्बद्ध पहलू पर विचार करना तथा भूमि विकास बैंकों के स्वस्थ विकास की सुनिश्चितता के लिए सिफारिशें करना।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम० रामकृष्णैया इस समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अन्य सदस्य ये हैं : डा० एम० बी० हाटे, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक श्री सन्त वास, प्रबन्ध निदेशक, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम; भारत सरकार के कृषि तथा सहकारी विभाग का नामिति; राष्ट्रीय सहकारिता भूमि विकास बैंक फैडरेशन के अध्यक्ष; राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष; सहकारी समितियों के पाँचों क्षेत्रों (उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी तथा मध्य) में से प्रत्येक के रजिस्ट्रार; राज्य भूमि विकास बैंकों के दो प्रबन्ध निदेशक तथा कृषि पुनर्वित्त और निगम एवं रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी जो कि इसके सदस्य सचिव हैं।

यह एक स्थायी समिति होगी तथा इसके गठन के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1975 में गठित डिबेंचर मानदण्ड विषयक समिति को भंग कर दिया गया है।

**सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए आई० डी० ए० से ऋण**

4589. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में तीन सीमेंट संयंत्री की स्थापना के लिए आई० डी० ए० से 2600 लाख डालर के ऋण के लिए अपने आवेदन को वापस लेने का निर्णय लिया है,

(ख) इस निर्णय के कारण विदेशी मुद्रा की कितनी अनुमानित हानि होगी, और

(ग) इन परियोजनाओं के लिये राशि प्राप्त कराने के वैकल्पिक स्रोत कौन-कौन से हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) विश्व बैंक 23 करोड़ डालर एक सम्भावित ऋण के लिए भारतीय सीमेंट निगम की एक परियोजना का मूल्यकांन कर रहा था। चूंकि विश्व बैंक द्वारा परियोजना का वित्तपोषण करने में देरी होने की संभावना थी, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अतिरिक्तक्षमता की स्थापना के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, इसलिए परियोजना को पूरा करने के लिए अपने ही स्रोतों से वित्त व्यवस्था करने का निर्णय कर लिया गया।

(ख) चूंकि भारत को ऋण देने के लिए विश्व बैंक उपलब्ध की जाने वाली धनराशियों का उपयोग बैंक के सम्मुख सहायता के लिए प्रस्तुत अन्य परियोजनाओं के लिए कर लिया जाएगा, इसलिए इससे विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं होगी।

(ग) इस परियोजना का वित्तपोषण देशी स्रोतों से किया जाएगा।

**कोरापुट जिले में खनिज निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण**

4590. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए कोरापुट जिले के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) उनके मंत्रालय ने राज्य के उस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए छठी योजना की वार्षिक योजना में यदि कोई सहायता दी है तो वह क्या है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण छठी योजना में चालू कार्यों के रूप में उड़ीसा राज्य में मानचित्रण, खनिज खोज और भू-तकनीकी अन्वेषण कर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्य राज्य सरकार के प्रतिनिधियों व अन्यों के परामर्श से तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार किए जाते हैं।

**मेसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, बल्लभगढ़ हरियाणा**

4591. **श्री आर० एम० राकेश** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** मेसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, बल्लभगढ़, हरियाणा द्वारा बिना औद्योगिक लाइसेन्सों के घमन भट्टी रखे जाने के 3 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि इस फर्म को प्रति वर्ष केवल 21,500 टन एम० एस० इंगाट्स का निर्माण करने की अनुमति है तो इसके द्वारा एम० एस० इंगाट्स की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या यह कम्पनी स्टेनलैस स्टील जैसी अनेक अन्य मदों का निर्माण कर रही है और इसे "स्पेशल निकल क्रोमियम स्टील" के नाम से बेच रही है ?

**वाणिज्य तथा खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) मेसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लि० से अपनी लाइसेन्सीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन के लिए जवाब-तलब किया गया है ।

(ख) सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ।

**भारत द्वारा वस्त्रों के निर्यात के बारे में सोवियत रूस द्वारा शर्तों का लगाया जाना**

4592. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूप को किए जाने वाले वस्त्रों की निर्यात व्यवस्था में काफी गड़बड़ी हो गई है क्योंकि सोवियत रूस ने वस्तुओं की किस्म तथा भुगतान की शर्तों के बारे में नई शर्तें लगाने का प्रयास किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारी मिलें इन शर्तों को पूरा करने में समर्थ नहीं होगी और देश के समस्त वस्त्र उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हमारे वस्त्रों के निर्यात का 40 प्रतिशत सोवियत रूस को भेजा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जो सरकार के जानकारी में आई है और जिन्हें देर से भुगतान करने तथा वस्तुओं की उच्चतर किस्म के बारे में लागू किए जाने का प्रयास किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि सोवियत संघ के खरीदार संगठन भारत से सुधरी हुई क्वालिटी के वस्त्र आयात करने में रूचि रखते हैं । उन्होंने भुगतान की शर्तों में भी कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है । इन मामलों पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्सप्रोसिल) तथा सोवियत खरीदार संगठनों के बीच बातचीत हो रही है । उद्योग पर प्रभावों का, यदि कोई हों, तो मुल्यांकन बातचीत पूरी हो जाने के बाद ही संभव है ।

**18 दिसम्बर, 1981 को उत्तर दिए जाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को घाटा**

4593. **श्री चिन्तामणि जैना**
**श्री माधवराव सिंधिया** } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को प्रारम्भ से ही घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इतनी बड़ी हानि के क्या कारण हैं और ऐसी हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) से (ग) 1974 से पहले जब 103 संकट ग्रस्त वस्त्र उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उनका स्वामित्व राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अन्तरित किया गया था तब राष्ट्रीय वस्त्र निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में ली गई कुछ वस्त्र मिलों का प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में प्रबन्ध करती थी। 1974-75 से 1980-81 तक निगम को लगभग 231 करोड़ रु० का प्रचालन सम्बन्धी घाटा उठाना पड़ा है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हुए घाटे के मुख्य कारण हैं, मशीनों का पुराना होना, मिलों का अलाभ कर आकार, बिजली की कमी के कारण संस्थापित क्षमता का कम उपयोग होना तथा बेशी श्रमिक बल। अन्तर्निविष्ट साधनों विशेष रूप से कई मौसमों में रुई की लागतों में वृद्धि का भी उपक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपनी मिलों के कार्यचालन में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र, निगम द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं:—

(1) मशीनों का आधुनिकीकरण तथा जहां संभव हो क्षमता का विस्तार;

(2) कार्यभार तथा श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण;

(3) केन्द्रीयकृत आधार पर रुई की भारी मात्रा में खरीद, और

(4) बिजली की कमी का सामना करने के लिए कुछ एककों में डीजल से चलने वाले बिजली पैदा करने के सैट लगाना।

**बौद्ध तीर्थ स्थान, बौद्ध गया, कुशीनगर, साँची के लिए विमान सेवा**

4594. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोध गया, कुशीनगर, और सांची श्रावस्ती और राजगीर जैसे बौद्ध तीर्थ स्थानों के लिए कोई विमान सेवा चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित योजना का ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के लिये विमान सेवा किस-किस तारीख को आरम्भ हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इन स्थानों की यात्रा करने हेतु विदेशी पर्यटकों के लिये पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) इस प्रयोजन के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों ने इन स्थानों में से केवल गया को ही विमान सेवा से जोड़ने की सिफारिश की है। गया को वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम के प्रथम चरण में वायुदूत सेवाओं से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए तारीख की घोषणा इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान किए जाने के बाद की जाएगी।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बौद्ध केन्द्रों अर्थात् बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती तथा राजगिर के लिए मास्टर प्लान (भू-प्रयोग योजनाएं) निर्माण और आवास मन्त्रालय के नगर व ग्राम आयोजना संगठन के माध्यम से तैयार किये हैं। लघु योजनाएं (माइक्रो प्लान) पूरी होने वाली हैं तथा इनके कार्यान्वियन का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा। भारतीय होटल निगम, जो कि एयर इण्डिया की एक सहायक कम्पनी है, ने जापान के होक्के क्लब के सहयोग से राजगिर तथा कुशीनगर में एक-एक होटल स्थापित करने का निर्णय किया है। साँची में फिलहाल सुविधाएं पर्याप्त हैं। कुशीनगर, श्रावस्ती तथा बोध गया में विकास परियोजना के लिए भूमि का अधिकरण पहले ही किया जा चुका है।

**पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गयी सम्पत्ति के लिए परिवारों को मुआवजे का भुगतान**

4595. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उन परिवारों को, जो अपनी सम्पत्ति पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) में छोड़ आये हैं, पूरा मुआवजा देने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के मामले में किया गया था जिससे यह सिद्ध हो सके कि इस सम्बन्ध में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पूरे मुआवजों का भुगतान कब किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले को बंगला देश सरकार के साथ उठाया गया है कि वह बंगला देश में सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना न करें, और जब्त की गई सम्पत्तियों (अब भारतीय राष्ट्रीयता को) को दे दें; और

(घ) बंगला देश सरकार द्वारा उस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में क्या भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) तथा (ख) जी नहीं। पूर्वी पाकिस्तान से प्रवासियों ने नेहरू-लियाकत समझौता, 1950 के अन्तर्गत उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई अपनी सम्पत्तियों में अपने स्वामित्व-अधिकार बनाए रखे और वे अपनी सम्पतियों की बिक्री आदान-प्रदान अथवा निपटान मनचाहे ढंग से कर सकते थे। तथापि, भारत सरकार ने 1971 में उन भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों आदि को एक तदर्थ अन्तरिम राहत की अदायगी के लिए एक योजना की घोषणा की है जिनकी आस्तियां सितम्बर, 1965 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान अथवा बाद में पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी और जिन्होंने अपनी हानियां शत्रु सम्पति अभिरक्षक, बम्बई को सूचित कर दी थीं और उनके यहां अपने दावे दायर कर दिए थे। अनुग्रह योजना के अन्तर्गत दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दावों के मूल्य का ध्यान किए बिना दावों के सत्यापित मूल्य के 25% की दर पर अनुग्रह अनुदान की अदायगी की व्यवस्था है। योजना उन भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों पर समान रूप में लागू होती हैं जो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) और पश्चिम पाकिस्तान से प्रवास पर आये।

(ग) से (घ) इस मुद्दे पर भारत और बंगला देश की सरकारों के बीच कोई स्थाई विचार विमर्श नहीं हुए हैं। इस मामले की भारतीय सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है।

**लेखा परीक्षा विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना**

4596. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने 24 नवम्बर, 1981 को राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) ज्ञापन में उठाई गई मुख्य-मुख्य बातों का सम्बन्ध (1) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करते समय संविधान की व्यवस्थाओं, विशेषकर अनुच्छेद 148 के खण्ड 5 का पालन किये जाने और (ii) वेतनमान हैसियत आदि के बारे में लेखा-परीक्षा कर्मचारियों की मांगें और उनकी मांगों का अध्ययन करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने से हैं। जहां तक उपर्युक्त (i) का सम्बन्ध है, भारत के संविधान में स्वयं भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को विशेष हैसियत प्रदान की गई है और उनके लिए कुछ शर्तें/विशेषाधिकार निर्धारित किए गये हैं लेकिन ये, अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) में दी गई बातों को छोड़कर, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बारे में नहीं हैं। इस खण्ड में यह परिकल्पना की गई है कि संविधान के उपबन्धों और संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून के अधीन रहते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें वे होंगी जो भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई हों। संविधान की इस व्यवस्था का निरन्तर पालन किया जाता है और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमानों को भी भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित किया गया था। लोक सभा में 4 सितम्बर, 1981 को एक अन्य अतारांकित प्रश्न संख्या 2997 के उत्तर में भी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था।

ज्ञापन में उल्लिखित लेखा परीक्षा कर्मचारियों के वेतनमान, हैसियत आदि से सम्बन्धित अनेक मांगें, सरकार के पास भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी हैं और उनमें से कुछ पर लिए गए निर्णय की सूचना भी दी जा चुकी है और कई अन्य मांगों पर सरकार विभिन्न स्तरों पर विचार कर रही है। मामलों की जटिलता और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से बाहर के अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर पड़ने वाले उसके दूरगामी

प्रभाव और प्रतिक्रिया के कारण सरकार द्वारा उनकी सावधानी से जांच की जा रही है और इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

**इण्डोनेशिया में चीनी परियोजनाओं की स्थापना**

4597. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
**श्री जयनारायण रौत** } : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जकार्ता में चीनी परियोजनायें स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और चीनी परियोजनाओं की स्थापना के लिए इण्डोनेशिया को कितनी धनराशि की सहायता दिए जाने का विचार है; और

(ग) कब तक इन चीनी परियोजनाओं के तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) सरकार के पास जकार्ता में चीनी परियोजनाएं स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है । तथापि कुछ भारतीय फर्में उस देश में चीनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इण्डोनेशिया में जारी की गई निविदाओं में भाग ले रही हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**इस्पात विकास निधि से ऋणों पर ब्याज की दर में छूट देने के बारे में इस्पात उत्पादकों के सुझाव**

4598. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के प्रमुख उत्पादकों ने इस्पात विकास निधि प्रबन्ध समिति के समक्ष इस्पात विकास निधि से उनको दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर में छूट देने के बारे में कुछ सुझाव रखे हैं;

(ख) क्या इस्पात के प्रमुख उत्पादकों ने इस्पात विकास निधि की प्रबन्ध समिति से अपने अंशदान की भुगतान की समय अवधि बढ़ाने का भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस्पात विकास निधि द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) किस तारीख से छूट के नियम लागू होंगे ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस्पात विकास कोष की प्रबन्ध समिति मुख्य उत्पादकों द्वारा कोष में अंशदान करने की समयावधि तीस दिन तक और बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है, लेकिन समिति ने ब्याज की दर में छूट देने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया है ।

(घ) समयावधि में जो तीस दिन की रियायत दी गई है वह अप्रैल, 1982 तथा उससे आगे के उत्पादन पर लागू होगी ।

**ऋणदाता कम्पनियों के निदेशक मण्डल में वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त**

4599. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की ऋण-दाता कम्पनियों के निदेशक मण्डल में वित्तीय संस्थानों जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक विकास निगम तथा अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के बारे में कोई मागदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिनिधि की किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्टता, उसकी व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा ख्याति को ध्यान में रखा जाता है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये प्रतिनिधि किसी सीमित अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं और उनके संचालक पद का हर वर्ष नवीकरण किया जाता है; और

(ङ) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऐसी कम्पनियों के निदेशक मण्डल में आनुपातिक रूप से कनिष्ठ कर्मचारियों को नियुक्त करता है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) और (ख) जी, हां । वित्तीय संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे उन सभी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों के मण्डलों (बोर्डों) में अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करें, जिन्हें कि पर्याप्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई हो और जहां पर वित्तीय सहायता करारों में परिवर्तनीयता खण्ड को निगमित किया गया हो । अन्य मामलों में भी वित्तीय संस्थाएँ इस विषय में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकती हैं कि सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों के मण्डलों में निदेशकों को मनोनीत किया जाए अथवा नहीं ।

(ग) प्रतिनिधि की किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्टता, उसकी व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा ख्याति को ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) जी, नहीं । अलबत्ता, नीतिगत मामले के रूप में, ये संस्थाएं सामान्यत: आम तौर पर तीन वर्षों की अवधि के बाद मनोनीत व्यक्तियों में अदला-बदली करते रहते हैं ।

(ङ) आई० एफ० सी० आई० के मनोनीत अधिकारी सामान्यत: सहायक प्रबन्धकों तथा उससे ऊपर की रैंक के होते हैं । आई० एफ० सी० आई० द्वारा सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों के मण्डलों में मनोनीत व्यक्तियों के रूप में अधिकारियों को नियुक्त करने से पूर्व सभी सम्बद्ध पहलुओं पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

**पूंजी प्रधान परियोजनाओं के लिए आई० एफ० सी० आई० द्वारा दी गई अग्रिम राशि**

4600. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पूंजी प्रधान परियोजनाओं यथा सिन्थेटिक रेशों, कपड़ा औद्योगिक मशीनरी के लिए वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (आज तक) के दौरान आई० एफ० सी० आई० द्वारा कुल कितनी अग्रिम राशि दी गई;

(ख) ऋण-प्राप्त करने वाली उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनको एक करोड़ अथवा उससे अधिक राशि के ऋण दिये गये हैं;

(ग) क्या इनमें से किसी कम्पनी ने ऋणों की किश्तें अदा करने में कोताही की है; और

(घ) यदि हां, तो वे कम्पनियां कौन सी हैं और आई० एफ० सी० आई० द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वर्ष 1980-81 (जुलाई-जून) और पहली जुलाई, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान उन उपक्रमों को, जिनकी परियोजना लागत मौजूदा निवल परिसम्पतियों समेत, यदि कोई हो, 5 करोड़ रु० से अधिक है क्रमश: 17122.99 लाख रु० और 5327.03 लाख रुपए की राशि के ऋण स्वीकृत किए गए ।

(ख) 1980-81 (जुलाई-जून) और एक जुलाई, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 के दौरान जिन उपक्रमों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा एक करोड़ रु० से अधिक की राशि के ऋण स्वीकृत अथवा संवितरित किए गए उनकी सूची कमश: विवरण I और II में दी गई है ।

(ग) और (घ) विवरण I और II में जिन 114 उपक्रमों की सूची दी गई है, 30-9-1981 की स्थिति के अनुसार उनमें से 7 उपक्रमों ने निगम को वापसी अदायगी में व्यतिक्रम किया । इन में से 5 उपक्रमों के व्यतिक्रमों को अल्पकालीन स्वरूप का माना जा सकता था । अन्य दो उपक्रमों के मामले में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आवश्यक पुनर्वास स्कीम तैयार की गई है । किसी विशेष समय पर व्यतिक्रम करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के नामों को प्रचारित करना सरकार उचित नहीं समझती क्योंकि इससे बाजार में उनकी साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

**विवरण I**

**उन उपक्रमों की सूची जिन्हें वर्ष 1980-81 (जुलाई-जून) के दौरान एक करोड़ रुपये और अधिक राशि के (निवल) ऋण स्वीकृत किए गये**

1. ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स केरला लि०
2. पशुपति स्पिनिंग आफ वीविंग मिल्स लि०

3. ग्रंसल प्रोप्राइटर्स आफ इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०
4. राठी एलायस एण्ड स्टील लि०
5. मैसूर पेपर मिल्स लि०
6. पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०
7. मोदी अलकाली आफ केमिकल्स लि०
8. श्री विन्ध्या पेपर मिल्स लि०
9. सोनपुर स्पिनिंग मिल्स लि०
10. होटल कारपो० आफ इण्डिया लि०
11. मदुरा कोट्स लि०
12. स्वान मिल्स लि०
13. मफतलाल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि०
14. एन्नोर फाउंट्रीस लि०
15. अशोक लेलैण्ड लि०
16. मालवा काटन स्पिनिंग मिल्स लि०
17. टीटागढ़ पेपर मिल्स लि०
18. सदर्न पेट्रो केमिकल इण्डस्ट्रीज लि०
19. मालवा सहकारी सखर कारखाना लि०
20. सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लि०
21. हीरो फाइबर्स लि०
22. पेट्रो सिंथिस (प्रा०) लि०
23. लासन एण्ड टूबो लि०
24. स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०
25. प्रीमियर केबिल कं० लि०
26. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०
27. गोगटे: टेक्सटाइल्स लि०
28. गोदावरी मानर एस० एस० के० लि०
29. जे० के० इण्डस्ट्रीज लि०
30. इन्दाग रबर लि०
31. टाटा इंजी० एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०
32. श्री हनुमान को-आपरेटिव शुगर्स लि०
33. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश)

34. स्टैण्डर्ड मिल्स कं० लि०
35. सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लि०
36. डर्वी टेक्सटाइल्स लि०
37. सराफ सिंथेटिक्स (राजस्थान) लि०
38. कल्मेश्वर टेक्सटाइल मिल्स लि०
39. पंजाब अल्कालीस लि०
40. सोमेश्वर सीमेंट्स एण्ड केमिकल्स लि०
41. यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०
42. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०
43. गोधिंगलाज तालुका एस० एस० के० लि०
44. भोगवती एस० एस० के० लि०
45. गोदावरी डुडना एस० एस० के० लि०
46. कानपुर सुगर वर्क्स लि०
47. नासा वाचेस लि०
48. पोयशा इण्डस्ट्रियल कं० लि०
49. आन्ध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एण्ड इंजी० लि०
50. कार्बन एण्ड केमिकल्स इण्डिया लि०
51. स्पन सिल्क (इण्डिया) लि०
52. कर्नाटक सिल्क इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
53. निजाम सुगर फैक्टरी लि०
54. पालेर को-आपरेटिव सुगर्स लि०
55. सिरपुर पेपर मिल्स लि०
56. कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स सप्लाई कारपो० लि०
57. निक्को उड़ीसा लि०
58. आटो ट्रेक्टर्स लि०
59. कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०
60. श्री मेन्यूफैक्चरिंग कं० लि०
61. वेस्ट दीनाजपुर स्पिनिंग मिल्स लि०
62. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०
63. पंजाब खांड उद्योग लि०
64. पेपर मशीन वायर इण्डस्ट्रीज लि०
65. एल्कान इंजीनियरिंग कं० लि०

66. कर्नाटक सहकारी सखर कारखाना लि०
67. तूतीकोरिन अलकाली केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०
68. फार्मर्स को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०
69. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
70. ऐसियन होटल्स लि०
71. कास्मोपोलिटन बिल्डर्स एण्ड होटलियर्स (प्रा०) लि०
72. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० लि०
73. केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि०
74. एजिस केमिकल्स लि०
75. इण्डियन एक्सप्लोसिवस लि०
76. जगतजीत काटन टेक्सटाइल मिल्स लि०
77. दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स लि० (यूनिट : श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल्स लि०)
78. एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०
79. बिरला जूट मैन्यू० कं० लि०
80. मैसूर सीमेंट्स लि०
81. उड़ीसा स्पंज आयर्न लि०
82. महाराष्ट्र इलेक्रोस्मेल्ट लि०
83. घाटगे पाटिल इण्डस्ट्रीज लि०
84. ट्रांसपोर्ट कारपो० आफ इण्डिया लि० (यूनिट : बंगलौर वायर राड मिल्स)
85. ऐसियन वियरिंग्य लि०
86. दि कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपो० (आई०) लि०
87. रेणुसागर पावर कं० लि०
88. भालाबार सीमेंट लि०
89. आन्ध्र वैली पावर सप्लाई कं० लि०
90. टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कं० लि०
91. टाटा पावर कं० लि०

## विवरण-II

**वर्ष 1981-82 (अर्थात् एक जुलाई, 1981 से 31 अक्तूबर, 1982 तक) की अवधि के दौरान जिन उपक्रमों को एक करोड़ रुपये और अधिक की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया और संवितरित किया गया उनकी सूची**

1. टेक्समाको लि०
2. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट आफ पेपर्स लि०
3. महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि०
4. पुनालूर पेपर मिल्स लि०
5. सेवा पेपर्स लि०
6. मध्य भारत पेपर्स लि०
7. ओरियंटल पावर केबल्स लि०
8. प्रीमियर ओटोमोबाइल्स लि०
9. एसोसिएटेड बियरिंग्स कं० लि०
10. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (गुजरात) लि०
11. अन्नपूर्णा कोआ० सुगर्स लि०
12. नागार्जुन कोआप० सुगर्स लि०
13. हिन्दुस्तान सुगर मिल्स लि०
14. गोवा एन्टीबायोटिक्स आफ फार्मास्यूटिकल्स लि०
15. नार्दन एण्टरप्राइसेस कारपो० (प्रा०) लि०
16. भारत होटल्स लि०
17. बाम्बे डाइंग आफ मेन्यूफैक्चरिंग कं० लि०
18. एशियन होटल्स लि०
19. कार्बन एण्ड केमिकल्स लि०
20. एसोसिएटेड सीमेंट कोल्स लि०
21. तुंगभद्रा फाइबर्स लि०
22. स्टैण्डर्ड मिल्स लि०
23. रेणुसागर पावर कं० लि०

**सदरन बोटलर्स को आयात लाइसेंस जारी किया जाना**

4601. **श्री धर्मबीर सिंह :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** सदरन बोटलर्स को 6,83,710 रुपये के लिए जारी किए गए 17 अप्रैल, 1981 के आयात लाइसेंस संख्या पी०/सी० जी०/2062392 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हंगरी के उस निर्माता का नाम क्या है जिसने इस मशीन का निर्माण किया; और

(ख) मशीन का माडल नाम अथवा ब्रांड नाम क्या है और इसकी क्षमता कितनी है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) तथा (ख) प्रश्नाधीन आयात लाइसेंस हंगरी से बाटलिंग मशीन के आयात के लिए जारी किया गया था। लाइसेंस में हंगरी के विनिर्माता के नाम का उल्लेख नहीं था।

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

**मंगलूर से बंबई तक को की गई अतिरिक्त उड़ानें**

4602. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलूर से बम्बई के लिए कितनी अतिरिक्त उड़ानें की गईं;

(ख) क्या सरकार का राजस्व बढ़ गया है और निर्धारित लक्ष्य की सीमा पार हो गई है; और

(ग) यात्रियों को क्या सुख-सुविधायें प्रदान की जाती हैं और इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) इण्डियन एयरलाइन्स ने अप्रैल से सितम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान बम्बई/मंगलौर/बम्बई सैक्टर पर एच० एस० 748 की 33 तथा बी-737 की 7 अतिरिक्त उड़ानें परिचालित कीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स ने सामान उतारने तथा डिलीवर करने के कार्य में तेजी लाने के लिए सीढ़ी, यात्री सामान ट्रॉलियों, कार्गो ट्रॉलियों आदि के खींचने के लिए एक "इलेक्ट्रिक टग" की व्यवस्था की है। नागर विमानन विभाग और अधिक यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए टर्मीनल भवन में विस्तार एवं सुधार कर रहा है।

**दिल्ली हवाई अड्डे से बक्सों का गायब हो जाना**

4603. **श्री जनार्दन पुजरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1981 के दौरान दिल्ली के हवाई अड्डे से आधे दर्जन बक्से रहस्यमय ढंग से गायब हो गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गये हैं ;

(ग) क्या एयर लाइन्स के कर्मचारी भी चोरी में शामिल हैं ; और

(घ) यदि हां, तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और अपराधियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा)** : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार**

4605. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार करने की योजना तैयार की है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं की व्यवस्था करने के लिए शाखा को लाइसेंस देने संबन्धी नीति क्या है ;

(ग) चालू वित्त वर्ष में तथा 1982-83 के दौरान राज्यों में, राज्यवार, वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाओं खोली जायेंगी ; और

(घ) कर्नाटक राज्य में 1981-82 और 1982-83 के दौरान ये शाखायें किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) और (ख) कलैंडर वर्ष 1979-81 के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों का शाखा विस्तार उन कमी वाले जिलों के बिना बैंक वाले ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों में किया जाए जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध-शहरी व्यक्तियों के वास्ते एक बैंक कार्यालय से कम हो । इसी के अनुसरण में, सभी राज्यों के लिए शाखा विस्तार कार्यक्रम जिलेवार आधार पर तैयार किये गये थे । 1 जनवरी, 1979 से जुलाई, 1981 के अन्त तक ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 8990 अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकृतियाँ जारी की गई हैं । इनमें से जून 1981 के अन्त तक 5234 बैंक कार्यालय खोले जा चुके थे तथा शेष बची प्राधिकृतियां में से अधिकांश के 1981 की समाप्ति से पूर्व निपटा दिये जाने की संभावना है । आशा है कि 1982-85 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति इसी प्रक्रिया की और आगे बढ़ायेगी । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों और बैंकों के परामर्श से शाखा विस्तार आयोजनाएं अभी तैयार की जाती हैं ।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों से मालूम होता है कि कैलेंडर वर्ष 1981 (जून तक) के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के देश में 1123 शाखाएं खोली थीं । इनके राज्यवार ब्यौरे विवरण I में दिये गए हैं ।

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास 5093 प्राधिकृतियाँ विचारधीन थी । इनके राज्यवार ब्यौरे अनुबन्ध II में दिए गए हैं ।

(घ) 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक राज्य में बैंकों के पास जो 126 प्राधिकृतियां विचारधीन थीं उन स्थानों के नाम मालूम किये जा रहे हैं तथा उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

## विवरण-I

### 1981 के दौरान (जनवरी से जून) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए कार्यालयों की राज्यवार स्थिति

| राज्य का नाम | कार्यालयों की संख्या |
|---|---|
| 1. आंध्र प्रदेश | 88 |
| 2. असम | 15 |
| 3. बिहार | 161 |
| 4. गुजरात | 45 |
| 5. हरियाणा | 31 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 7 |
| 7. जम्मू तथा कश्मीर | 34 |
| 8. कर्नाटक | 43 |
| 9. केरल | 34 |
| 10. मध्य प्रदेश | 119 |
| 11. महाराष्ट्र | 83 |
| 12. मणिपुर | 1 |
| 13. मेघालय | — |
| 14. नागालैंड | 1 |
| 15. उड़ीसा | 54 |
| 16. पंजाब | 26 |
| 17. राजस्थान | 71 |
| 18. सिक्किम | 2 |
| 19. तमिलनाडु | 64 |
| 20. त्रिपुरा | 4 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 148 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 71 |
| 23. अरुणाचल प्रदेश | 2 |
| 24. चंढीगढ़ | 1 |
| 25. दिल्ली | 15 |
| 26. गोवा, दमण और दीव | 3 |
| 27. पांडिचेरी | 1 |
| जोड़ : | 1123 |

## विवरण-II

### 30-6-81 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों के पास बकाया प्राधिकृतियों की राज्यवार स्थिति

| राज्य का नाम | बकाया प्राधिकृतियों की संख्या |
|---|---|
| 1. आंध्र प्रदेश | 282 |
| 2. असम | 212 |
| 3. बिहार | 737 |
| 4. गुजरात | 77 |
| 5. हरियाणा | 74 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 52 |
| 7. जम्मू तथा कश्मीर | 80 |
| 8. कर्नाटक | 126 |
| 9. केरल | 81 |
| 10. मध्य प्रदेश | 470 |
| 11. महाराष्ट्र | 311 |
| 12. मणिपुर | 22 |
| 13. मेघालय | 23 |
| 14. नागालैंड | 10 |
| 15. पंजाब | 65 |
| 16. उड़ीसा | 279 |
| 17. राजस्थान | 102 |
| 18. सिक्किम | 2 |
| 19. तमिलनाडु | 235 |
| 20. त्रिपुरा | 38 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 1265 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 456 |
| 23. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | 33 |
| 25. दादरा और नागर हवेली | 1 |
| 26. चंढीगढ़ | 3 |
| 27. दिल्ली | 30 |
| 28. गोवा, दमन और दीव | 4 |
| 29. लक्षद्वीप | — |
| 30. मिजोरम | 18 |
| 31. पांडिचेरी | 4 |
| जोड़ : | 5093 |

**कंट्रोल के कपड़े की मात्रा में वृद्धि करने का प्रस्ताव**

4606. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक सर्वेक्षण किया है। जिसके अनुसार तीन महीनों में एक बार दिए जाने वाला कंट्रोल का कपड़ा गरीब लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत ही कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विस्तार इसकी मात्रा में वृद्धि करने का है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में कंट्रोल के कपड़े के अन्तर्गत केवल धोतियां ही दी जा रही हैं जबकि जाड़े के दिनों में रंगीन मोटे कपड़े की मांग होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबन्ध में कोई कार्रवाई करने का है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) :** (क) हालाँकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन वैसे सरकार को कमियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। धोतियां, साड़ियां तथा लट्ठा सभी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**सिले-सिलाये सूती वस्त्र का निर्यात**

4607. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को सिले-सिलाये सूती वस्त्रों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) उन एजेंसियों के विवरण क्या हैं जिनको इस समय सरकार ने सिले-सिलाए सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी कर दिए हैं ;

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले भी सरकार की जानकारी में लाए गए हैं जिनमें कुछ देशों ने लाखों रुपए मूल्य के सिले-सिलाये वस्त्रों का प्रेषित माल वापस कर दिया क्योंकि वे वस्त्र विनिर्देशन के अनुसार नहीं थे और उसके परिणामस्वरूप उन देशों में भारत की साख में गिरावट आई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन फर्मों और एजेंसियों का क्या विवरण है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) :** (क) भारत से सिले-सिलाये परिधानों का निर्यात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, ई० ई० सी०, कनाड़ा, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, जापान, सोवियत संघ तथा मध्य पूर्व के कुछ देशों को किया जाता रहा है।

(ख) कुछ कोटा देशों के संबन्ध में जहां सिले-सिलाये परिधाओं के निर्यात मात्रा संबन्धी प्रतिबन्धों के अध्यधीन है, निर्यात प्रमाण-पत्र सरकार द्वारा निश्चित की गई कोटा वितरण नीति

के आधार पर अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किए जा रहे हैं। अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद आंकड़े मानिटर करने के लिए गैर कोटा देशों का सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात के लिए गैर कोटा पृष्ठांकन भी जारी करती है।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विदेशी ऋण**

4608. **श्री पलाश वर्मन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत ने कितनी राशि का विदेशी ऋण लिया है ;

(ख) ऋण देने वाले देशों ने इस पर कितना ब्याज वसूल किया है ;

(ग) स्वधीनता प्राप्ति से अब तक भारत ने अन्य देशों को केवल ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया है ; और

(घ) अन्य देशों से कितनी राशि का ऋण मांगा जा रहा है और गत वर्ष के दौरान कितनी राशि का ऋण मिला है ?

**वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से 31 मार्च,1981 तक भारत ने 20192.9 करोड़ रुपए की रकम के विदेशी ऋण लिए हैं।

(ख) ब्याज की दरें प्रत्येक देश और प्रत्येक करार के लिए अलग-अलग होती हैं। फिर भी ये दरें 0.5 प्रतिशत से 9.85 प्रतिशत के बीच हैं।

(ग) स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से भारत द्वारा ब्याज के रूप में विदेशों को 3398.2 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई है।

(घ) विदेशों से ऋणों के रूप में धनराशियां नहीं मांगी जातीं। लेकिन अन्य देशों के साथ समय-समय पर द्विपक्षीय सहायता के लिए बातचीत की जाती है और सहायता की राशि और उसके स्वरूप का पता अर्थात् सहायता ऋण के रूप में प्राप्त होगी या अनुदान के रूप में इस बातचीत के पूरा होने के बाद ही चलता है। 1980-81 के दौरान कुल 1768.5 करोड़ रुपए के ऋण प्राप्त हुए।

**सीसा, जस्ता तथा अन्य धातुओं के 'प्रोसेस' करने के कारण पर्यावरण तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य को खतरा**

4609. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीसा, जस्ता तथा अन्य धातुओं के 'प्रोसेस' किए जाने के कारण पर्यावरण तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबन्ध में और आगे अनुसंधान शुरू करने के लिए जिससे कि इसके पर्याप्त निरोधात्मक उपाए किए जा सकें, आधारित धातु संबन्धी अनुसंधान में धातुकर्मियों वैज्ञानिकों की कोई बैठक बुलाई है अथवा उनके सुझाव प्राप्त किए हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पर्यावरण विभाग में कुछ समय पूर्व भारी धातु दूषण पर गहन कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

(1) भारी धातुओं द्वारा पर्यावरण दूषण पर एक गहन अनुसंधान कार्यक्रम तत्काल शुरू किया जाए। यह कार्यक्रम इस हेतु विशेषतया निर्धारित प्रयोगशालाओं में चलाया जाए।

(2) यह कार्यक्रम तीन चरणों में हो। इसमें वायु जल और खाद्य नमूनों का पारा, सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, मैंगनीज, निकिल, बैनिडियम, तांबा, जस्ता, सेलेनियम एवं आरसेनिक के लिए तथा खून का पारे और कैडमियम के लिए विश्लेषण शामिल होगा।

(3) उपर्युक्त के अलावा, इस दल ने भारी धातुओं के पौध विकास, मृदा आदि पर प्रभाव, उद्योगों से निस्रत भारी धातु मल के निस्तारण तथा ताप बिजली घरों के आस-पास धातु कणों के हवा में निस्तारण के बारे में अध्ययन का भी सुझाव दिया है।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार तथा राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबन्ध समिति विचार कर रही है।

पर्यावरण विभाग ने धातु उद्योग की दूषण समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है, जो कालांतर में अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा।

सरकार (खान विभाग) ने हिन्दुस्तान जिंक लि० (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा देवारी में जस्ता प्रद्रावक से निस्रत मल से उत्पन्न वायुदूषण की रोकथाम हेतु किए गए उपायों की पर्याप्तता और मल शोधन संयन्त्र की सार्थकता पर विचार करने तथा यथा-आवश्यक सुधारों का सुझाव देने के बारे में सितम्बर, 1980 में विशेषज्ञ दल का भी गठन किया था। हिन्दुस्तान जिंक लि० ने इस विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को कार्यन्वित किया है और कर रहा है।

हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित अपनी खानों और प्रद्रावकों में वायु दूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं। कम्पनी ने मुख्यालय और अपने यूनिटों में वायु दूषण नियन्त्रण उपायों के कार्यान्वन पर निगरानी रखने हेतु एक पर्यावरण सैल गठित किया है।

**यात्रा सर्किटों का पता लगाने के लिए कर्नाटक सरकार का अनुरोध**

4610. **श्री के० मालन्ना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने दो पर्यटन सर्किटों-एक इसके उत्तरी भाग में और दूसरा दक्षिण भाग में-का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य की योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कर्नाटक राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार से मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक में विकास के लिए निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं :

(1) बेलगाम-बीजापुर-बदामी-पट्टाकदल-एहोल-हौस्पेट-हम्पी-बेलगाम (गोआ)।

(2) बंगलौर-मैसूर-बांदीपुर-नागरहोल-हसन- (बेलूर, हेलीबिद और श्रवणबेलगोला)-मरकरा-मंगलौर और पश्चिम समुद्री किनारे के बालु-तट-

यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधानों को एकत्र करते हुये उपर्युक्त यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों पर एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से पर्यटक आधारिक संरचना का विकास किया जाये। इसके प्रयोजनार्थ, हमारे अनुरोध पर राज्य सरकार से पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिंट प्राप्त हो गया है। धनराशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों का निर्धारण करने के लिए इनकी जांच की जा रही है।

(ग) वृन्दावन गार्डन में फौवारों की पुनः प्रकाश-सज्जा करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने इस अनुरोध पर विचार करने के लिए उनसे यह निवेदन किया है कि वे धन राशि के स्रोत और उन विशिष्ट मदों के उल्लेख सहित जिन पर केन्द्रीय सहायता मांगी गई है, एक विस्तृत प्रस्ताव भिजवाएं।

**बैंक में डकैतियां**

4611. **श्री के मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों क दौरान राष्ट्रीय बैंकों और अन्य बैंकों में कितनी डकैतियां हुई हैं;

(ख) राज्यवार प्रत्येक डकैती में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और यदि कोई मानव जीवन की क्षति हुई है तो वह क्या है; और

(ग) कितने अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं और इन बैंकों में सुरक्षा में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जुलाई से 31 अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान बैंकों में डकैतियों/लूटमार की 14 घटनायें हुई।

(ख) और (ग) बैंक तथा शाखा का नाम, अन्तर्ग्रस्त राशि, गिरफ्तार व्यक्तियों, मानव जीवन की क्षति आदि समेत इन 14 डकैतियों/लूटमारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

डकैती तथा लूटमार जैसे अपराधों की रोकथाम मुख्य रूप से राज्य सरकारों के दायित्व के क्षेत्र में आती है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुदेश जारी करके, उनके वर्तमान सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने को कहा है।

## विवरण

### 1-7-81 से 31-10-81 की अवधि के दौरान डकैतियों/लूटमार की घटनाओं के ब्यौरे

| क्रम सं० | बैंक/शाखा का नाम | तारीख | अतर्ग्रस्त राशि (रु०) | मृतक कर्मचारियों की सं० | गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक, दुर्गापुर स्टील शाखा, जिला बर्दवान, प० बं० | 2.7.81 | 27.563/- | — | — |
| 2. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, राजापुर शाखा, जिला-गाजियाबाद, यू० पी० | 30.7.81 | 18,255/- | — | — |
| 3. | इलाहाबाद बैंक, वेल्ली शाखा हावड़ा, प० बंगाल | 7.8.81 | 83,966/- | — | — |
| 4. | पंजाब नेशनल बैंक, खैलर शाखा, जिला झांसी, मध्य प्रदेश | 11.8.81 | 46,700/- | — | 6 |
| 5. | पंजाब नेशनल बैंक, चन्द्रनगर, गाजियाबाद, यू० पी० | 14.8.81 | 45,644/- | 1 | — |
| 6. | भारतीय स्टेट बैंक, झाजर शाखा जिला-बुलन्दशहर, यू० पी० | 20.8.81 | 75,885/- | — | — |
| 7. | भारतीय स्टेट बैंक, दुर्गापुर शाखा प० बंगाल | 3.9.81 | 8,20,000/- | — | 6 |
| 8. | केनरा बैंक, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली | 7.9.81 | 6,43,566/- | — | — |
| 9. | यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, मलखला, प० बंगाल | 17.9.81 | 3,11,726/- | — | 11 |

(जारी...)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | भारतीय स्टेट बैंक, मण्डी, डबवाली, हरियाणा | 5.10.81 | 43,660/- | — | 1 |
| 11. | बैंक आफ महाराष्ट्र, चौरंघी रोड, प० बंगाल | 23.10.81 | 2,48,000/- | — | — |
| 12. | कारपोरेशन बैंक, बान्द्रा शाखा बम्बई, महाराष्ट्र | 22.10.81 | 1,00,000/- | — | 1 |
| 13. | संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवकली, यू० पी० | 17.10.81 | 1,50,000/- | — | — |
| 14. | मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कजरा, बिहार | 22.10.81 | 5,118/- | — | — |

टिप्पणी : गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना बैंकों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है ।

**कुद्रेमुख सौदे के सम्बन्ध में ईरान के साथ मतभेद**

4912- **श्री पियूष तिरकी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुद्रेमुख सौदे के सम्बन्ध में ईरान से मतभेद हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : नवम्बर, 1975 में भारत और ईरान के बीच कुद्रेमुख परियोजना सम्बन्ध में दो करार हुए थे - एक वित्तीय करार और दूसरा बिक्री और खरीद के बारे में करार । इन करारों के सम्बन्ध में कुछेक मामलों जैसे परियोजना की रूपांकित क्षमता, इसकी पूंजीगत लागत 'ड्रा डाउन' के लिये किये गये अनुरोध में बिक्री कर और उत्पादन-शुल्क शामिल करने आदि के बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी ठेके**

4613. **श्री पियूष तिरकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय पत्तन प्राधिकरण द्वारा विदेशों में कितने ठेके प्राप्त किये गये हैं, उनकी वर्षवार संख्या क्या है तथा ये ठेके किन-किन देशों से लिये गये हैं और वे कितनी राशि के हैं ।

(ख) इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1970 से आज तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या हाथ में लिये गये कार्य की किस्म अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार, तथा काम को समाप्त करने में समयबद्धता के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है;

(घ) विदेशों में परियोनाओं के कार्य निष्पादन के लिए भारतीय कर्मचारियों की भर्ती का माध्यम क्या है;

(ङ) क्या किसी विदेशी विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा राष्ट्रीयता क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा)** : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिये गये विदेशी ठेकों को दर्शाने वाला एक विवरण (विवरण-I) संलग्न है।

(ख) प्रत्येक परियोजना से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय की अन्तिम राशि का पता अलग-अलग परियोजनाएं पूरी हो जाने तथा लेखों को अन्तिम रूप प्रदान कर दिये जाने के बाद ही लग सकेगा। तथापि, प्राधिकरण द्वारा अपनी विदेशी परियोजनाओं से विदेशी मुद्रा की निम्न-लिखित धन-राशि स्वदेश भेजी जा चुकी है—

| वर्ष | राशि लाख रुपयों में |
|---|---|
| 1976-77 | 56.11 |
| 1977-78 | — |
| 1978-79 | — |
| 1979-80 | 38.55 |
| 1980-81 | 52.37 |
| | कुल 147.03 |

(ग) जी, नहीं।

(घ) परियोजनाओं के लिए कर्मचारियों का चयन या तो संगठन के अन्दर से ही किया जाता है या समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा अन्य सरकारी विभागों से/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के चयन के कुछ मामलों में पुनर्वास महानिदेशालय की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

## विवरण-I

भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त विदेशी ठेकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

| क्रम सं० | ठेके का नाम | देश | वर्ष, जब ठेका दिया गया | राशि रु० | प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | धावनपथों, टैक्सी पथों तथा एप्रनों आदि का निर्माण | घाट एयरपोर्ट, लीबिया | 1976 | 3617.00 | निर्माण |
| 2. | 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य. | –वही– | 1977 | 658..00 | –वही– |
| 3. | माफिया एयरपोर्ट का निर्माण | तंजानिया | 1977 | 0.16 | केवल परामर्श दात्री सेवाएं |
| 4. | आइंटुटाकी एयरपोर्ट का निर्माण | नौरू द्वीप | 1977 | 1.48 | –वही– |
| 5. | वायु सेना कैम्प | घाट एयरपोर्ट, लीबिया | 1978 | 590.00 | निर्माण |
| 6. | टर्मीनल भवन का डिजाइन व निर्माण | -वही– | 1978 | 385.00 | –वही– |
| 7. | धावन पथों एप्रन आदि का निर्माण | ब्राक एयरपोर्ट लीबिया | 1978 | 2157.00 | –वही |
| 8. | हुलुले एयरपोर्ट का निर्माण | मालदीव | 1978 | 895.00 | –वही– |
| 9. | धावन पथ प्रकाश व्यवस्था | घाट एयरपोर्ट लीबिया | 1979 | 284.00 | –वही– |
| 10. | धावन पथों, एप्रेन, टर्मीनल भवन आदि का निर्माण | रियान/दक्षिणी यमन | 1979 | 1770.00 | –वही– |
| 11. | मुख्य धावनपथ का विस्तार एप्रन व गौण धावनपथ आदि का निर्माण | ब्राक एयरपोर्ट स्टेज दो/लीबिया | 1981 | 3500.00 | –वही– |
| 12. | सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, टेलीफोन, फायर अलार्म आदि | घाट एयरपोर्ट/ लीबिया | 1981 | 40.00 | –वही– |
| 13. | धावन-पथ, एप्रन, टर्मीनल भवन आदि | अल-गैधा/ दक्षिणी यमन | 1981 | 2.50 | केवल परामर्श दात्री सेवाएं |

**हानि को घटाने हेतु इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के बीच सहयोग**

4614. **श्री पियूष तिरकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स घाटे को कम करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) एयर इण्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स में सदा से परस्पर सहयोग रहा है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है वे अब भी अधिकतम सहयोग से कार्य करने का प्रयत्न करते हैं।

**दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार**

4615. **श्री पियूष तिरकी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने दुर्गापुर इस्तात संयंत्र और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (आई० आई० एस० सी० ओ०) दोनों का विस्तार करने का निर्माण लिया है;

(ख) क्या सरकार की इन संयंत्रों का कुछ विदेशी विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत अध्ययन और प्रस्तावित विस्तार कराने की योजना है; और

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को इनके शुरू होने से लेकर अब तक, लाभ/हानि से सम्बन्धित वर्षवार आँकड़े क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) और (ख) इन कारखानों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं और इस बारे में अन्तिम रूप से निर्णय अभी लिए जाने हैं। आधुनिकीकरण और विस्तार करना तथा अप्रचलित यन्त्रों को बदलना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस कार्य के लिए शक्यता अध्ययन किए जायेंगे तथा जहां आवश्यक समझा जायेगा विदेशों के विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के गठन से लेकर उनके लाभ/हानि की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

## विवरण

**स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने के गठन से लेकर उनमें लाभ/हानि का वर्षवार विवरण।**

लाभ (+)/हानि(—) करोड़ रुपयों में

| वर्ष | दुर्गापुर इस्पात कारखाना | स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड |
|---|---|---|
| 1959-60 | (—) 0.33 | — |
| 1960-61 | (—) 0.71 | — |
| 1961-62 | (—) 4.66 | — |
| 1962-63 | (—) 8.45 | — |
| 1963-64 | (—) 0.19 | — |
| 1964-65 | (—) 0.53 | — |
| 1965-66 | (—) 2.31 | — |
| 1966-67 | (—) 13.16 | — |
| 1967-68 | (—) 18.08 | — |
| 1968-69 | (—) 17.37 | — |
| 1969-70 | (—) 15.50 | — |
| 1970-71 | (—) 20.40 | — |
| 1971-72 | (—) 27.52 | — |
| 1972-73 | (—) 25.72 | — |
| 1973-74 | (—) 18.44 | — |
| 1974-75 | (—) 14.32 | — |
| 1975-76 | (—) 20.06 | — |
| 1976-77 | (—) 7.74 | (+) 0.03 |
| 1977-78 | (—) 15.84 | (—) 0.90 |
| 1978-79 | (+) 4.37 | (+) 65.84 |
| 1979-80 | (—) 20.01 | (+) 31.14 |
| 1980-81 | (—) 8.44 | (+) 1.01 |

टिप्पणी : लाभ और हानि के ये आंकड़े पूंजी-निवेश एलाउन्स के आरक्षण के लिए व्यवस्था करने से पहले के हैं।

### मध्य प्रदेश से चावल का निर्यात

4616- **श्री केयूर भूषण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार मध्य प्रदेश से निर्यात किए गए चावल की मात्रा क्या है;

(ख) उन व्यक्तियों अथवा फर्मों का नाम क्या है जिन्हें चालू वर्ष में निर्यात लाइसेन्स जारी किए गए हैं और उन देशों के लाभ क्या हैं जिन्हें वे चावल का निर्यात करते हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के एक व्यापारी ने घटिया किस्म के चावल का निर्यात किया था;

(घ) निर्यात लाइसेन्स जारी करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) चावल के निर्यात के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) गैर बासमती चावल के निर्यात भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से मार्गीकृत हैं। बासमती चावल के निर्यात खुले सामान्य लाइसेन्स पर किए जाते हैं।

(ग) ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) तथा (ङ) बासमती चावल का निर्यात 6000 रु० प्रति मे० टन (एफ० ओ० बी०) की न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन खुले सामान्य लाइसेन्स—3 के अन्तर्गत होता हैं। गैर बासमती चावल का निर्यात अब 3100/रु० प्रति मे० टन (एफ० ओ० बी०) के एम० ई० पी० के अध्यधीन अब भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया जाता है।

**औद्योगिक घरानों के नाम बकाया कर**

4617. **श्री केयूर भूषण**
**श्री टी० आर० शमन्ना** } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1981 तक 20 बड़े औद्योगिक घरानों के नाम अलग-अलग करों की कितनी धनराशि बाकी थी;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि वसूल हो गई है;

(ग) वकाया धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया धनराशि कब तक वसूल कर ली जायगी?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)**: (क) से (घ) 31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन किये गये पंजीकरण के आधार पर तथा परिसम्पित्तियों के अनुसार क्रम बद्ध बीस शीर्षस्थ औद्योगिक घराने निम्न प्रकार हैं:—

1. बिड़ला
2. टाटा
3. मफतलाल
4. जे० के० सिंघानिया
5. थापर
6. साराभाई
7. बांगुड
8. आई० सी० आई०
9. ए० सी० सी०
10. आयल इण्डिया
11. श्रीराम
12. सिंधिया
13. किर्लोस्कर
14. हिन्दुस्तान लीवर
15. लारसन एण्ड टूब्रो
16. मोदी
17. चौगुले
18. बजाज
19. भिवण्डीवाला
20. कस्तूरभाई लालभा

प्रत्येक कम्पनी की ओर, जो इन औद्योगिक घरानों की कम्पनियों के रूप कर की बकाया पड़ी रकमों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हैं और इसे ए काफी समय तथा श्रम लगेगा। तथापि, इस समय इन औद्योगिक घरानों से सम्ब मामलों के बारे में सूचना उपलब्ध है, जिनमें 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनु और आयकर की बकाया पड़ी मांग 10 लाख रुपये से अधिक की थी। इस सूचन क्र० सं० 5, 12, 13, 18, 19 तथा 20 पर उल्लिखित औद्योगिक घरानों से सम्ब मामले नहीं थे जिनकी ओर 31 मार्च, 1981 को ऐसी मांगे बकाया पड़ीं थी। बा सम्बन्ध में, 31 मार्च, 1981 को स्थिति के अनुसार बकाया मांगे, दिनांक 30-6- तक बकाया पड़ी मांगों में से वसूली/घटौती तथा उन 35 कम्पनियों के बा ओर ऐसी मांगे बकाया पड़ी थी, वसूली के लिए किये गये उपायों को दर्श विवरण-पत्र संलग्न है।

**ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3136/81**

(ङ) प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए बकाँ वसूली/घटौती के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा, विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुसार, समय-समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं लेकिन ये उपबन्ध करों की वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते जबकि प्राप्य करों को यथासंभव शीघ्रता से के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उनकी पूरी बसूली/घटौती के लिए, जो विभि निर्भर करती है, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

**कलकत्ता में माँस-चरबी के भंडारण टैंक की मरम्मत**

4618. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) कलकत्ता मांस-चरबी के भंडारण-टैंक की कब तक मरम्मत हो जाए—

(ख) साबुन बनाने वाली इकाइयों को कब तक समस्या का सामना करना—

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) तथा में चर्बी के लिए भंडारण टैंक की मरम्मत की जा चुकी है। चर्बी का एक पार्सल

के दौरान कलकत्ता पहुंच जाने और जनवरी, 1982 से सामान्य सप्लाई कार्यचालन शुरू हो जाने की आशा है ।

**ग्रामीण बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक, हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ गबन का आरोप**

4619. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के राज्य सर्तकता ब्यूरो ने हाल ही में राज-सहायता की राशि गवन करने के मामले में ग्रामीण बैंक के दो अधिकारियों और भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी को इस आरोप का दोषी पाया है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) सतर्कता ब्यूरो के उपरोक्त प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि इसके सर्तकता ब्यूरो ने गबन के आरोप में भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी तथा गुड़गाँव ग्रामीण बैंक के दो अधिकारियों सहित 5 व्यक्तियों के विरुद्ध एक जांच की थी। राज्य सरकार ने और आगे सूचित किया है। कि सर्तकता ब्यूरो के निर्णयों के आधार पर, इससे सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध और आगे कार्यवाही शुरू कर दी है। उक्त दोनों बैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का स्वरुप, राज्य सरकार की सिफारिशों/रिपोर्ट पर निर्भर होगा, जो कि बैंकों के अनुसार, इन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से, समय-समय पर, अपराधों तथा भ्रष्ट आचरणों पर नियंत्रण रखने और प्रशासन को चुस्त बनाने को कहा गया है । सभी बैंक सुस्थापित सतर्कता प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं तथा दोषी पाये जाने वाले बैंक अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

**भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों द्वारा पश्चिम बंगाल से कच्चे पटसन की खरीद को रोक दिया जाना**

4620. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 21 अक्तूबर को कूच बिहार के कालाकटा में भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों पर हमले के बाद, इन कर्मचारियों ने कच्ची पटसन की खरीद पूर्णतया बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों पर हुए हमले का पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने व्यक्ति घायल हुए और घायल कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) घायल कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति क्या है; और सरकार द्वारा उन्हें क्या सहायता तथा मदद की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों में कूच बिहार जिले के कालाकटा में 21 अक्तूबर, 1981 को उनके फील्ड स्टाफ के दो कर्मचारियों पर हुए हमले के कारण 26 अक्तूबर, 1981 से 4-11-81 तक के उत्तरी बंगाल के पांच जिलों में कच्चे पटसन की खरीद रोक दी गई थी।

(ख) भारतीय पटसन निगम फील्ड स्टाक सामान्य कार्यक्रम के अनुसार कूच-विहार के कालाकटा में खरीदारियां करने के लिए गया था। जब लगभग 7.30 बजे कर्मचारियों ने दिन का अपना काम खत्म किया था तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मांग की कि उनका पटसन खरीदा जाए। चूंकि दिन का काम खत्म किया जा चुका था और शाम को उतनी देर से ग्रेड आउटटर्न (जिसका होना जरूरी था) का मूल्यांकन नहीं किया जा सका अतः उन लोगों से कहा गया कि वे उस केन्द्र में खरीद के लिए निर्धारित अगली तारीख को अपना पटसन दें। इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया और तीन उद्यमियों ने भारतीय पटसन निगम के फील्ड स्टाफ के दो कर्मचारियों, श्री परिमल होरे तथा श्री हर्षवर्धन दास दोनों कनिष्ठ निरीक्षक पर हमला किया। श्री परिमल होरे को जिनके नाक पर चोट की गई, गम्भीर चोट आई।

(ग) श्री परिमल होरे तथा श्री हर्षवर्धन दास दोनों को कूच बिहार के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां श्री दास को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। श्री परिमल होरे ने, जिन्हें कि अस्पताल में पहले भर्ती कर लिया गया था, बाद में व्यक्तिगत बांड देकर अपने को रिलीज करा लिया। श्री होरे के उपचार पर लगभग 258 रु० का खर्च भारतीय पटसन निगम द्वारा वहन किया गया। श्री दास के उपचार पर कोई खर्च नहीं आया।

(घ) इस घटना की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया जिसके जवाब में राज्य के मुख्य सचिव ने उत्तरी बंगाल के सभी जिलों के जिलाधीशों तथा पुलिस अधिक्षकों को निदेश जारी किए कि वे सभी खरीद केन्द्रों में एहतियाती उपाय करें ताकि ऐसी अप्रिय घटनाएं रोकी जा सकें और भविष्य में यदि कोई ऐसी घटना घटे तो उद्यमियों को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सके। कालाकटा घटना ने 2-11-81 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और वे जमानत पर छोड़ दिए गए।

**फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) के बुनकरों को उनके उत्पाद के लाभप्रद मूल्य**

4621. **श्री राम अवध : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेपल धागे के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप फैजाबाद जिले में भारी संख्या में बुनकरों द्वारा निर्मित की जा रही वस्तुओं के लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन वस्तुओं को लाभप्रद दर पर बिक्री के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्थाएं नहीं की हैं जिससे बुनकरों को भारी घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बुनकरों द्वारा निर्मित वस्तुओं के उचित दरों पर विपणन के लिए शीघ्र कोई कदम उठाने का विचार है?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :** (क) यह सही है कि स्टेपल यार्न की कीमतें बढ़ी हैं और फैब्रिक्स, की लागत कीमतें भी बढ़ी हैं। सहकारी समितियों, परियोजनाओं और निगम संचालित उत्पाद केन्द्रों में हथकरघा बुनकरों को विपणन की सहायता उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ और उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम द्वारा दी जाती है।

(ख) सरकार प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियों तथा साथ ही शीर्ष हथकरघा विकास निगमों की अंश पूंजी सहायता के जरिये हथकरघा माल के विपणन में सहायता करती है। वर्ष में 30 दिन की अवधि के लिए 20% की विशेष रियायत की योजना भी राज्य सरकार के साथ तुलनात्मक आधार पर चलाई जाती है। जहां तक विपणन का संबंध है सहकारी समितियों तक राज्य हथकरघा विकास निगमों के अन्तर्गत शामिल बुनकरों की सहायता की जाती है।

**काण्डला निर्वाध व्यापार जोन में से मशीनरी का रहस्यपूर्ण ढंग से गुम हो जाना**

4422. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कांडला निर्वाध व्यापार क्षेत्र से मशीनरी के रहस्यमय ढंग से गुम हो जाने तथा मामलों में कांडला निर्वाध व्यापार क्षेत्र के उच्च अधिकारियों की सांठ-गांठ के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मामले में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) :** (क) से (ग) कांडला निर्वाध क्षेत्र से मशीनरी के कथित गुम हो जाने से सम्बन्धित समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है। यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

**इन्दिरा गाँधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के नाम में 'पे आर्डर' जारी किया जाना**

4623. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते**
**श्री बापूसाहिब परुलेकर** } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेन्ट्रल इंडिया एजेंसिज, जबलपुर का जमाकर्त्ता होने के कारण, इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के नाम में 'पे आर्डर' जारी करने के सम्बन्ध में जबलपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गई अनियमितताओं को नोट किया है (स्टेटमैन, नई दिल्ली दिनांक 16 नवम्बर, 1981 पृष्ठ 2); और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और बैंक आफ महाराष्ट्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि जबलपुर के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले में भुगतान आदेश जारी करने के वास्ते अपनाई गई प्रक्रिया में किसी अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**बंगलौर में सिल्क फैडरेशन का समाप्त किया जाना**

4624. **श्री ईरा अनाबारासु** . क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्य राज्यों में सहकारी समितियों को रेशम का धागा बेचने में बंगलौर स्थित सिल्क फैडरेशन ने अनेक कठोर शर्तें लगा रखी हैं और यह अस्वस्थ व्यापार प्रक्रिया का अनुसरण कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सिल्क यार्न बेचने में सिल्क फैडरेशन के एकाधिकार के कारण राज्यों में विशेषकर तमिलनाडु में कांचीपुरम (चिंगलीपुर जिला) ऐसे राज्यों की सिल्क सहकारी समितियां अपने उत्पादों को खुले बाजार में उनसे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार बंगलौर में सिल्क फैडरेशन को, जिसका रेशम उद्योग का विकास करने के रेशमी धागे में एकाधिकार है, समाप्त करने हेतु उचित कदम उठाने का है ।

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जो निष्कर्ष निकाला गया है उसका कोई सुस्थापित आधार नहीं है ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सही प्रतीत नहीं होता । साथ ही ऐसा प्रतीत नहीं होता कि रेशम सहकारी सोसायटियों के सामने अपनी उत्पादों के विपणन में कोई कठिनाइयां आ रही हैं ।

(ग) कर्नाटक में रेशम परिसंघ की स्थापना राज्य में लघु रीलरों के हित का संरक्षण करने के लिए की गई थी । एक समयावधि के दौरान रेशम सहकारी सोसाटियों के लिए उन्हें रेशम यार्न की सप्लाई के लिए कर्नाटक रेशम परिसंघ के साथ दीर्घकालिक प्रबन्ध करना संभव हो जाना चाहिए ।

**इंडो-अमेरिकन इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दुर्गापुर को कच्चा माल, तांबा सप्लाई न किया जाना**

4625. **श्री रेणुपद दास**
**श्री कृष्ण हाल्दर**
**श्री सोमनाथ चटर्जी** } : **क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि इंडो-अमेरिकन इलैक्ट्रिकल लि० दुर्गापुर को कच्चा माल तांबा नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कच्चा माल न मिलने के कारण ऐकक को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त एकक को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) से (ग) इस कम्पनी की परिस्थितियों तथा इस सम्बन्ध में डी० जी० टी० डी० की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एम० एम० टी० सी० को तीन महीनों अर्थात् अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 के लिए 50 मे० टन ताँबा रिलीज करने के लिए कहा गया है जिसमें से उन्होंने 50 मे० टन पहले ही उठा लिया है।

**चाय के नीलाम की वर्तमान प्रणाली**

4626. **श्री आनन्द पाठक** : **क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चायं का नीलाम करने की वर्तमान प्रणाली ही चाय के कम मूल्य होने के लिये उत्तरदायी है जो कि इस समय उत्पादकों की उत्पादन लागत से भी कम है,; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रणाली की पुनरीक्षा करने तथा चाय उद्योग के बारे मे श्री हर्ष देव मालवीय अध्यक्षता में गठित सांसदों के बागान अध्ययन दल द्वारा वर्ष 1974 में की गई सिफारिश के अनुसार तथा विश्व विख्यात अर्थशास्त्री श्री के० सी० बैल्टिग जैसे अर्थशास्त्रियों और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अनुसंधान अधिकारी श्री एम० मनोहरन एवं अन्य व्यक्तियों के सुझाव के अनुसार 'डच सिस्टम' जैसी कोई अन्य प्रणाली करने का है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## एशियाड 82 के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माणाधीन होटल

4627. श्री राम विलास पासवान
श्री अर्जुन सेठी
श्री जैनुल बशर } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 82 के लिये किस प्रकार के होटल निर्माणाधीन हैं; और

(ख) विभिन्न होटलों द्वारा प्रति दिन क्या किराया लिया जाएगा और विभिन्न होटलों में कितने व्यक्तियों के लिये आवास उपलब्ध होगा ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) एशियाड 82 के लिए दिल्ली में 10 होटल, जिनमें एक विस्तार परियोजना शामिल है, निर्माणाधीन हैं। ये होटल/विस्तार परियोजनाएं 4/5 स्टार श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) जब ये होटल खुलने वाले होंगे तब इन होटलों के कमरों के किराए केन्द्रीय पर्यटन विभाग के अनुमोदन से नियत किए जाएंगे।

प्लान किए गए कमरों की कुल संख्या और प्रत्येक मामले में एशियाड 82 तक पूरे हो जाने वाले कमरों की संख्या नीचे दी गई है :—

| क्र० सं० | नाम | कमरों की कुल संख्या | एशियाड 82 तक पूरे हो जाने वाले कमरों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | होटल कौटिल्य (आई० टी० डी० सी०) | 300 | 300 |
| 2. | सरदार पटेल मार्ग (डी० डी० ए०/ताजग्रुप) | 500 | 200 |
| 3. | भीकाजी कामा प्लेस (एशियन होटल्स लिमिटेड) | 588 | 300 |
| 4. | सूर्य इन्टरनेशनल होटल (न्यू फ्रैंड्स कालोनी) | 258 | 258 |
| 5. | सिद्धार्थ इन्टरकान्टीनेन्टल होटल्स (इण्डिया) लिमिटेड (बसंत विहार) | 156 | 156 |
| 6. | सेन्टौर होटल (एच० सी० आई०) | 400 | 200 |
| 7. | मौर्य शेराटन (विस्तार) | 122 | 122 |
| 8. | नरेन्द्र प्लेस (नार्दन एन्टरप्राइसेज कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड) | 231 | 100 |
| 9. | वाराखम्बा लेन (मैसर्स भारत होटल्स लिमिटेड) | 500 | 150 |
| 10. | विंडसर प्लेस (मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड | 425 | 110 |
| | | 3480 | 1896 |

## निर्यात किये जाने वाले चावल के मूल्य में वृद्धि

4628. श्री बी० वी० देसाई
श्री के० पी० सिंह देव
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने केन्द्र सरकार द्वारा 29 अक्तूबर से लागू किये गये बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य में बढ़ोत्तरी का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को सुलझाने के लिये माह नवम्बर, 1981 में एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ग) क्या सोवियत रूस ने, खरीदारी संगठन होने के नाते अब तक 1.15 लाख मी० टन वासमती चावल का आयात करने का अनुबन्ध किया था; और

(घ) यदि हां, तो उस वार्ता के क्या परिणाम निकले और अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की आशा है?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (घ) 29 अक्तूबर, 1981 से बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात कीमत 5500 रु प्रति मे० टन (एफ० ओ० बी०) से बढ़ाकर 6000 रु० प्रति मे० टन कर दी गई थी। यह बासमती चावल की विश्व कीमतों में सामान्य वृद्धि को देखते हुए की गई थी। सोवियत संघ ने बासमती चावल की खरीद के लिए अपनी चालू वर्ष की सभी आवश्यकताओं के लिए संविदार कीमत में वृद्धि होने से पूर्व कर ली थी। निर्यात नीति के अन्तर्गत ऐसे मामलों को संशोधित अधिसूचनाओं से छूट देनी पड़ती है।

## चीनी का निर्यात

4629. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एक अन्तर्राष्ट्रीय गृह के साथ 40,000 टन चीनी के सौदे से निर्यात आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो चीनी को किस मूल्य पर बेचा गया था;

(ग) क्या सम्पूर्ण मात्रा का लदान दिसम्बर, 1981 में कर दिया गया है;

(घ) क्या इसके अलावा लंदन की एक फर्म को भी चीनी का निर्यात किया गया है?

(ङ) अन्य किन देशों को चीनी का निर्यात किया जायेगा और किस मूल्य पर; और

(च) वर्ष 1981 से 1983 के दौरान कुल कितनी चीनी का निर्यात किया जायेगा ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) सितम्बर, 1981 के दौरान 40,000 मे० टन प्लस माइनस 5% चीनी के निर्यात के लिए दो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सदनों के साथ संविदायें सम्पन्न की गई हैं।

(ख) ब्रिक्रियां बेहतर उपलब्ध कीमतों पर की गईं ।

(ग) समस्त मात्रा की संविदा 31 दिसम्बर, 1981 तक भेजने के लिए है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) तथा (च) निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा चीनी घरेलू उपलब्धता तथा कीमतों पर निर्भर करेगी । निर्यात जब ही किये जायेंगे, बेहतर उपलब्ध कीमतों पर ही किये जायेंगे ।

**राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को विश्व बैंक ऋण**

4630. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम का फरक्का में सुपर तापीय बिजली घरों के दूसरे चरण के लिये वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक से 800 मिलियन डालर की सहायता का विचार है;

(क) यदि हां, तो क्या फरक्का तापीय बिजली घर के पहले चरण का कार्य इस समय चल रहा है;

(ग) क्या राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम द्वारा पहले चरण में 200 मेगावाट की तीन यूनिटों की स्थापना हेतु विश्व बैंक 250 मिलियन डालरों के ऋण की स्वीकृति पहले ही दे चुका है;

(घ) क्या इस संबंध में बैंक अधिकारियों से विस्तृत बातचीत करने हेतु एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय दल के दिसम्बर, 1981 में वाशिंगटन जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा अन्तिम निर्णय भेज दिये गये हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला।

(ख) फरक्का तापीय बिजली घर के पहले चरण का कार्य चल रहा है ।

(ग) जी हां । विश्व बैंक समूह के साथ 25 करोड़ (250 मिलियन) अमेरिकी डालर की सहायता के लिए (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 22.50 करोड़ डालर का ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से 2.50 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण) 11 जुलाई, 1980 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गये थे ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**सुपरतापीय विद्युत परियोजना के लिये विश्व बैंक से ऋण**

4631. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर तापीय विद्युत परियोजना के लिये 1000 मेगावाट विस्तार कार्यक्रम के लिये अपेक्षित धनराशि हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ने परियोजना के 600 मेगावाट के पहले चरण के लिए ऋण की स्वीकृति दे दी है; और

(ग) विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार को यह ऋण कब तक प्राप्त करने का विश्वास है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) और (ग) रामगुंडम सुपर तापीय विद्युत परियोजना (500-500 मेगावाट के तीन यूनिट) के दूसरे चरण के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डालर की संभावित ऋण सहायता के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच नवम्बर, 1981 में बातचीत पूरी हो गई है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड द्वारा अभी इस ऋण का अनुमोदन किया जाना है।

(ख) रामगुंडम सुपर तापीय विद्युत परियोजना (200-200 मेगावाट के तीन यूनिट) के पहले चरण के लिए 25.00 करोड़ अमेरिकी डालर (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण 20.00 करोड़ अमेरिकी डालर और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋण 5.00 करोड़ अमेरिकी डालर) की सहायता के लिए भारत और विश्व बैंक समूह के बीच 2 फरवरी, 1979 को करारों पर हस्ताक्षर हुए थे।

**कनाडा तथा आस्ट्रेलिया द्वारा सप्लाई किया गया कोयला अशुद्ध पाया गया**

4632. **श्री के० पी० सिंह देव**
**श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीरबल साहनी संस्थान ने जांच की है और यह पाया है कि कनाडा और आस्ट्रेलिया द्वारा सप्लाई किया गया कोयला अशुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ आयात के कोयले की सप्लाई निश्चित करते समय कितनी शुद्धता तथा मात्रा का क्या आदेश दिया गया था;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने स्वयं इसकी जांच की है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष उपर्युक्त संस्थान के निष्कर्षों से कहां तक मिलते हैं; और

(घ) क्या आयात करार में ऐसी कोई धारा शामिल है जिसके अनुसार यदि घटिया कोयला सप्लाई किया जाता है तो जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि हां, तो इस धारा का ब्यौरा क्या है और क्या लागू किया जा रहा है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान ने सेल द्वारा कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से आयात किए गए कोयले की क्वालिटी

की कोई जांच नहीं की थी । लेकिन इस संस्थान के कुछ वैज्ञानिकों ने कनाडा, आस्ट्रेलिया और नाइजीरिया से आयात किए गए कोयले के नमूनों की उनके द्वारा की गई जांच के परिणाम नवम्बर, 1981 में लखनऊ में हुए वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रस्तुत किए थे और इसकी जांच के बारे में समाचार-पत्रों में गलत रिपोर्टें छपी थीं । सेल ने न तो ये नमूने दिए थे और न ही सेल ने इस संस्थान के वैज्ञानिकों को इस प्रकार का कोई अध्ययन करने को कहा था ।

(ख) कनाडा और आस्ट्रेलिया से आयात किए गए कोयले की संविदागत विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

| विवरण | कनाडा | आस्ट्रेलिया | |
|---|---|---|---|
| | | मध्यम क्वालिटी | बढ़िया क्वालिटी |
| 1. आकार | 02–50 एम. एम | 02–50 एम. एम. | 02–50 एम. एम. |
| 2. कुल नमी | 7 प्रतिशत | 7 प्रतिशत | 8 प्रतिशत |
| 3. शुष्क हवा के आधार पर विश्लेषण | | | |
| (क) निहित नमी (प्रतिशत) | 0.9–1.1 | 1.5–2 | — |
| (ख) वाष्पशीलता (प्रतिशत) | 26–26 | 25–28 | 20–22 |
| (ग) राख (प्रतिशत) | 9.75 | 10 अधिकाधिक | 9.5 |
| (घ) फास्फोरस (प्रतिशत) | 0.1 अधिकाधिक | 0.1 अधिकाधिक | — |
| (ङ) सल्फर (प्रतिशत) | 0.35 अधिकाधिक | 0.45 अधिकाधिक | 0.6 |
| 4. कोकिंग प्रापर्टी (कोकन गुण-धर्म) | | | |
| (क) मुक्त उत्फुलन सूचक (प्रतिशत) | 5 और उससे अधिक | 4–4½ | 7–9 |
| 5. शैल रचना | | | |
| (क) विट्रीनाइट (प्रतिशत) | 68.0 से अधिक | 45–55 | — |

(ग) कोयले के नमूनों की जांच इस्पात कारखानों की प्रयोगशालाओं और एक विख्यात स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा भी की जाती है । अब तक सप्लाई किया गया कोयला "अशुद्ध" अथवा "घटिया" किस्म का नहीं पाया गया है ।

(घ) आयात के करारों में यह व्यवस्था है कि अगर सप्लाई किया गया कोयला संविदागत विशिष्टियों से घटिया पाया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा । जुर्माने की दरें नीचे दी गई हैं :

| विवरण | कनाडा | आस्ट्रेलिया | |
|---|---|---|---|
| | | मध्यम क्वालिटी | बढ़िया क्वालिटी |
| राख | प्रति 1 प्रतिशत पर 1.40 अमरीकी डालर; 1 प्रतिशत के भिन्न पर यथा-मूल्य । | प्रति 1 प्रतिशत पर 1.25 अमरीकी डालर; 1 प्रतिशत के भिन्न पर यथा-मूल्य । | प्रति 1 प्रतिशत पर 1.10 अमरीकी डालर; 1 प्रतिशत के भिन्न पर यथा-मूल्य । |
| सल्फर | प्रति 0.1 प्रतिशत पर 1.0 अमरीकी डालर अथवा यथा-मूल्य । | प्रति 0.1 प्रतिशत पर 0.63 अमरीकी डालर अथवा यथा-मूल्य । | प्रति 0.1 प्रतिशत पर 0.55 अमरीकी डालर अथवा यथा-मूल्य । |

**विद्युत संयंत्रों को ऋण देने के लिए विश्व बैंक की शर्तें**

4633. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विद्युत संयंत्रों को ऋण देने के लिए विश्व बैंक ने कडी शर्तें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शर्तों ने, सभी परियोजनाओं के लिये, खास तौर पर देश की सुपर परियोजनाओं के लिए समय पर ऋण मिलने के बारे में संदेह पैदा कर दिया है और वे परियोजनायें खटाई में पड जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस तरह के ऋणों के लिए मध्य पूर्व और अन्य इच्छुक देशों से सम्पर्क करने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (च) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

**मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से रहित सरकारी उपक्रम**

4634. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से सरकारी उपक्रम हैं, जिनमें अभी तक स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और यह स्थिति कब से है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** ऐसे 21 सरकारी उद्यमों के नामों की सूची संलग्न है, जिनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अभी नियमित रूप से नियुक्तियां

की जानी हैं। इन सभी 21 पदों के लिए चयन किया जा चुका है तथा नियुक्तियों के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

**विवरण**

| पद/उद्यम का नाम | पद रिक्त होने की तारीख |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्प संस्थान | अप्रैल, 81 |
| 2. अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम | जून, 81 |
| 3. प्रबंध निदेशक, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर क० लि० | अप्रैल, 80 |
| 4. प्रबंध निदेशक, मिश्र धातु निगम लि० | अगस्त, 81 |
| 5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रानिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम | मार्च, 81 |
| 6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेमी कंडक्टर काम्पलेक्स लि० | जुलाई, 81 |
| 7. प्रबंध निदेशक, कम्प्युटर मेंटेनेंस कारपोरेशन | मई, 81 |
| 8. अध्यक्ष एवं निदेशक, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० | जुलाई, 81 |
| 9. अध्यक्ष, स्टेट फार्म्स कारपोरेशन तथा राष्ट्रीय बीज निगम | अगस्त, 81 |
| 10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, खनिज गवेषण निगम | अगस्त, 81 |
| 11. प्रबंध निदेशक, नेशनल जुट मैन्युफेक्चर्स कारपो० | जनवरी, 81 |
| 12. प्रबंध निदेशक, ल्युब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड | नवम्बर, 81 |
| 13. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट्स एण्ड साम्भर साल्ट्स लि० | सितम्बर, 81 |
| 14. प्रबंध निदेशक, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम | दिसम्बर, 81 |
| 15. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत एल्यूमीनियम कं० लि० | नवम्बर, 81 |
| 16. अध्यक्ष भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण | अक्तूबर, 81 |
| 17. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन | जून, 80 |
| 18. प्रबंध निदेशक, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० | अगस्त, 81 |
| 19. प्रबंध निदेशक, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण | अगस्त, 81 |
| 20. प्रबंध निदेशक, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम | नवम्बर, 81 |
| 21. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम | फरवरी, 81 |

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रम**

4635. **श्री मूलचन्द डागा**
**श्री गुलाम मोहम्मद खान** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के कुल कितने उपक्रम हैं और उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ख) ऐसे कितने और कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जिन्होंने वर्ष 1980-81 और 1981-82 में लाभ कमाया है और शेष उपक्रमों को हानि होने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) 31.3.1981 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुल 188 उद्यमों, जिनमें 10 निर्माणाधीन उद्यम 7 बीमा कम्पनियां और 3 वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, में लगी पूंजी कुल 26,290 करोड़ रुपए है।

(ख) 1980-81 में 178 में से 104 उद्यमों ने लाभ कमाया है। इन लाभ कमाने वाले उद्यमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1981-82 जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, के इस प्रकार के आंकड़े अभी सुलभ नहीं हो सकते हैं। अन्य उपक्रमों में घाटा मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से हुआ है :—

(1) क्षमता के उपयोग में कमी।

(2) बिजली की कमी/सप्लाई में बार-बार रुकावट पड़ना।

(3) अलाभकर मूल्य।

(4) असम में अशान्तिपूर्ण स्थिति; और

(5) कुछ उद्यमों में असंतोषजनक औद्योगिक संबंध।

**विवरण**

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण
2. भारत गोल्ड माइन्स
3. इण्डियन रेअर अर्थ लि०
4. मैंगनीज ओर (इ) लि०
5. पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमि० लि०
6. यूरेनियम कारपो० आफ इण्डिया लि०
7. नेवेली लिग्नाइट कारपो०
8. सेंट्रल कोलफील्ड्स
9. वेस्टर्न कोलफील्ड्स

10. भारत पेट्रोलियम कारपो०
11. कोचीन रिफाइनरीज
12. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो०
13. इण्डियन आयल ब्लैंडिंग
14. इण्डियन आयल कारपो०
15. इण्डो बर्मा पेट्रोलियम
16. ल्यूब्रिजोल इण्डिया लि०
17. मद्रास रिफाइनरीज
18. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
19. भारतीय सीमेंट निगम
20. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल (त्रा०) लि०
21. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लि०
22. हिन्दुस्तान साल्ट्स
23. इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो०
24. मद्रास फर्टिलाइजर्स
25. राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लि०
26. साम्भर साल्ट्स
27. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०
28. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स
29. तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्ट्स लि०
30. लगन जूट मशीनरी कं० लि०
31. बामेर लारी लि०
32. भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०
33. हिन्दुस्तान केबल्स लि०
34. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
35. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०
36. इस्को स्टेटन पाइप फाउण्ड्री कं० लि०
37. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज
38. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
39. प्रागा टूल्स लि०
40. फेरो स्क्रेप निगम लि०
41. भारत अर्थ मूवर्स लि०

42. कोचीन शिपयार्ड लि०
43. गोआ शिपयार्ड लि०
44. हिन्दुस्तान अरोनाटिक्स लि०
45. मांझगांव डाक लि०
46. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स लि०
47. माडर्न बेकरीज लि०
48. हुगली प्रिंटिंग कं० लि०
49. अण्डमान व नीकोवार द्वीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम लि०
50. राष्ट्रीय बीज निगम
51. बासमतिया टी कम्पनी लि०
52. हुलंगूरी टी कं० लि०
53. मुरफुलानी (असम) टी कं० लि०
54. राजगढ़ टी कं०
55. भारतीय काजू निगम
56. केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०
57. केन्द्रीय भाण्डागार निगम लि०
58. कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपो०
59. इलैक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम
60. भारतीय खाद्य निगम
61. एच० एम० टी० इण्टरनेशनल लि०
62. मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपो०
63. माइका ट्रेडिंग कारपो० आफ इण्डिया लि०
64. खनिज एवं धातु व्यापार निगम
65. प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन लि०
66. स्टेट केमिकल एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपो०
67. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया
68. इण्डियन एअरलाइन्स
69. भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
70. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया
71. भारतीय नौवहन निगम
72. हिन्दुस्तान प्रोफेब लि०
73. इण्डियन रेलवे कस्ट्रक्शन कं० लि०

74. भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०
75. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम
76. सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टी०
77. इंजीनियर्स इण्डिया लि०
78. मैटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इ) लि०
79. रेल इंडिया टेकनीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसिज (इ) लि०
80. वाटर एंड पावर डेवलपमेंट कन्सल्टेंसी सर्विसिज (इ) लि०
81. टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स (इ) लि०
82. होटल कारपोरेशन आप इंडिया
83. भारत पर्यटन विकास निगम
84. आवास एंव नगर विकास निगम
85. ग्राम विद्युतीकरण निगम
86. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
87. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन
88. ने० टे० का० (गुजरात) लि०
89. ने० टे० का० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
90. ने० टे० का० (साउथ महाराष्ट्र) लि०
91. ने० टे० का० (तमिलनाडु एण्ड पाण्डिचेरी लि०
92. इण्डियन डेरी कारपोरेशन
93. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
4. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
95. भारतीय कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम
96. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
97. भारतीय जीवन बीमा निगम
98. जनरल इंश्योरेंस कारपो० आफ इण्डिया
99. निर्यात ऋण एवं प्रत्याभूति निगम
100. नेशनल इंश्योरेंस कं० लि०
101. न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं० लि०
102. आरियण्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कारपो०
103. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं० लि०
104. बानरहाट टी कं० लि०

**अरब सागर में साइक्लोन के दबाव पर निगाह रखने के लिए मौसम स्टेशन बनाने का गुजरात का प्रस्ताव**

4636. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1 नवम्बर, 1981 या इसके आस-पास गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के तटवर्तीय क्षेत्रों से तबाही मचाने वाले विध्वंसक तूफान को ध्यान में रखते हुए, अरब सागर से होने वाले तूफान के दबाव पर निगाह रखने के लिए गुजरात सरकार ने राज्य में एक मौसम स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) राज्य में ऐसे मौसम स्टेशन के महत्व और अविलम्ब आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और उस पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) सरकार छठी योजना के दौरान गुजरात में एक समुद्रतटीय राडार स्थापित करने पर विचार कर रही है ।

**गत पांच वर्षों के दौरान अपहरण किये गए विमान**

3637. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या पर्यटन और नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विमान अपहरण के कितने मामले हुए; और

(ख) क्या सरकार विमान अपहरण को गंभीर अपराध मानती है ?

**पर्यटन और नगर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) जहां तक भारतीय विमानों के अपहरण के मामले का सम्बन्ध है पिछले पांच वर्षों में (30 नवम्बर, 1976 तथा 30 नवम्बर 1981 के बीच) के दौरान अपहरण की तीन घटनाएं हुई हैं जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) 20-12-1978 को इण्डियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान का लखनऊ विमान-क्षेत्र से वाराणसी ।

(2) 29-9-1981 को इण्डियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान का दिल्ली विमान-क्षेत्र से लाहौर ।

(3) 26-11-1981 को एयर इण्डिया के बोइंग 707 विमान का सेशल्ज से डरबन दक्षिण अफ्रीका) ।

(ख) जी, हां ।

## एल्यूमिनियम के पिंडों के मूल्य में वृद्धि

4638. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने एल्यूमिनियम के पिण्डों के समेकित मूल्य में 1750 रुपये प्रति मी० टन की और वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिक उत्पादकों का एक प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में प्रधान मन्त्री से मिला था;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्पादकों ने इस धातु के मूल्य में वृद्धि और उत्पादन शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्पादकों ने सरकार पर इस बात के लिए बल दिया है कि यदि पिंड उत्पादन की बढ़ी हुई लागत के लिए उनको प्रतिपूर्ति करने के लिए धारक मूल्य बढ़ाया गया तो वे प्रति वर्ष 2.5 लाख मी० टन तक उत्पादन बढ़ा सकेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कोई निर्णय किया गया है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) से (ङ) एल्यूमिनियम के उत्पादकों ने सरकार को आभ्यावेदन दिया था कि उन्हें धारण मूल्य में वृद्धि किये जाने की अनुमति दी जाए ताकि विद्युत और कच्चे माल की लागत में हुई भारी वृद्धि को खपाया जा सके। उन्होंने एल्यूमिनियम के उत्पादन शुल्क में कमी करने का भी अनुरोध किया था क्योंकि यह प्रतियोगी धातुओं पर लगे शुल्क से कहीं अधिक था और इससे एल्यूमीनियम की मांग कम होती थी। किन्तु प्राथमिक उत्पादकों का कोई शिष्टमंडल हाल ही में प्रधान मंत्री से नहीं मिला।

उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा जांच कराने पर, धारण मूल्यों में 3 दिसम्बर, 1981 से संशोधन किया गया है। सरकार ने उर्जा संरक्षण और विद्युत के प्रेषण और वितरण में धातु के महत्व को देखते हुए एल्यूमीनियम और इसके उत्पादों पर उत्पादन शुल्क भी कम कर दिया है। फलस्वरूप उपभोक्ता मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, जैसे कि संलग्न विवरण में स्पष्ट है।

(घ) जी नहीं। एल्यूमिनियम उद्योग के क्षमता उपयोग की मुख्य बाधा पर्याप्त बिजली न मिलना है।

## विवरण

(रुपए प्रति टन)

| | 3-12-1981 से पूर्व | | | 3-12-1981 से लागू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कारखाना बाह्य मूल्य | उत्पादन शुल्क | पूल्ड मूल्य जोड़ | कारखाना बाह्य मूल्य | उत्पादन शुल्क | पूल्ड मूल्य जोड़ |
| इलैक्ट्रिकल कन्डक्टर ग्रेड पिंड | 12,942 | 5,694 | 18,636 | 15,411 | 3,390 | 18,801 |
| वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम पिंड | 12,842 | 5,650 | 18,492 | 15,311 | 3,368 | 18,679 |
| तार-छडें | 13,524 | 5,951 | 19,475 | 15,850 | 3,661 | 19,511 |

**सीमाशुल्क समाहर्ताओं को एक कथित तस्कर को परेशान न करने की सलाह दिया जाना**

4639. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "दिल्ली रिकार्डर" पत्रिका का नवम्बर 1981 अंक देखा है जिसमें निर्मल सेथिया नामक एक व्यापारी तथा कथित तस्कर ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्रालय ने 26 अगस्त 1978 को एक भूतपूर्व संसद सदस्य को भेजे गये एक पत्र में सीमाशुल्क समाहर्ता को सलाह दी थी कि श्री सेथिया को परेशान न किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पत्र के पाठ सहित ब्यौरा क्या है।

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) जी, हां।

(ख) संगत अवधि से संबंधित रिकार्डों की जांच-पड़ताल की जा रही है। सूचना एकत्र करके सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

**अशोक लेलैण्ड द्वारा मारीशश में एक प्लांट स्थापित किया जाना**

4640. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अशोक लेलैंड को मारीशश में संयुक्त उद्यम में एक कमर्शल व्हीकल असेम्वली प्लांट की स्थापना करने के लिये स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम स्वीकृति दी जाने की आशा है; और

(ग) अशोक लीलैण्ड द्वारा रखे गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की आशा है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) एक भारतीय संयुक्त उद्यम के रूप में मारीशश एक कमर्शल व्हीकल असेम्बली प्लांट की स्थापना करने के लिये मैसर्स अशोक लीलैण्ड लि० से सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**इराक में कार्यरत भारतीय कम्पनियाँ**

4641. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक में कार्य करने वाली भारतीय कम्पनियों के क्या नाम हैं और उनकी संख्या कितनी है।

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ कम्पनियों, विशेषकर भारतीय तेल कम्पनियों को इराक-ईरान युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ कम्पनियों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो मामले पर इराक सरकार से बातचीत करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) बड़ी संख्या में भारतीय कम्पनियां खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन इराक के साथ व्यापार कर रही हैं। तथापि, इराक के साथ व्यापार करने वाली ऐसी कम्पनियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) से (घ) कोई भी भारतीय आयल कम्पनी इराक में नहीं चल रही। तथापि कुछ भारतीय कंस्ट्रक्शन कम्पनियों को, ईरान-इराक युद्ध द्वारा हुई स्लिपेजों आदि के कारण हानियां हुई हैं। उनके मुआवजा दावों पर इराकी संगठनों/अभिकरणों द्वारा विचार किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ यह मामला भी अक्तूबर, 1981 में बगदाद में आयोजित भारत-इराक संयुक्त आयोग के सामने आया था।

**"इंडियन आवरसीज कन्स्ट्रक्शन कंस्टियम, कुवैत"**

4642. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कुवैत इडियन ओवरसीज कन्सट्रक्शन कंस्टियम" ने भारतीय ठेकेदारों द्वारा पश्चिम एशियाई परियोजनाओं में अधिक भाग लेने के लिये सरकार की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम एशिया में स्थित एक संगठन में उस क्षेत्र में परियोजनाओं के निष्पादन में भारतीय कम्पनियों को शामिल करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ख़ुर्शीद आलम खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कुवैत इण्डिया ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन कन्सोर्टियम के अलावा किसी पश्चिम एशिया आधारित संगठन ने किसी भारतीय कम्पनी या कम्पनियों को पश्चिम एशिया में परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल करने में उत्सुक्ता दिखाई है। तथापि, कुवैत इण्डियन ओवरसीज कन्सट्रक्शन कन्सोर्टियन पश्चिम एशिया में परियोजनाओं के निर्माण में भारतीय कम्पनियों को शामिल करने का प्रयत्न कर रहा है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**सेन्ट्रल बैंक की अतरु शाखा द्वारा दिए गए ऋण**

4643. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बैंक की जिला कोटा में स्थित अतरु शाखा द्वारा वर्ष 1980-81 में 1 जनवरी से 1 नवम्बर 1981 के दौरान कुल कितनी राशि के ऋण दिए; और

(ख) कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिए गये और ऋण कुल कितने गांवों में दिये गये तथा प्रत्येक मामले में किस प्रयोजन के लिए ऋण दिये गये ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1981 से 30 नवम्बर, 1981 तक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अतरु शाखा द्वारा दिये गये ऋणों के ब्यौरे नीचे लिखे अनुसार है :—

| प्रयोजन | ऋण कर्ता खातों की संख्या | राशि (लाख रुपये) |
|---|---|---|
| कृषि | 167 | 10.97 |
| लघु उद्योग | 5 | 0.81 |
| अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 102 | 3.01 |
| डी० आर० आई० स्कीम के अधीन दिए गए ऋण | 68 | 1.57 |
| जोड़ | 342 | 16.36 |

जिन ग्रामों में ऋण दिये गए हैं उनकी कुल संख्या पैंतालीस है।

**सीमेंट के लिए उत्तरी कोरियआई सरकार के साथ सौदा**

4644. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने 400 डालर (2 मिलियन टन) मूल्य सीमेंट के लिये कोरियाई सरकार के साथ एक सौदे को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) क्या इस सौदे से संबंधित फाइलें विभाग से गुम हो गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या हैं ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) राज्य व्यापार निगम ने उत्तरी कोरिया से एक मिलियन मी० टन सीमेंट खरीदने के लिए 2 सितम्बर, 1981 को एक संविदा की है जिसका लदान अक्तूबर 1981 से जून 1982 के दौरान किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की धनबाद बिहार स्थित चासनाला कोयलाखान में काम कर रहे ठेकेदार**

4645. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की बिहार के जिला धनबाद में स्थित चासनाला कोयला खान में काम करने वाले ठेकेदारों के नाम क्या हैं और 1 नवम्बर, 1981 के दिन वे क्या काम वस्तुतः कर रहे थे;

(ख) उनको वर्ष 1981 में अक्तूबर तक कितनी राशि अदा की गई;

(ग) क्या अधिकतर ठेके नकली हैं,

(घ) क्या चासनाला में सभी प्रकार की ठेका पद्धति के समाप्त करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कब, और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** (क) और (ख) बिहार के धनबाद जिले में इस्को की चासनाला कोयला खान में कार्यरत ठेकेदारों के नाम और 1 नवम्बर, 1981 को उनके द्वारा किये जा रहे वास्तविक कार्य तथा वर्ष 1981 में अक्तूबर, 1981 तक उन्हें अदा की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण "क", "ख" और "ग" में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) से (च) जी, नहीं । आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर विशिष्ट कार्यों के लिये, करार किये जाते हैं । इस किस्म के काम अधिकतर थोड़े समय चलने वाले तथा अस्थिर

प्रकार के होते हैं। ऐसे कार्यों के लिए पूर्णकालिक कर्मचारी बियुक्त करना वांछनीय नहीं है। जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी ठेका श्रमिकों की नियुक्ति में कमी की जायेगी या उन्हें बिल्कुल नहीं लगाया जायेगा।

## विवरण-क

**इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड**
**चासनाला कोयला खान**

**रज्जुपथ बकेट की मरम्मत के लिए ठेकेदारों को 1.4.81 से 31.10.81 की अवधि में अदा की गई राशि का ब्यौरा**

| क्रम संख्या | पार्टी का नाम | राशि (रुपये) |
|---|---|---|
| 1. | राजेन्द्र ट्रेडर्स | 37,772.00 |
| 2. | इंजीनियरिंग वर्क्स | 43,996.00 |
| 3. | दामोदर फैब्रिकेटर्स | 22,696.00 |
| 4. | भारत स्टील एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी | 12,324.00 |
| 5. | खंडेलवाल इन्डस्ट्रीज | 48,915.50 |
| 6. | जनता इंजीनियरिंग वर्क्स | 1,86,995.00 |
| | | 3,52,698.50 रुपये |

## विवरण–ख

**अप्रैल, 1981 से अक्तूबर, 1981 की अवधि में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों से कच्ची सामग्री के परिवहन के लिए परिवहन ठेकेदारों को अदा की गई राशि का ब्यौरा**

| क्रम संख्या | पार्टी का नाम | अदा की गई राशि रुपये |
|---|---|---|
| 1. | श्री रानी सती कैरियर्स | 38,24,644.00 |
| 2. | आर० पी० अग्रवाल | 32,47,600.00 |
| 3. | आर्यन ट्रांस्पोर्ट | 30,32,200.00 |
| | | 1,01,04,444.00 रु० |

## विवरण

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड
चासनाला कोयला-खान

धनबाद में इस्को की चासनाला कोयला खान में कार्यरत ठेकेदारों की संख्या, उनके द्वारा 1.11.1981 को किए जा रहे वास्तविक कार्य तथा अक्तूबर, 1981 तक उन्हें अदा की गई राशि का ब्यौरा

| क्रम सं० | ठेकेदार का नाम | कार्य-स्थल | कार्य | अप्रैल, 1981 से अक्तूबर, 1981 की अवधि में अदा की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | (रुपये) |
| 1. | ईस्टर्न कोल ट्रांस्पोर्टर्स | कोयला बनाने का कारखाना चासनाला एकेडमी | —स्लरी टैंक की मरम्मत<br>—चासनाला एकेडमी की मरम्मत | 30,642.90 |
| 2. | रणधीर सिंह कंस्ट्रक्शन | कोयला बनाने का कारखाना | —सी० पी० पी० का सफेदी करना<br>—डिप्टी सी० ई० (डब्ल्यू) तथा मिस० सिविल कार्य के कार्यालय की सफेदी करना | 22,436.93 |
| 3. | श्री जे० सी० चक्रवर्ती | सी० पी० पी० चासनाला की आफिसर/स्टाफ कालोनी | —साज-सज्जा कार्य। पुराने शौचालयों तथा स्नानगृहों की मरम्मत/नवीकरण | 79,553.98 |

(जारी···)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | अनिल कंस्ट्रक्शन | क्षेत्रीय प्रबन्ध का कार्यालय | —सफेदी/रंग रोगन कार्य | 38,402.21 |
| 5. | जे० एन० द्विवेदी | ई० एम० इ० वर्कशाप | —ई० एस० ई० में रैम्पस बनाना | 1,12,772.70 |
| 6. | स्ट्रैसकान इंजीनियरिंग कम्पनी | दोमोहानी जोरे, चासनाला | —पुल का निर्माण | 2,32,904.25 |
| 7. | खान एण्टरप्राईज | पाईपलाइन के ऊपर मलवा काटा-2-बी०-17 एक्सटेंशन केन्द्रीय कार्यालय की मरम्मत | —सिविल कार्य | 84,441.87 |
| 8. | एस० के० कंस्ट्रक्शन | कोयला बनाने का कारखाना आर० ओ० एम०-4 कन्वेयर/चासनाला गांव | —मरम्मत कार्य | 11,682.26 |
| 9. | कालिका एन्टरप्राईज | चासनाला | —सड़क की मरम्मत, पुल की नीव का कार्य, सिविल कार्य | 46,591.76 |
| 10. | श्री डी० एस० ओझा | सैन्ट्रल स्टोर एरिया | —जंगल को साफ करना | 7,719.25 |
| 11. | कल्याणेश्वरी ट्रेडर्स | कोयला बनाने का कारखाना | —स्लरी टैंक की सफाई | 38,990.12 |
| 12. | राजेन्द्र ट्रेडर्स | चासनाला | —औद्योगिक नाले की मरम्मत | 20,499.27 |
| 13. | आर० पी० कंस्ट्रक्शन | चासनाला | —सड़क की कटाई/छटाई आदि | 27,868.33 |
| | | (1) खनिकों के क्वार्टर | —नाले का कार्य | |
| | | (2) आफिसर कालोनी | —उद्यान-विकास | |
| | | (3) बस्ती | —कचरे को हटाना | |
| 14. | आर० एस० दास | (1) चासनाला | —सड़क की मरम्मत | 42,189.26 |
| | | (2) चासनाला एकेडमी | —मरम्मत कार्य | |
| | | (3) आफिसर कालोनी | —जंगल की सफाई | |

(जारी···)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. राजेन्द्र सिंह | रज्जूपथ स्टेशन एफ० और जी० का लेखा कार्यालय | —सफेदी/रंग रोगन फर्नीचर की मरम्मत | 5,223.98 |
| 16. महादेव प्रसाद | (1) आफिसर कालोनी | —नौकरों के 16 क्वार्टरों की मरम्मत | 8,435.84 |
| | (2) कांटा | —पहुंच मार्ग | |
| | (3) चासनाला बस्ती | —जंगल की सफाई | |
| 17. मंडल ब्रदर्स | चासनाल सैन्ट्रल स्टोर | —अहाते की दीवार की मरम्मत | 20,438.78 |
| 18. प्रभात चक्रवर्ती | रज्जूपथ स्टेशन बी० सी० डी० और ई० | —दरवाजों और खिड़कियों की मरम्मत | —शून्य— |
| 19. दामोदर फैब्रीकेटर्स/इरेक्टर | (1) ई० एम० ई० वर्कशाप | —फैब्रीकेशन कार्य | 5,200.00 |
| | (2) सैंट्रल स्टोर | —तदैव— | |
| 20. गणेश इलैक्ट्रिकल ट्रेडिंग | कोयला बनाने का कारखाना | —विद्युत मोटरों आदि की मरम्मत | 1,750.00 |
| 21. युनाइटेड इलैक्ट्रिकल वर्क्स | ई० एम० ई०/सी० पी० बी० | —विद्युत कार्य की रि-वांइंडिंग | 17,944.00 |
| 22. कमल रोडवेज | सैन्ट्रल स्टोर्स-चासनाला | —सीमेंट का परिवहन | 10,799.00 |
| 23. आर० मलिक एण्ड सन्ज | कोयला बनाने का कारखाना | — सी० पी० सयंत्र के लिए मैग्नेटाइट का परिवहन | 4,162.53 |
| | | कुल— | 870,649.22 |

**उड़ीसा में एल्यूमिना-एल्यूमिनियम संयंत्र को कच्चे साल की सप्लाई के लिए कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना किया जाना**

4646. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में एल्यूमिना-एल्यूमिनियम संयंत्र को कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए अपने कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना करने हेतु कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना हेतु कौन-सा स्थान चुना गया है;

(ग) क्या भारी मात्रा में कास्टिक सोडा सप्लाई करने के लिए एल्यूमिना-एल्यूमिनियम संयंत्र प्रस्तावित कास्टिक सोडा संयंत्र अनिवार्य है इस संबंध में सोडा के उत्पादन के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता होगी; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का प्रस्ताव इस कास्टिक सोडा संयंत्र की उड़ीसा में स्थापना करने पर, जहाँ संयंत्र के लिए मुख्य सहायक सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, विचार करने का है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) से (घ) यथा स्वीकृत उड़ीसा एल्यूमिनियन परियोजना में शुरू के 3-4 वर्षों में अपनी जरूरत के लिए कास्टिक सोडा आयात की परिकल्पना है।

इस आदान सामग्री के लिए दीर्घकालीन देसी स्रोत की स्थापना हेतु इंजीनियर्स (इण्डिया) लि० ने क्रेब्स एण्ड सी (इण्डिया) प्राइवेट लि० के सहयोग से जून, 1980 में कास्टिक सोडा संयंत्र के लिए एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की थी। यह साध्यता रिपोर्ट उड़ीसा एल्यूमिनियम परियोजना के साथ-साथ कोरबा एल्यूमिनियम कम्प्लैक्स तथा आन्ध्र प्रदेश में दूसरे प्रस्तावित एल्यूमिना संयंत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए थी। रिपोर्ट में प्रौद्यो-आर्थिक विचारों पर 5 स्थानों—दो आन्ध्र प्रदेश, 2 उड़ीसा में और एक प० बंगाल के लिए विचार किया गया था।

साध्यता रिपोर्ट की जांच के समय यह बात प्रकाश में आई कि हिन्दुस्तान आरगैनिक कैमिकल्स (एच० ओ० सी०) द्वारा भी कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना के लिए अलग से विचार किया जा रहा है। तब इस मुद्दे पर विचार की जरूरत हुई कि क्या उड़ीसा एल्यूमिनियम परियोजना को एच० ओ० सी० के प्रस्तावित संयंत्र के उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इस मसले का विभिन्न सम्बद्ध कारकों—जैसे स्थान, क्लोराइन उपोत्पाद के उपयोग आदि के संदर्भ में रसायन और उर्वरक विभाग में अध्ययन किया जा रहा है।

**उड़ीसा में जी० एस० आई०, एम० एम० ई० सी० तथा राज्य खनन विभाग द्वारा सर्वेक्षण**

4647. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन स्थानों तथा जिलों के क्या नाम हैं जहां जी० एस० आई, एम ई० सी० तथा राज्य खनन विभाग द्वारा सर्वेक्षण तथा खोज कार्य किया जा रहा है;

(ख) इन एजेन्सियों ने किन-किन खानों और खनिजों का पता लगाया हैं और अब तक कितनी माता तथा कैसी किस्म का अनुमान लगाया नया है;

(ग) उड़ीसा राज्य में विद्यमान तथा अब नए पाए गए खनिजों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार ने खनिज पर आधारित कौन से उद्योग निश्चित तथा प्रस्तावित किए हैं;

(घ) गैर सरकारी कम्पनियों को कुल कितने खनन पट्टे दिये गये हैं और सरकार के लिए राज्य में (जिलावार) कितनी खानें हैं; और

(ङ) वर्ष 1980 से 1981 तक कितने नए खनम पट्टे दिये गये और राज्य में बन्द की गई खानों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी)** : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा में सर्वे और अन्य खोज कार्य मुख्यत: कोरापुट, पुरी, गंजम, सुन्दरगढ़, धेनकनाल, क्योंझर, कालाहांडी और संभलपुर जिलों तथा कुछ अन्य स्थानों पर किये गये हैं।

खनिज गवेषण निगम इस समय कटक जिले को भीमतानगर क्रोमाइट परियोजना में ड्रिलिंग और मयूरभंज किले में गलकूप खोदने का काम कर रहा है।

कोरापुट जिले के मल्काननिरि संभाग में मुन्डगुडा, दामुगुडा, सलीमी, परमारासू के आस-पास टिन के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा उड़ीसा खनन व भूतत्व निदेशालय द्वारा सांझी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सोने के लिए क्योंझर जिले के तलकोई क्षेत्र में खोज की जा रही है और अब यह खोज गोपुर, गाजीपुर तथा ओडल क्षेत्रों में की जाएगी।

उपर्युक्त के अलावा सुकिन्दा, नौशाही पट्टी, कटक तथा क्योंझर जिलों में क्रोमाइट की खोज के लिए भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम तथा राज्य खनन व भूतत्व निदेशालय द्वारा सांझा कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं।

बोनाई क्षेत्र में मैंगनीज की खोज के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा खनिज गवेषण निगम का सांझा कार्यक्रम है।

(ख) इन खोजों से खनिज गवेषण निगम ने पूर्वी घाट पर विभिन्न निक्षेपों में कुल 850 मि० टन भंडार (45%) एल्यूमिना युक्त केशरपुर ताम्र परियोजना, जिला सयूरभंज, में 0.73% तांबा वाले 0.329 मि० टन ताम्र अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा किए गये सर्वेक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित खनिजों का पता चला हैं—

(1) 840.01 मि० टन चूना पत्थर (सभी ग्रेड)।

(2) 696.87 मि० टन डोलामाइट (सभी ग्रेड और अवर्गीकृत)।

(3) 3124.86 मि० टन लोहा (सभी ग्रेड) ।

(4) 32.81 मि० टन मैंगनीज और (25% से 35%—46%) ।

(5) 112.63 मि० टन क्रोमाइट (सभी ग्रेड) ।

(6) 1.66 मि० टन तांबा अयस्क (0.73% से 1.59% के बीच) ।

(7) 4.46 मि० टन सीसा अयस्क (5.20%—तथा 0.34%) ।

(8) 1416.313 मि० टन बाक्साइट (खनिज गवेषण निगम द्वारा प्रदत्त आंकड़ों सहित) ।

(9) 162.0 मि० टन निकल अयस्क (0.97% से 1.03%) ।

(10) 94.858 मि० टन चीनी मिट्टी ।

(11) 129.156 मि० टन अग्निसह मिट्टी ।

(12) 5907 मि० टन कोयला ।

ग्रेफ़ाइट (सभी ग्रेड) के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भागों में इलिमेनाइट–मोनाजाइट निक्षेपों और कोरापुट जिले में टिन खनिजीकरण की भी सूचना मिली है और खोज की जा रही है ।

(ग) उड़ीसा सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में कुछ खनिज आधारित उद्योग निर्धारित किये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(1) धेनकमाल में रिफ्रेक्टरी प्रोजेक्ट ।

(2) क्योंझर में इल्क्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइआक्साइड प्रोजेक्ट ।

(3) क्योंझर में स्पंज आयरन प्रोजेक्ट ।

(4) रायरंगपुर में कैल्सियम कारबाइट प्रोजेक्ट ।

(5) नेशनल एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट ।

(6) वनानीपाल जिला क्योंझर में चार्जक्रोम कारखाना ।

(घ) और (ड़) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, मदुरई (तमिलनाडु) के अधिकारियों के विरुद्ध जांच**

4648. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुराई केन्द्रीय उत्पादत शुल्क समाहर्तालय (तमिलनाडु) के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक तथा अन्य श्रेणियों के अधिकारिया के विरुद्ध पहली जरवरी, 1977 से आज तक सतर्कता के मामलों में कितनी जांच हुई हैं और (एक) उनमें से कितने मामले में निपटाए गये तथा (दो) उन्हें अब तक न निपटाए जाने के क्या कारण हैं और (तीन) बकाया मामलों में से अब तक कितने अधिकारी सेवानिवृत्त हो तो गए हैं परन्तु चार वर्ष से भी अधिक पहले बताई गई कथित

(ङ) 9 दिसम्बर, 1981 तक चावल के हिसाब से 44.46 लाख मीटरी टन ।

**लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि**

3696. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के अखिल भारतीय फैक्टर पर मूल्यों में वृद्धि की जा रही है :

(ख) यदि हां, तो नये मूल्य कब घोषित किये जायेंगे ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों की चीनी विक्रेता ऐसोसिएशनों ने केन्द्र सरकार से चीनी के व्यापार में लगे अनेक प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात का उल्लेख किया है कि उचित सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबन्ध अब बेकार हो गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)** : (क) और (ख) लेवी चीनी का अखिल भारतीय औसत निकासी मूल्य 1980-81 में 284.56 रुपए प्रति क्विंटल था जोकि बढ़ाकर 1981-82 के लिए 296.56 रुपये प्रति क्विंटल (इसमें 5.- रुपये प्रति क्विंटल जोकि विकास उपकर के रूप में लिए जाने हैं, शामिल हैं) कर दिया गया है । नये मूल्य 10 नवम्बर, 1981 को अधिसूचित किए गए थे ।

(ग) और (घ) जी हां ।

(ङ) चीनी मौसम अभी प्रारम्भ हुआ है । यद्यपि इस समय उपलब्धता और मूल्य स्थिति संतोषजनक है लेकिन सरकार का विचार है कि चीनी व्यापार पर लगे नियन्त्रणों में किसी प्रकार की ढील देने के लिए अब उपयुक्त समय नहीं है ।

**शहरों के चारों ओर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने की योजना**

3697. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के चुने हुए शहरों के चारों ओर सब्जियों के सघन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नयी योजना बनाने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना तैयार की गई है ;

(ग) क्या इसका मुख्य उद्देश्य शहरों के बाजारों में सब्जियों की उचित सप्लाई बनाये रखना और निर्यात हेतु कुछ बचाना है ; और

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) शून्य।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

**पारले बीवरेज और उत्पादन शुल्क विभाग के बीच विवाद**

4651. **श्री रतनसिंह राजदा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारले बीवरेज और उत्पादन शुल्क विभाग के बीच निर्धारण योग्य मूल्य निर्धारित करने में क्या विवाद हैं; और

(ख) 1979-80 के दौरान पारले बीवरेज, बम्बई के थोक बिक्री मूल्यों और थोक व्यापारियों के बिक्री मूल्यों के बीच कितना अन्तर है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :** (क) मेसर्स पार्ले बेवरिजिज, बम्बई, अपने द्वारा उत्पादित बातित जल स्वतंत्र थोक क्रेताओं को नहीं बेचती है बल्कि वह उक्त बातित जल अधिकांश बिक्री मैसर्स किस्मत प्राइवेट लि० के जरिये करती है। मैसर्स किस्मत प्राइवेट लि० उसकी सहयोगी फर्म बतायी जाती है। विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य का निर्धारण मैसर्स पार्ले बेवारिजिज, बम्बई के बिक्री मूल्य के आधार पर करना चाहिए अथवा मैसर्स किस्मत प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा थोक क्रेताओं को बेचे गये उक्त उत्पादन के बिक्री मूल्य के आधार पर।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान मैसर्स पार्ले बेवरिजिज, बम्बई द्वारा मैसर्स किस्मत प्राइवेट लि० को बेचे गसे उक्त उत्पादन के बिक्री मूल्य तथा मैसर्स किस्मत प्राइवेट लिमिटेड द्वारा थोक व्यापारियों को बेचे गये उक्त उत्पाद के बिक्री मूल्य के बीच प्रति क्रेट अन्तर .203 रु० से लेकर 7.39 रु० तक है जो मैसर्स पार्ले बेवरिजिज, बम्बई द्वारा उत्पादित बातित जल की ब्राण्ड पर निर्भर करता है।

**वित्तीय संस्थानों द्वारा तमिलनाडु में अखबारी कागज/कागज मिलों को वित्तीय सहायता**

4652. **श्री ईरा मोहन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अखबारी कागज/कागज मिल को दी गई मंजूरी का ब्यौरा क्या है और उसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसके लिये दी गई इस प्रकार की वित्तपोषण की जिम्मेदारी (अण्डरराईटिंग) मंजूर किये गये ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए विदेशी मुद्रा में किसी सहायता की स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) जी, हां । असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, और सिक्कम के लिए एक कृतक बल का गठन किया जा रहा है ।

## गुजरात में जमीन के दाम

3699. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हाल के वर्षों में गुजरात के मुख्य शहरों में विशेष रूप से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत इत्यादि शहरों में जमीन के दाम दस से पन्द्रह गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पिछले दो सालों में किरायें में 100 से 200 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और शहर निर्माण कार्यों में बहुत अधिक मात्रा में काले धन का उपयोग हुआ है ;

(ग) क्या बिक्री सौदों में वास्तविक सम्पदा का कम मूल्य दिखाया जाता है ; जिससे राज्य के सरकारी कोष पंजीयन राजस्व में करोड़ों रुपये का नुकशान हुआ है ;

(घ) क्या यह सच हैं कि अहमदाबाद और बड़ौदा जहां पहले जीवन यापन सस्ता था, जहाँ जन संख्या वृद्धिदर सबसे अधिक है मकानों के सम्बन्ध में सबसे अधिक मंहगे शहर हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन शहरों में जमीनों के दामों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## मक्खन तथा दूध की सप्लाई

3700. डा० ए० यू० आजमी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मक्खन, वनस्पति घी, शिशु आहार आदि, जिनकी काफी लम्बे समय से कम सप्लाई की जा रही है, को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए अभी तक कोई उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के शुद्ध घी को खुले बाजार में अथवा कम से कम केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)** : (क) कहीं कहीं अस्थाई कमी को छोड़कर मक्खन, वनस्पति घी तथा शिशु आहार की सप्लाई स्थिति सामान्य तौर से संतोषजनक रही हैं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना तरल दूध की मांग पूरी करने के बाद अधिशेष चिकनाई से ही घी का उत्पादन करती है। अधिकता वाली अवधि के दौरान कच्चे दूध की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि घी बनाने के लिए अधिशेष चिकनाई उपलब्ध हो सके। दिल्ली दुग्ध योजना ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पूरे दिन खुले रहने वाले 13 दुग्ध स्टाल स्थापित कर रखे हैं और जैसे ही योजना पर्याप्त मात्रा में घी का उत्पादन एवं विपणन करने की स्थिति में हो जाएगी वैसे ही इन पूरे दिन खुले रहने वाले सभी स्टालों के माध्यम से घी उपलब्ध कारावा जाएगा।

**भारतीय खाद्य निगम में आन्दोलन**

3701. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय संयुक्त परिषद और एक्जीक्यूटिव एम्पाईज फेडरेशन ने यह योजना बनाई है कि यदि प्रबन्धकों और केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने हेतु तत्काल कोई कदम नहीं उठाए तो वे अपना आन्दोलन तेज कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या-क्या हैं और अब तक सरकार ने कितनी मांगों को मान लिया है और कितनी मांगों को अस्वीकार कर दिया हैं ; और

(ग) कर्मचारियों के आन्दोलन से उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)** : जी हाँ।

(ख) मुख्य मांग कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधत करने और संशोधन होने तक 1.1 1977 से 31.12.1980 तक की अवधि के लिए मजदूरी संशोधन के बदले तुरन्त एक मुश्त राशि देने और 1.1.1981 से आगे की अवधि के लिए अंतरिम सहायता राशि घोषित करने के बारे में रखी गई है। अन्य मांगें पदोन्नति से प्रतिबन्ध उठाने, स्टाफ संख्या की समीक्षा करने, और अतिरिक्त पद मंजूर करने और भरने आदि के बारे में हैं। ये मांगें भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध के विचाराधीन हैं।

(ग) इस समय आन्दोलन केवल धरना और प्रदर्शन के रूप में है और इससे खाद्यान्नों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं हुई है।

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17-24 अक्तूबर, 1981 के "इकोनामिक एण्ड पोलिटीकल वीकली" में प्रकाशित एक्सपोर्टस एण्ड एम्प्लायमेंट इन इण्डिया लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केवल निर्यात वृद्धि से ही रोजगार के अवसर अनिवार्यतया उत्पन्न नहीं होते हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि निर्यात की तुलना में जबकि कर्मचारियों की प्रतिशतता में वृद्धि नहीं हुई है और यदि हां, तो इसके ठीक कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिकांशतः श्रम पर आधारित उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देने का है ताकि अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अतिरिक्त निर्यात वृद्धि से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो सकें।

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) निर्यात में वृद्धि और रोजगार के अवसर उत्पन्न होने के बीच सम्बन्ध के बारे में ब्यौरेवार कोई सरकारी अध्ययन नहीं किया गया है। एकनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली में प्रकाशित संदर्भधीन अध्ययन 1978-83 पंच वर्षीय योजना के समोदे के लिए प्राक्कलित श्रमिक गुणांकों तथा 1968-69 की आँगत-निर्गत सारणी पर निर्भर है। कीमत तथा प्रोद्योगिक संबंधी परिवर्तन दोनों के लिए श्रमिक गुणांकों अथवा आगत-निर्गत सारणी को अध्यतन नहीं दिया जा रहा है। अतः अध्ययन से निकाले गये निष्कर्षों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

(च) हालाँकि श्रमिक प्रधानता के अनुसार क्षेत्रों का वर्गीकरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। चालू पंचवर्षीय योजना के और अधिक श्रम आधारित निर्यात उत्पादों की वृद्धि पर बल दिया गया है।

**सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की भोपाल में 2000वीं शाखा का उद्घाटन समारोह**

4657. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने भोपाल में अक्तूबर, 1981 में अपनी 2000वीं शाखा के उद्घाटन समारोह पर काफी शानदार व्यवस्था की थी;

(ख) क्या सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने इस समारोह हेतु विमान से बम्बई से पूर्ण टी० वी० कैमरामैन, कर्मी दल तथा पत्रकारों के एक समूह को बुलाया था;

(ग) विमान व्यय, दूरदर्शन व्यवस्था, होटल आवास, समाचार पत्रों में प्रचार आदि को मिलाकर इस समारोह पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) ऐसे समारोह पर इतना सरकारी धन व्यय किये जाने के क्या कारण है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की 2000वीं शाखा के मध्यप्रदेश सिभौरा में खोले जाने के अवसर पर यह निर्णय किया

था कि निदेशक मण्डल की बैठक की जाए और आदि वासी बहुल माँडला जिले में बैंक द्वारा किये गये काम का प्रचार करने के लिए एक उपयुक्त समारोह आयोजित किया जाए। एक बैंक ने, इस अवसर का लाभ अपनी 2000वीं शाखा खुलने के तथ्य सहित, अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिये उठाया और इसके लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों को व्याप्त करते हुए महत्वपूर्ण दैनिक पत्रों तथा बैनरों हॉर्डिग्स और पोस्टरों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया।

एक स्वतंत्र (फ्री लांस) टी० वी० कैमरामैन को उद्घाटन दिवस समारोह को कवर करने के लिए रेल द्वारा सिक्रौरा ले जाया गया था। इस समारोह के पत्रवाड़े पहले पाँच वित्तीय संवाददाता भी विमान/रेल द्वारा मांडला जिले में गये थे ताकि वे इस जनजाति बहुल जिले में सैंट्रल बैंक द्वारा किये गये काम से अवगत हो सकें और उसका मूल्यांकन कर सकें। बताया गया है कि इस समारोह के लिये किसी पत्रकार को बम्बई से विमान द्वारा नहीं भेजा गया था। बैंक ने सूचना दी है कि उसकी स्थानीय लागत लगभग 65000 रुपये रही। अखिल भारतीय प्रचार की लागत 2,75,000 रुपये थी।

यह व्यय 1980-81 के लिये बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रचार बजट के भीतर किया गया। इस व्यय को करने का उद्देश्य बैंक द्वारा किये गये कार्य का प्रचार था न कि केवल एक समारोह आयोजित करना। फिर भी, क्योंकि 2000वीं शाखा का उद्घाटन एक आदिवासी जिले में हो रहा था इस अवसर का लाभ पूरे देश में कुछ बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिये उठा लिया गया। अलबत्ता, बैंक को सलाह दी गयी है कि इस प्रकार के समारोह आयोजित करने और प्रचार पर व्यय में अधिकतम मितव्ययिता अपनायी जाए।

**स्टेट बैंक आफ इण्डिया की दिल्ली शाखाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के आरक्षित कोटा**

4658. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **वित्त मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली स्थानीय मुख्यालय ने पहली बार उन उम्मीदवारों से जो निकट भविष्य में होने वाली पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने वाले है, जबरन यह आश्वासन लिया है कि उनका कहीं भी तबादला लिया जा सकता है जैसे कि देहरादून आगरा, जयपुर और दिल्ली सर्किल के क्षेत्र;

(ख) क्या उस बैंक की दिल्ली शाखाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों के लिए आनुपातिक आरक्षित कोटा पूरा है;

(ग) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से यह आश्वासन लिये जाने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली में ही उनका कोटा पूरा नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक के नयी दिल्ली स्थानीय प्रधान कार्यालय में अफसरों के संवर्ग में पदोन्नतियां इसके दिल्ली सर्कल

सर्कल के अधीनस्थ विभिन्न रीजनों में समग्रतः उपलब्ध कुल रिक्तियों के आधार पर की जाती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भी इन रिक्तियों से ही सम्बद्ध है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंक में प्रचलित प्रथा के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों समेत सभी पात्र कर्मचारियों को अफसरों के संवर्ग में पदोन्नति की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले यह वचन देना होता है कि वे दिल्ली सर्कल में, किसी भी शाखा में काम करने के लिये तैयार रहेंगे। पदोन्नति के बाद कर्मचारियों की तैनाती बैंक की स्थानांतरण नीति के अनुसार की जाती है जोकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों सहित सभी कर्मचारियों पर एक समान रूप से लागू होती है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैंक कर्मचारियों के एसोसिएशनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के उत्तर**

4659. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैंक कर्मचारियों के एसोसिएशनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनओं का कभी उत्तर नहीं दिया जाता;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में बैंकों में काम कर रहे अनुसूचित जाति/-अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवा से संबंधित मामलों के बारे में संसद्-सदस्यों द्वारा वित्त मंत्री को लिखे गये पत्रों का उत्तर अनुस्मारकों के बावजूद भी उचित समय के भीतर नहीं दिया जाता,

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग में अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति सैल के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) से (घ) कर्मचारियों के एसोसियशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों को समुचित कार्यवाही के लिए बैंकों को, जोकि स्वायत्तशासी निकाय है, अग्रेषित किया जाता है। जहां यह पाया जाता है सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हैं, बैंकों के प्रबंधकों को उपचारात्मक कदम उठाने की सलाह दी जाती है। अलबत्ता, कर्मचारियों के एसोसिएशनों के साथ पत्र व्यवहार करने की कोई प्रथा नहीं है। जहां तक संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का संबंध है, यद्यपि उन पर कार्यवाही तुरंत शुरू कर दी जाती है, किन्तु उनका उत्तर तभी दिया जाता है जबकि उन पत्रों में उठाए गये मुद्दों की बैंक के परामर्श से भली प्रकार जांच पूरी हो जाय। कई बार, पत्रों में अन्तर्विष्ट विचार सरकारों क्षेत्र के सभी बैंकों से संबंधित होते हैं और इसलिए बैंकों से सूचना संकलित और समेकित करनी होती है जिसमें समय लगता है और संसद् सदस्यों को उत्तर भेजने में देरी हो ही जाती है। इस समय सरकारी क्षेत्र के 28 बैंक हैं जिनकी पूरे देश में 30,000 से भी अधिक शाखाएं हैं। बहुत से मामलों में, बैंकों को, सारे देश में फैली अपनी शाखाओं से सूचना एकत्र करनी होती है जोकि एक समय साध्य प्रक्रिया है। कुछ मामलों में ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर कर्मचारी यूनियनों से चर्चा करना आवश्यक

होता है। संसद् सदस्यों से प्राप्त लगभग सभी पत्रों की पावती मंत्री के कार्यालय द्वारा तुरंत भेज दी जाती है और इन पत्रों में उठाए गये विभिन्न मुद्दों पर यथावश्यक पूरी कार्यवाही करने के बाद ही इनका अन्तिम उत्तर भेजा जाता है।

**प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) से प्राप्त ऋणों का पुनर्भुगतान**

4660. **श्री शिबु सोरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) के दो डायरेक्टरों ने इस कम्पनी से और सदर्न बोटलर्स से तथा अन्य सहयोगी कम्पनियों से कितने कितने ऋण लिए हुए हैं;

(ख) इन ऋणों का पुनर्भुगतान कैसे किया जाना है;

(ग) इन ऋणों से क्या-क्या परिसम्पत्तियां प्राप्त की गई हैं; और

(घ) क्या ये ब्याज मुक्त ऋण है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) से (घ) प्रश्न की विषय-वस्तु विधि, न्याय और कम्पनी कार्य के मंत्री के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है। तथापि सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

**कृषि वस्तुओं के निर्यात आय में वृद्धि**

4661. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
**श्री बी० वी० देसाई** } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में सितम्बर, 1981 तक कृषि वस्तुओं के निर्यात से आय में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए कृषि वस्तु निर्यात का लक्ष्य 1208 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त हो गया है;

(ङ) किन वस्तुओं का निर्यात किया गया है;

(ख) विदेशों में किन कृषि उत्पादों की माँग अधिक थी, और

(छ) कृषि वस्तु निर्यात में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) जी हां, 1 वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान भारत से कपास और बागान फसलों जैसे चाय काफी तथा इलायची को छोड़कर कृषि संबंधी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात 602.03 करोड़ रुपये के होने का अनुमान है जबकि 1980-81 की उसी अवधि में 406.70 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष के पूर्वार्द्ध में इस लक्ष्य का लगभग 50% प्राप्त कर लिया गया है।

(ङ) तथा (च) भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली जिन मुख्य कृषि वस्तुओं की विदेशों में माँग है वे हैं तम्बाकू, काजू, गिरी, साधित खाद्य पदार्थ, मसाले, खली, एच० पी० एस० मूंगफली अरंडी का तेल, चमडा, जौ, चावल आदि।

(छ) निर्यातों को जहां कहीं आवश्यक होता है, नकद मुआवजा सहायता, आयात, प्रतिपूर्ति आदि जैसे प्रोत्साहन देकर और अन्य संवर्धनात्मक प्रयास करके प्रोत्साहन किया जाता है।

**परियोजना निर्यात के लक्ष्य**

4662. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० ई० पी० सी० और प्रोजेक्ट एक्सपोर्टस 1990-91 तक परियोजना निर्माण के लिये निर्धारित लक्ष्य तथा उसके निर्यात के लिये एक अलग संवर्द्धन एजेंसी बनाने ने बारे में अब भी मतभेद की स्थिति में है; और

(ख) सरकार का विचार इस स्थिति को किस प्रकार निपटाने तथा यह देखने का है कि निर्यात लक्ष्यों की हानि न हो, जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर पश्चिम बंगाल क्षेत्र के भारी इंजीनियरी उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) तथा (ख) जहां तक मंत्रालय को मालूम है, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् तथा परियोजना निर्यातकों में 1990-91 तक परियोजना निर्यातों के लक्ष्यों के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। दूसरी ओर, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्यों के अनुसार ऐसी संभावना है कि पूंजीगत माल के निर्यात जो 1980-81 में 345 करोड़ रु० के थे, बढ़कर 1990-91 में 4500 करोड़ रु० के हो जाएंगे। इसमें से अधिकांश पूंजीगत उपस्कर परियोजना निर्यातों के भाग होंगे। इस समय सरकार ने परियोजना संविदाओं के लिए अलग संवर्धनात्मक अभिकरण स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा है।

**दिल्ली नगर निगम द्वारा फाइव स्टार होटलों को पानी की बिक्री**

4663. **श्री के० मलन्ना**
**श्री के० ए० राजन्** } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियायती दरों पर फाइव स्टार होटलों को पानी बेचने के लिए दिल्ली नगर निगम की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में दिल्ली नगर निगम की प्रक्रिया क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मछलियों का निर्यात**

4663 क. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के पहले दस महीनों की अवधि की तुलना में वर्ष 1981 के पहले दस महीनों में कितनी मात्रा में मछलियों का निर्यात किया गया;

(ख) 1981 और 1980 की उक्त अवधि में कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा-अर्जित की गई;

(ग) इन देशों के नाम क्या हैं और इन देशों को अवरोही क्रम में किन-किन लोकप्रिय प्रकारों की मछलियों का निर्यात किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि भारत की लोकप्रिय प्रकार की मछलियों के लिए निर्यात की भारी संभावना है क्योंकि भारत के लम्बे समुद्र तट पर मत्स्य उद्योग का भारी विकास किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये निर्यात बाजार की क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भारत की समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछलियां पकड़ने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) तथा (ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1980 के पहले दस महीनों की तुलना में 1981 की उसी अवधि के दौरान निर्यात किये गये समुद्री उत्पादों की मात्रा तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नांकित प्रकार है :—

| | जनवरी से अक्तूबर | |
|---|---|---|
| | 1980 | 1981 |
| मात्रा (मे० टन में) | 60981 | 63064 |
| मूल्य (करोड़ रु० में) | 229.43 | 182.91 |

(ग) देशों के नाम तथा इन देशों के निर्यात की गई मछली की लोकप्रिय किस्में, घटते हुए क्रम में निम्नोक्त प्रकार हैं। (जनवरी से अक्तूबर, 1981 के दौरान प्रभावी निर्यातों के मूल्य पर आधारित घटते हुए क्रम में व्यवस्थित) :

| क्रमांक | देश का नाम | निर्यात की गई लोकप्रिय मदें |
|---|---|---|
| 1. | जापान | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई मेंढक की टांगें, जमी हुई लोवस्टर की पूंछ, जमी हुई कटल मछली । |
| 2. | सं० रा० अमरीका | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई मेंढक की टांगें, जमी हुई लोवस्टर की पूंछ । |
| 3. | ब्रिटेन | जमे हुए श्रिम्प, जम हुई मेंढक की टाँगें, जमी हुई लावस्टर की पूंछ, डिब्बाबन्द श्रिम्प । |
| 4. | नीदरलैंड | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई मेंढक की टांगें, जमी हुई लावस्टर की पूंछ, डिब्बाबंद श्रिम्प । |
| 5. | फ्रांस | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई मेंढ़क की टाँगें, जमी हुए लावस्टर की पूंछ, जमे हुए स्क्युड, जमी हुई कटल मछली । |
| 6. | मिस्र का अरब गणराज्य | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई मेंढक की टांगें, जमी हुई लावस्टर की पूंछ जमी हुई कटल मछली । |
| 7. | कुवैत | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई लावस्टर की पूंछ, जमे हुए फिलेट्स । |
| 8. | सिंगापुर | जमे हुए श्रिम्प, जमे हुए फिलेट्स । |
| 9. | वेल्जियम | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई मेंढक की टांगें, जमी हुई कटल मछली । |
| 10. | आस्ट्रेलिया | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई मेंढक की टाँगें, जमे हुए स्क्युड । |
| 11. | हाँगकाँग | जमे हुए श्रिम्प, जमी हुई कटल मछली । |
| 12. | सऊदी अरब | जमे हुए श्रिम्प, जमे हुए स्क्युड । |

(घ) यह सच है कि भारतीय मछली की लोकप्रिय किस्तों के निर्यात की बहुत अधिक संभाव्यता है । तथापि, ऐसे पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं जिनसे पक्के तौर पर समुद्र से दूर तथा गहरे समुद्री क्षेत्रों में मछली की लोकप्रिय किस्तों की भारी मात्रा में उपलब्धता का पता चल सके । सामान्यता ऐसा समझा जाता है कि टुना, गहरे समुद्र वाली स्क्युड, गहरे समुद्र की लोवस्टर तथा श्रिम्प, पैरचिस, हार्स मैकैरेल्स, शार्क आदि का जोकि लोकप्रिय किस्तों के अन्तर्गत आती है, गहरे समुद्री क्षेत्रों में पता लगाया जा सकता है ।

(ङ) भारतीय समुद्री उत्पाद के लिए संभावित निर्यात बाजार का पता लगाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं :—

(1) संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, पश्चिम यूरोप, जापान, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिम एशिया में भारतीय समुद्री उत्पादों की विभिन्न मदों के लिए विदेशी बाजार सर्वेक्षण ।

(2) जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम यूरोप, आट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, मलयेशिया आदि की बिक्री-सह-अध्ययन दल तथा समुद्री खाद्य प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करना।

(3) आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली आदि में हुए महत्वपूर्ण व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(4) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में भारतीय मिशन के अधीन भारतीय व्यापार केन्द्र स्पेन, इटली तथा यूनान में भारतीय समुद्री उत्पादों के सम्बन्ध में बाजार सर्वेक्षण कर रहा है।

(च) भारतीय समुद्र में अनधिकार मछली मारना रोकने के लिए भारतीय समुद्रवर्ती जोन्स (विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ना विनियमन) अधियिमन, 1981; 2 नवम्बर, 1981 से लागू किया गया है। इस अधिनियमन के अनुसार इस अधिनियन के अधीन दिये जाने वाले किसी लाइसेंस अथवा परमिट के बिना भारत के समुद्रीवर्ती जोनों के भीतर बिक्री विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाज का उपयोग नहीं किया जायेगा। इस अधिनियम में इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए जहाज को जब्त करने सहित भारी जुमाने की व्यवस्था है। तटीय सुधार का अधिकारी तथा सरकार का कोई अधिकृत अधिकारी यह पता लगाने के लिए विदेशी मत्स्य नौका को रोक सकेगा, ठहरा सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा कि अधिनियन की अपेक्षाओं का अनुपालन हुआ है या नहीं। इन अधिकारियों को ऐसी नौकाओं को पकड़ने और रोकने के अधिकार है यदि उनका यह सन्देह हो जाये कि अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किया गया है।

**ग्रामीण बैंक प्रणाली में दैनिक मजूरी पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या**

4663 ख. **श्री रेणुपद दास : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंक सिस्टम में दैनिक मजूरी पर भी लोग कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दैनिक-मजदूरों की क्षेत्र-वार संख्या मूल कितनी है तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में ये दैनिक मजदूर कब से कार्यरत हैं तथा उनके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्हें नियमित किये जाने की कोई संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दैनिक मजदूरी वालों को नियमित कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जाता और इसलिए उनकी संख्या के बारे में न तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कोई सूचना भेजी

जाती है और न इन बैंकों के कार्य निष्पादन के संचालन के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विषयक कोई सूचना संकलित की जाती है। बहुत से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में दैनिक मजदूरी पर व्यक्ति उन बैंकों की स्थापना के समय से ही कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बैंक में लगे ऐसे कर्मचारियों की संख्या समय समय पर बदलती रहती है।

(घ) (ङ) और (च) क्योंकि दैनिक मजदूरी वाले व्यक्ति नियमित कर्मचारी नहीं होते, इसलिए उन्हें बैंकों में विभिन्न रिक्तियों के लिए जिनके वास्ते वे पात्र होते हैं और अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं, सामान्य भरती प्रक्रिया पर निर्भर रहना होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियमित आधार पर चपरासियों, सफाई कर्मचारियों आदि को भरती करने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि उन्हें कम खर्च के अपने स्वरूप को बनाये रखना होता है और ये स्थानीय तथा ग्रामोन्मुख संस्थाएं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को इन बैंकों में केवल दैनिक मजदूरी के आधार पर ही नियुक्त किया जा सकता है और इनको नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता। अलबत्ता, भविष्य निधि आदि जैसे लाभ, जिनके लिए ये कानूनन पात्र हैं, ऐसे दैनिक मजदूरी वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाने हैं।

**तकनीकी फोटो कंपोजिंग तथा कंप्यूटर मशीनों का आयात**

4663 ग: **श्री राम विलास पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट्समैन हिन्दू तथा अन्य दैनिक समाचार पत्रों के मासिक खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत विदेशों से नई तकनीकी फोटो कम्पोजिंग तथा कम्प्यूटर मशीनों का आयात कर रहे हैं और उन्होंने इन मशीनों के लिए पहले ही आदेश दे दिए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन मशीनों के आयात से इन तीन चौथाई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे; और

(ग) यदि उपर्युक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन मशीनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाएगी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ)** : (क) 1981-82 की आयात नीति के परिशिष्ट-2 के अनुसार खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत कुछ किस्मों की प्रिंटिंग मशीनरी, आयात करने की अनुमति है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा और साथ ही निर्यात सदनों/व्यापारिक सदनों द्वारा अपने आर० ई० पी०/अतिरिक्त लाइसेन्सों के आधार वास्तविक प्रयोक्ताओं को बिक्री के लिए आयात किए जा सकते हैं। प्रिंटिंग मशीनरी के दैनिक समाचार पत्रों द्वारा किए जाने वाले आयात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। दैनिक सामाचार-पत्रों द्वारा प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए दिए गए आर्डरों के बारे में भी सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## अतारांकित प्रश्न संख्या 2210 दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

**वित्त मंत्रलाय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** : 4 दिसम्बर, 1981 को अतारांकित प्रश्न सख्या 2210 के उत्तर को साइक्लोस्टाइल करते समय उत्तर शीट के पीछे गलती से भाग (ग) और (घ) के उत्तर साइक्लोस्टाइल नहीं हो सके। अत: इस भूल के लिए खेद है। उक्त प्रश्न का हिन्दी और अंग्रेजी में पूर्ण उत्तर संलग्न है।

### विदेशी मुद्रा का भण्डार और भुगतान संतुलन

2210. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के प्रथम पांच महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में काफी हद तक कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रति मास किस हद तक कमी आई और गत पांच वर्षों की तुलना में यह कितनी अधिक या कम है;

(ग) क्या सरकार का विचार भुगतान सन्तुलन बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन्)** : (क) अप्रैल-अगस्त 1981 के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) में 984.53 करोड़ रुपए की कमी हुई।

(ख) चालू वर्ष तथा पिछले पांच वर्षों (अप्रैल से अगस्त तक) के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार में हुए परिवर्तनों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

| | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अप्रैल | (−)156.32 | (+)347.95 | (+)192.95 | (+)276.89 | (−)309.27 | (−)211.74 |
| मई | (+)259.68 | (+)265.77 | (−) 69.97 | (−) 89.97 | (+) 35.82 | (−)110.78 |
| जून | (+)156.12 | (+)105.25 | (−) 104.25 | (−) 60.57 | (−) 115.31 | (−)172.38 |
| जुलाई | (+)193.85 | (−)142.67 | (−)138.24 | (−) 12.32 | (−) 192.41 | (−)256.98 |
| अगस्त | (+)137.88 | (+)115.06 | (+)194.30 | (+) 151.83 | (+)663.20 | (−)232.65 |

†अगस्त 1980 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्याय निधि तथा प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा से 815.35 करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा की राशि निकाली गई थी।

(ग) और (घ) सरकार विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति में सुधार करने और सुखद स्तर पर बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रही है ताकि देश के आयात बिल के खर्च को पूरा किया

जा सके । भारत सरकार विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा के जितने विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोत उपलब्ध होंगे, उनका उपयोग करेगी । भारत सरकार ने हाल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 5 अरब एस० डी० आर० के ऋण की एक विस्तारित व्यवस्था की है, जो तीन वर्ष की अवधि में उपलब्ध होगा जहां जरूरी समझा जाएगा, वहां निर्यात ऋणों का और उपयुक्त मामलों में वाणिज्यक उधारों का सहारा भी लिया जाएगा लेकिन साथ ही यह बात सुनिश्चित करली जाएगी कि देश का ऋण परिशोधन सम्बन्धी दायित्व विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर अन्दर रहे । इसके अलावा, सरकार देश में उत्पादन के मार्ग में आने वाली रूकावटों को दूर करने और देश में उपलब्ध क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए भी कदम उठा रही है । आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उत्पादन के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता का विस्तार भी किया जा रहा है । देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के काम में तेजी लाने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने और निर्यात में वृद्धि करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि देश आयात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए रकम अदा कर सके । ऐसी विभिन्न योजनाएं भी स्वीकार की गई हैं जिनके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को कानूनी तरीके से अधिक रकम भेजने के लिए प्रोत्साहन दिय गए हैं ।

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**वाणिज्य और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

**भारत गोल्ड माइन्स लि० ओरगाँव की वर्ष 1980-81 हिन्दुस्तान कोपर लि0 कलकत्ता की 1980-81 भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लि0, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट तथा उनकी समीक्षा**

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ओरगांव (कर्नाटक राज्य) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरणों की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ओरगांव (कर्नाटक राज्य) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

**(ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल0 टी0 310081)**

(ख) (एक) हिन्दुस्तान कापर लि० कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कापर लि० कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

**(ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल0 टी0 3101/81)**

(ग) (एक) भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लि० नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लि० नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**(ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3102/81)**

(घ) (एक) खनिज खोज निगम लि० नागपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) खनिज खोज निगम लि० नागपुर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल0 टी0 3103/81)**

(ड़) (एक) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3104/81)**

(च) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल0 टी0 3105/81)**

(छ) (एक) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त 1 (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल0 टी0 3106/81)**

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, आप दूसरे मामले पर चले गये ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज मेरे नाम एक सवाल था 409, दुर्भाग्य से वहां तक पहुंच नहीं सके। उसका लिखित उत्तर मैंने देखा है, वित्त मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है,

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप को अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं उनके विरुद्ध मर्यादा भंग की सूचना दे रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप 115 में या किसी और में दे दीजिए।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं, जो मंत्री लोग सदन में आश्वासन देते हैं, उनका इम्पलीमैंटेशन करवाना किस का काम है ?

**अध्यक्ष महोदय** : हमने एक कमेटी आन एश्योरेन्सेज बनाई हुई है।

**श्री राम विलास पासवान** : विकलांक वर्ष खत्म होने वाला है, इस वर्ष के शुरू में ही कहा गया था कि विकलांगों के लिये एक विधेयक सरकार लायेगी और पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी। अब पार्लियामैंट का सत्र समाप्त होने जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके पास कमेटी आन एश्योरेन्सेज है। आप इसे उनको क्यों नहीं दे देते ?

**श्री राम विलास पासवान** : हाउस में जब सरकार कहती है,

**अध्यक्ष महोदय** : तभी उसका हो सकता है, नहीं तो नहीं। आपने कमेटी आन एश्योरेन्सेज किस लिये बनाई है आपने इसे क्यों बनाया है ?

**श्री राम विलास पासवान** : एश्योरेन्स कमेटी का प्रश्न कहां उठता है ? हाउस में सरकार घोषणा करती है,

**अध्यक्ष महोदय** : एश्योरेन्स हाउस में होता है, तभी उसके पास जाता है, वरना जायेगा ही नहीं।

**श्री राम विलास पासवान** : आपका फर्ज नहीं होता है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे क्यों नहीं करते ?

**श्री राम विलास पासवान** : आयोग की रिपोर्ट पेश करने के सम्बन्ध में कहें, नोटिस हमने दिया हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कमेटी आन एश्योरेन्सेज को दीजिये।

**श्री राम विलास पासवान** : हमने तो आपको इस सम्बन्ध में सूचना दी हुई है, एश्योरेन्सेज में जाकर···

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : समाचारों और दूसरी समाचार एजेन्सी के लोगों को···

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : इस पर बहस नहीं कराते हैं । पिछले हफ्ते में भी···

**(व्यवधान)**

**श्री आर० एन० राकेश** (चैल) : अध्यक्ष महोदय,

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको अवसर दिया है । मैंने इसकी अनुमति दी है । राकेश जी, क्या आप हमें फिर उठाना चाहते हैं ?

**श्री आर० एन० राकेश** : अध्यक्ष महोदय,

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है । जब मैंने आपको अपनी बात कहने के लिए अनुमति दी है तो आप हमें क्यों दोहरा रहे हैं ? इस कोई कारण होना चाहिये आपको मेरे साथ सहयोग करना चाहिये ।

जब मैंने आपको इजाजत दे दी फिर आप क्यों करते हैं, बिना वजह क्यों करते हैं ?

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष जी, में सिर्फ आपसे जानकारी चाहूंगा, बार-बार यह बैकवर्ड क्लासेज का, आपने विश्वास भी दिलाया,

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास आ गया है, मैंने कह दिया है । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : जो मैंने कह दिया वह कह दिया ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : मीटिंग बुलाने की कब कहोगे, किस तरह कहोगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : किसलिये ? मैंने कमेटी की रिपोर्ट दिलवानी है, यह बात कही थी, वह हो जायेगी ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : इसी सैशन में ?

**अध्यक्ष महोदय** : आपको दे दूंगा, मेरे पास आ गई है ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : टेबल पर रखोगे या मुझे दोगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : टेबल पर ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : इसी सैशन में ?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, यह नहीं मैंने कहा था ।

आपने यह कहा था वक्त दिलवा दीजिए । मैं मिनिस्टर को कहूंगा, आपका कह देगा । मैंने इसे कर दिया है ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : अध्यक्ष महोदय, **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कह दिया, आपको वह हो जायेगा । मैं इसको सुनिश्चित कर चुका हूं । जब मैंने कह दिया, फिर क्यों करते हैं ?

**श्री सूरज भान** (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं है । यह राज्य का विषय है । आप इस तरह से थानेदारी का काम करवाना चाहते हैं, इस हाउस से ?

**श्री ए० के० बालन** : महोदय, शैक्षणिक संस्थाओं के अनिश्चित काल तक बन्द होने के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है । कृपया सुनिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कोई मोशन दे दीजिये ।

**श्री ए० के० बालन** : कृपया सुनिये । कल मुझे यह समाचार मिला है कि कुछ छात्र खतरे में हैं । वे भूख हड़ताल कर रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कोई मोशन दे दीजिये । सोमवार को 377 में रखा दिया जायेगा ।

(**व्यवधान**)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, जाटिया जी के मामले में क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं करवा रहा हूं, आज भी मैंने कहा है । उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी मैडिकल रिपोर्ट भी देख आया । मैं उससे मिलना चाहता था । लेकिन मैं उसे तलाश नहीं कर सका । मैंने आज भी कोशिश की थी । मैंने इसे अपने आप किया था ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : होम मिनिस्टर कब स्टेटमेंट देगे ?

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि० नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 भारत कानून निगम लि० नई दिल्ली प्रगति की वर्ष 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट और उनकी समीक्षा**

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के और इसके नौ सहायक निगमों के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का और इसके नौ सहायक निगमों का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3107/81]

(ख) (एक) भारत काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष के 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

**[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3108/81]**

(2) (एक) रेशमी और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) रेशमी और रेयन वस्त्र कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3109/81]**

(3) (एक) इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3110/81]**

(4) (एक) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3111/81]**

(5) (एक) हीरे-जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) हीरे-जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3112/81]**

**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत करार ग्रामीण बैंकों की रिपोर्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियय आदि के अधीन अधिसूचनाएं**

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट)** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21क की उपधारा (2) के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 21क (1) के अनुसार सरकारी कारबार करने के लिए 1 अगस्त, 1981 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के साथ किये गये बीस नये पूरक करारों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(दो) पूरक करारों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3113/81**]

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा) का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़ (महाराष्ट्र) का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) का वर्ष 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा (बिहार) का 31 दिम्सबर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) लखिमी गाँवलिया बैंक, गोलाघाट (असम) का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3114/81]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (23वां संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी-तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 648 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3115/81]

(4) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 656 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो उस सामान की सूची का विस्तार करने के बारे में है, जिसका सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन हेतु अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर निःशुल्क आयात करने की अनुमित है।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3116/81]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 649 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा "बेंडरोल" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क स्टाम्प" शब्द प्रतिस्थापित किये गये हैं और छूट संबन्धी कतिपय अधिसूचनाओं में अन्य आनुषंगिक परिवर्तन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3117/81]

(6) कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम, बम्बई के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3118/81]

(7) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23 की उपधारा (5) और धारा 18 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3119/81]

## प्राक्कलन समिति

### सरकार का उत्तर दर्शाने वाला विवरण

**श्री संतोष मोहन देव :** मैं रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड)-भारतीय रेलों पर हानि तथा क्षति के दावों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) के की गई कार्यवाही सम्बन्धी 39वें प्रतिवेदन के अध्याय-5 में अन्तर्विष्ट सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

---

## राज्य सभा में संदेश

**सचिव :** महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं।

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने गुरुवार दिनाँक 17 दिसम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :—

"कि राज्य सभा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग के निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए राज्य सभा के सदस्य श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग, को मनोनीत किया जाये।"

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने आज दिनाँक 17 दिसम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक 1978 संबन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :—

"कि विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित किया गया समय राज्य सभा के 121वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाया जाये।"

---

## विधेयकों पर अनुमति

**सचिव :** महोदय, 4 दिसम्बर, 1981 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को मैं सभा पटल पर रखता हूं .—

1. तेल उद्योग (विकास) संशोधन विधेयक, 1981
2. बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1981

———

## लोक लेखा समिति

### बासठवां और चौंसठवां प्रतिवेदन

**श्री सतीश अग्रवाल** (जयपुर ) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिल्ली विकास-प्राधिकरण से सम्बन्धित समिति (छठी लोक सभा) के 138वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 62वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) ।

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1979-80, संघ सरकार (डाक-तार) के प्रतिवेदन के पैरा 6 और 14, जो टेलीफोन राजस्व की बकाया राशियों तथा श्रीनगर टेलीफोन केन्द्र के विस्तार के सम्बन्ध में है, के बारे में 64वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) ।

———

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

### पच्चीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

**श्री बंसीलाल** (भिवानी) : मैं दिल्ली परिवहन निगम-दुर्घटनाएं और प्राइवेट बसों के संचालन के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

———

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### शीतलहर के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने का समाचार

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"देश में शीत लहर के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के समाचार ।"

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय का कृषि मंत्री से क्या सम्बन्ध है ?

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : इसका कृषि मन्त्री से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** आपने इस विषय को महत्वपूर्ण माना। आप इसको सदन में लाए। जवाब देंगे कृषि मंत्री ! इसका उत्तर देना चाहिए प्रधान मंत्री को ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह उनको एलाट है ।

**अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या केवल खानापूरी करनी है ? आप सहानुभूति प्रकट करते हैं मरने वालों के साथ। कृषि मंत्री क्या उत्तर देंगे, आप मुझे बताइये ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह उन्हीं को एलाट है। मैं क्या करूं ? यह चार्ज उन्हीं का है। मैं किसको कहूं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** लोग सर्दी से मर रहे हैं। क्या इसका इन्तजाम कृषि मंत्री करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** जिसको जो सब्जेक्ट एलाट है, वही उसका जवाब देगा ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** प्लानिंग किस लिए है ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप रास्ता बताइये । जिसको एलाट है, वही जवाब देगा । प्लानिंग कमीशन को कैसे कहूं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** आप जवाब सुन लीजिए। आपने यह कालिंग स्टेन्शन नोटिस जिस इरादे से एडमिट किया था, वह सारा इरादा विफल हो गया है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप बताइये कि मैं क्या करूं । मैं केवल प्रभारी मंत्री से ही पूंछ सकता हूं और किससे कहूं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** आप प्रधान मंत्री से पूंछिये ।

**श्री मनीराम बागड़ी :** कृषि मंत्री हैं क्या ? कौन है कृषि मंत्री ? वह हैं कृषि मंत्री ? प्रधान मंत्री से आए कृषि मंत्री पर और कृषि मंत्री से साढ़े चार-फुटे तक आ गए । क्या मजाक किया है मरने वालों पर ? और इस बयान को पढ़ना !

**कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानिर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) :** प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शीत लहर के कारण 39 आदमियों की मृत्यु हुई है ।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : अगर हिन्दी जनते हों, तो हिन्दी में पढ़ दें ।

**श्री बालेश्वर राम :** प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शीत लहर के कारण 39 आदमियों की मृत्यु हुई है । मैं इन व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं । तथापि, भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अभी

तक किसी भी राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कृषि मन्त्रालय ने उत्तरी क्षेत्र की राज्य सरकारों को पहले ही टेलेक्स भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि वे इस शिशिर ऋतु के दौरान शीत लहर से हुई मौतों, मतकों के निकट सम्बन्धियों को दी गयी वित्तीय सहायता तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपचारात्मक उपायों के बारे में तुरन्त रिपोर्ट भेजें। हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भागों में 10 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 1981 के बीच शीत लहर की स्थिति थी।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारें आम तौर पर ऐसी आपदाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति मुख्य मन्त्री राहत निधि या राज्य सरकार की स्वेच्छा निधियों से करती हैं। कभी-कभी राज्य सरकारें और अन्य स्वेच्छिक संगठन प्रारम्भिक उपाय करते हैं, जैसे कम्बलों और कपड़ों का वितरण करना। मृत व्यक्तियों की पहचान होने पर उनके सगे सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि का भुगतान की मंजूरी दी जाती है। कुछ राज्यों में जन प्राधिकरणों के पास रैन बसेरा जैसी व्यवस्था भी होती है जहां बेपनाह लोगों को शीत लहर से बचाने के लिये पनाह दी जाती है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, आप ने जवाब सुन लिया ? कृषि मन्त्री फसल देखते हैं या इन्सानों की भी चिंता कृषि मन्त्रालय को सौंप दी गई हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** जो उन को दिया गया है वह दिया गया है, अब उस में आप क्या करेंगे ?

**श्री मनीराम बागड़ी :** अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं आप से यह निवेदन करूंगा, मैं कोई सख्त और असभ्य शब्द नहीं कहता हूं, लेकिन हमेशा जब गरीब की मांग उठती है तो अभागे गरीब लोगों के लिए अभागे देश के अन्दर ऐसा ही जवाब मिलता है। इसके अन्दर पी० टी० आई० की एक रपट की बात की गई है जिसमें मरने वालों की संख्या 35 बतायी गई है। मैं रपट लाया हूं, यहां जो इनकी लाइब्रेरी है वहां से, क्योंकि मेरे पास कोई सरकारी मशीनरी नहीं है, उसमें उन्होंने यू० पी० के गढ़वाल क्षेत्र की मृत्यु भी बतायी है और देश के अन्य भागों में हुई मृत्यु भी बतायी है। उनकी रपट के मुताबिक जो अखबारों के आधार पर है, 45 की मृत्यु बतायी गई है। ये यहां पर पी० टी० आई० की रपट दे रहे हैं कि उसके मुताबिक इतनी मौत हुई है जैसे कोई विदेशी बी० बी० सी० से बोल रहा हो लंदन से और इस सरकार से उसका कोई सम्बन्ध न हो। ये पी० टी० आई० की रपट पर बयान देंगे या शासन का कोई बयान देंगे ? अगर वह ऐसा बयान देंगे तो आप उसको सरकारी बयान मानेंगे या क्या मानेंगे ? पहली बात तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं। फिर मैं सवाल करूंगा। कृषि मन्त्री ने-जो जवाब दिया है सरकार के बिहाफ पर उसके बारे में मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी बयान दिया है या पी० टी० आई० का बयान दिया है? इन्होंने राज्य सरकारों से कोई जानकारी की या नहीं की ? उनसे इनको जानकारी मिली या नहीं ? अगर मिली तो क्या मिली और नहीं मिली हो क्यों नहीं मिली ? इन्होंने उनसे जानकारी क्यों नहीं ली ? यह जरा इनसे पूछिए कि यह सरकारी बयान है या गैर-सरकारी ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप यही सवाल पूछ लें। उसमें ही आ जायगा। अपने आप जवाब देंगे।

**श्री मनीराम बागड़ी :** अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी आप की फराखदिली मानता हूं कि आप ने गांधी की लिंगोटी को फिर एक दफा दोबारा इस सवाल को उठाने का मौका देकर महत्व दिया है। गुलाम देश में एक बार गांधी जी लिंगोटी पहन कर विलायत गए थे। उन लिंगोटी पहनने वाले लोगों के सवाल को फिर इस सदन में चाहे हलके ढंग से ही वह उठा, लेकिन उस लिंगोटी के सवाल को फिर इस देश में उठाने का मौका आप ने दिया है। इसी सदन में एक दफा डा० राम मनोहर लोहिया ने तीन आने और पन्द्रह आने का सवाल छेड़ करके हिन्दुस्तान के कोटि-कोटि उन लोगों का सवाल उठाया था जो भूख से पीड़ित होकर या तो मर जाते हैं या मौत के करीब पहुंच जाते हैं या आधी जिन्दगी पर मरते हैं, उन लोगों का सवाल उठाकर उन्होंने देश को झकोरा था। आज फिर वैसा ही सवाल, उसी किस्म का सवाल इस सदन में उठने का मौका आया है।

यह सत्य बात है कि कृषि मन्त्री जी के बस का यह सवाल नहीं है और यह इनके बस का सवाल तो कत्तई नहीं है। इससे कुछ निकलेगा या शासन कुछ निकलेगा यह उम्मीद नहीं है। लेकिन कम से कम यतीम या जिसका कोई वारिस नहीं है, लावारिस की मौत पर अगर कोई जनाजा उठाने वाला भी आ जाय तो भी बेहतर है। मैं यही समझूंगा कि हिन्दुस्तान के एक नहीं, दो नहीं दिलो पावर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनका सवाल तो उठा। दुनिया की आबादी का 1/5 हिस्सा आबादी जो हिन्दुस्तान है और उसमें दुनिया की 50 प्रतिशत दरिद्रता का जो घर है, दुनिया में 40 प्रतिशत अपच्यता का और दुनिया के 40 प्रतिशत बीमारों का जो घर है उसमें जो इस तरीके से मरने वाले हैं उनकी तरफ कुछ ध्यान तो जाय। यह ठीक है कि रेल दुर्घटना, कुतुबमीनार की घटना, बस से मरने की घटना, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उसमें सरकारी मशीनरी या सरकार की छोटी-मोटी गलती होती है और इस तरह की दुर्घटना अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, सभ्य से सभ्य और असभ्य से असभ्य देशों में भी हो सकती है। लेकिन जिस देश के अन्दर भूख से कोई मरेगा, सर्दी से कोई मरेगा, शीत लहर से कोई उसकी सीधी जिम्मेदारी शासन न ले तो समाज जरूर लेगा और समाज न ले तो मुझ जैसा छोटे आदमी को तो उस जिम्मेदारी को लेने में कोई परहेज और गुरेज नहीं है। गांधी जी इस देश के महान व्यक्ति थे। लिंगोटी क्यों पहनते थे ? उनको भी कोट पतलून वगैरह सब कुछ मिल सकता था। आप जरा देश की व्यवस्था को समझिए। सिर्फ 35 मौत बतलायी है और ये जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 45 है। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र की मौत का हवाला उससे पहले है। शासन ने, न तो प्रान्तीय शासन ने यह जिम्मेदारी समझी कि केन्द्र को पता दे और न केन्द्र सरकार ने जिम्मेदारी अपनी महसूस की कि अगर प्रान्तों में इस तरह की मौत हो रही है, इस तरीके से इन्सान मर रहे हैं तो, उनके आंकड़े इकठ्ठे किए जायें और क्यों मर रहे हैं इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि राज शक्ति और शासन सिर्फ व्यक्ति परिवार या चन्द व्यक्तियों या दिल्ली के इस कनाट प्लेस या लाख दो लाख ऐसे घरानों के आगे उन दुःखी और गरीब लोगों की मौत की तरफ नहीं देखती है। मोटे-मोटे शब्दों में मैं इसका कारण बता दूं। हिन्दुस्तान में अगर छोटा सा काम भी हो जाता, अगर अरबपतियों को भी खत्म कर दिया जाता या अगर ऐसा भी कर देते कि एक करोड़ से ज्यादा किसी के पास सम्पत्ति नहीं

रहेगी तो भी कोई बात थी। लेकिन यहां पर जब यह सवाल उठता है तो कहते हैं क्या गरीबी बांट लें। गरीबी बांट लो तब भी अच्छा है। लेकिन गरीबी तो बांटने वाली नहीं है, अमीरी ही बांट लो। एक करोड़ की बात भी करोगे तो 500-700 आदमियों से कुछ आयेगा।

अध्यक्ष जी, आप बुरा मत मानियेगा, पाप का समुद्र बहता है तो उसमें जो स्वार्थी होते हैं, बड़ाई करने वाले होते हैं, भाट जहां पर ज्यादा होते हैं, वहां बढ़ाई की इच्छा ज्यादा होती है वहां एक दो त्यागी पुरुष समुद्र में चल नहीं सकते हैं। आप भी बह गए हैं, मैं भी बह गया हूं और दूसरे लोग भी बह गए हैं। ढाई हजार करोड़ जिस देश में खेल तमाशे पर लगाया जा सकता है, अगर यहां का हर मंत्री इस किस्म की भावना को लेकर चले,**

आपको कोई पार्ट देंगे किसी जाट का या सरदार का और उस पर भी लाखों करोड़ों खर्च करेंगे और उधर कम्बल के बिना आदमी मरेंगे। किरण बेदी बेचारी कहीं नौकरी करती है यहां पर तो यह साठे उसको नौकरी नहीं करने देगा, गुजराती का पार्ट कराने दिखायेगा यहां पर और उसको फैंसी ड्रेस बतायेगा। (व्यवधान) आज एक खरब और कितने अरब का कर्जा इस देश पर है—वह कर्जा मरने वालों से कैसे वसूल किया जायेगा? कम से कम तीन सौ और चार सौ के बीच प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा है।

हिन्दुस्तान में शीत लहर से लोग मरते हैं लेकिन दुनिया में ऐसे भी सर्द मुल्क हैं जोकि बर्फ से ढके रहते हैं वहां पर लोग क्यों नहीं मरते हैं? फिर, यह जो आंकड़े दिए गए हैं वह भी गलत हैं। समूचे भारत में हर साल एक लाख से कम लोग शीत लहर से और एक लाख से कम लोग गरम लहर से नहीं मरते। ये लोग मरते हैं झुग्गियों में और स्टेशन पर, यहाँ कनाटप्लेस में या इन शाही महलों में नहीं मरते हैं।

फिर आप शीत लहर की मौत किसको मानते हैं? बिहार में अगर चार बच्चे सर्दी से अपनी जिन्दगी बचाने के लिए कोयले का धुआं करते हैं और उसमें कहीं उनकी आँख लग गई जिससे वे चारों मर गए तो वह कौन सी मौत हुई? आप कहेंगे कि शीत से नहीं मरे, गैस से मर गए। आप कहेंगे कि शीत से नहीं मरे निमोनिया से मर गए, या कहेंगे शीत से नहीं मरे, हार्ट अटैक से मर गए। शीत लहर से मौत का तो एक ही मतबल है कि इन्सान के पास सर्दी से अपनी जिन्दगी को बचाने का साधन न होना। इसमें कृषि की भी थोड़ी-बहुत जिम्मेदारी आती है। इसलिए आती है कि कपड़े के बिना मरते हैं। आज इस देश में साल में सिर्फ दस गज पर-कैपिटा कपड़ा है। कुछ ऐसे घर हैं जो शराबी हैं या कहीं पाउडर और लिपिस्टिक लगाने वाली घर वाली हैं वहां कपड़े का सारा बजट शराब ही ले जाती है। कपड़ा विदेशों को भेजा जाता है, जिसकी वजह से इतनी कमी है कि 85 मीटर फी-महीने फी-कस की एव्रेज आती है, जिसमें एक ब्लाउज भी नहीं बन सकता है। अगर उन लोगों को लिया जाए जो गरीबी की सतह के नीचे हैं तो वही लोहिया जी की 3 आने और 15 आने वाली बात आ जाती है-उनके पास तन ढकने के लिये भी कपड़ा नहीं है दूसरी तरफ आप और हम में से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास 50-50 ड्रेसें हैं, 50-50 रजाइयां

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

हैं। जो अरबपति है उनका तो हिसाब ही कुछ नहीं है, सारा कपड़ा शहरों में निकल जाता है गांवों तक पहुंचने के लिये बच ही नहीं पाता। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके इस बात के प्रणाम हैं कि वहां के नर और नारियों छाती को तन ढकने के लिये कुछ नहीं मिल पाता है। तन ढकने के लिये जो "चिंदी" मिलती उससे तन ढकना तो दूर, वहां की नारियां छाती तक नहीं ढक पाती हैं। जब वह सर्दी से मर जाते हैं तो कहा जाता है नमूनिया से मर गये, हार्ट-अटैक का नाम लेते हैं, दूसरे किसी रोग का नाम लिया जाता है। सर्दी का असर किस पर पड़ेगा ? जो अच्छा खाना खायेगा, शराब पीयेगा, टोस्ट और अण्डे खा कर जायगा, उसको सर्दी नहीं लगती है। सर्दी किस को लगती है—जैसे एक खेत में पानी का बांध टूट गया, पानी बन्द नहीं हो रहा है, बहन और भाई दोनों उसको बन्द करने जाते हैं, भाई उसको लेट कर रोकना चाहता है, बहन मना करती है, लेकिन भाई उस बांध के आगे लेट जाता है, बहन "कस्सी" से मिट्टी डालती है और जब उसकी मौत हो जाती है तो कहा जाता है कि भूख के कारण मौत हो गई है।... (व्यवधान)

शायद कुछ मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी बैठे हुए हैं ?

**आचार्य भगवान देव** : (अजमेर) ऐसा लगता है कि ज्ञान का ठेका आपने ही ले रखा है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : मैं समझता था कि मैं ही मूर्ख हूं, लेकिन आप तो मुझ से भी ज्यादा मूर्ख निकले।

यह किसी एक व्यक्ति या पार्टी का सवाल नहीं है। यह सही है कि जितनी सरकारें आज तक यहां आईं, कोई भी सरकार इस सवाल को हल नहीं कर सकी है और जब तक इस सवाल को हल नहीं किया जायगा, तब तक कोई भी सरकार नहीं टिकेगी और टिकनी भी नहीं चाहिये। अगर जबरदस्ती टिकेगी तो फिर सिविल-वार होगी, बगावत होगी, कत्लेआम होगा, बहुत दिनों तक इस को बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

मैं गांधी जी के शब्दों की तरफ आप को ले जाना चाहता हूं चव्हाण साहब को टोपी बहुत प्यारी है, इस लिये उन से ज्यादा कहता हूं, क्योंकि टोपी के कारण वे इधर से उधर चले गये। गांधी जी ने लिखा है- कांग्रेस वालो ! संभल जाओ, एक जमाना वह आयेगा, जब जनता की जरूरतें पूरी नहीं करोगे और जनता भूखी मरेगी, तो वह दिन दूर नहीं जब जनता एक-एक धौली टोपी वालों, को चुन-चुन कर मारेगी···(व्यवधान) बगैर टोपी वालो! मेरी शरण में आ जाना, मैंने पहले भी बहुत कटते हुओं को बचाया है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जबाव दिया है, वह मुकम्मिल जवाब नहीं है, इनके पास कोई जबाव है भी नहीं, ये बेचारे जबाव नहीं दे सकते। मुझे इन पर गुस्सा नहीं, बल्कि दया आती है। इनका तरीका क्या है ? इनकी अगर सरकारी मशीनरी होती एक हजार आदमियों पर चिकित्सा की व्यवस्था होती, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, और गांव गांव वे जाते, तो कुछ हो सकता था लेकिन जो आप का बी० डी० ओ० बैठा हुआ है और जो दूसरे लोग हैं वे मंत्रियों के उद्घाटन और दुर्घाटन का कार्य करते रहते हैं। वे यदि इन कामों में लगे रहते, इन

कामों से जुड़े होते, तो कहीं कुछ हो सकता था। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप कम से कम इस विषय पर पूरी बहस करवाइए, इस पर चर्चा चलवाइए, तब इस बारे में कुछ होगा। मैं मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि आप ने शासन से कोई इज्जत ली या नहीं और दूसरा यह है कि जो गलत आँकड़े आपने पेश किये हैं, उस के लिए आप सदन से क्षमा याचना करें। मेरे पास पी० टी० आई० के आकड़े हैं, जो आप से अलग हैं। आप कहें, तो मैं उन को पटल पर रख सकता हूं। इसलिए इस अधूरे सवाल पर मैं बोलूं, कुछ जमता नहीं है। खेलों पर आप ने इतना पैसा खर्च कर दिया और अध्यक्ष जी, मैं आप से अपील करूंगा कि प्रधान मंत्री जी हैं, वे साठे साहब के चंगुल में फंस कर कहने जाएंगी, जो उनके दरबारी बनते हैं। वे कोई** को ले आएंगे और फिर उन पर मुकदमा बनेगा। इसमें कोई फायदा नहीं है, यह देश का पैसा फजूल जा रहा है। यह जो प्रदर्शनी में पैसा लग रहा है, यह पैसा फजूल जा रहा है।

...(व्यवधान)...

**श्री बालेश्वर राम :** अध्यक्ष जी, मनीराम बागड़ी जी यहाँ के बहुत पुराने सदस्य हैं और गांधी जी की दुहाई दे कर उन्होंने अपने भाषण को शुरू किया और काफी लम्बा भाषण उन्होंने दिया। कितना तर्कसंगत उन का भाषण है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। वे तो मिनटों में खड़े हो कर व्यवधान करने की कोशिश करने लगते हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता और मैंने अपने जवाब में कहा है कि इस तरह की जो मौतें हुई हैं, वे दुर्भाग्य पूर्ण हैं और माननीय दृष्टिकोण से इस में किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जहां उन्होंने महात्मा गाँधी जी की दुहाई देते हुए अपना भाषण शुरू किया, वहाँ कुछ राजनीतिक बातें भी उन्होंने अपने दिमाग में रखी और फिर शासन की बात कहीं और दूसरी बातें कहीं, जो इसकी परिधि में नहीं आतीं। उनका ** सभी याद आते हैं।

सवाल यह है कि इस कालिंग एटेंशन को आप ने स्वीकृत किया और आप का आदेश मिलते ही हम लोगों ने इस की छानबीन करने की कोशिश की, पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और कल ही हमारे विभाग के जो उच्चाधिकारी थे, उन्होंने टेलेक्स तो भेजा ही लेकिन उसके साथ टेलीफोन से भी सम्पर्क स्थापित करना शुरू किया। आम तौर से यह जो पी०टी० आई० की न्यूज है, उस में बिहार का ही जिक्र था। बिहार में कल तक की फीगर 35 थी, 35 लोगों के मरने की रिपोर्ट थी लेकिन आज खुद ही मैं ने देखा कि 39की रिपोर्ट अखबारों में है और खास तौरसे बिहार के बारे में वह रिपोर्ट थी। इसलिए बिहार के चीफ सेक्रेटरी से सम्पर्क स्थापित किया गया। आप जानते हैं कि वहाँ अभी भी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। इस वजह से कहाँ-कहाँ मौतें हुई हैं, यह आइडेंटीफाई होना इस वक्त संभव नहीं था। जितनी भी मौतें हुई हैं, यह मैं ने शुरू में ही कहा और किसी की भावना इससे अलग नहीं हो सकती कि इस में गरीब मरते हैं और आम तौर से ऐसे लोग होते हैं जिन के घर नहीं हैं, जो भिखमंगे हैं और बेघर हैं। उन की मौतें ही ऐसे हो जाती हैं जब काफी ठंडी लहरें चलती हैं, जब कोल्ड वेव चलती हैं। इस से हम इन्कार नहीं कर सकते लेकिन फिर जो अखबारों के माध्यम से हमें सूचना मिली थी, उस को स्टेट गवर्नमेंट्स से आइडेंटीफाई करना उन के लिए संभव नहीं था क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है, वहाँ पर कर्मचारी इस वक्त भी हड़ताल पर हैं। फिर भी और भी जो राज्य सरकारें हैं जैसे

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारें हैं, उनसे भी सम्पर्क स्थापित किया है कि हमारे यहाँ से इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बारे में जो रिपोर्ट मिली है, जहा बहुत सी मौतें हुई लेकिन यह एक-दो जगह की बात नहीं है, एक स्थान पर कहीं होता, तो उस की सूचना आसानी से मिल सकती थी लेकिन कई जगहों की रिपोर्टें आप सब ने देखी होंगे। अखबार की रिपोर्ट में यही है कि कहीं मोकामा में, कहीं बेगूसराय में और कहीं नवादा में ऐसी मौतें हुई हैं। इन सब जगहों के बारे में हम सूचना एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा इन्होंने कहा है और यह सही बात है कि जो गरीब है, वही इस में मरता है। अपने भाषण में इन्होने कई सरकारों की चर्चा की है। कोई भी यह दावा नहीं करता है कि हमने पूरी तरह से गरीबी का उन्मूलन कर दिया है, पूरी तरह से लोगों को कपड़े मिल गए हैं, मकानात मिल गए हैं, हम यह कभी दावा नहीं करते हैं। हमारी कोशिश जरूर है और हम सब मुहैय्या हों। हाउसिंग प्राब्लम के बारे में हाउसिंग डिपार्टमेंट ज्यादा ब्यौरेवार जवाब दे सकता है। वैसे कुछ हाउसिंग स्कीम्स रूरल एरियाज में, अरबन एरियाज में स्लम क्लीयरेंस की स्कीम्स शुरू की गई हैं और कुछ जगहों पर शेल्टर्स भी दिए गए हैं। दिल्ली में भी आप देखेंगे कि जो डिस्प्यूटस हैं, बैगर्स हैं, जिनके पास घर नहीं हैं, उनके लिए रेन बसेरा स्कीम शुरू की गई है। अन्य जगहों पर भी स्थानीय संस्थाओं से, म्युनिसपैलिटीज से, कारपोरेशंस से कहा गया है कि वे इस तरह के काम करें और जिनके पास शेल्टर नहीं हैं, उनको मिलने चाहिएं।

यह सवाल पहले पहल सामने आया है। इसके लिए उत्तर में बताया है कि इस तरह की मौतों को आइडिएंटीफाई किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों के पास जो साधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग होना चाहिए। अभी तक तो इस तरह का उपबन्ध भारत सरकार के कोष में नहीं था। इसलिए.....।

**श्री मनीराम बागड़ी :** इसका मतलब है कि भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पहली दफा महसूस की है?

**श्री बालेश्वर राम :** महसूस तो पहले से करती है और प्लानिंग में जो पैसा देते हैं, उसमें आने वाली विपत्तियों को और प्राकृतिक विपदाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत सरकार भी इसके लिए धन देती है, लेकिन शासन चलाने का काम राज्य-सरकारों का है। हमने उनको निर्देश दे दिए हैं कि उनके पास जो फण्ड्स हैं, उनका उपयोग करें।

बागड़ी जी ने जो सूचनाएं दी हैं, इसके अलावा भी जो सूचनाएं उनके पास हैं, वे हमको दे दें, हम उनकी जाँच करवाएंगे। उन्होंने जो सूचना दी है वह भी किसी आधार पर दी होगी, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि उनकी सूचना गलत है। हम इसकी जांच करेंगे। हमारे पास सरकारी माध्यम से पूरी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, फिर भी मुख्य मन्त्रियों को कहा गया है कि उनके पास जो साधन हैं, उनसे प्रभावित लोगों की मदद करें। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें सचेष्ट होने की आवश्यकता है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : लखनऊ की पी० टी० आई० की खबर है कि गढ़वाल में मौतें हुई हैं।

**श्री बालेश्वर राम** : मैंने कहा है कि आप पूरी सूचनाएं दे दीजिए। सरकार के पास अभी पूरी सूचनाएं नहीं आ पाई हैं। हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर)** : क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : हमें और भी सावधान रहना है; हमें अपने आप को सम्बोधित करना होगा। हमें ध्यान करना पड़ेगा और प्रान्तीय सरकारों को सचेष्ट और सचेत करना पड़ेगा कि वे मसले पर ध्यान दें कि सर्दियों में ऐसा होता है, इस पर विशेष ध्यान दें।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यह ऐसा मसला होगा, जिससे अटेन्शन आ जायेगी और फायदा होगा। इससे लोग सजग हो जाएंगे। यह मानवीयता की पुकार है, इस तरीके से इसको लेना चाहिये।

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना)** : ठीक है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी कितनी अपेक्षा की जा रही है, यह इसी से साफ जाहिर होता है कि जहां इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर प्रधानमन्त्री को देना चाहिये था, उन्होंने कृषि मन्त्री को कह दिया और वे मन्त्री भी उपस्थित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने जूनियर मिनिस्टर को कह दिया।

**(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**श्री हरिकेश बहादुर** : इससे लगता है कि सरकार इस मामले को गम्भीरता पूर्वक नहीं ले रही है। अभी कोई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ जाये तो..... ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि आप अपनी पार्टी के कनिष्ठ सदस्य नहीं हैं।

**श्री हरिकेश बहादुर** : मैं तो कनिष्ठ सदस्य हो सकता हूं। लेकिन मन्त्रिगण तो वरिष्ठ ही होने चाहिये क्योंकि जो मसला उठाया गया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : इस समय जो पीठासीन हैं, वे उपाध्यक्ष हैं। माननीय सदस्य अपने दल के उप-नेता हैं, और मन्त्री महोदय उप-मन्त्री हैं। सभी तो 'उप' पदवी वाले ही हैं।

**श्री हरिकेश० बहादुर** : हालांकि माननीय मन्त्री जी को गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि ये अपने को प्रधानमन्त्री से कम नहीं समझते।

**श्री बालेश्वर राम** : नही कोई गुस्सा नहीं आ रहा।

**श्री हरिकेश बहादुर** : इन्होंने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि जब अध्यक्ष जी आपने जब एडमिट कर लिया तब इसकी जानकारी एकत्र करना शुरू की गई। पहले से यह कोई जानकारी नहीं ले रहे थे। इतना निकम्मा यह विभाग है, इसकी निन्दा की जानी चाहिये कि इसने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी जब तक अध्यक्ष जी ने निर्देश नहीं दिया कि सदन में

यह मामला आ रहा है और आपको जवाब देना है। इसके पहले किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं समझी गई। यह बात अभी वक्तव्य में कही गई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का वक्तव्य इतना गैर-जिम्मेदाराना है और इस पर मैं गहरी आपत्ति करता हूं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार इस गम्भीर मामले में कोई रुचि नहीं ले रही है। जो सूचना मन्त्री महोदय ने दी है वह बिल्कुल गलत है, उसका कोई आधार नहीं है। पी० टी० आई० की खबरों के आधार पर जवाब दे दिया गया है। हमें मालूम है कि देश के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है। कुछ ही भागों में हुई मौतों के आधार पर इन्होंने यह खबर दे दी है। सैकड़ों लोगों की मौतें इस शीत के कारण हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब मन्त्री महोदय को सही खबर मिलेगी तो क्या वह उसकी जानकारी सदन को देंगे? उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इनके पास अभी तक राज्यों से जवाब नहीं आया है, यह इन्होंने कहा है। मैं समझता हूं कि जब ये मन्त्री आये हैं, यह सरकार आई है, यह बिल्कुल निकम्मी सरकार है। गरीब लोग ही मुख्य रूप के इस प्रकार की आपदाओं से प्रभावित होते हैं, चाहे आर्थिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, महामारी का संकट हो, सब प्रकार की दैवी विपत्तियों का शिकार यही लोग होते हैं। जो गरीबी में जीवन बिताते हैं वही इनका शिकार होते हैं। यह घटना इस साल ही नहीं हुई है। हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं। सरकार का ध्यान शायद इस वक्त ही इस ओर गया है। इससे पहले इसकी ओर जाने का सवाल ही पैदा उसके लिये नहीं हुआ था। एशियन गेम्ज जो हो रही हैं उन पर एक हजार करोड़ से भी अधिक खर्च ये करने जा रहे हैं.....

**आचार्य भगवान देव :** इस सवाल से इसका क्या सम्बन्ध है ?

**श्री हरिकेश बहादुर :** न्यूयार्क की सड़कों पर नंगे नाच करने में इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। यह एक गम्भीर सवाल है। जो लोग अमरीका और न्यूयार्क में रंग रलियां मनाते हैं उनको इससे क्या मतलब कि इस देश में क्या हो रहा है.....(इण्टरप्शंज) इनको मेरी बात बुरी क्यों लग रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

एक हजार करोड़ रुपया पानी की तरह एशियन गेम्ज में बहाया जा रहा है, लेकिन जो लोग शीत लहर से मर रहे हैं, जिनके खाने की, कपड़े की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। कई बार इस प्रश्न को सदन के अन्दर और बाहर भी उठाया गया है। यहां पर इसकी चर्चा हुई है। क्यों धन का दुरुपयोग किया जा रहा है यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। लेकिन धन का दुरुपयोग किया जाएगा, धन को बरबाद किया जाएगा गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए, अमीरों की सुख-सुविधा और उनके भोग विलास के लिए। गरीबों की रक्षा के लिए धन इस्तेमाल नहीं होगा। यह इस सरकार की नीति है।

यह सही है कि स्वयं सेवी संस्थाओं, समाज के दूसरे लोगों, पूरे समाज का यह उत्तरदायित्व है कि इस प्रकार से पीड़ा में फंसे हुए लोगों के कष्टों को दूर किया जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन सरकार का उत्तरदायित्व सबसे अधिक है क्योंकि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि लोगों के जीवन की रक्षा वह करे। गोरखपुर जिले में बाढ़ आई थी और उस कारण तमाम गांव पूरे तरीके से बरबाद हो गये थे, लोगों के मकान गिर गये थे। तब सरकार ने आश्वासन दिया

था कि उनको मकान बनाने के लिये पर्याप्त धन राशि दी जायेगी। लेकिन आज गोरखपुर में भी शीत से मौतें हो रही हैं। लोगों के पास घर नहीं हैं। शीत में खुले में वे जीवन बिता रहे हैं। तमाम तरह की कठिनाइयां उनको उठानी पड़ रही हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितनी धन राशि उन्हें देने का आश्वासन दिया गया था उतनी नहीं मिल सकती है। जो कुछ थोड़ी बहुत मिलनी चाहिये वह भी नहीं मिल रही है। वहां लोग तरह-तरह के कष्टों और परेशानियों से अपना जीवन बिता रहे हैं। इस चीज को हम लोगों ने देखा है और देख रहे हैं। सरकार उनके वास्ते आवास की, मकानों की व्यवस्था करने के लिये तैयार नहीं हो रही है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिन लोगों के मकान पूरे तरीके से गिर गये हैं उनको मकान बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता दी जायेगी। अब उनको यदि आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी तो वे भी उसी प्रकार से मौत के शिकार होंगे जिस प्रकार से देश के अन्य भागों में लोग हो रहे हैं। इसके बारे में कृषि मन्त्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें पर्याप्त सहायता दी जायेगी राज्य सरकार के द्वारा और राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार मदद देगी। लेकिन उनकी मदद नहीं हो रही है। गोरखपुर जिले में लोग शीत से मर रहे हैं। इसके विपरीत धन का दुरुपयोग एशियन गेम्ज वगैरह में तथा दूसरी तरह के कार्यकलापों में किया जा रहा है। इस दुरुपयोग को रोक कर ऐसे लोग जो गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, कपड़े, खाने और मकान की व्यवस्था न होने के कारण मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, क्या उनकी मदद की जायेगी ? क्या ऐसे लोगों के लिये आवास, भोजन और कपड़े की व्यवस्था की जायेगी ? सरकार की इसके बारे में क्या स्पष्ट नीति है मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**श्री बालेश्वर राम** : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। सबसे पहले तो इन्होंने पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के बारे में कहा था कि मन्त्री को क्या जवाब देना चाहिये। पिछली दफा जब चुनाव हुए तो हमारे टिकट पर यहां से चुन कर गये और उधर चले गये.....

**श्री हरिकेश बहादुर** : इन्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते। यह मजाक करते हैं.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : (व्यवधान)** इसे रिकार्ड नहीं किया जाये। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। केवल मन्त्री महोदय का जवाब ही रिकार्ड किया जायेगा।

**श्री बालेश्वर राम** : यहां तो सभी मेम्बर बराबर हैं.....(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाये।

**श्री बालेश्वर राम** : मेरा भी 30 वर्ष का पार्लियामेंटरी ऐक्सपीरियेंस है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो आपसे पूछा गया है, कृपया उसी का जवाब दीजिये।

**श्री बालेश्वर राम** : मैं कहना चाहता हूं कि आपके सवाल के जवाब से ही मैंने कहा था कि इस का जो महत्व है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हमने कभी नहीं कहा कि सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। हमने कहा कि हमारी कोशिश

जारी है कि गरीबी को दूर कर सकें। जहां तक हमारे प्रयत्न हो सकते हैं हम लगे हुए हैं। हम कभी नहीं कहते सभी को मकान दे दिया, खाने को पूरा भोजन दे दिया, या पूरे साधन दे दिये। यह तो हमारा दावा नहीं है। हमारी कोशिश जरूर है। आपने हमारा ध्यान इस समस्या की तरफ दिलाया और शौर्ट नोटिस में हमने पूरी कोशिश की राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करें। आप जानते हैं कि सब जगह राज्य सरकारें काम कर रही हैं। जहां भी कोई नेशनल कैलेमिटी होते हैं, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या अन्य किसी प्रकार की विपत्ति हो इसके लिये प्लानिंग कमीशन ने राज्य सरकारों को पैसा दिया है जिससे राज्य सरकारें इस काम को करती हैं। आपने इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया, हमने राज्य सरकारों को कहा है कि आइडेन्टिफाई कीजिये। कहां-कहां लोग मरे हैं। उसके बाद अगर राज्य सरकारें कहेंगी कि इतने लोग मरे हैं तो फिर विचार किया जायेगा। यह भी सम्भव है कि आपके पास जो जानकारी है उससे अधिक जानकारी हमें राज्य सरकारों से मिले, या जो आपकी जानकारी हो उसमें कुछ गलती हो। राज्य सरकारों के पास ऐसी विपदाओं से निपटने के लिये साधन हैं। और अगर उतने से काम नहीं चलता और वह हमसे कहेंगी तो हम पुन: विचार कर सकते हैं। लेकिन इस गम्भीर सवाल के साथ दूसरी बातों को कहना, जैसे इन्होंने एशियन गेम्ज की बात कही, यह ठीक नहीं है। एशियन गेम्ज की वजह से कम से कम मजदूरों को काम मिल रहा है, दिल्ली की सड़कें अच्छी हो रही हैं। इस बारे में विचारों का मतभेद हो सकता है।..... दूसरी समस्याओं को, जितने राजनीतिक सवाल हैं, सब को इसके साथ जोड़ दीजिये तब तो एक विवाद का प्रश्न बनता है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस बात की गम्भीरता को हम समझते हैं, हमने राज्य सरकार से सम्बन्ध स्थापित किये हैं, फिर भी निर्देश दे रहे हैं कि जहां-जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उनकी जो मदद हम कर सकते हैं, करनी चाहिये। जहां तक माननीय दृष्टिकोण का सवाल है, हम आपकी भावनाओं के साथ हैं।

(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** कुछ भी (व्यवधान) रिकार्ड नहीं किया जाए।

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे जो पहला अहम सवाल है, वह गिनती का इसमें कोई महत्व नहीं रखता है। अब 5 के बजाय 10 मर जायें, 10 के बजाय 20 मर जायें, आज तो क्रिकेट के समान हो रहा है। जैसे क्रिकेट में चौका, छक्का हो रहा है, उसी तरह इस मामले में भी हो रहा है। आज 4 मरे हैं, कल 6 मरे हैं इसी तरह से चौका और छक्का चल रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुनियादी सवाल यह है कि लोग मर क्यों रहे हैं ? और मरने वाले लोग हैं कौन ?

क्या ठण्डक इस देश में ही है या ठण्डक इस देश के बाहर दूसरे मुल्कों में भी है ? क्या इस देश में ही गरमी है या इससे ज्यादा अरब मुल्कों में भी है ? जहां 6,6 महीने बरफ रहती है, वहां कभी लोगों के मरने का सवाल नहीं आता है जहां आग बरसती है, वहां से मरने की शिकायतें नहीं आती है। दिल्ली में बहुत ठण्डक है, लेकिन दिल्ली की अपेक्षा बिहार में ज्यादा लोग मरे हैं। दिल्ली की अपेक्षा बिहार में कम ठण्डक है लेकिन अगर इसकी तह में आप जायेंगे तो

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मरने वाले गरीब हैं, भुखमरी से मरने वाले हैं। यह मरने वाले वही हरिजन आदिवासी पिछड़े समुदाय के लोग और दलित वर्ग के लोग हैं।

लू किस को मारती है ? जिसके पेट में अन्न नहीं रहता है उसको मारती है। लू के दिनों में भर पेट पानी पीजिये तो लू नहीं लगेगी, लेकिन जिसके पेट में पानी भी नहीं रहेगा तो उसको लू मारेगी। ठंडक किसको मारती है ? जिसके पेट में अन्न नहीं होता है।

सबसे ज्यादा बुनियादी सवाल यह उठता है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? शुरू में जब आपत्ति उठाई गई तो श्री वाजपेयी जी और दूसरे साथियों ने कहा था कि इस मामले में कृषि राज्य मंत्री क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कह सकते हैं तो वह इतना ही कह सकते हैं कि हमने केवल बाँट दिए और इतना कुछ कर दिया, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। किसी गांव में कुंआ खुदवाना हो, हस्पताल बनवाना हो, गांव के लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना हो तो यह सरकार के अलग-अलग विभाग हैं। इस मामले में अगर एक व्यक्ति जवाब दे सकता है तो वह प्रधान मंत्री ही दे सकती हैं कि कैसे लोगों को भुखमरी से बचाया जाये ?

आपका रेडियो डिपार्टमैंट, ब्राडकास्टिंग डिपार्टमैंट है, वह सब चीजों की खबरें देता है, लेकिन वह यह खबर क्यों नहीं देता कि शीत-लहरी आने वाली है, घर से बाहर नहीं जाओ।

**श्री मनी राम बागड़ी** : घर ही न हो जिनके ?

**श्री राम विलास पासवान** : घर नहीं हैं, दिल्ली में रैन-बसेरे की योजना बनाई गई थी कि रैन-बसेरे के तहत लोगों को रहने की सुविधा देंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दिल्ली में रैन-बसेरे की योजना का क्या हुआ ? पूरे देश में उसको लागू करना था ?

(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

(व्यवधान)

मैं कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन आज देश की क्या हालत है ? देश पहुंच गया है कंगाली की स्थिति में। पहले संसार में तीन तरह के देश माने जाते थे : फर्स्ट वर्ल्ड, सैकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। आज फोर्थ वर्ल्ड और फिफ्थ वर्ल्ड भी हो गए हैं। चौथी दुनिया में तो गरीब देश हैं और पाँचवीं दुनिया में भारत, बंगला देश, पाकिस्तान, बर्मा और श्री लंका जैसे कंगाल मुल्क हैं। कंगाल देशों में भी जो लोग मर रहे हैं, वे अधिक कंगाल हैं।

गरीबी की रेखा की बात की जाती है। गरीबी की रेखा कहां खींची गई है ? जिन लोगों की आमदनी एक रुपये रोज से कम है, वे गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं। यह मेरे पास सरकार का जवाब है 10 दिसम्बर, 1981 का, जिसमें बताया गया है कि बिहार में, जिसके

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बारे में मंत्री महोदय ने लोगों के मरने की बात कही है, 58.91 परसेंट अर्थात् 50 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आजादी के 34 वर्ष के बाद भी बिहार में 59 परसेंट लोग ऐसे हैं, जो दिन में एक रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। आज एक रुपए से एक प्याली चाय की भी नहीं मिल सकती है। इस स्थिति में लोग मरेंगे नहीं, तो और क्या होगा ? जहां-जहाँ भी लोग ठंडक या गर्मी से मरे हैं, वहां की हालत आप देख लीजिए। बगल में हरियाणा है। वहाँ से तो शिकायत नहीं आती है कि लोग ठंडक या लू से मरे हैं, क्योंकि वहाँ स्थिति थोड़ी अच्छी है। लेकिन जहां लोगों के पास कुछ है नहीं, वहां लोग मरेंगे।

इन मौतों की बुनियाद में गरीबी और भुखमरी है। इसलिए जब तक उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं भी होती रहेंगी। हममें से कई लोग एशियाई गेम्ज की बात को गुस्से से कहते हैं। हम आपोजीशन में हैं। सरकार की कमजोरी से फायदा उठाना हमारा फर्ज है। इसलिये इन लोगों को इस पर दुखी नहीं होना चाहिए। मैं इनके नेता की बात बताता हूं। जब नारायणपुर की घटना घटी, तो प्रधान मंत्री वहाँ गई थीं। यहाँ पर प्रेस वालों ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी का उस समय का वक्तव्य है कि मैं विरोध में हूं, मैं पालिटीशन हूं, हमारी संन्यासियों की जमात नहीं है, मेरा काम है सरकार की कमजोरी से फायदा उठाना। आज जब हम आपोजीशन में हैं, तो हमारा भी यह दायित्व है। इसमें हमारे दो परपज हैं : जहां हम सरकार की कमजोरी से फायदा उठाते हैं, वहाँ हम उसको यह चेतावनी भी देते हैं कि वह इस फ्रंट पर मजबूत हो।

यदि सरकार काम करेगी, तो हमारे कहने से उसका कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। हमारे साथियों को इसपर दुःख नहीं होना चाहिए।

सबसे बड़ी बात है फिजूलखर्ची की। आदमी नहीं चाहेगा कि फिजूलखर्ची को रोका जाए ? लेकिन सरकार के दृष्टिकोण से वह फिजूलखर्ची नहीं है, वह एक अच्छी चीज है, जोकि हमारे दृष्टिकोण से वह फिजूलखर्ची है। लेकिन सवाल यह है कि प्रायर्टी किसको देनी चाहिए। प्रायर्टी इस बात को देनी चाहिए कि जो आदमी भूखा मर रहा है, ठंडक में जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसकी मदद की जाए। आज देश में क्या हो रहा है ? लोग धर्म-परिवर्तन आदि की बात करते हैं। उस सबकी तह में अधिकांश तौर पर गरीबी और भुखमरी निहित है। इस बुनियादी समस्या का निदान कैसे हो, प्रायर्टी किसको दी जाए, सब लोगों को बैठ कर इसपर सोचना चाहिए।

प्राथमिकता किसको दी जाए ? खेल-कूद को, या जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसको वस्त्र देने को, जिसके पेट में अन्न नहीं है, जिसके सिर पर झोंपड़ी भी नहीं है, उन्हें राहत देने को ? स्टेशन पर जहां फर्स्ट कलास एयर-कंडीशन्ड के वेटिंग रूम हैं, वहीं प्लेटफार्म भी हैं, जहां गरीब लोग शीत लहर में भी बिना कपड़ों के सोए रहते हैं और ठिठुर कर मर जाते हैं। वहां पर पुलिस घूमती रहती है—मैं देहात की नहीं, शहर की बात कर रहा हूं—तो क्या यह पुलिस का फर्ज नहीं है कि जो व्यक्ति ठंडक में रात को प्लेटफार्म पर या सड़क पर सोया हो, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसका मां-बाप नहीं है, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसे उठा कर ऐसे स्थान पर पहुंचा दे, जहां वह ठिठुर कर न मरे ? यह प्रश्न तो मानवता के मूल्यों पर आधारित है। इस लिए इसको बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता

हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, सरकार इस तरह का कोई हाई पावर कमीशन बनाने जा रही है जो इसका पता लगावे कि ठंड से मरने वाले लोग या गर्मी से मरने वाले लोग कैसे मरते हैं और उनके लिए क्या उपचार किया जा सकता है, क्या व्यवस्था की जा सकती है ? इस तरह का कोई कमीशन क्या सरकार बनाएगी ?

दूसरे, सरकार के पास इस साल की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछले तीन साल की रिपोर्ट क्या सरकार बतलाएगी कि पिछले तीन सालों में कितने लोग ठण्ड के मारे मरे हैं, कितने लोग गर्मी के मारे मरे हैं ? ठीक है अभी की रिपोर्ट मान लेते हैं कि नहीं है, अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरे पास तो रात को काल अटेंशन आया है, मैं क्या कर सकता हूं ? लेकिन क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि विगत तीन वर्षों में कितने लोग ठण्ड के मारे मरे हैं और कितने लोग लू के मारे मरे हैं ?

जो रैन बसेरा योजना के बारे में कहा गया कि गरीबों के लिए यह योजना चलायी जायगी और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में चलायी जायगी, उस रैन बसेरा योजना का क्या हुआ ?

यह जो रेडियो और ब्राडकास्टिंग का विभाग है क्या इसका यह दायित्व और फर्ज नहीं हो जाता है, कि लोगों को ऐसे समय में चेतावनी दे ? जिस तरह से कहीं अगर तूफान आने वाला होता है तो उसकी चेतावनी वह देता है कि तूफान आने वाला है, सचेत हो जाओ, ऐसे ही अगर भयंकर शीत-लहर चलने वाली हो तो क्या उस जगह के लोगों को वह यह नहीं बतला सकता है कि भयंकर शीत-लहर आने वाली है, आप लोग अपने बचाव का उपाय करें ? ये सारी समस्याएं हैं जिसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय जबाव दें और इसको गम्भीरता से लें। मेरा सिर्फ यही कहना नहीं है कि आप केवल कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री होने के नाते आप सरकार के एक अंग हैं। आप जहां बैठते हैं, वहाँ सरकार को बतलाइए, अपने सुपीरियर मंत्री को बतलाइए और कैबिनेट में बैठकर जहां से पालिसी तय होती है वहां से कोई ठोस कदम उठाइए, तब इस समस्या का निदान होगा। नहीं तो कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे, उससे कोई समस्या का निदान होने वाला नहीं है।

**श्री बालेश्वर राम :** उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बातें आम तौर पर फिर वही कही गई हैं जो बागड़ी जी ने शुरू की थीं। करीब-करीब वही बातें आई हैं और जब कहना है तो बातें तो वही रहेंगी। मैंने तो कहा शुरू में कि इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि हिन्दुस्तान की गरीबी को हम नहीं मिटा सके हैं और हिन्दुस्तान में अभी भी करीब-करीब 48 प्रतिशत, जो औसत आंकड़े हैं, उनके हिसाब से लोग बिलो पावर्टी में रहते हैं। इससे भी हम इन्कार नहीं करते कि लोगों के पास घर नहीं हैं पूरे जो कि होने चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज जो चाहिए, वह हम पूरी तरह से सबको नहीं मुहैया कर पाये हैं। हमारा प्रयत्न जरूर है।

जिस तरह आपने चर्चा की, यह बात सही है कि हमने कई कार्यक्रम भी शुरू किए, अब कहां तक उसमें सफलता मिली है उसका लेखा-जोखा करने की आवश्यकता है। यह बात नहीं है कि गरीबी दूर करने की तरफ हमारा प्रयास नहीं है। मैं सिर्फ एक दो उदाहरण उसके देना

चाहता हूं। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ इसी को देख कर कि हमारे बहुत से लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, एक बड़े पैमाने पर हम चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चले और उसके लिए करीब-करीब 15 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान हमने इस छठी योजना में सैन्ट्रेल और स्टेट सेक्टर में किया है और बैंकों से तथा जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स है उससे भी उम्मीद करते हैं कि 3 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया वह गरीबों के लिए देंगे। उद्देश्य भी हमारा यही है कि पूअरेस्ट एमंग्स्ट द पूअर इससे लाभान्वित हों। इसलिए हमने जो गाइडलाइन्स राज्य-सरकारों को दी हैं उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसी तरह हमारी एन० आर० ई० पी० की जो स्कीम है उसमें भी अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें यह हमारा प्रयास है। और भी कई तरह के प्रोग्राम हम चला रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। हमारा कभी दावा नहीं रहा कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। लेकिन हमने प्रयास जरूर शुरू किया है। हम कर भी रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपका भी सहयोग पूरी तरह से हमें मिले तो इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं।

आपने रेडियो की चर्चा की। रेडियो से इसका प्रसारण करते हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि पांच डिग्री से नीचे जब मरकरी ड्राप करता है तो उसके बाद वह कहते हैं कि शीत लहर चलेगी। छः डिग्री से नीचे का अभी तक का उनका अनुमान है। मैंने मीटरियोलाजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया था और उनसे मैंने यह सवाल किया था, यद्यपि आप मेरी राय से सहमत होंगे कि इसमें ऐसे ही लोग मरते होंगे जिनके पास कि घर नहीं होता, वह बेचारे कहीं पेवमेंट पर सोते हैं या बैगर्स हैं, भिखारी हैं, वह रेडियो कहां सुनने वाले हैं, उनको रेडियो कहां मिलता है ? लेकिन फिर भी मेट्रियोलाजिकल डिपार्टमेन्ट से पूछा कि आपको चेतावनी देनी चाहिए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे मरकरी आती है तब उसको हम शीत लहर मानते हैं और उसको पूरी तरह से एक चेतावनी के रूप में प्रसारित करते हैं। इस प्रकार की मौसम सम्बन्धी सूचानायें रोज ही रेडियो से प्रसारित होती रहती हैं। लेकिन अभी तक उनके माप-दण्ड के अनुसार शीत लहर नहीं आई है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : फिर कैसे मर गये ?

**श्री बालेश्वर राम** : थोड़ी सी ठण्ड में भी कोई आदमी मर सकता है। कोल्ड-वेव न भी हो लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा न हो तो थोड़ी सी ठण्ड में भी वह मर सकता है। अभी मैं, कोल्ड-वेव का जो माप-दण्ड उन्होंने रखा है वह बता रहा था। हो सकता है कि उसको रिवाइज करने की जरूरत हो कि अमुक डिग्री पर ही चेतावनी दी जाया करे। मैंने आपका यह सुझाव नोट कर लिया है।

बाकी जो अन्य जनरल बातें हैं उनसे मैं इन्कार नहीं करता। हम और आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है। लेकिन आप इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न न करें।

**श्री राम विलास पासवान** : रैन-बसेरा और कमीशन एप्वाइन्ट करने के बारे में मैंने पूछा था।

**श्री बालेश्वर राम** : कमीशन बहाल करने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उस पर जो खर्चा आयेगा उससे गरीबों में कम्बल बांटना अच्छा रहेगा।

**श्री मनीराम बागड़ी** : अंग्रेजों के जमाने में जो फेमीन कोड था उसको रिवाइज किया गया है लेकिन शीत लहर का जो पैमाना अंग्रेजों के जमाने में चल रहा था वही आज भी चल रहा है। इसलिए क्या इस पैमाने को रिवाइज करने के लिए आप कोई कमीशन मुकर्रर करेंगे ?

**श्री बालेश्वर राम** : कमीशन मुकर्रर करने से कोई फायदा नहीं होगा। यह शीत लहर या हीट-वेव जो चलती है, आपने सुना होगा दो साल पहले इंग्लैण्ड में हीट-वेव चली थी जिसमें कई लोग मर गए थे। इसी प्रकार से अगर शीत लहर न भी हो, कम ठण्ड में भी लोग मर सकते हैं। बहरहाल यह जो समस्याएं हैं इनके समाधान में आपको हमारा हाथ बंटाना चाहिए। इस समस्या की ओर हम पूरी तरह से जागरूक हैं।

———

## अम्बाला छावनी में वैज्ञानिक/इलेक्ट्रानिक उपकरणों 10 के 12 निर्यातकों को प्रोत्साहन और सुविधाए देने के बारे में याचिका

**श्री सूरजभान** (अम्बाला) : मैं अम्बाला छावनी में वैज्ञानिक/इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्यातकों को प्रोत्साहन और सुविधाएं देने के बारे में श्री अनिल जैन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठक अब 2.05 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर पाँच मिनट म० प० तक के लिए स्थागित हुई।**

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।**

———

## सभा का कार्य

**संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : श्रीमान् आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 21 दिसम्बर, 1981 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा—

1. आज की कार्य सूची से आगे ले जाए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करना—

(क) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1981

(ख) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1981

(ग) भेषजी (संशोधन) विधेयक, 1981

3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार तथा उसे पारित करना।

4. योजना मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा।

5. मंगलवार 22 दिसम्बर, 1980 को, मारूति लिमिटेड, (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) नियम, 1981 में रूप भेद के प्रस्ताव, पर चर्चा जिसकी सूचना सर्व श्री एन० के० शेजवलकर और सतीश अग्रवाल द्वारा दी गई थी।

6. बुधवार, 23 दिसम्बर, 1981 को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 1981 को रद्द करने के प्रस्ताव पर चर्चा जिसकी सूचना सर्व श्री एन० के० शेजवलकर और फूल चन्द वर्मा द्वारा दी गई है।

**श्री भीखा भाई** (बांसवाड़ा) : मेरा सुझाव है कि अगली कार्य-सूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं:

राजस्थान में, विशेषत: दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बार-बार उत्पन्न भीषण दुर्भिक्ष स्थिति को दूर करने के लिए स्थायी हल निकालने के लिए उपाय किये जाएं।

राजस्थान पूरे विश्व में 'थार मरुस्थल' के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम में कई राज्यों में फैला हुआ है। पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में महान उपलब्धियों के बावजूद, यह बड़ी चिंताजनक बात है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए स्थायी आधार पर कुछ भी नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह अनेक अत्यावश्यक उपाय करे, यथा पीने और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करे, कुटीर उद्योग जैसे कामों को प्रोत्साहित कर जीविकोपार्जन के उपाय करे इत्यादि, जिससे इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान की व्यवस्था हो सकेगी साथ ही इस क्षेत्र के भूख से पीड़ित लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। योजना मन्त्रालय इस मामले में खासतौर पर तुरन्त ही ऐसी योजनाएं तैयार करे जो सरकार द्वारा प्रायोजित हों, ताकि बाद में राज्य सरकार उनका पोषण कर सके।

राजस्थान, जोकि देश का पिछड़ा राज्य है, और जिसको कि सरकार से अधिक ध्यान अपेक्षित है, में दूर संचार, टी० वी० एवं रेडियों की व्यवस्थाओं में पूर्णरूपेण उत्थान शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। इस ओर जो कदम अभी और एकदम उठाये जाने चाहियें, उनमें से कुछेक निम्न हैं:-

1. सीमावर्ती जिलों में तुरन्त काफी दूर संचार एवं रेडियो व्यवस्था का अवलोकन एवं उत्थान।

2. जहां-जहां छोटे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, उनमें धीरे-धीरे इजाफा ।

3. जयपुर टी० वी० केन्द्र का अविलम्ब एक पूर्णरूपेण टी० वी० केन्द्र में परिवर्तन ।

मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि वे इस बारे में अपने स्तर पर तुरन्त कोई कार्यवाही करें।

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 18.12.81 की कार्यसूची के मद संख्या 12 में आगामी सप्ताह के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करनेका सुझाव देता हूं:—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्राचीन ऐतिहासिक नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना पांचवीं शताब्दी में हुई जो तेरहवीं सदी के प्रारम्भ तक विश्व के एक बड़े भू-भाग के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण और विद्यार्जन का केन्द्र बना रहा ।

बौद्ध देशों के विद्यार्थी नालन्दा को पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं । उनकी उत्कट अभिलाषा एवं आकांक्षा नालन्दा विश्वविद्यालय की उपाधियों को प्राप्त करने की होती है, पर अध्ययन के बाद जब उन्हें मगध विश्वविद्यालय की उपाधियां मिलती हैं तब उन्हें गहरा मानसिक और हार्दिक आघात पहुंचता है ।

बिहार राज्य में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है । नालन्दा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वस्तुगत एवं बाह्यगत समस्त आधार तैयार हैं ।

अतः नालन्दा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के प्रश्न को विचारार्थ अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जावे ।

(2) देश भर के अधिवक्ता (एडवोकेट्स) विशेषकर युवा अधिवक्ता सरकार से कई प्रकार की सुविधाओं की मांग लम्बे अरसे से कर रहे हैं ।

बिहार में अधिवक्ताओं ने कानूनी पेशा का राष्ट्रीयकरण, अधिवक्ताओं के लिए भविष्य निधि, जीवन-निर्वाह निधि और पेंशन की व्यवस्था, प्रत्येक अधिवक्ता को 22 हजार रुपए का ऋण और विधि स्नातकों को तकनीकी स्नातकों के समकक्ष सुविधा प्रदान करने आदि की मांगों को लेकर 15 दिसम्बर, 1981 से अदालतों का बहिष्कार और जेल भरो अभियान शुरू कर दिया है ।

देश के कई अन्य प्रांतों में भी इन मांगों को लेकर अधिवक्ता आन्दोलन कर रहे हैं । अतः केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करके स्थिति को बिगड़ने से बचाए एवं यह विषय आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए ।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं अगले सप्ताह के लिये जो विषय सुझाना चाहता हूं वे इस प्रकार हैं :—

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं कर्मचारियों का आन्दोलन ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के नौ हजार कर्मचारियों ने गत 23 नवम्बर, को आठ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की अभियान समिति के अह्वान पर देश विभिन्न भागों से आए करीब दस लाख मजदूरों ्रत मजदूरों, मध्यम वर्गीय कर्मचारियों तथा गरीब किसानों के साथ महंगाई, ट्रेड यूनियन

अधिकारों पर हमले काले कानूनों के खिलाफ तथा किसानों को लाभकारी मूल्य देने, की माँग को लेकर संसद के सामने वोट क्लब की शानदार रैली में भाग लिया था। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसके लिये उनका एक दिन का वेतन काट लिया है। इसके पहले सन् 1980 में कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिये हड़ताल की थी, जिसमें उनकी नौ दिनों की छुट्टियां काट ली गईं।

इन हमलों के खिलाफ तथा रामजस कालेज के प्रिंसीपल को निलंबित कर उनके विरुद्ध जांच करवाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। शीघ्र हस्तक्षेप नहीं करने से स्थिति बिगड़ सकती है।

विश्वविद्यालय के छः हजार शिक्षकों ने अभी हाल में अपनी सात-सूत्री तथा राव तुलाराम कालेज से संबंधित पांच-सूत्री मांगो को लेकर एक सप्ताह की हड़ताल की थी। देश के अन्य विश्वविद्यालयों में स्थिति विस्फोटक है। अतः इन पर विचार करना आवश्यक है।

**श्री अशफाक हुसैन** (महाराजगंज) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुल्क में असलियत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दस्तूर में आर्टिकल 30 के तहत अपने तालीमी इदारे चलाने का बुनियादी हक इनको हासिल है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर इनको अपने दस्तूरी और आइनी हक से महरूप किया जा रहा है। बंगलौर में 1963 से कायम शुदा सेंट जांज मैडीकल कालेज का इलहाक (एफिलिएशन) खत्म कर दिया गया है। इस वाहिद कैथोलिक मैडीकल कालेज को तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार की बहाली के लिए बिल पार्लिमैंट में मार्च 1980 से पेश हैं। इस दरमियान दो बार तरमीम के बावजूद अभी तक इस पर बहस और मंजूरी का नम्बर नहीं आ रहा है जबकि हुकमरान पार्टी और मुल्क की करीब-करीब सभी सियासी पार्टियों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती किरादार को बिला ताखीर बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश और मुल्क के दूसरे हिस्सों में अकलियती तालीमी इरादों को अपने स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन में तबदीली लाने पर मजबूर किया जा रहा है जिससे अकलियती इदारों को भारत के दस्तूर के आर्टिकल 30 के जरिये हासिल शुदा हकूक पर आंच आएगी। उत्तर प्रदेश और मुल्क की दूसरी रियासतों में ऊर्दू को इलाकाई जबान का दर्जा देने में ताखीर की जा रही है। सरकारी और पब्लिक सेक्टर की मुलाजिमतों में अकलियत की नुमायदशी उनकी आबादी के तनासुब का एक चौथाई भी नहीं है। तजारत के मैदान में भी अकलियत के लोग बहुत पीछे हैं। मुस्लिम औकाफ की जायदाद पर नाजायज और जबरी कब्जे की शिकायतें सारे मुल्क में हैं। इन सभी अकलियती मसाइल पर में अगले हफते बहस जरूरी समझता हूं।

पिछले अगस्त और सितम्बर के सैलाब की वजह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती जिलों में बड़ी तादाद में कच्चे पक्के और फूंस के मकान गिर गए हैं। इन मकानात की मरम्मत और तामीर के लिये अभी तक इमदादी रकम इनको मुहैया नहीं की जा सकी है। जिला अधिकारी फंड न होने से अपनी लाचारी जाहिर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते इस पर भी पार्लियामेंट में बहस का मौका निकाला जाए।

**श्री आर० एन० राकेश** (चैल) : मैं आगामी सप्ताह के संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य में निम्न दो बातें सम्मिलित करना चाहता हूं और इसके बारे में वक्तव्य दूंगा।

धौलपुर (राजस्थान) में देश के विभिन्न भागों से भोली-भाली महिलाओं एवं स्कूल कालेजों की लड़कियों को भगा कर धौलपुर में उनकी बेची बाजार में घड़ल्ले से चलाई जाती है। आज भी इलाहबाद, आगरा, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरों में यहीं से खरीद कर वैश्यालयों को चलाया जा रहा है। नारी ममता की प्रतीक मां और बहन है और स्त्री के रूप में अर्द्धांगिनी है। उनकी बेची भारतीय नीति और मर्यादाओं के प्रतिकूल है।

विहार के अनेक भागों में लोग अपनी जवान बहू और बेटियों को जमींदारों के यहां रहन रखते हैं। इंसान की मजबूरियों और मानवता के सिद्धान्तों का यह एक उपहास है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर अगले सप्ताह बहस का मौका दिया जाना चाहिये।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बिल को सदन में रखने के बाद भी उस पर चर्चा नहीं हुई है जिससे देश के अल्प संख्यकों में घोर असन्तोष है। मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह उसे सदन में बहस के लिये प्रस्तुत किया जाये।

**प्रो० रूप चन्द पाल** (हुगली) : मैं चाहता हूं कि सभा के अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाए।

इस माह अन्तराष्ट्रीय विकलांग-वर्ष समाप्त हो जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने अभी तक विकलांगों के लिए किसी व्यापक योजना और नीति की घोषणा नहीं की है। ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने पंजीकृत नेत्रहीन बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया है, किन्तु इस सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति हुई है। नेत्रहीनों और विकलांगों के हित में समुचित कानून बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी, किन्तु उसने अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है। अभी हाल ही में 'इंटरनेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइंड ने 11 और 12 दिसम्बर, 1981 को सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें अपने देश के 90 लाख नेत्रहीनों और लाखों विकलांगों के कल्याण के लिए ठोस कार्यवाही किए जाने की मांग की गई थी।

हमारे देश में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परम्पराओं के उल्लंघन की बहुत सी शिकायतें मिली हैं। सरकारी सेवा में इन कर्मचारियों को मन मर्जी से नौकरी से निकाल देने, रेलवे अधिकारियों को मजदूर संघों के कार्यकर्त्ताओं के अनुशासन-उल्लंघन का आरोप लगा कर सताने के गोपनीय आदेश देने, सरकारी उपक्रमों में समझौतों को लागू न करने, मजदूर संघों के कार्यकर्त्ताओं के काम में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने और यहां तक कि कुछ स्थानों में कुछ नेताओं के हत्या तक करवा देने आदि के समाचार मिले हैं। हमारे देश में कार्यकर्त्ताओं के, मजदूर संघ सम्बन्धी अधिकारों को कुचला जाता है। मैं चाहता हूं कि सभा में अगले हफ्ते इन दो गम्भीर मामलों पर विचार किया जाए।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** (बम्बई उत्तर, मध्य) : महोदय, मेरा सुझाव है कि 21 दिसम्बर, 1981 से शुरू होने वाले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाए।

क्रमांक 1. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के चेयरमैन और अन्य प्रवक्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार से निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग। राष्ट्रीय डेरी

विकास बोर्ड के भाव नगर और सौराष्ट्र में सब्जी के जो संयंत्र हैं उसमें 6 दिसम्बर को जो आग लगी थी, उससे एक करोड़ रुपये से भी अधिक का भंडार नष्ट हो गया। एन० डी० डी० बी० के चेयरमन और प्रवक्ताओं ने यह आरोप लगाया कि मूंगफली उत्पादकों और उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए एन० डी० डी० बी० ने जो सहकारिता से उद्यम किया है, उससे निहित स्वार्थ ने सतर्क होकर योजनाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। एन० डी० डी० बी० के दो शीर्षस्थ अधिकारियों पर कातिलाना हमले, दो कार्यकारी अधिकारियों और एक वैज्ञानिक सहायक की दुर्घटना से मृत्यु आदि घटनाएं राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई थीं किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कृषकों और उपभोक्ताओं के हित में मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि वह सभा को यह आश्वासन दे कि आरोपों की निष्पक्ष जांच करवायी जाएगी।

क्रमांक 2 : मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता खतरे में है। कुछ संगठन मुस्लिम महिलाओं को फिल्म देखने से रोक रहे हैं, जो कि मुस्लिम महिलाओं के प्रजातांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिनको कि किसी भी अन्य नागरिक के समान अधिकार प्राप्त हो गया है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगी सभा में यह बताएं कि ऐसे संगठनों के प्रयासों को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है जिन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, मैं आगामी सप्ताह की कार्यवाही में दो बातें सम्मिलित करना चाहता हूं।

देश की शिक्षा प्रणाली बराबर खर्चीली और उद्देश्य-विहीन होती जा रही है जिससे देश की भावी पीढ़ी को कोई भी उद्देश्य पूरा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। पहली कक्षा से लेकर शिक्षा के अन्तिम स्तर तक पूरी-शिक्षा प्रणाली में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होना चाहिये और पूरी शिक्षा नि:शुल्क होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त शिक्षा इस प्रकार की हो कि देश की बेरोजगारी मिटाने और देश के औद्योगिक विकास में कारगर सिद्ध हो सके।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में स्टील उचित रूप से उपलब्ध न होने के कारण व बिजली व कोयला सही मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन काफी प्रभावित हो रहा है और जिस रूप से इसका औद्योगिक विकास होना चाहिये था, उस सीमा तक नहीं हो पा रहा है। इसलिये उत्तर प्रदेश के मध्य में स्टील प्लान्ट और बिजली उत्पादन के बड़ी क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र खुलने चाहिये और कोयले की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री कमला मिश्र मधुकर** (भोतिहारी) : उपाध्यक्ष जी, मुझसे आज की कार्य सूची की मद संख्या 12 में निम्नलिखित संशोधन करने की अनुमति दी जाय:

(1) बिहार और उतर प्रदेश में सभी चीनी मिलों के खिलाफ एवं सरकार की किसान विरोधी नीति की वजह से गन्ना पैदा करने वाले किसान चीनी मिलों को गन्ना देना 21 दिसम्बर, 1981 से बन्द कर देंगे।

इससे होने वाली भयावह स्थिति पर अगले सप्ताह में विचार होना चाहिये।

(2) बिहार में गैर-राजपित्रत कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने के कारण आवश्यक सेवायें सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में स्थिति बिगड़ रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये कि आवश्यक सेवायें संतोषजनक ढंग से चलती रहें।

**गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया):** माननीय सदस्यों द्वारा कुछेक उपयोगी सुझाव दिए गए हैं तथा मेरे माननीय मित्र ने पहले से ही उत्तर का अनुमान लगा लिया था। महोदय, इसे कार्य मंत्रणा समिति की जानकारी में लाया जाएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस सत्र में नहीं।

**श्री पी० वेंकट सुब्बया :** अवश्य ही, जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी।

अन्य बातों का जिक्र भी उन्होंने किया है। हमने छठी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने के लिए कुछ समय एलाट किया है। माननीय सदस्यों ने जिन मदों का जिक्र किया है उस चर्चा के दौरान उन पर अच्छी तरह विचार किया जा सकता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हमने अगले सप्ताह की कार्यमदों में शामिल कर लिया है। हम एक संशोधन विधेयक ला रहे हैं।

अन्य मामलों के बारे में राजस्थान में सूखा आदि पिछले सत्र में एक ध्यानाकर्षण सूचना दी गई थी एवं उस पर चर्चा की गई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस मामले पर सभा में छठी योजना पर विचार करते समय चर्चा की जा सकती है।

जहां तक शिक्षा प्रणाली, उत्तर प्रदेश में इस्पात संयंत्र लगाए जाने और अन्य मामलों की बात है, मेरे ख्याल में उनमें से कुछ पर योजना पर चर्चा करते समय विचार-विमर्श किया जा सकता है।

बिहार में चीनी मिलों को गन्ने की कथित सप्लाई रोकने तथा बिहार में अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के मामले, राज्य का विषय है। मेरे ख्याल में ये मामले केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।

जो भी उपयोगी सुझाव बताए गए हैं, उन्हें उचित समय पर कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

---

## असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन आने वाली सेवाओं को असम राज्य में आवश्यक सेवायें घोषित करनेवाली अधिसूचना का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा अनुदानों की पूरक मांगें (असम), 1981-82

**उपाध्यक्ष महोदय :** हम मद संख्या 13 और 14 को एक साथ लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रोफेसर मधु दण्डवते द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने, तथा श्री योगेन्द्र मकवाना द्वारा आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले सांविधिक संकल्प की सांविधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करने के आधार पर संकल्प का विरोध करने के सम्बन्ध में सूचनाएं दी गई हैं।

मैं श्री वाजपेयी और प्रोफेसर दण्डवते को व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने की अनुमति देता हूं।

श्री वाजपेयी—यहां नहीं।

**प्रोफेसर मधु दण्डवते** (राजापुर): महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा साँविधिक संकल्प प्रस्तुत किए जाने का विरोध करता हूं। यह अधिसूचना 17 नम्बर, 1981 को जारी की गई थी। मेरे पास आवश्यक सेवा (असम) अधिनिमय, 1980 की एक प्रति है। यदि आप धारा 2 तथा उप धारा (2) को देखें तो उप धारा (2) में यह बताया गया है।

"उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (पांच) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के दोनों सदनों के पटल पर अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो इसके जारी करने के तुरन्त बाद और अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अगले सत्र के आरम्भ होने के पहले दिन, रखी जाएगी—कृपया 'पटल पर रखी जाएगी' शब्दों को नोट किया जाए।

जब 17 नम्बर, 1981 को अधिसूचना जारी की गई तो इस सभा का सत्र नहीं चल रहा था। इस सभा ने अपना काम 23 नम्बर, 1981 से करना आरम्भ किया। जहां तक अधिसूचना का सम्बन्ध है हम यह देखते हैं मैंने रिकार्ड चैक किया है; मेरे पास लोक सभा समाचार भाग-एक है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि यह सभा के पटल पर 30 नम्बर, 1981 को रखी गयी थी। इस सम्बन्ध में सांविधिक उपबन्ध यह है कि जब अधिसूचना जारी की जाए, अगर सभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो सत्र प्रारम्भ होने के पहले दिन यह अधिसूचना दोनों सदनों के पटलों पर रखी जाए। लोक सभा के समाचार भाग-एक से यह स्पष्ट है कि यह सभा पटल पर 30 नम्बर, 1981 को रखी गई।

यह स्पष्ट रूप से प्रक्रिया के उल्लंघन का मामला है, ये चालाकी से इस स्थिति से बच निकलने की कोशिश करेंगे, यह मुझे मालूम है। लेकिन, मैं आप से कम से कम यह अनुरोध करूंगा कि आप सरकारी पक्ष को इस प्रकार की भूलों के बारे में झिड़कें। एक बार पहले भी सरकार द्वारा इसी प्रकार की भारी भूल की गई थी। उस समय इन द्वारा खेद व्यक्त कर दिया गया था। लेकिन जब कोई खेद व्यक्त करता है तो दूसरा इसे यह समझ कर मान लेता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी। लेकिन दोबारा हमने यह देखा है कि सरकार द्वारा इसी प्रकार की प्रवृत्ति अपनाई गई है। चाहे अधिसूचना 17 नवम्बर, 1981 को जारी की गई थी, लेकिन यह सभा पटल पर 30 नवम्बर, 1981 को रखी गई जबकि सत्र 23 नवम्बर, 1981 को आरम्भ हो गया था। लोक सभा के सत्र के प्रारम्भ होने के सात दिन बाद यह अधि-

सूचना सभा पटल पर रखी गई। इस प्रकार यह इस विशेष अधिनियम, जिसके अधीन अधिसूचना जारी की गई, के सांविधिक, उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने का स्पष्ट मामला है; अत: मैं, माननीय मन्त्री द्वारा इस संकल्प के पेश किये जाने के अधिकार को चुनौती देता हूं। महोदय, मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का अनुमोदन करेंगे।

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : यह ठीक है कि आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उप-धारा (दो) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन जारी की गई कोई भी अधिसूचना सभा पटल पर, जल्दी से जल्दी अथवा अगले सत्र के प्रारम्भ होने के पहले दिन, सभा पटल पर रखी जाए। वास्तव में तो, यह अधिसूचना, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही बताया है, सभा पटल पर 23 नवम्बर, 1981 को रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि यह 17 नवम्बर, 1981 को जारी की गई थी। लेकिन, कुछेक परिस्थितियाँ ऐसी थीं जो सरकार के नियन्त्रण से बाहर थीं। मुझे यह अधिसूचना 24 नवम्बर, 1981 को प्राप्त हुई। इसके पश्चात मैंने इसका हिन्दी अनुवाद कराया क्योंकि असम में हिन्दी अनुवाद की कोई सुविधा नहीं है। मैंने इसे हिन्दी में अनुवाद कराके इसको हिन्दी में साइक्लोस्टाइल कराया। मुझे यह अधिसूचना 24 तारीख को सायं देर से प्राप्त हुई; 25 तारीख को मैंने इसको हिन्दी अनुवाद कराया, साइक्लोस्टाइल कराया तथा 26 नवम्बर, 1981 को राज्य सभा और लोक सभा सचिवालय को इसकी सूचना दी; मैंने लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को यह अनुरोध किया कि मैं जल्दी से जल्दी इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं। सबसे पहले की तारीख 27, 28 और 29 थी। राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों ने इसे 30 तारीख की कार्य सूची में शामिल किया क्योंकि 28 और 29 तारीख को छुट्टी थी; इन तारीख के विषय में मुझे नहीं मालूम कि इसे उस दिन के लिए क्यों नहीं स्वीकार किया गया। मैंने इसे सभा पटल पर 30 तारीख को रखा। ये परिस्थितियां थीं जो कि हमारे नियन्त्रण से बाहर की थीं। जब मैंने इसे सभा पटल पर रखा तो मैंने साथ में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी रखा था। माननीय सदस्य ने इसे पढ़ लिया होगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : वे जिम्मेदारी को दूसरों पर डाल रहे हैं। माननीय मन्त्री ने यही कहा है कि उन्हें अधिसूचना की प्रति 24 तारीख सायं प्राप्त हुई.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : इन्होंने अनुवाद के बारे में कहा है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, इन्हें अनावश्यक रूप से बचाइए नहीं। यह कृत्य ऐसा नहीं है कि इन्हें बचाया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस भूल के लिए सरकार की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, यह सोचना हमारा काम नहीं है, चाहे गृह मन्त्री अधिसूचना को सभा पटल पर रखना भूल गये हों अथवा असम में उनके अपने एजेंट उन्हें समय से अधिसूचना नहीं दे सके, लोक सभा को इससे कोई मतलब नहीं है। लोक सभा का काम इस अधिनियम के सांविधिक उपबन्धों का कारगर क्रियान्वयन देखना है। इसके अलावा उपबन्ध में "सकता है" का प्रयोग न करके "होगा" का प्रयोग किया गया है। पहले दिन ही इसे पटल पर रखा जाना था। अत: यह

बताना ठीक नहीं लगता। दूसरी बार उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। इस लिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न का अनुमोदन करें और सरकार को इसके लिए भिड़कें।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : यद्यपि यहां राष्ट्रपति शासन है, लेकिन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में फर्क तो है ही। यह गलती असम सरकार में किसी अधिकारी द्वारा की गई है। मैंने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उनका कहना यह है कि इसे पहले बिन रखा जाना चाहिये था लेकिन, यह नहीं रखा गया·····।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैंने यही स्पष्ट किया है। ऐसा हमारे नियन्त्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ। जितनी जल्दी हो सका मैंने इसे सभा पटल पर रख दिया।

**प्रो० मधु दण्डवते** : अगर राष्ट्रपति शासन के रहते वे राज्य के मामलों को नहीं संभाल सकते तो उन्हें यह शासन देने की जरूरत क्या है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : यह एक ऐसा उपबन्ध है जिसमें एक विशिष्ट तारीख दी गई है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जब किसी सांविधि पुस्तक में नियमों, अधिसूचनाओं आदि के जारी करने का उपबन्ध बनाया जाता है—आजकल प्रत्येक अधिनियम में यह दिया जाता है, तो उसमें यह कहा जाता है कि सत्र प्रारम्भ होने के बाद 'जितनी जल्दी हो सके'। लेकिन यहां एक विशिष्ट तारीख दी गई हैं तथा अगर आप स्पष्टीकरण देखें तो तारीख का महत्व स्पष्ट हो जायेगा। मेरे पास यहां एक प्रति है—इस पुस्तक का पृष्ठ 3—महोदय, कृपया आप देख लीजिये··· महोदय, मुझे आशा है कि आप मकवाना एडीशन नहीं पढ़ रहे।

कृपया देखिये। इसमें यह कहा गया है कि इसे सभा में प्रस्तुत किये जाने की तारीख के 40 दिनों के अन्दर, इसका अनुमोदन किया जाना चाहिये तथा स्पष्टीकरण में यह भी बताया गया है कि किस तारीख से 40 दिन गिने जाएंगे। इसमें कहा गया है कि सत्र प्रारम्भ होने की तारीख से। अगर किसी संविधि में तारीख आने बढ़ाये जाने का उपबन्ध न देते हुए विशिष्ट रूप से कोई विशेष तारीख दी गई हो तो आप किस प्रकार ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे कानून का घोर उल्लंघन हो रहा हो। कानून इसकी अनुमति नहीं देता। तारीख बढ़ाये जाने की कोई बात नहीं है। आप किसी सांविधि में संशोधन नहीं कर सकते। इस तरीके से हम किसी संविधि में संशोधन नहीं कर सकते। हमें इस संविधि में संशोधन करना होगा। उन्हें कानून लाने दीजिये अथवा सत्र समाप्त होने के पश्चात वे अध्यादेश जारी करा सकते हैं। यह कानून को बदलना होगा। कानून को इस प्रकार कैसे बदला जा सकता है? मुझे खुशी है कि प्रो० मधु दण्डवते ने यह बात उठाई है। यह इसकी अनुमति दिये जाने अथवा रोकने की बात नहीं है। यह इसे अनुमोदित करने का प्रश्न नहीं है। हमें विभिन्न तरीकों से मकवाना जी अनुमोदन करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन यहां, यह कानून के उल्लंघन का मामला है, यह नहीं हो सकता।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैंने जिन परिस्थितियों में देरी हुई उन्हें स्पष्ट कर दिया है और मैंने यह स्वीकार किया है कि देरी हुई है। यह भी मैंने स्वीकार किया है। साथ ही मैंने उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट किया है, जिनके कारण देरी हुई।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप देरी के लिए खेद भी व्यक्त करते हैं।

**भी योगेन्द्र मकवाना** : मैं देरी के लिए खेद व्यक्त करता हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : कम से कम रिकार्ड के लिये ही यह दर्ज कर दिया जाना चाहिये कि कानून के सांविधिक उपबन्ध का उल्लंघन किया गया था। आप इस बात का निर्णय दें कि क्या कानून के सांविधिक उपबन्ध का उल्लंघन किया गया था अथवा नहीं।

**भी सोमनाथ चटर्जी** : जबकि कानून में पहले दिन का उपबन्ध किया गया है, इन्होंने इसे सातवें दिन रखा है। वे एक दिन में सभी राज्य सरकारों पर लागू कर सकते हैं किन्तु क्या वे यह कह सकते हैं कि 'हम राज्य सरकारों के बारे में जिम्मेदार नहीं हैं।'

**उपाध्यक्ष महोदय** : अधिसूचना को विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण सहित सभा पटल पर 30.11.81 को ही रखा जा चुका है।

चूंकि आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना का अनुमोदन एक सांविधिक आवश्यकता है, अतः श्री मकवाना संकल्प पेश करेंगे। तथापि, मैं अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के मामले को नियम 350–ख के अधीन सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति को भेज रहा हूं.....।

(व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते** : आपने पहले ही विलम्ब का उल्लेख कर दिया है। मैं एक विशिष्ट मुद्दे पर आपका निर्णय चाहता था। यदि आप सहमत हों, तो इस बात को रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए कि सांविधिक उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : फिर भी, मैं अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के मामले को नियम 350–ख के अधीन सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति को भेज रहा हूं। वह इस पर विचार करेगी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : समिति कानून नहीं बदल सकती। समिति किसी प्रकार के विलम्ब के मामले की ही जांच करती है। यहां सांविधिक उपबन्ध के उल्लंघन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : आप कृपया इस बारे में विनिर्णय दें कि क्या किसी सांविधिक उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है। हमने आपको सम्बन्धित धारा के बारे में बता दिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने भी यही कहा है। मैं अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के मामले को नियम 350–ख के अधीन सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति को भेज रहा हूं। अब माननीय मन्त्री महोदय संकल्प पेश करेंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या मैं यह मान लूं कि आप इस बात से सहमत हैं कि अधिनियम के सांविधिक उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम सभा की कार्यवाही समिति को भी भेजेंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** : यह प्रक्रिया कभी भी नहीं अपनाई गई है····

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। विशिष्ट उपबन्धों का सदैव पालन किया जाना चाहिये।···

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने यह कहा है कि इनका सदैव पालन किया जाना चाहिये। यही काफी है····· आप एक विनिर्णय चाहते थे। मैंने विनिर्णय दे दिया है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : आप कृपया मेरी बात सुनें। आपको अपने विनिर्णय के आशय को स्पष्ट भी करना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने आपका ध्यान इस ओर दिलाया है कि सांविधिक उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। कृपया इस बारे में अपने विनिर्णय दें कि उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तथा आप इस मामले को समिति को भेज रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका अर्थ यही है कि इस मामले में उपबन्धों का पालन नहीं किया गया है। क्या आप यह भी नहीं समझते ?

**प्रो० मधु दण्डवते** : हां, यह ठीक है। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा कि मैं कह चुका हूं, उपबन्धों का पालन अवश्य किया जाना चाहिये। श्री मकवाना अब अपना संकल्प पेश करेंगे।

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) द्वारा यथा-संशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 17 नवम्बर, 1981 को असम सरकार राजनीतिक (ए) विभाग, की अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 583/81/106, जिसके द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन अन्य सेवाओं सहित विद्युत के उत्पादन, प्रदाय और वितरण से सम्बन्धित सेवाओं को आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) के प्रयोजनार्थ असम राज्य में आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, को जारी किए जाने का अनुमोदन करती है।" **(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य :** यह काम करने वाली सरकार है।

**श्री सूरज भान** (अम्बाला) : उपाध्क्ष महोदय, इनको एस० पी० ने अपने हाथों से पीटा है। इनकी टांगें टूटी हैं और सर फूटा है और केवल इतनी ही बात नहीं है, उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किये हैं कि तुम हरिजन हो, हरिजन एम० पी० बन कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं इसको ठीक कर रहा हूं। यह उसने कहा है।

**प्रो० मधु दण्डवते :** सदस्य को शारीरिक यातना दी गई है।

**(व्यवधान)**

**श्री समर मुखर्जी :** (हावड़ा) आप स्वयं देख रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हमने आज ही इस पर चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है।

**श्री सूरज भान :** यह कल को किसी के साथ भी हो सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यगण, कल इस विषय को उठाया गया था तथा अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उन्होंने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मंगाई है ..... .....

**(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य :** यह भी उसने कहा है कि तुम हरिजन हो, अपनी औकात भूल गये हो। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** हमें अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।

**श्री राम अवतार शास्त्री** (पटना) : उस एस० पी० को डिसमिस किया जाना चाहिए।

**(व्यवधान)**

**श्री सूरजभान :** वह एस० पी० मुख्य मंत्री का बाजू है। वह अपने को मुख्य मंत्री समझ रहा है। **(व्यवधान)**

**श्री रवीन्द्र वर्मा** (बम्बई उत्तर) : महोदय, पुलिस अधीक्षक ने एक माननीय सदस्य पर ऐसा हमला करने का दुस्साहस किया है। यह भी कहा गया है कि उसने कहा कि, तुम एक हरिजन हो, तुम संसद सदस्य होने का दावा करते हो, यह लो अपनी सदस्यता।' यदि हरिजन सदस्य के साथ ऐसा होता है तथा यदि हरिजन सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया शान्त रहें। गृह मंत्री ने कुछ बात कहनी है।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** हम उसी बात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं.....

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया एक-एक करके बोलें ।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** महोदय, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आप इस सभा के सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हैं तथा हमारी इस भावना को समझते हैं कि इस सरकार का यह दायित्व है कि वह इस देश के हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करें तथा उन्हें बराबरी का दर्जा मिले । इस मामले में आपकी तथा विपक्षी सदस्यों की भावना एक जैसी है । अतः हम आपके अतिरिक्त किससे न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप इस समय पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पर विराजमान हैं ? हम इस स्थिति में क्या करें जब हम यह देखते हैं कि इस देश के हरिजनों के प्रति यह सरकार इस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष बर्ताव द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है ?

महोदय, इस सभा के माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा करने में सरकार की असमर्थता तथा हरिजनों को हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन करने के कारण जनता में इन प्रकार की भावना बढ़ रही है कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही है । मैं यह जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र भी इसके बारे में इतने ही चिन्तित हैं ।

इसकी क्षतिपूर्ति के लिए वे क्या करेंगे अथवा क्या वे केवल यही कहेंगे कि 'मुझे खेद' है ? क्या वे अविलम्ब न्यायिक जांच के आदेश देंगे तथा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को दण्ड देंगे ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाईये । हमें गृह मंत्री की बात सुननी चाहिए ।

**(व्यवधान)**

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : महोदय इस मामले में न्यायिक जांच की भी आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं । वे इस सभा में माननीय सदस्य हैं । संबंधित पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए ।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** मामले को अविलम्ब विशेषाधिकार समिति को भी सौंपा जाना चाहिए । **(व्यवधान)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, यह घटना परसों घटित हुई थी । तबसे सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?? **(व्यवधान)**

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** महोदय, कल यह मामला सभा में उठाया गया था तथा जैसे कि आप एवं माननीय सदस्य जानते हैं, मैं सांय-काल के बाद तक भी सभा के कार्य में व्यस्त रहा था । अपने कार्यालय में जाने के तुरन्त बाद मैंने मामले की विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकार को संदेश दिया था । अभी तक मुझे राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है.....

.....(**व्यवधान**) रिपोर्ट भेजने के लिए आज सुबह भी मैंने राज्य सरकार को वायरलेस संदेश भेजा है।

महोदय, जो भी हुआ है, वह निःसन्देह अवांछनीय तथा शोचनीय है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम राज्य सरकार को अविलम्ब मामले की जांच करने के आदेश देंगे।

(**व्यवधान**)

आप मेरी बात सुने बिना ही सब कुछ कहने लगते हैं। महोदय, मैंने कहा था कि इस मामले की जांच की जाएगी। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मामले की न्यायिक जांच की जाय तो निश्चित ही राज्य सरकार से हम न्यायिक जांच करवानेके लिए कहेंगे। महोदय, जांच आयोग की रिपोर्ट न मिलने तक संबंधित व्यक्ति को अविलम्ब निलम्बित करना संभव नहीं होगा।

**प्रो० मधु दण्डवते :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब भी किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला होता है, उस समय कर्मचारी के बारे में विभागीय जाँच होने तक सरकार का विभाग बहुधा संबंधित कार्मचारी को नौकरी से निलंबित कर देता है। अतः जांच होने तक उसे नौकरी से निलम्बित किया जाना चाहिये।

(**व्यवधान**)

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** मैं राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहूंगा तथा इस मामले में उनसे अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए कहूंगा।

(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय अध्यक्ष को सदस्यों की भावनाओं से अवगत करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष कल ही अपनी टिप्पणी दे चुके हैं। मैं श्री जटिया को सुझाव दूंगा कि वे अध्यक्ष महोदय से मिल लें।

(**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, यह पहले भी सरकार के ध्यान में लाया गया है। उन्हें यह जानना चाहिए था कि एक संसद सदस्य से इस प्रकार का व्यवहार किया गया। (**व्यवधान**) श्री मकवाना द्वारा केवल रिपोर्ट ही मंगवाई है। (**व्यवधान**) महोदय, राज्य सरकार एक व्यक्ति को पीट कर सो गई; उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। और केन्द्रीय सरकार कहती है कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। यह काफी आश्चर्यजनक व्यवहार है।

**श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं ? निलम्बन नियम किस लिए बनाये गए हैं ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** यदि ऐसा कोई मामला पश्चिमी बंगाल में हुआ होता, श्री मकवाना पश्चिमी बंगाल सरकार के विरुद्ध एक लम्बा-चौड़ा वक्तव्य देते।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे न्यायिक जांच कराने को मान गये हैं।

**एक माननीय सदस्य** : आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे भी उतना ही अफसोस है कि ऐसा मामला हुआ। मैं यह कह चुका हूं। अब श्री मकवाना अपना वक्तव्य जारी रखेंगे।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : महोदय, आल असम स्टूडेंटस यूनियन और आल असम गण संग्राम परिषद, जो कि विदेशियों के मामले को लेकर आन्दोलन कर रही है, समय-समय पर इस बात का आह्वान करती रही है कि असम बन्द किया जाये और सरकारी अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों और विभिन्न सांविधिक बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों द्वारा असहयोग किया जाये। इन अह्वानों से जन-जीवन, सार्वजनिक/सरकारी कार्यालयों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। असम बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी, जिनका कि असम राज्य में बिजली के उत्पादन, और वितरण में एकाधिकार है, ए० ए० एस० यू० और ए० ए० जी० एस० पी० द्वारा दिए गए 'बन्द' और "असहयोग" के आह्वानों में भाग लिया। 'विद्युत कर्मचारी परिषद' के अन्तर्गत बोर्ड के कर्मचारी भी विदेशियों के मामले को लेकर चल रहे आन्दोलन में सक्रिय भाग ले रहे हैं।

आल असम स्टूडैंटस यूनियन और आल असम गण संग्राम परिषद ने विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या के सम्बन्ध में अपना आन्दोलन पुनः आरम्भ कर दिया है और 19 तथा 20 नवम्बर, 1981 को 36 घन्टे के बन्द का आह्वान किया। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा भी, जो इस आन्दोलन के समर्थक हैं, आन्दोलन के नेताओं के आन्दोलन पुनः आरम्भ करने के आह्वान का समर्थन करने की सम्भावना थी। इस प्रकार 'बन्द' से सम्पूर्ण राज्य में बिजली सेवाओं में बाधा पड़ सकती थी जिससे राज्य के लोगों को काफी तकलीफ होती। इसी सन्दर्भ में असम सरकार ने आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम 1980 के उपबन्धों को लागू करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार का यह विचार था कि बिजली के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण से संबन्धित सेवाओं तथा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित असम राज्य बिजली बोर्ड के आधीन अन्य सेवाओं में हड़ताल होने से जनता के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति तथा सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसलिए उन्होंने आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 द्वारा यथा संशोधित आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40 वां), की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) के अन्तर्गत इन सेवाओं को उक्त अधिनियम के उद्देश्य से असम राज्य के भीतर आवश्यक सेवायें घोषित किया एक और आदेश द्वारा इस प्रकार अधिसूचित आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से निसिद्ध घोषित किया गया।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का अनुमोदन करने का संकल्प पारित करें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हमने मद संख्या 13 और 14 को इक्ट्ठा ही ले लिया है। जब सदस्य बोलेंगे वे पूरक मांगों (असम) को शामिल कर सकते हैं। संकल्प प्रस्तुत किया गया।

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) द्वारा यथासंशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 17 नवम्बर, 1981 की असम सरकार राजनीतिक (ए) विभाग, की अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 583/81/106, जिस के द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन अन्य सेवाओं सहित विद्युत के उत्पादन, प्रदाय और वितरण से सम्बन्धित सेवाओं को आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) के प्रयोजनार्थ असम राज्य में आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, को जारी किए जाने का अनुमोदन करती है।"

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :** कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों के अनधिक अनुपूरक राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

**मांग संख्या 26, 30, 55, और 63"**

**सभा की स्वीकृति के लिए पेश की गई असम राज्य की अनुदानों की पूरक मांगे, 1981-82**

| मांग संख्या | मांग का नाम | सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई मांग की रकम | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| 26. | प्रशासनिक प्रशिक्षण | 2,34,000 | ... |
| 30. | राज्य लाटरियां | 4,31,000 | ... |
| 55. | कृषि | 10,00,000 | ... |
| 63. | उद्योग | ... | 37,50,000 |

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है, इसका उद्देश्य असम के कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अधिनियम को लागू करना है। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सोमनाथ चटर्जी आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं क्योंकि हमें कार्य सूची की अगली मद लेनी है।

———

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प सम्बन्धी समिति

### तेतीसवां प्रतिवेदन

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करेंगे। श्री पी० पार्थसारथी।

**श्री पी० पार्थसारथी** (राजमपेट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से जो 16 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33 वें प्रतिवेदन से जो 16 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

———

## पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने के लिए कदम उठाने संबन्धी संकल्प—जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन अब श्री चित्त बसु द्वारा 11 सितम्बर, 1981 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगी :—

"यह सभा सिफारिश करती है कि पश्चिमी बंगाल के व्यापक औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन जैसा कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है, हल्दिया स्थित पेट्रो रसायन उद्योग समूह जैसी कतिपय औद्योगिक परियोजनाएं अविलम्ब स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें।"

श्री चित्त बसु आप अपना भाषण जारी करें। आपने पहले ही 27 मिनट ले लिए हैं।

**श्री चित्त बसु** (बारसार) : महोदय, आपको याद होगा, पिछली बार जब मैं इस विषय पर बोल रहा था, मैंने सदन में तीन आधारभूत प्रश्नों का मुख्य रूप से उल्लेख करने का प्रयास किया था। पहला यह था कि पश्चिमी बंगाल के सामने एक बड़ी ही विचित्र और खास समस्या उत्पन्न हो गई है। यह विशेष और विशिष्ट समस्या ऐतिहासिक अपेक्षा के कारण है। ऐतिहासिक

अपेक्षा यह है कि पश्चिमी बंगाल में देश की सम्पूर्ण भूमि का 3 प्रतिशत हिस्सा है और उसे देश की कुल जनसंख्या के 8 प्रतिशत भाग का भरण पोषण करना पड़ता है। पश्चिमी बंगाल पर 27 लाख बेरोजगार युवकों का बोझ भी है जो कि देश के कुल बेरोजगारों का 20% बनता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे मैं पिछली बार आपके सामने रखना चाहता था।

दूसरा मुद्दा जो मैं पिछली बार रखना चाहता था वह यह था कि इस स्थिति का मुकाबला करने हेतु पश्चिमी बंगाल के शीघ्र औद्योगिकरण तथा वर्तमान उद्योगों को विविध प्रकार से फैलाने की आवश्यकता है। उस समय मैंने यह कहना चाहा था कि भारत सरकार इस दिशा में कोई व्यावहारिक नीति नहीं अपना रही है बल्कि उसने इस राज्य के साथ भेदभाव की नीति अपनायी है। उस समय मैंने कुछ उदाहरण पेश किए थे और मैं अब कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करुंगा।

जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि हमें राज्य में केन्द्रीय सरकार से निवेश के आंकड़े देखने चाहिए। (व्यवधान)

**श्री डी० पी० यादव** (मुंगेर) : बिहार का भी यही हाल है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) हम आपके राज्य से किसी उद्योग को अपने राज्य में स्थानांतरित नहीं करना चाहते।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : आप राजस्थान का समर्थन क्यों नहीं करते ?

**श्री चित्त बसु** : हम समर्थन करते हैं। किन्तु उनका समर्थन करते समय मेरा यह कर्त्तव्य भी बनता है कि मैं अपने राज्य की समस्यायें सदन के सामने रखूं। मैं आपकी समस्याओं को समझता हूं और मैं चाहता हूं कि अन्य और सदस्यों को भी चाहिए, अपने-अपने राज्यों की समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए।

जहां तक निवेश अथवा प्रति व्यक्ति परिव्यय का सम्बन्ध है, हम उपलब्ध आंकड़ों को देख सकते हैं। 1951 से 1979 की अवधि के दौरान, पश्चिमी बंगाल में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 586 रु० था जबकि पंजाब में 1660, गुजरात में 1032, महाराष्ट्र में 996, कर्नाटक में 768 और तमिलनाडु में 660 था। मेरा किसी राज्य के प्रति दुर्भाव नहीं है, किन्तु मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को समझे कि जबकि प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय अन्य राज्यों में उतना था और पश्चिमी बंगाल में यह केवल 586 रु० ही था यह विषमता है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

31 मार्च, 1979 को समूचे देश में सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में कुल निवेश 15666 करोड़ रु० था जिसमें से पश्चिमी बंगाल के हिस्से में 1085 करोड़ रु० रहा जो देश में कुल निवेश का केवल 6.9% बनता है। पश्चिमी बंगाल के पास देश की सम्पूर्ण भूमि का 3% हिस्सा है और उसे कुल जनसंख्या के 8% भाग को सम्भालना पड़ता है तथा कुल बेरोजगार लोगों में से 20% बेरोजगार वहां पर हैं।

हमारी विशेष समस्यायें यही हैं जिनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

पंचवर्षीय योजना ही हमारे लिये रामबाण है। आइये देखें कि पश्चिम बंगाल राज्य के औद्योगिक विकास हेतु छठी योजना में क्या परिकल्पना की गई है। छठी योजना में, 1980-85 की अवधि के दौरान उद्योग, खनिज, कोयला और पैट्रोलियम क्षेत्रों के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाओं के लिए कुल 19,800 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। ये क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इस राशि में से, पश्चिम बंगाल का हिस्सा केवल 1098 करोड़ रुपये है जो कुल परिव्यय का केवल 5.77 प्रतिशत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास की दर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की समूची अवधि के दौरान कभी भी 5 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी। वे ऐसी नीति अपनाते हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अलाभप्रद होती है।

केन्द्रीय क्षेत्र में निवेश को लीजिये, जैसे कि मैंने पहले कहा है, यह आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वितरित प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता पर नजर डालिए। पश्चिम बंगाल में मार्च, 1980 के अन्त तक यह केवल 91.21 करोड़ रुपए थी। यह सहायता वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त हुई थी; जबकि गुजरात के मामले में यह 249.91 करोड़ रुपए थी; महाराष्ट्र के लिये 226.03 करोड़ रुपये, हरियाणा के लिये 142.13 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिये 136.52 करोड़ रुपये। पश्चिम बंगाल का अंश 91.21 करोड़ रुपये है जबकि केन्द्रीय संस्थाओं से अन्य राज्यों से बहुत अधिक सहायता प्राप्त हो रही है, वावजूद इसके कि पश्चिमी बंगाल को औद्योगिकीकरण तथा वर्तमान औद्योगिक आधार के विविधिकरण हेतु अधिक सहायता की आवश्यकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री बसु, आपको विभिन्न राज्यों से भी ये आंकड़े एकत्र करने चाहिये थे। तब आपके लिये उन आंकड़ों की परस्पर तुलना करना सरल हो जाता।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : यह मेरे काम में हाथ बंटा रहे हैं।

**श्री चित्त बसु** : मेरे विचार से ये आंकड़े आप दे सकते हैं। यह सब परस्पर सहयोग की बात है।

पश्चिमी बंगाल के उद्यमी वित्तीय संस्थाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे, इसका एक कारण है कि वहां वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय नहीं हैं। इन अधिकांश वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय बम्बई में हैं और इनसे पूर्वी क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक अवसर मिलते हैं। मुझे इस बात से कोई ईर्ष्या नहीं है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इन संस्थाओं की क्षेत्रीय सलाहकार समितियों तथा क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। वास्तव में, पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का प्रश्न उठाया था। भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय निकाय में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता। इसलिये, यह समस्या वहां भी मौजूद हैं क्योंकि सभी वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय बम्बई में हैं। इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार

को क्षेत्रीय निकाय में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्षेत्रीय निकाय में इसकी आवाज उठाने वाला कोई सदस्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य सरकार की परियोजनाओं एवं औद्योगिकीकरण के बारे में राज्य सरकार के विचारों में कोई समन्वय नहीं है। इससे राज्य के तेजी से होने वाले औद्योगिकीकरण के मार्ग में बाधा आती है।

अब विशेष तौर पर बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि पर नजर डालिये। मेरे विचार में आप ऋण-जमा राशि अनुपात का अर्थ तो समझते ही होंगे। उत्तरी क्षेत्र में 85 प्रतिशत के मुकाबले पश्चिम बंगाल में यह ऋण-जमा राशि अनुपात 59 प्रतिशत है। दक्षिणी क्षेत्र में यह अनुपात 79 प्रतिशत है और पश्चिमी क्षेत्र में 96 प्रतिशत। पूर्वी क्षेत्र का ऋण-जमा राशि अनुपात देश के अन्य क्षेत्रों से कम है। यह भी एक बात है।

राज्य में औद्योगिक आधार में गिरावट आने का एक महत्वपूर्ण कारण है बिजली की भारी कमी। बिजली, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये एक बुनियादी आधार है। फिर आप इसके लिये पश्चिम बंगाल को दोष दोगे। यह स्वाभाविक ही है। उनसे और क्या आशा की जा सकती है? परन्तु मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र समालोयक की भूमिका निभायें। उनके लाभ के लिये मैं पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

पश्चिम बंगाल में, 1970-71 और 1978-79 के बीच बिजली के उत्पादन में केवल 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं समझता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि 1970-71 और 1977 की अवधि में सिद्धार्थ शंकर रे या आपके दल के कोई दूसरे व्यक्ति पश्चिम बंगाल के मुख्य-मन्त्री थे।

**श्री चरणजीत चानना** : क्या आप उस अवधि के दौरान बिजली उत्पादन में हुई वृद्धि की बात कर रहे हैं ?

**श्री चित्त बसु** : वृद्धि की दर केवल 1.6 प्रतिशत थी। 1971, 1974 और 1975 में जब वहां गनी खान चौधरी विद्युत मन्त्री थे। विद्युत उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब हमने कोलाका तथा दूसरी परियोजनायें प्रारम्भ की हैं। हमने अन्य परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव भेजे थे परन्तु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया। हमने एक सुपर-तापीय संयन्त्र की मांग की थी।

इस प्रस्ताव के पीछे कोई नीति थी। पश्चिम बंगाल में 1965-66 से 1979-80 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 114 कि० वा० से घट कर 113 कि० वा० हो गई थी जबकि इसके मुकाबले गुजरात में यह 83 कि० वा० से बढ़कर 240 कि० वा० हो गई, महाराष्ट्र में 106 कि० वा० से बढ़कर 223 कि० वा०, कर्नाटक में 55 कि० वा० से बढ़कर 153 कि० वा० और तमिलनाडु में 89 कि० वा० से बढ़कर 181 कि० वा० हो गई थी। पश्चिम बंगाल के मामले में यह 114 कि० वा० से घट कर 113 कि० वा० हो गई। यह सरकार की नीति का ही उप परिणाम या प्रभाव है।

अब बिजली सम्बन्धी योजना को लीजिये। पूर्वी क्षेत्र, जिसका पश्चिम बंगाल एक हिस्सा है, और जिसमें देश की कुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत भाग रहता है, को देश की 29,000 मैं० वा० की कुल उत्पादन क्षमता का 17 प्रतिशत भाग मिलता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 17,000 मैं० वा० की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में से पूर्वी क्षेत्र को केवल 3400 निवल मैगावाट बिजली मिलेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय :** किसी भी राज्य की ऊर्जा स्थिति में सुधार लाना राज्य सरकार की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। क्या यह बात नहीं है ?

**श्री चित्त बसु :** केवल इतना ही नहीं, यह केन्द्र से प्राप्त होने वाली सहायता पर भी निर्भर करता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** परन्तु पश्चिम बंगाल की हमारी सरकार बहुत कुशल सरकार है।

**श्री चित्त बसु :** अत्यन्त कुशल।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जब तमिलनाडु इसे 80 कि० वा० से बढ़ाकर 180 कि० वा० कर सकता है तो पश्चिम बंगाल के लिये इसमें वृद्धि करना सम्भव क्यों नहीं हुआ ?

**श्री चित्त बसु :** क्योंकि भारत सरकार के पास पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए कोई अग्रदर्शी योजना नहीं थी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** ये कोई हथकंडे नहीं हैं।

**श्री चित्त बसु :** मैं यह कहूंगा कि भारत सरकार के पास दक्षिणी, पूर्व तथा उत्तरी क्षेत्रों के लिये व्यापक अग्रदर्शी योजना थी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं की थी। मुझे आशा है, महोदय, कि आप इस बात से सहमत होंगे।

पश्चिम बंगाल ने छठी योजना के दौरान परियोजनाओं को तैयार करने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया था। यह कार्य भारत सरकार के योजना आयोग और ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा किया गया था। उनका उद्देश्या क्या था ? उद्देश्य था विद्युत की कमी लाना। मैंने ऐसा क्यों कहा ? तथ्य ही ऐसा बतलाते हैं।

पूर्वी क्षेत्र, जिसमें देश की कुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत भाग निवास करता है, को 29,000 मैं० वा० की देश की कुल उत्पादन क्षमता का 17 प्रतिशत भाग दिया जाता है। छठी योजना अवधि के दौरान, 17,000 मैं० वा० की अतिरिक्त क्षमता में से पूर्वी क्षेत्र को केवल 3400 मैं० वा० बिजली दी जायेगी, जबकि इसके मुकाबले पूर्वी क्षेत्र को 5,000 मैं० वा०, उत्तरी क्षेत्र को 4800 मैं० वा० तथा दक्षिणी क्षेत्र को 4200 मैं० वा० बिजली दी जायेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप कुछ आंकड़े श्री सोमनाथ चटर्जी को दे सकते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** मेरे पास काफी सामग्री है।

**श्री चित्त बसु** : पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन में केवल 1788 मे० वा० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत नीति, उत्पादन नीति, गलत दृष्टिकोण और गलत नीति ही के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य अर्थात उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में बाधा आती है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या पश्चिम बंगाल में कोई राज्य योजना आयोग नहीं है ? तमिलनाडु में तो है।

**श्री चित्त बसु** : नहीं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हम इसे बोर्ड कहते हैं, और यह बैंक वित्त तथा केन्द्रीय सहायता के बिना ही कार्य करता है।

**श्री चित्त बसु** : इस्पात मूल्यों तथा भाड़ा दरों को समान करने के भारत सरकार के उपायों से पूर्वी क्षेत्र अपने इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने से वंचित रह गये। क्या मेरे लिये इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है ? मैं समझता हूं कि समूचा सदन जानता है कि हमारे पास क्षेत्रीय सुविधायें जैसे कोयला और इस्पात उपलब्ध है, हमें इन क्षेत्रीय सुविधाओं के लाभ से वंचित रखा गया है। देश भर में हमारे कोयले और इस्पात के एक समान मूल्य हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। जब हमें रुई खरीदनी पड़ती है, तो वह आपके राज्य से खरीदनी पड़ती है और वह समान मूल्य पर नहीं मिलती। यदि हमें पश्चिम बंगाल में कपड़ों के लिये रुई खरीदनी होती है तो हमें यह गुजरात और महाराष्ट्र से लेनी पड़ती है। अतः सभी कच्चे माल का नहीं केवल एक या दो वस्तुओं के बारे में ही मूल्यों में समानता लाने की नीति या दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। निश्चित रूप से, इससे पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की जनता अपने क्षेत्रीय संसाधनों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इस्पात मूल्यों को एक समान रखने की नीति का पुनरीक्षण करें। और यदि वे इसे जारी रखते हैं तो उन्हें इस नीति को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा प्रयुक्त दूसरे औद्योगिक कच्चे माल पर भी लागू किया जाना चाहिये।

यह एक भेदभाव पूर्ण नीति है। क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं ? यदि आप इन्कार कर सकते हैं तो कीजिए किन्तु यह ठोस तथ्य हैं; ये जीवन की वास्तविकताएं हैं। यदि आप इसकी उपेक्षा करते हैं तो आप अपनी अज्ञानता दर्शाते हैं। औद्योगिक अल्कोहल, रेक्टीफाइड स्प्रिट, औद्योगिक लवण जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की खरीद में भी जिसके लिए राज्य को अन्य राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है, कठिनाई पेश आ रही है। इसकी व्यवस्था के लिए कोई तन्त्र नहीं है। एक प्रकार से पश्चिम बंगाल इससे लाभ उठा सकता है। सीमेंट, हाई स्पीड डीजल आयल, ई० सी० ग्रेड अल्यूमीनियम आदि जैसी अन्य महत्वपूर्ण सामग्री के मामले में भी केन्द्र अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव बरत रहा है।

कलकत्ता पत्तन और हवाई अड्डे का महत्व भी कम होता जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है पाटिल जी यहां हैं। 1975 में आरम्भ की गई फरक्का परियोजना से भागीरथी-हुगली नदी में नौचालन में सुधार हेतु 30,000 क्यूसेक्स पानी दिया जाना था किन्तु बांगला देश के साथ निप-

टारा होने तक वह पानी भी नहीं दिया जा सका। फरक्का के रास्ते अन्तर्देशीय नदी परिवहन का विकास भी नहीं किया जा सका। इसके विपरीत हल्दिया को कलकत्ता पत्तन प्रणाली से अलग करने का षड्यन्त्र रचा गया है। इसे स्पष्ट करने का मेरे पास समय नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ समय निकाल कर वक्तव्य देंगे। मैंने अनेक अवसरों पर यह मुद्दा उठाया है। इस ओर के सदस्यों ने भी अनेक बार यह मुद्दा उठाया है। इसलिए वह यह कह कर चुप हो रहे हैं कि आपके विचारों और दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। मैंने भेदभाव बरते जाने के अनेक उदाहरण दिये हैं। अब मैं पूरी विनम्रता के साथ श्री चानना जी से पूछता हूं कि क्या सभा में आज दी जा रही जानकारी के संदर्भ में पश्चिम बंगाल राज्य की विशिष्ट समस्याओं को महसूस करेंगे।

आज आवश्यकता राज्य के त्वरित औद्योगिकीकरण की है। इसके लिए पहले पहल आवश्यकता ह्रास को रोकने की है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप तेजी से विकास नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में तेजी से ह्रास हो रहा है और विकास रुका हुआ है। आज अधिक औद्योगिकरण की आवश्यकता है। हमें अधिक औद्योगिकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? त्वरित औद्योगिकरण केन्द्रीय क्षेत्र में और अधिक पूंजी निवेश से ही हो सकता है, पूंजीवादियों, एकाधिकारियों या बड़े व्यापारियों को रिआयतें देकर नहीं; इससे काम नहीं चलेगा। इससे लोगों के शोषण, व्यथाओं, मुसीबतों और भूख में और वृद्धि होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय क्षेत्र में सरकार के अपने तत्वावधान में पूंजी निवेश किया जाए। इस उद्देश्य के लिए ह्रास को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए और विद्यमान औद्योगिक एककों में विविध प्रकार का उत्पादन तथा और अधिक पूंजी निवेश करके उन्हें सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई कुछ परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन एकीकृत इस्पात संयन्त्रों के विस्तार तेल शोधक कारखाने में विस्तार, तट के साथ एक नया इस्पात कारखाना और एक रक्षा इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार की कार्य कुशलता देखिये। उसने सभी परियोजनाओं की रिपोर्टें तैयार कर दी हैं किन्तु केन्द्र सरकार उन पर चुप्पी लगाये बैठी है। अन्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं: एक पोत निर्माण कारखाना और पहले से सहमत पोत मरम्मत समूह, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि०, हिन्दुस्तान आर्गेनिक लि० का एक एकक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० का एक एकक, इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज तैयार करने वाली एक नयी फैक्टरी, एक निर्यात संसाधन क्षेत्र, अधिग्रहण की गई एक कपड़ा मिल का विस्तार और उसे आधुनिक बनाने का कार्य आदि। इन सभी परियोजनाओं से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्टें केन्द्र सरकार को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार रानीगंज ओन्दल, कोयला क्षेत्र से प्राप्त होने वाले कोयले से कृत्रिम कच्चा तेल और मेथोल तैयार करने सम्बन्धी एक परियोजना पर विचार करें। इन सभी प्रस्तावों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कोई उत्साह नहीं दिखाया।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने, राज्य द्वारा प्रत्यायोजित पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स परियोजना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिस पर 428 करोड़

रुपये का व्यय होने की सम्भावना है। राज्य सरकार चाहती है कि भारत सरकार इस पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स के लिए वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता दे। इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति यह है कि एक समिति इस प्रस्ताव की जांच कर रही थी और उसमें यह सुझाव दिया है कि इस में और पूंजी निवेश किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को और अधिक पूंजी निवेश के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि यह निवेश केन्द्र सरकार करे। पश्चिम बंगाल सरकार इतना भारी पूंजी निवेश करने में असमर्थ है और इसी वजह से उसने भारत सरकार से अनुरोध किया है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इन सभी परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति देंगे ताकि इससे, एक तो, औद्योगिक गतिरोध और उद्योगों में आई गिरावट को समाप्त किया जा सके, दूसरे इससे औद्योगिक बेस का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सके तथा तीसरे और अधिक उद्योग खोले जा सकें, जिससे न केवल पश्चिम बंगाल को अपितु पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचे।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चित्त बसु ने जो प्रस्ताव रखा है वह सिर्फ एक स्टेट के बारे में रखा है कि वेस्ट बंगाल को किस तरह बढ़ाया जाय। होना यह चाहिए था कि देश के जितने पिछड़े हुए राज्य हैं उनको किस तरह बढ़ाया जाय और रीजनल इम्बैलेंसेज को किस तरह मिटाया जाय, ऐसा प्रस्ताव होता तो वह स्वागत योग्य होता। मगर इन्होंने केवल एक ही स्टेट को आगे बढ़ाने की बात कही है। जो कि पहले से ही बढ़ी हुई है। आज से कुछ साल पहले बंगाल सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड थी। लेकिन जब से लेफ्ट फ्रन्ट सरकार वहां आयी है तब से वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन समाप्त होने लगा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आपने पश्चिम बंगाल के साथ "अन्य राज्य" शामिल करने सम्बन्धी कोई संशोधन दिया होता तो वे इससे सहमत हो जाते।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : मैं कह रहा हूं कि पचिश्म बंगाल अन्य राज्यों से अधिक उन्नत है।

वेस्ट बंगाल में मार्क्सिस्ट सरकार जब से आयी है तब से वहां के इण्डस्ट्रियलाइजेशन में बड़ा अन्तर हो गया है और तब से मद्रास, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा आगे बढ़े हैं। वरना पहले वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा आगे था। हम चाहते हैं कि जितनी भी पिछड़ी स्टेट्स हैं, खास करके राजस्थान जो सबसे पिछड़ा हुआ है और जिसकी परकैपिटा इन्कम सबसे कम है, वहाँ भारत सरकार को औद्योगीकरण में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वह सबसे कम है। इस प्रकार की स्टेट को प्रोत्साहन देना चाहिये, न कि वेस्ट बंगाल को जो पहले से ही आगे है। हमारे यहां के तमाम पूंजीपति बंगाल में बैठे हुए हैं और उन्होंने वहां उद्योग लगा रखे हैं। वह सारे उद्योग राजस्थान में आ जायें या पूंजीपति आ जायें तो हम उसका स्वागत करेंगे। यह लोग हमारे मारवाड़ी पूंजीपतियों को वहां खींच कर ले गये हैं, फिर भी भारत सरकार से कहते हैं कि वेस्ट बंगाल की अपेक्षा हो रही है। भारत सरकार ने वेस्ट बंगाल को आगे बढ़ाने में जितना प्रयत्न किया है वह स्वागत योग्य है। हमारी तो भारत सरकार से शिकायत है कि आपने वेस्ट बंगाल को ज्यादा दिया है और दूसरे राज्य जैसे बिहार, यू० पी०, राजस्थान को पिछड़ा रखा है। अतः उनके

विकास की ओर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये। राजस्थान में गरीबी की सतह से नीचे 50 प्रतिशत लोग हैं, जहा लगातार अकाल पड़ता है, वहाँ की हालत दयनीय है। वहां पर और ज्यादा इण्ड-स्ट्रियलाइजेशन होना चाहिये। अतः हमारी जो मांग है उसके सम्बन्ध में उद्योग मंत्री को खास तवज्जह देनी चाहिये। हमारी मांग है कि वहाँ पर खनिज पदार्थ पैदा होते हैं, खासतौर से जिंक जिसका भंडार राजस्थान में इतना है जो दुनिया में कहीं नहीं है, मगर भारत सरकार ने उसके सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। राजस्थान में आज तक भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है, इसलिए हम चाहते हैं कि जब वहाँ 5 करोड़ टन जिंक का भंडार निकला है जिसमें से 12 प्रतिशत जिंक प्राप्त होगा, एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट आप राजस्थान में लगा सकते हैं। तो उसको वहां पर लगाया जाये। अगर उसको वहां नहीं लगाया जाता है, दूसरी जगह लोग खींचकर ले जाना चाहते हैं जो पहले से ही इण्डस्ट्रियलाइज्ड हैं, तो निश्चित तौर पर राजस्थान पिछड़े का पिछड़ा प्राप्त रह जायेगा और दूसरी स्टेटों में और उसमें बहुत बड़ा अन्तर हो जायेगा। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए।

राजस्थान में जो खनिज पदार्थ हैं, राक-फास्फेट है, जिंक है, पायराइट है। इनसे वहां पर खाद के कारखाने लग सकते हैं। अगर खाद के कारखाने वहां पर लगाये जायें तो राजस्थान उससे और अधिक प्रगति करेंगा और वहां के जो अन-एम्पलायड लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प-लायमैंट मिल सकेगी।

वहां पर लिगनाइट का बहुत बड़ा भंडार नागौर, मेड़ता, बाड़मेर वगैरह अनेक स्थानों में है। वहाँ पर इसके जरिये पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहिये जिससे वहां पर पावर पोटैंशियेलिटी बढ़े जिससे राजस्थान प्रगति के पथ पर जाये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

आज हमारे यहाँ आर० ए० पी० पी० को लगा दिया है। इनके दो यूनिट लगाये गये हैं। यहां मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हैं, वहां पर इनकी सी-11 की यूनियन है जो कि आर० ए० पी० पी० को चलने नहीं देती। हर 10,15 दिन में हड़ताल करा देती है और जितना वहां प्रोड़क्शन होता है, वह खत्म हो जाता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** व्यास जी, आपसे एक अनुरोध है। आप कुछ देर के लिये मार्क्सवादी दल को भूल क्यों नहीं जाते ?

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, इनसे बहुत मुहब्बत हो गई है, इनके लिए कहना पड़ता है। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि इनकी पार्टी और जो इनकी ट्रेड यूनियन है उन्होंने किस प्रकार की स्थिति आर० ए० पी० पी० की यहां कर रखी है ? इसकी जो दो यूनिट वहां लगी हैं, जब वह दोनों यूनिट वहां चलती हैं तो हमको पूरी पावर मिलती है और जब वह यूनिट बन्द हो जाती हैं तो राजस्थान का सारा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल काम ठप्प हो जाता है। इसलिये वहां इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे और ज्यादा पावर हमको मिले।

थर्मल की आपने कोटे में व्यवस्था की है, थर्मल प्रोजेक्ट वहां तैयार कर रहे हैं, उसकी एक यूनिट 1982 में तैयार हो जायेगी और एक 1984 में होगी। इस प्रकार की और भी यूनिटें तैयार होनी चाहिए जिससे और ज्यादा काम आगे बढ़े।

ताँबे का कितना बड़ा भंडार सिरोही और अन्य स्थानों में मिला है। बांसवाड़ा में संगमरमर के बहुत बड़े-बड़े भंडार मिले हैं, कई प्रकार के पदार्थ आज राजस्थान में उपलब्ध हो रहे हैं। सीमेंट का बहुत बड़ा भंडार कोटा, चितौड़, भीलवाड़ा, बूंदी नीमच वगैरह में है। यहां इतना भंडार है कि 7,8 कारखाने सीमेंट के लग सकते हैं। वहां पर इन्वैस्ट करने की आवश्यकता है। भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर उन स्थानों को आगे बढ़ाने की व्ययस्था करनी चाहिये ताकि यह क्षेत्र आगे बढ़े जिससे हम हिन्दुस्तान को ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था दे सकें।

आज राजस्थान कनाल के एक फेज का काम हो गया और दूसरा बन्द है पैसे के अभाव में। अगर वहाँ पैसा मिलता है तो राजस्थान कितना आगे बढता है ? हिन्दुस्तान में खाने-पीने के मामले में जब हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें तो अगर राजस्थान कनाल पूरी हो तो उससे काफी लाभ राजस्थान को हो सकता है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट को हमको हाथ में लेना चाहिये।

यह पार्टीजन स्पिरिट से, दुर्भावना से प्रस्ताव इन्होंने यहाँ पर रखा है कि हिन्दुस्तान की सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, असल बात यह है कि भेदभाद तो आप हिन्दुस्तान की सरकार के साथ कर रहे हैं। हमारे प्रदेश को जो नहीं मिलता है, आप ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं फिर भी आप हिन्दुस्तान की सरकार की बुराई करते हैं। आपको क्या नहीं मिला है ? आपके पावर प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्रीज में किस प्रकार की कमी है ? आपके एग्रीकल्चर में क्या कमी है, मगर एक बात यह है कि आपकी जो मूवमैंट है, जिस प्रकार की व्यवस्था आप करना चाहते हैं, वह व्यवस्था हिन्दुस्तान के लायक नहीं है। आपकी उस अव्यवस्था की वजह से सारी स्थिति बिगड़ रही है। आपने हिन्दुस्तान के किसानों को, बंगाल के किसानों को बर्बाद कर दिया है, वहाँ के एग्रीकल्चर को ठप्प करने की कोशिश की है। आप सब जगह डंडे के जोर से बन्दूक और छुरे के जोर से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार की हालत आपने बंगाल में या अन्य प्रान्तों में की है।

एक अखबार निकलता है सौलिडिटरी है। उसमें मैंने पढ़ा है कि वैस्ट बंगाल के तमाम बैंक जो वहां पर चलते हैं, उनका पैसा, वैस्ट बंगाल के बड़े-बड़े मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडज लोग बैंकों से बन्दूक के जरिये ले लेते हैं। अगर कोई मैनेजर पैसा उनको सैंकशन नहीं करता है तो बन्दूक के जरिये से पैसा प्राप्त करते हैं।

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** यह भारत की संसद है, लोक सभा। यहां इस प्रकार का भाषण दिया जा रहा है। यह सब बेतुका (न्यूसैंस) है। बकवास (नान-सेंस) असंसदीय है किन्तु मैंने कहा है—बेतुका।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि कुछ समय के लिए मार्क्सवादी दल को भूल जाएं। फिर भी, मैं इसे देखूंगा।

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** उन्होंने वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा की है कि वे बैंकों को डरा-धमका पैसा लेते हैं, उससे इंडस्ट्री स्थापित करते हैं, उस इंडस्ट्री को बर्बाद कर देते हैं

और बैंकों का पैसा वापस नहीं करते हैं। इस प्रकार की स्थिति उन्होंने वैस्ट बंगाल, केरल और त्रिपुरा में पैदा की है। अगर अन्य प्रान्तों में भी ऐसी स्थिति होती है, तो हमारे देश को जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से वह आगे नहीं बढ़ पाएगा।

मैं आपके जरिये से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मार्क्सवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार की गड़बड़ी केरल, वैस्ट बंगाल और त्रिपुरा में की है, उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने इस देश के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है या इस देश के लोगों की कीमत पर अपनी पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाने की कोशिश की है। ये लोग जब तक वहाँ पर रहेंगे, तब तक उस प्रदेश की हालत ठीक नहीं हो सकती, वह प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, वह निश्चित रूप से नीचे जाएगा। इस लिए भारत सरकार को चाहिए कि उस सरकार को बर्खास्त करके वहां पर प्रैजिडेंट्स रूल कायम किया जाए और सही व्यवस्था की जाए, ताकि उस प्रदेश को भी आगे बढ़ने का मौका मिले।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : (जादवपुर) मुझे विश्वास है कि प्रो० रंगा और श्री सुखाड़िया श्री व्यास को राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाने के बारे में गम्भीरता से विचार करेंगे ताकि राज्य में जो कुछ बाकी बचा है वह भी समाप्त हो जाए।

मेरे दल और पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध नित्य प्रति दिन जो आरोप लगाए जाते हैं, मैं उन्हें उसी हेय दृष्टि से देखता हूं जिससे देखा जाना चाहिए। अतः इन बातों का उत्तर देने के लिए न तो मैं अपना और न ही आपका समय नष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कोई आँकड़े नहीं दिए। केवल एक चीज मैंने कही है और वह भी अनिच्छा से और बिना यह जानते हुए कि वे मेरी मदद कर रहे हैं और वे यह कि उन्होंने क्षेत्रिय असन्तुलन की बात की है। उन्होंने यह कहा है कि इस देश में विकास के सम्बन्ध में और प्रगति के सम्बन्ध में क्षेत्रिय असन्तुलन बना हुआ है। यह हमारी एक प्रमुख शिकायत है। हमारी सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि यहाँ एक बहुत सर्वशक्तिमान केन्द्र सरकार है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो यदि आप कहें भी तो वह नहीं मानने वाले।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वे अब अपनी असहमति प्रकट करेंगे। अपना कहा वापिस ले लेंगे। आप ठीक ही कहते हैं।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : मेरा कहना तो यह है कि वैस्ट बंगाल को ज्यादा मदद की गई है, राजस्थान को नहीं दी गई है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यहाँ एक सर्वशक्तिमान केन्द्र सरकार है और आपकी नीति भी यही है कि एक बहुत सुदृढ़ केन्द्र सरकार होनी चाहिये। आपने इसे, खुले तौर पर, अपने दल की नीति बताया है कि आप राज्यों को कोई अतिरिक्त अधिकार, राजनैतिक, संवैधानिक और वित्तीय नहीं देना चाहते। ये बहुत महत्वपूर्ण है।

आप जानते ही हैं कि भारत के संविधान के अन्तर्गत कुछ केन्द्रीय निधियां हैं जिन्हें राज्यों में बांटा जाना होता है। इस देश में यह मानी हुई ? बात है कि जो भी व्यक्ति देश के लोगों के तरफ गैर-दलगत दृष्टिकोण रखता है, श्री व्यास की तरह नहीं जो केवल एक ही तरफ से देखते हैं और दूसरा नजरिया वह अपना ही नहीं सकते, वह जानता है कि राज्य सरकारों के साधन बहुत सीमित हैं। सुखाड़िया जी लम्बे अर्से तक मुख्य मंत्री रहे हैं। वह जानते हैं कि राज्यों के सीमित राजस्व साधन हैं। सेल टैक्स, चुंगी इत्यादि। नगर पालिका के कर राज्य के राजकोष में नहीं जाते। उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं, अपितु शराब पर उत्पाद शुल्क आदि ही कुछ एक सीमित राजस्व संसाधन हैं। यह सर्वविदित है। अतः इस देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे पूर्वजों ने राजस्व की कुछ एक मदें जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आयकर इत्यादि राज्यों में उनके वित्तीय सहायता के लिये बांटा जायेगा।

एक वित्त आयोग हर पांच वर्ष के बाद बैठाया जाता है। आप जानते हैं कि वित्त आयोग के समक्ष हमें कहने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। हर राज्य अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा करता है, जैसा कि योजना आयोग के सामने हो रहा है। मैं यह सब गुस्से में नहीं बोल रहा हूं। मुझे कोई गुस्सा नहीं है। मैं केवल दुखवश बोल रहा हूं। मुझे खुशी है कि सत्ताधारी दल के कुछ बड़े नेता मौजूद हैं। उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री यहां मौजूद हैं। योजना आयोग के सामने जाने वालों की दौड़ लगी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब श्री सुखाड़िया मुख्य मंत्री थे तो उन्हें राजस्थान के लिए अधिक से अधिक धन मांगना पड़ता होगा। हर मुख्य मंत्री को यह करना पड़ता है। कशमकश चल रही है। परन्तु दुर्भागयवश अन्तिम अधिकार केन्द्रीय योजना आयोग के पास है। यह योजना आयोग अपनी इच्छा से राज्यों को राशि बांटता है और राज्यों को उन्हीं वित्तीय सीमाओं में कार्य करना होता है। राज्यों के पास वस्तुतः अपना कोई वित्तीय धरातल नहीं है क्योंकि संविधान में ही ऐसा प्रावधान है। हमें इन्हीं सीमाओं में चलना है। जहां तक राज्यों का संबंध है मैं अपने माननीय उद्योग राज्य मंत्री डा० चानना से यह पूछना चाहता हूं कि विगत 34 वर्षों के दौरान विभिन्नि राज्यों में कितनी राज्य सरकार की निगमें स्थापित की गई हैं और किन राज्यों में स्थापित की गई हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप हम पर आरोप लगायें कि हम राज्य को तबाह कर रहे हैं। श्रीमन्, हम तो केवल 1977 में ही आए हैं। आजादी 1947 में मिली थी। हम कांग्रेस के सत्ता में आने के 30 साल बाद आये हैं और फिर आज कोई भी सही ढंग से सोचने वाला यह नहीं कहेगा कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास में ठैराव की स्थिति मार्क्सवादी सरकार या वाम-पंथी सरकार के कारण आई है।

दूसरी बात यह है कि यह कोई नयी शिकायत नहीं है। इस देश के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार श्री रणजीत रे ने 15 साल पहले एक किताब लिखी थी 'एगोनी आफ बंगाल' इस किताब में उन्होंने पूरे ब्यौरे दिए हैं। उनका यह उद्देश्य नहीं था और मेरा भी यह उद्देश्य नहीं था कि किसी अन्य राज्य का औद्योगीकरण न हो, मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी यह शिकायत नहीं है। पर क्या हम भारत का ही भाग नहीं हैं ? क्या माननीय उद्योग मंत्री यह

कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में बंगाल में केन्द्रीय सरकार ने कोई निवेश किया है ? ह
सोचा था कि सिद्धार्थ शंकर रे प्रधान मंत्री के बहुत प्रिय हैं और उनके निकट हैं और मंत्रिम
में जो आंतरिक मंत्रिमण्डल है, उसके सदस्य हैं। हमने सोचा था कि उनके मुख्या मंत्रित्व का
हमें केन्द्रीय सरकार की बहुत ही परियोजनाएं मिलेंगी। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। किंतु
भी सबक मिल गया। केवल एक ही परियोजना मिली थी जिसने कलकत्ता शहर को बरबाद
दिया, वह है मेट्रो रेलवे परियोजना। पिछले 10 वर्षों से यानी वर्ष 1970 से अभी तक पश्चिम बं
में केन्द्रीय सरकार ने किसी प्रकार का निवेश नहीं किया है। मेट्रो रेलवे परियोजना, जो
करोड़ रुपये की थी अब 500 करोड़ रुपये की हो गई है। धन उपलब्ध नहीं है। पूरे कल
शहर को खोद डाला गया है। बजट की कुल 400 या 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता
प्रतिवर्ग 20 से 25 करोड़ रुपये तक इसके लिए दिया जाता है। इस परियोजना को पूरा हो
कितना समय लगेगा ? यदि आप पश्चिम बंगाल आएंगे, तो हम आपका पूरा-पूरा स्वागत
की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि कलकत्ता में इस मेट्रो रेल परियोजना के कारण क्य
रहा है।

गत दिनों इस परियोजना के कार्यचालन में घोर कुप्रबंध के कारण पानी के मुख्य प
पर बीमें गिर गईं। पाइप फट गये। और मरम्भ होने में कई दिन लग गए। इसमें नगर पा
प्राधिकारियों की कोई गलती नहीं थी। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में एक भी ऐसा निवेश
किया गया, जिसका नाम लिया जा सके। हम क्यों कहते हैं केन्द्रीय सहायता आवश्यक है ? क
निधि पर नियंत्रण आपका है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुन्टूर) : दुर्गापुर परियोजना के बारे में क्या खयाल है ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : कृपया समय के साथ-साथ चलें। एक समय, ऐतिहासिक कारणं
वाणिज्यिक कारणों से तत्कालीन बंगाल औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक प्रगति के अग्रणी
क्योंकि वहां कोयला सहज ही उपलब्ध था, इस्पात भी टाटा आयरन एण्ड स्टील के कारण उप
था। मुख्य सामग्री कोयला बंगाल और बिहार में ही उपलब्ध था। कलकत्ता बन्दरगाह एक सं
बन्दरगाह था। दक्ष श्रमिक उपलब्ध थे। इसीलिए बंगाल में कलकत्ता के आस-पास ही उ
केन्द्रित हो गए थे। ये पूर्वी बंगाल तक नहीं गए थे, क्योंकि ये वस्तुएं कलकत्ता के आस-पास
उपलब्ध थीं। अंग्रेजों ने कलकत्ता बन्दरगाह को ही चुना। उन्होंने उसे कारोबार की नज
परखा, लाभदायक समझा। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता और उसके उपनगरों को ही चुना।

स्थिति का लाभ जिसका हवाला श्री चित्त बसु ने दिया था, खासतौर से कोयला क्षेत्रों
इस्पात उत्पादन क्षेत्रों का, वह खतम हो गया। कैसे ? क्योंकि मूल्य समानीकरण किया गया
हम सैद्धांनिक रूप से आपत्ति नहीं कर रहे हैं। पूरे भारत में एक मूल्य पर ही कोयला बि
चाहिए; पूरे भारत में इस्पात एक ही मूल्य पर बिकना चाहिए। जब इस्पात पश्चिम बंगाल
मद्रास जाता है, तो हम नहीं चाहते कि आप हमसे ज्यादा मूल्य चुकाएं हालांकि वह हमारे अ
निकट है। हम यह नहीं कहते कि महाराष्ट्र के लोग हमसे ज्यादा दाम चुकाएं। हम यह
कहते हैं।

महोदय, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो, हमने उसका स्वागत किया। हमने उसका समर्थन किया, और बैंक राष्ट्रीयकरण के लिए प्रधानमन्त्री को उनकी कार्यवाही लिए बधाई दी। हम चाहते हैं कि विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो, अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो क्योंकि यह जनता की सम्पत्ति है, और इसे सरकारी क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से ही सामान्य जनता की उपयोगिता और आम जनता के लाभ के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

हमारा आरोप और शिकायत यही है कि उद्योग स्थापित किये जाने के मामले में पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की गई है। उसके बारे में श्री चित्त बसु ने विस्तृत ब्यौरे दिए हैं। मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। किंतु यदि आप उनका अध्ययन करें तो पता लगेगा कि तमिलनाडु भी हमारी तरह पीड़ित है।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि :** (पोल्लाची) क्यों ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** इतने राजभक्त न बनिए। आपको पता नहीं कि कब आपको निकाल दिया जाएगा। निकाले जाने की प्रक्रिया तो शुरू हो ही गई है। जरा धीरज रखिए। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जायेगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप हैरान ही रह जाएंगे। इसलिए जरा धीरज तो रखिए।

राष्ट्रीयकृत बैंक धन के सबसे बड़े स्रोत हैं इसी प्रकार जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश ये सभी वित्त पोषी संस्थाएं हैं। उनके स्थान विशेष में होने वाला लाभ अंतरित हो गया है, क्योंकि वे सभी बम्बई में हैं, कुछ आंकड़े श्री चित्तबसु ने दिये हैं, खासतौर पर यह कि केवल पश्चिम बंगाल को ही नहीं, वरन् समस्त पूर्वी क्षेत्र को ही न्यूनतम मिला है, मार्क्सवादी शासन को तो कुछ मिला ही नहीं है। श्री सिद्धार्थ शंकर रे, डा० बी०सी० राय, श्री प्रफुल्ल चंद्रसेन और श्री अजय मुखर्जी मुख्य मंत्री रहे थे। श्री सिद्धार्थ शंकर की भी यही शिकायत थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पूर्वी क्षेत्रों में न्यूनतम निवेश किया था। बिहार भी इसका शिकार है; उड़ीसा शिकार है; पश्चिम बंगाल शिकार है। इस देश का समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शिकार है। इसलिए देश के बाकी क्षेत्रों में सार्वजनिक धन के रहने के कारण और स्थान की दृष्टि से लाभ न मिलने के कारण कुछ अन्य क्षेत्रों में ज्यादा औद्योगीकरण हुआ है। इसके अलावा एक अन्य बात भी हुई है। हमें इससे आपत्ति नहीं है कि कोयले और इस्पात का मूल्य समान है। किंतु कपास के बारे में क्या ख्याल है ? यही तो हम हर साल कह रहे हैं। श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इसके लिए आवाज उठाई थी। हमने क्या कहा था ? बहुत अच्छी बात है कि आप इस्पात और कोयला समान मूल्य पर पूरे भारत में प्राप्त कर रहे हैं और ऐसा आपने मूल्य समानीकरण से किया है। किंतु कपास के बारे में आपकी क्या राय है ? पश्चिम बंगाल की कपड़ा मिलों द्वारा महाराष्ट्र या गुजरात की मिलों या पश्चिमी भारत की मिलों का मुकाबला करना कैसे संभव है जबकि कपास वहां पैदा की जाती है। उन्हें कपास प्राप्त करने के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ढुलाई भाड़ा नहीं देना पड़ता है किंतु पश्चिम बंगाल के मामले में जुलाई केबारे में आपकी क्या राय है ? कपास को वाहनों द्वारा कलकत्ता ले जाना होता है, जहां कि अंग्रेजों द्वारा कारखाने बनवाये गये थे, कुछ प्रमुख मिलें पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा ही बनवाई

गईं थीं, और कपास वहां ले जाया जाता था। किन्तु आजकल हमें कपास के लिए अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है, जिसके कारण महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी भारत की अन्य मिलों को मिलने वाले कपास के मूल्य में और पश्चिम बंगाल की मिलों को मिलने वाले कपास के मूल्य में अन्तर आ जाता है। ऐसे में मुकाबला कैसे हो सकता है?

**प्रो० एन० जी० रंगा :** उन्हें पटसन मिलों में बदल दीजिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** आप चाहते हैं कि सभी कपड़ा मिलों को पटसन की मिलों में बदल दिया जाए? ये देखिए, प्रो० रंगा ने ये समाधान प्रस्तुत किया है! प्रो० रंगा ने एक शानदार सुझाव दिया है कि सभी कपड़ा मिलें पटसन की मिलों में बदल दी जाएं। प्रो० रंगा मेरा खयाल था कि आप मेरी बातें थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं।

इसीलिए हमने केन्द्रीय सरकार को बताया कि हमें ये कठिनाईयां हैं, आपके पास आवश्यक निधि है, आपके पास विशेषज्ञ हैं, यदि आपकी राजनीति और प्रशासन चाहता तो आप इस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं"। मैं केवल यही कोशिश कर रहा हूं कि ये सब उनके ध्यान में लाया जा सके क्योंकि मैं निश्चित उत्तर चाहता हूं।

**(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)**

हम यह सुझा रहे थे, कि चूंकि राज्य सरकार के पास सीमित साधन हैं, सीमित ही सम्पत्ति है इसलिए हम यही कर सकते हैं कि हम आएं और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करें कि वह पश्चिम बंगाल ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं चालू करने के बारे में विचार करें। 'आप यह वहीं सोचें कि आप केवल बंगालियों की या मार्क्सवादियों की सहायता कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता और वृहत्तर कलकत्ता के क्षेत्रों में कार्य करने वाली आबादी कितनी है, हमें इस बात का संतोष है कि, हमें गर्व है कि पश्चिम बंगाल में इसके बारे में कोई क्षोभ नहीं। सभी का स्वागत है।

**प्रो० एन० जी० रंगा :** इसीलिए तो वे कलकत्ता से भाग रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, क्या आपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी राज्यों से कितने लोग वहां काम कर रहे हैं और कितने मान सम्मान और सभी सुविधाओं सहित काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते। हम प्रांतीयतावाद को बढ़ावा नहीं देते, हम संकीर्णता को बढ़ावा नहीं देते। यही हमारा गौरव है, और इस पर हमें अभिमान है। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में जीवन पालन के लिए काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात पर गर्व है। और वह मुझसे सहमत होगा।

ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको हमने प्रस्तुत किया और केन्द्रीय सरकार का इनकी ओर ध्यान दिलाया। पेट्रो-रसायन परियोजना, भारत में जहां कहीं पेट्रो रसायन परियोजना स्थापित की गई है, वह केन्द्रीय क्षेत्र में ही स्थापित की गई हैं। केवल जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है इसे राज्य क्षेत्र में चाहते हैं। आप जानते हैं कि इतना धन खर्च करना किसी भी राज्य

सरकार के लिए सम्भव नहीं है। जब इस आशय का पत्र भेजा गया, तो हमने अनुरोध किया, हमने कहा "आप चाहते हैं कि इसे राज्य सरकार चलाये, इसे आप अन्य राज्य की तरह केन्द्रीय क्षेत्र में रखना चाहते हैं कोई भी पेट्रो-रसायन परियोजना किसी भी राज्य क्षेत्र में नहीं चलाई जाती है किन्तु आप चाहते हैं कि यहाँ हम ही चलाएं; हम 500 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते इत्यादि, हम आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं।" संयुक्त क्षेत्र चलाएं, अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकार मिलकर काम करें। यदि आप चाहते हैं तो हम निजी क्षेत्र में औरों को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि यह हमारी अर्थ-व्यवस्था के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हमारे मन्त्रियों, मुख्य मन्त्रियों और वित्त मंत्री आदि ने उस जगह का कितनी बार दौरा किया है। महोदय, यह निर्णय कब लिया जाएगा ? राज्य सरकार इससे अधिक क्या कर सकती है ? हमने रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की है, और उसे हमने केन्द्रीय सरकार के सामने पेश किया था। वाद-विवाद किए गये थे। क्या यह परियोजना महत्वपूर्ण है या नहीं ? क्या हम केन्द्रीय सरकार से नहीं पूछ सकते कि क्या आप इस परियोजना को बनाने में हमारा साथ देंगे ? आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है, हालांकि कई महीनों से यह विचाराधीन ही है।

अगली एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि हल्दिया में पोत-निर्माण और मरम्मत काम्पलेक्स से सम्बन्धित है। सिद्धान्त रूप में वे सहमत हैं। हम पोत-निर्माण यार्ड के लिए मांग करते रहे हैं और जब से हम राज्य में सत्ता में आये हैं, तब से मांग करते आ रहे हैं। हम कहते आ रहे हैं कि पोत-निर्माण यार्ड के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या आप पश्चिम बंगाल में पोत-निर्माण यार्ड बना सकेंगे ? जी नहीं। किंतु यह मन्जूर कर लिया गया था कि एक पोत-निर्माण यार्ड बनाया जाएगा।

**श्री प्रो० एन० जी० रंगा** : यह काम इतना सस्ता नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आज, प्रो० रंगा जो मेरे लिए माननीय हैं, उनकी भूमिका कुछ निराशा जनक है। आज आपका रवैया कुछ बदला हुआ है.....

**प्रो० एन० जी० रंगा** : हमें जापान तक जाना होता है, उनके बजाए उसे हम कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में या किसी अन्य बन्दरगाह पर बनाना चाहते हैं। क्या यह सस्ता पड़ेगा ?

**श्री चित्त वसु** : आप उन्हें मनाइए, यही हमारे बीच तय हुआ था।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : जहाजों की मरम्मत की परियोजना के बारे में केन्द्रीय सरकार सिद्धान्ततः सहमत हो चुकी थी परन्तु इसके लिए कुछ नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : व्यवधान के लिए आप मुझे क्षमा करें। यह कब तय हुआ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मेरे पास तारीख तो नहीं है। परन्तु मंत्री महोदय हमें तारीख दे सकते हैं। सिद्धान्ततः सरकार यह मान चुकी है। महोदय,..... मैं तारीख पता करने की कोशिश करूंगा।... ...मंत्री महोदय तरीख बता देंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पास वह तारीख है..... मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझसे यह पूछा।

जहाज निर्माण यार्ड हल्दिया में बनाए जाने का आग्रह प० बंगाल की जनता काफी समय से कर रही है। वास्तव में, 1971 से बनी भारत सरकार की विभिन्न समितियों ने भी इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी क्योंकि तकनीकी और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से हाल्दिया जहाज निर्माण यार्ड बनाए जाने के लिए उपयुक्त स्थल है। परन्तु 1974 में भारत सरकार ने युगोस्लाविया और इंग्लैंड के कुछ विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ दलों को यह काम सौंपा कि वह विभिन्न आकारों के जहाज बनाने और उनके बनाने की जगह का निर्धारण भारत के विभिन्न स्थलों, जिसमें हाल्दिया भी शामिल है, का दौरा करने के बाद करें। इन दलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं बताई गई थी। तथापि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचना भेजी कि शिपयार्ड के स्थान पर जहाजों की मरम्मत करने का एक कांम्पलैक्स हाल्दिया में 50-60 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर बनाया जाएगा। जुलाई, 1979 में मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि० (जी० आर० एस० ई०) ने मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि० द्वारा हाल्दिया में जहाजों की मरम्मत तथा तट दूर यार्ड बनाने की परियोजना तैयार करवाई।

इसके पश्चात, नौवहन और परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार के कहने पर शिप-रिपेयर काम्पलैक्स के प्रस्ताव सम्बन्धी एक अनुपूरक रिपोर्ट तैयार की गई और जी० आर० एस० ई० द्वारा मन्त्रालय को भेज दी गई। अभी हाल ही में प० जर्मनी के एक विशेषज्ञ दल मैसर्स वहॉम एण्ड ए० जी० हैमबर्ग, जो कि मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि० के सहयोगी परामर्शदाता हैं और जिन्हें भारत सरकार की ओर से भारत में जहाज मरम्मत करने की सुविधाओं की 15 वर्षीय सन्वर्शी योजना बनाने के लिए कहा गया था उन्होंने राज्य का दौरा किया तथा उन्हें हाल्दिया व अन्य उपयुक्त स्थलों का दौरा करने की सभी सुविधाएं प्रदान की गईं। राज्य सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाए।

**सभापति महोदय** : इसे मन्जूरी नहीं मिली है ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : जी नहीं, इसे मंजूरी नहीं मिली है। मुझे याद है कि एक बार मैं दिल्ली आ रहा था और विमान में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे भी थे। उन्होंने मुझसे पूछा, 'आप सदन में शिप-रिपेयर यार्ड की बात फिर से क्यों नहीं उठाते हैं ? ऐसी स्थिति थी।

हमने सॉल्ट लेक क्षेत्र में रक्षा इलैक्ट्रानिक एकक परियोजना लगाने की भी बात की थी। हमने साल्ट लेक क्षेत्र में सौ एकड़ भूमि केन्द्र सरकार को देने की बात कही थी। आपको मालूम होगा कि यह कलकत्ता का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है। हमने यह आश्वासन भी दिया है कि उप-स्टेशन के विशेष फीडर की 132 कि० वी० लाइन में से 5 मेगावाट तक बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं आयेगी।

फिर हमने पानी सप्लाई करने की भी सारी व्यवस्था कर दी है। नए रक्षा इलैक्ट्रोनिक यूनिट के एक हजार श्रमिकों के आवास की व्यवस्था भी कर दी गई है। परन्तु सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? परन्तु हमें मना क्यों किया गया ? यह एक सीमावर्ती प्रदेश है इसलिए परन्तु यह तो बिल्कुल बेकार तर्क है।

**सभापति महोदय** : यदि मैं आपको ठीक से समझ सका हूं तो मेरे विचार में अभी यह बात विचारार्थ है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: यह एक इलैक्ट्रॉनिक यूनिट है जिसकी उन्होंने मनाही कर दी है जबकि हम सभी सुविधाएं दे रहे थे।

**सभापति महोदय**: यह एक और परियोजना है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: यह एक सीमावर्ती राज्य है कुछ भी नहीं किया गया है। गाजियाबाद के बारे में क्या विचार है? (**व्यवधान**) मुझे यह नहीं मालूम कि वह क्यों हिचकिचा रहे हैं? वहां के लोगों को यह भी नहीं मालूम की आई० सी० बी० एम० उन तक पहुंच पाएगा या नहीं। वह इस देश के पूर्वी क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों में इलैक्ट्रॉनिक्स यूनिट रक्षा संबंधी यूनिट नहीं लगाई जा सकती है।

अन्य परियोजनाओं, खास तौर पर पैट्रो-कैमिकल परियोजनाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमने हाल्दिया स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन की क्षमता बढ़ाने का भी निवेदन किया था। यह सभी केन्द्रीय परियोजनाएं हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह राज्य का विषय है। यह राज्य सरकार की मांग है। हमने समेकित इस्पात संयंत्रों अर्थात दुर्गापुर इस्पात परियोजना और भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी जो कि अब मध्य क्षेत्र में भारत सरकार का उपक्रम है की क्षमता बढ़ाने के लिए भी कहा था परन्तु उसकी भी कोई प्रतिक्रिया का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

महोदय, हमने यह निवेदन भी किया था कि सरकार को इंडियन ऑयल कम्पनी में एक सिन्डर संयंत्र लगाने की योजना के संबंध में अंतिम निर्णय भी ले लेना चाहिए उसका भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हमने आई० डी० एल० के अन्तर्गत एक औषधियों का यूनिट लगाने के लिए कहा था। इसका मैंने एक दिन प्रश्न उठाया जिसका उत्तर मिला कि प० बंगाल में ऐसी कोई यूनिट लगाने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है।

महोदय, कुछ और भी रोचक बाते हैं, मुझे यकीन है कि आप यह सुनकर चौंकेंगे कि क्या हो रहा है। हमने भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० का एक एकक लगाने का भी निवेदन किया था। उन्होनें खास तौर पर मना किया था। कितने वर्षों से उन्होंने कोई नई परियोजना शुरू नहीं की है। मैं भारत का नागरिक हूं। मेरी राज्य सरकार भी संवैधानिक रूप से बनी है। पूर्वी क्षेत्र प० बंगाल की जनता के भी कुछ मौलिक अधिकार हैं वह भी नागरिक है, उनके भी अधिकार हैं।

मैं यहां अपने अधिकार से आया हूं। अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए मैंने देश का सब से उच्च मंच चुना है। हमारी यह समस्याएं और प्रश्न हैं जिनका हल निकालने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? आप सारे प्रस्ताव क्यों अस्वीकृत कर रहे हैं। आप इसे इतने महीनों से क्यों टालते जा रहे हैं।

श्री तिवारी जब उद्योग मंत्री बने तथा उन्होंने पूछा कि प० बंगाल में कौन से प्रमुख

सरकारी उपक्रम हैं जिनका विस्तार किया जाना है तथा जो उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने उनको एक पत्र भेजा था जिसमें बताया गया था कि यदि आप इन नए उपक्रमों को बनाने के लिए हमारा निवेदन स्वीकार नहीं करते हैं तो यहाँ देश के बहुत बड़े उपक्रम हैं जैसे जैसप, ब्रेथवेट,बर्नस्टैण्डर्ड और भारत ब्रेकस एंड वैल्वस्। ये सभी हमारे कारण रुग्ण नहीं हुई हैं। वह वामपंथी सरकार गणित होने से काफी पहले से रुग्ण चल रहे थे। जैस्सपस में अधिकतम शेयर केन्द्र सरकार के हैं। ब्रेथवेट और वर्न स्टैण्डर्ड भी केन्द्र के अधीन हैं। हम केन्द्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें फिर से ठीक से संचालित किया जाए। जैसप में तो फैब्रीकेशन, कास्ट आयस फाऊंड्री, तथा रोड रोलर्स, क्रॉलर्स, डोजर्स, डम्पर्स, क्रेनस आदि के संप्रेषण उपकरण काफी पहले से बनाए जाते हैं।

ब्रेथवेट के पास अति उत्तम कास्ट आयरन फाऊंड्री है तथा फैरस फोरजिंग की फैब्रीकेशन की सुविधा भी है। थोड़े आधुनिकीकरण और आर्डर देने में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच थोड़े से समन्वय से बर्न धातुकर्मीय गतिविधियों जैसे स्टील कास्टिंग, कास्ट आयरन फाऊंड्री, फैरस फोरजिंग में काफी सहयोग दे सकते हैं, इसके साथ ही इनके पास वैगन बनाने, स्प्रिंग और बनाने फैब्रीकेशन और रिफ्रैक्टरीस की काफी अधिक क्षमता है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। भारत ब्रेकस एंड वैल्वस, चल स्टॉक और अन्य उद्देश्यों के लिए महत्त्वपूर्ण उपकरणों की व्यवस्था करने में सक्षम है। इन एककों में हम वर्ड ग्रुप की कम्पनियाँ भी शामिल कर सकते हैं जिनका सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इनके पास मशीनें और उपकरण बनाने की क्षमता और कुशलता दोनों हैं।

महोदय, हमारा क्या प्रस्ताव था। हमारा यह प्रस्ताव था कि प० बंगाल में सरकारी क्षेत्र में एक वाणिज्यिक वाहन एकक की स्थापना की जाए। जिसके लिए हमने सभी संभव सहयोग देने का वायदा किया था। परन्तु वह इसे नहीं मान रहे हैं। तब हमने कहा कि आप जैसप ब्रेथवेट और वर्न स्टैण्डर्ड की उस क्षमता का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। हमारा यह सुझाव था कि इन तीनों बड़ी-बड़ी कम्पनियों तथा एक सरकारी उपक्रम के एकक के संयुक्त सहयोग से दुर्गापुर में ट्रक बनाने का एकक लगाया जाए जिसकी जमीन राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी हमने यह भी बताया है कि ऐसी परियोजना में फ्रांस के औद्योगिक ग्रुप बरलिट के साथ भी सहयोग की व्यवस्था की जा सकती है। एक वाणिज्यिक वाहन को कई भागों में बांटा जा सकता है, तथा इसके अधिकांश भाग ऊपर बताई गई एककों में बनाये जा सकते हैं और बाद में इन्हें इकट्ठा (एसेम्बल) किया जा सकता है। इस प्रकार, रेलवे की घटती बढ़ती मांग की समस्या, जो कि वर्ष 1960 के मध्य से चल रही है, से भी बचा जा सकता है, तथा नए एकक को लगाने में जो पूंजी लगेगी उसकी तुलना में इसमें कम निवेश इसमें लगेगा। दुर्भाग्य से आपके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में हाल के महीनों में कोई सूचना नहीं भेजी है।

महोदय, हम रुग्ण उद्योगों को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। परन्तु कुछ भी नहीं हुआ है। महोदय हम पूरे भारत की उन्नति चाहते हैं परन्तु आप देश के एक भाग को पीछे

नहीं छोड़ सकते। ऐसा करने से आप यह सोचते हैं कि पूरा देश उन्नति कर सकेगा तो यह सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। महोदय, वह एक मजबूत केन्द्र चाहते हैं और साथ ही साथ औद्योगीकरण को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। आप पूंजी भी अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। सभी वित्तीय संस्थान आपके नियंत्रण में हैं। बैंक केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। एल० आई० सी०, आई० एफ० सी०, आई० सी० आई० सी० आई० आई० डी० बी० आई० ये सब आपके नियंत्रणाधीन हैं। इन सबका नियंत्रण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। हमारा कटु अनुभव यह है : ये बैंक मैनेजर पश्चिम बंगाल में मंत्रियों और सचिवों को यह कहते हैं कि ये सब केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है, वे हमारी बात मानने को बाध्य नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारे साथ यह हुआ है। मैं इन आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। श्री व्यास ने जोश में हमारे ऊपर आक्रमण किया ; लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय असमानताओं का भी जिक्र किया। महोदय, 1977 से ही यह मांग नहीं है। यह मांग काफी पहले से रही है। यह बहुत पहले से चली आ रही है। इस प्रकार के मामलों में कृपया राजनीति को बीच में नहीं आने देना चाहिए। आप देश के किसी क्षेत्र, राज्य को न्याय संगत अधिकारों को दिए जाने की मनाही नहीं कर सकते। मैं केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ही नहीं बोल रहा। मैं बिहार, उड़ीसा और समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर रहा हूं।

**श्री चित्त बसु** : और असम के बारे में भी.....

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : निश्चित रूप से, असम भी इस में शामिल है। इन के कृत्यों के परिणामस्वरूप वहां उनकी राजनीतिक चालें असफल होती जा रही हैं इस लिए मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि आप इस समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले पर समग्र रूप से विचार करें; हमारे देश के क्षेत्र में औद्योगिक रूप से प्रगति क्यों नहीं हो रही जब कि एक समय यह क्षेत्र इस मामले में शिखर पर था ? हमारे साथ दुर्व्यवहार करने और हम हरेक चीज के लिए अभियोग लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें यह जानना चाहिए कि वे इस के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमने कुछ गलत किया है तो पश्चिम बंगाल की जनता हमें इस का सबक सिखा देगी। लेकिन आप हमें उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे—संवैधानिक और न्यायिक रूप से आप ऐसा नहीं कर सकते—तो मैं नहीं समझता कि आप पश्चिम बंगाल के हित की रक्षा करेंगे। आप वर्षों से, दशाब्दियों से राज्य का शासन चला रहे थे, पश्चिम बंगाल के लोग आप से क्या आशा रखते थे ? श्री रणजीत रे ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? महोदय, मैंने यह सोचा था कि कम से कम पश्चिम बंगाल आये इस सभा के सत्ताधारी दल के कुछ सदस्य उपस्थित होंगे। लेकिन उनमें से कोई भी यहां नहीं है। यदि वे यहाँ होते तो मैं यह जान सकता था कि क्या वे इस संकल्प का समर्थन करते हैं अथवा नहीं। राजस्थान से श्री व्यास ने इसका विरोध किया है। लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय असमानता के बारे में कहा है। हम समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मांग कर रहे हैं तथा हम पूरी गम्भीरता से यह मांग कर रहे हैं। हम केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वह इन मुद्दों पर उचित रूप से विचार करें और समय से निर्णय लें। श्री चित्त बसु का संकल्प केन्द्रीय निवेश के बारे में है। यह केन्द्रीय क्षेत्र में पूंजी लगाए जाने के विषय में है। यहां केन्द्रीय सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी है।

**सभापति महोदय** : श्री चटर्जी, क्या मैं आपको एक छोटा सा सुझाव दे सकता हूं ? मैं नहीं सोचता कि यह विषय से हटकर है। बिल्कुल भी नहीं है। आप ने कलकत्ता की कई रुग्ण फर्मों का जिक्र किया है, केन्द्र सरकार ने जिन्हें अपने अधिकार में ले लिया था; और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह इन रुग्ण मिलों को ठीक करे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप को यह मानना होगा कि इन का इलाज अंतरग रोगियों के समान किया जा रहा है। अब जब कि उन्होंने उन का अधिग्रहण कर लिया है, क्यों नहीं आप प्रारूप तैयार कर के विभिन्न उपाय सुझा देते ? आप को यह प्रमुख रूप से सोचना चाहिए। इस से पश्चिम बंगाल और अन्य पड़ौसी राज्यों के लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। आप इस समस्या के समाधान के लिए कदम क्यों नहीं उठाते ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मैं इस बहुमूल्य सुझाव के लिए वास्तव में आप का आभारी हूं। हमारे पास प्रारूप तैयार है और हम इसे दे सकते हैं। इस के पश्चात् हम रेड-प्रिंट प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन, ये तो अभिजात्य वर्ग के पुजारी हैं और मैं इन्हें प्रारूप ही दे सकता हूं। हम इस के लिए डा० चानना के पास गए थे और वह इस पर ध्यान देंगे। अगर वे प्रारूप को मानने को तैयार हैं तो हम उन्हें ये दे देंगे। महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने प्रासंगिक बात उठाई। डा० चानना के दिमाग की नवीनतम उपज यह है, उन का कहना है कि 'अगर आप बीमार यूनिटों का अधिग्रहण नहीं करते, तो उन्हें बन्द करना पड़ेगा" उनका कहना है कि इन बीमार मिलों को चलाने के लिए राज्य सरकार को पैसा जुटाना चाहिए अन्यथा वे बन्द हो जाएंगी।

**सभापति महोदय** : मुझे यह लगता है कि आप उन के काफी निकट हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अपने बचाव के लिए हमें उन के पास जाना पड़ता है। महोदय, उन का कहना यह है कि "या तो राज्य सरकार, उन्हें अपने हाथ में ले लें अथवा अगर वे सक्षम न हों तो उन्हें बन्द कर दिया जाए"। अगर वे हमें नोट छापने और सिक्के निर्माण की शक्ति दे दें तो हम यह कर सकते हैं। लेकिन, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त नहीं है। उनका कहना है कि "आप उन पर पैसा लगाइए।" महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा आई० डी० आर० अधिनियम के अधीन मोहिनी मिल्स का अधिग्रहण किया गया। दो महीने पहले ही बीत चुके हैं लेकिन, अब तक इसमें काम नहीं शुरू हुआ। क्योंकि यह काफी दिनों से बन्द पड़ी थी, इसलिए इसमें मजदूरों ने सफाई का कार्य पूरा कर लिया। मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई है। अधिकारी लोग छोड़ गए हैं। बैंकों का जवाब यह है कि वे उन्हें किसी भी प्रकार का पैसा देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन केन्द्र सरकार ने नियंत्रण की जिम्मेदारी ली है। उस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वे "बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो" की बात करते हैं। उन्होंने 'निर्वाण' प्राप्त कर लिया है। वे एक पुल तक तो पूरा कर नहीं सकते। उनका स्तर गिर रहा है। दिल्ली को खूबसूरत बनाना ही उनकी चिन्ता का विषय है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन राज्यों के बारे में या तो वे उन सरकारों को गिराना चाहते हैं अथवा विधायकों को खरीदना चाहते हैं जिसके लिए बजट अनुदान उपलब्ध कराए जा सकें यह हो रहा है इस देश में। महोदय, आप

की अनुमति से मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। इस पुस्तिका से यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार द्वारा कितनी विशेष परियोजनाओं को कितनी बार, प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्रियों की जानकारी में लाने के प्रयास किए गए, केन्द्र सरकार को लिखा गया, केन्द्रीय मन्त्रियों की स्वीकृति और प्रधान मंत्री की स्वीकृति मांगी गई। अब यह पुस्तिका के रूप में छापी गई है। हमें लोगों की जानकारी में यह लाना है कि क्या हुआ तथा हमारे द्वारा क्या प्रयास किए गए।

**श्री समर मुखर्जी** (हावड़ा) : आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** मैं आपकी अनुमति से इसे सभा पटल पर रखूंगा* स्थिति यह है। हम यहां किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं बिल्कुल भी टकराव नहीं चाहता। जब मैं अपनी पीड़ा और क्रोध प्रकट कर रहा हूं तो मुझे यह समझा जाएगा कि मैं सरकार से मुकाबला करना चाहता हूं लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि हमें इस देश के सबसे बड़े मंच पर इसे प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस पर उसी भावना से कार्यवाही करें जिससे हम इसे इस माननीय सभा के समक्ष लाए हैं।

अगर यह माना जाए कि वे पश्चिम बंगाल के साथ हमेशा राजनीति खेलेंगे तो जहां तक विकास का सम्बन्ध है, प्रगति का सम्बन्ध है, जहां तक इसकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि हमेशा चुपचाप यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की जनता काफी समझदार है। लोगों को यह पता है कि क्या बात कैसे हो रही है। चाहे वे दिल्ली से पूरे नियंत्रण में है, लेकिन, इस प्रकार की कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि वे श्री ज्योति बसु पर जिम्मेदारी डाल देंगे तथा इस प्रकार के उपायों से सत्ता में आ जाएंगे। जनता इस बारे में अपने आप ही निश्चय करेगी।

मैं गंभीरता पूर्वक उन से यह अनुरोध करता हूं कि वे कुछ समय के लिए राजनीति को भूल जाएं। कृपया यह सोचें की पश्चिम बंगाल देश का बहुत ही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। हम भी उतने ही जिम्मेदार नागरिक, देशभक्त हैं जितना कि कोई हो सकता है। हमने भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारा योगदान कुछ कम रहा है। लोगों ने देखा है कि किस प्रकार, हर प्रकार के राष्ट्रीय संकट, विपत्ति में हमने साथ दिया है। हम भी इस देश के समग्र विकास और प्रगति में योगदान देना चाहते हैं। हम एकाधिकार करना नहीं चाहते। ये उपक्रम राज्य के उपक्रम नहीं बन जाएंगे; ये केन्द्र सरकार के उपक्रम रहेंगे। हम उन के मालिक नहीं बन जाएंगे। श्री ज्योति बसु उनके चेयरमैन अथवा प्रबंध निदेशक नहीं बन जाएंगे। आधारभूत प्रगति और सुविधाओं के कारण लोगों को रोजगार के कुछ अवसर प्राप्त हो

*अध्यक्ष द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति नहीं दिए जाने के कारण, इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

सकेंगे। हम यह नहीं कहते कि हमें केवल अपने लिए रोजगार चाहिए। किन्तु समस्त क्षेत्र में इस प्रकार का इनवेस्टमेंट नहीं किया गया।

हमारा यह पुरजोर आग्रह और मांग है कि अब तक जो भेदभाव बरता जा रहा है, जल्दी से जल्दी उसे समाप्त किया जाए। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है, ताकि हम सब एक हो कर, देश की प्रगति के लिए केन्द्र का साथ दे सकें। हम इसमें विश्वास रखते हैं। केन्द्र तथा सभी राज्यों को एक हो कर रहना चाहिए ताकि हम इस देश में प्रगति की रफ्तार बढ़ा सकें। हम पूरी तरह इसे मानते हैं। लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें अंधकार में रखा जा रहा है; ऐसी स्थिति में आप जनता से अधिक आशा नहीं रख सकते।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) सभापति महोदय, पहले ही इस प्रश्न पर, इस सभा की जानकारी में काफी बातें लाई गई हैं तथा कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं। मैं पूरी तरह संकल्प का समर्थन करती हूं। मुझे याद है—जब श्री सिद्धार्थ शंकर राय को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का इंचार्ज बनाया गया था, शायद पद से पश्चिम बंगाल मामलों के मंत्री तो पहली घोषणा उन्होंने यह की थी कि वे हल्दिया में एक लाख लोगों को स्थायी आधार पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। यह उनकी पहली घोषणा थी, शायद 1971 में। अब 1982 आ गया है और जहां तक मुझे मालूम है, हल्दिया में अभी उतने स्थायी रोजगार देने की संभावना नहीं है और न ही वहां उतनी संख्या में रोजगार लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। इन दस वर्षों में, वहां दो सरकारें आ चुकी हैं। एक वहां सत्ता में है और दूसरी सत्ता में थी; इन दोनों की अलग-अलग विचार-धारा है। इस को नोट किया जाना चाहिए। जो प्रश्न उठाया गया है, उस पर सत्ता ग्रहण वालों द्वारा गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर देना चाहती हूं और वह यह है कि हम केवल पश्चिम बंगाल की जनता, बंगालियों के लिए ही नहीं लड़ रहे और न ही हम वामपंथी बंगालियों के लिए संघर्ष.....

इसका प्रश्न ही नहीं उठता। पश्चिम बंगाल भारत का केवल एक भाग ही नहीं वरन् अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यदि आज पश्चिम बंगाल उद्योगों के विकास के मामले में इतनी घोर दुर्दशा में है तो अनेक कारणों में से एक कारण यह है कि हमारे उद्योगों का विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया और उसके बाद उनके साथ मिलकर कुछ भारतीय एकाधिकारी घरानों द्वारा बहुत पिछड़ी तकनीक पर। वे मुख्य रूप से विदेशी बाजारों के अनुकूल थे। अतः इसमें आज की परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल में एक विशेष समस्या उत्पन्न हो गई है जो कि किसी अन्य राज्य में नहीं है। न तो महाराष्ट्र में, न ही गुजरात में। अतः केवल एक ही राज्य है जहाँ आधुनिक उद्योगों की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसके बिना यह अवरुद्ध हो जायेगा। महोदय इस समय आप स्वयं ही पीठासीन हैं। यहां मेरी मित्र राम दुलारी जी, माननीय मंत्री जी तथा मेरे अन्य मित्र उपस्थित हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे कलकत्ता के औद्योगिक स्वरूप पर विचार करें। वे कौन हैं ? क्या वे केवल बंगाली ही हैं ? उनमें बंगाली, बिहारी, उड़िया, असमी मजदूर हैं। वरन् उद्योगपत्तियों के रूप में भी ? पश्चिम बंगाल से राजस्थानी उद्योगपत्तियों के पास कितना धन चला गया है ? मैं इन सब बातों को उठाना नहीं चाहती क्योंकि मेरा विचार

यह नहीं है । जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि यदि पश्चिम बंगाल की कामकाजी जनसंख्या के लिए कोई गम्भीर समस्या है तो उससे केवल हमारा ही राज्य प्रभावित नहीं होगा, बल्कि बिहार, उड़ीसा व अन्य ऐसे अनेक राज्य प्रभावित होंगे । जहाँ पश्चिम बंगाल से मनी आर्डर जाते हैं । तभी पश्चिम बंगाल का प्रश्न उठा है । मैं महसूस करती हूं कि इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि पश्चिम बंगाल भारत का ही एक अंग है या पश्चिम बंगाल भारत के विरुद्ध है या भारत पश्चिम बंगाल के विरुद्ध है । हमारा विवाद यह नहीं है हर राज्य को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है । संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है । इसमें कोई संशय नहीं । इस तरह से यदि सत्तारूढ़ दल वालों का यह विचार हो कि वे पश्चिम बंगाल पुनः प्राप्त कर सकेंगे तो यह गलत है । यह कोई तरीका नहीं है । 1971 से ही मैंने सिद्धार्थशंकर राय से कहना प्रारम्भ कर दिया था क्योंकि सहायता की जितनी अधिक आशा उन्होंने जगाई वहीं उनका पतन हुआ । वह मार्क्सवादी सरकार नहीं थी । वह कांग्रेस की ही सरकार थी । अतः यदि पश्चिम बंगाल यह सोचे कि वे उनको उचित भाग नहीं मिल रहा है तो क्या इससे सत्तारूढ़ दल को या सम्पूर्ण रूप से देश की एकता के लिए कोई लाभ होगा ? इस राज्य में अनेक राज्यों से लोग आते हैं । इसीलिए मैं भी सम्माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूं जब वह यह कहते हैं कि हम इस प्रश्न पर कोई झगड़ा नहीं चाहते । यह किसी झगड़े या राजनीतिक रूप से लाभ उठाने का प्रश्न नहीं है । यह वास्तव में सभी से संबन्धित प्रश्न है और ऐतिहासिक कारणों से इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि केन्द्र के प्रयत्नों से पश्चिम बंगाल में देशी बाजार के अनुकूल आधुनिक उद्योग स्थापित किए जाऐं । इससे क्षेत्र के सामान्य उद्यमियों के लिए अवसरों के नवीन द्वार खुलेंगे । पश्चिमी बंगाल में काफी धन लगाने की आवश्यकता है और इस समय एकाधिकारवादी व बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इसके इच्छुक नहीं है । अतः एक बार फिर केन्द्र की ओर से पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने की आवश्यकता है । पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तावित सभी परियोजनाऐं आधुनिक उद्योग के अन्तर्गत आती हैं जिनसे पश्चिम बंगाल के और अधिक औद्योगिकीकरण की नई प्रत्यशाऐं पैदा हो सकती हैं और औद्योगिकीकरण की नई अवस्थाऐं प्रारम्भ की जा सकती हैं । मैं आशा करती हूं कि यह सरकार केन्द्रीय परियोजनाओं की मंजूरी पर गम्भीर रूप से विचार करेगी और स्वयं पहल भी करेगी ।

एक और समस्या हल्दिया पैट्रोकैमिकल्स से संबन्धित है । पहले, पश्चिम बंगाल सरकार एक निश्चित समयावधि में इसको मंजूरी मिलने की बात को ध्यान में रखकर उसके आधार पर आगे काम कर रही थी । मेरी जानकारी के अनुसार, उन्होंने बाहर की कई फर्मों को ठेका दिया और उनके साथ समयबद्ध अनुबन्ध कर जिसके अनुसार यदि इतने से इतने समय के बीच नियत कार्य किया जायेगा तो एक निश्चित राशि का भुगतान किया जायेगा अन्यकर इसे बढ़ाया जायेगा। हर समय यही कहा गया कि हम इसे मंजूरी देंगे । पिछले सत्र में भी यह वायदा किया गया था लेकिन विलंब के कारण पश्चिम बंगाल को नियत राशि से दोगुनी राशि का भुगतान करना पड़ा । यदि केन्द्र संयुक्त रूप से इस में धन नहीं लगाता तो यह निश्चित रूप से सभी व्यावहारिक मामलों में असफल सिद्ध होगा । इस देरी के कारण पश्चिम बंगाल सरकार के लिए अनेक कठि-

नाइयां उत्पन्न हो गई हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार को तुरन्त मुआवजा देना चाहिए और इन 428 करोड़ रुपयों के संबन्ध में सहायता देनी चाहिए।

मैं अधिक समय नहीं लूंगी। मैं आशा करती हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले पर सद्-भावना से विचार करेगी और इस निर्णय पर पहुंचेगी कि संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र में आधुनिक उद्योग प्रारम्भ करने के अवसरों को प्रदान करना आवश्यक है और इसी कारण पश्चिम बंगाल को यह परियोजनाएं मिलनी चाहिए।

इससे पश्चिम बंगाल को इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने और नए अवसर देने में सहायता मिलेगी। केवल यही नहीं पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा और असम भी लाभान्वित होंगे। मुझे आशा है केन्द्र सरकार इसे ध्यान में रखकर कार्रवाई करेगी।

**सभापति महोदय :** श्री चानना, क्या आप अब उत्तर न देना चाहते हैं ?

**श्री चरणजीत चानना :** मेरे विचार में वे चाहते हैं कि मैं उत्तर दूं। आप जैसा निदेश देंगे मैं वैसा करूंगा।

**सभापति महोदय :** लगता है कोई और बोलने वाला नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अब आपको उत्तर देना होगा। फिर भी, इससे पहले कि आप बोलना प्रारम्भ करें एक बात है कि श्री सोमनाथ चटर्जी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट या प्रकाशन सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चहाते थे। मैंने संबन्धित व्यक्तियों से सलाह की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। फिर ही वे कोई निर्णय लेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** इसमें कोई ऐसा विस्फोटक नहीं है। यह एक ऐसा प्रकाशन है जिसमें केन्द्र सरकार के साथ हुए पत्राचार की प्रतियां हैं।

**सभापति महोदय :** अब मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

**श्री चरणजीत चानना :** मैं एक बात की प्रशंसा अवश्य करूंगा कि दूसरी ओर के माननीय सदस्य-गण उन तथ्यों के विषय में बोलते रहे हैं जो सिद्धांत रूप से सही हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य-शाली बात यह है कि वे अपने वक्तव्यों में मिथ्या आंकड़ों या ऐसे आंकड़ों का हवाला देते रहे हैं जो कि उनके तर्कों के अनुकूल हों। जो कुछ भी रह गया था वह श्री व्यास ने पूरा कर दिया और संभवतः वे चुपचाप उसे सुनना चाहते थे। (**व्यवधान**) मैं आपके ही वक्तव्य के बारे में बोल रहा हूं। आपके वक्तव्य में केवल वही आंकड़े प्रस्तुत किए गए जो आपको जंचते थे और जिन आंकड़ों में संशोधन किया जाना है ; आपका वक्तव्य अधूरा है। केवल एक ही ठीक बात व्यास जी ने कही और जो सही थी वह है कि आप संभवतः इस दर्शन में विश्वास करते हैं कि सभी समस्याओं का समा-धान संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने में है। आप इसे मार्क्सवाद में अच्छी तरह जानते हैं।

**श्री चित्त बसु :** आपकी पहुंच केवल वहीं तक है।

**श्री चरणजीत चानना :** नहीं यह हमारा विचार नहीं है। यह आपका ही दर्शन है। यह किसी भी हालत में हमारा विचार नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** ठीक है, प्रयास ही सही ।

**सभापति महोदय :** क्षमा करें, आप सच्चाई जानते हैं अतः उसके आधार पर, यह किस प्रकार गलत थे और कहां गलत थे आप पर छोड़ दिया जाना था न कि व्यास जी पर ।

**श्री चरणजीत चानना :** मुझे इनके वक्तव्यों की सराहना करनी चाहिए, उदाहरण के लिए कि उन सभी क्षेत्रों में जहाँ औद्योगिकीकरण धीमा है उसे तेज किया जाना चाहिए और यह उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं । जहाँ केन्द्र व राज्य दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । वास्तव में जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी नवीनतम वक्तव्य के अनुसार केन्द्र ने औद्योगिक रूप से पिछले क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया है और पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष सुविधा प्राप्त है और वह सुविधा कलकत्ता, हावड़ा एवं 24 परगना जिलों के अतिरिक्त सारे राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े माने जाने की घोषणा के रूप में है ।

माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल में केन्द्र द्वारा धन लगाने के बारे में कहा है । मैं चाहूंगा कि वे केवल पश्चिम बंगाल के विषय में ही बोलें । यदि वे चाहते हैं कि मैं समूचे पूर्व क्षेत्र के विषय में विवरण दूं तो वह उनके वक्तव्य के विरुद्ध होगा । सर्वप्रथम, राज्य-वार केन्द्र द्वारा पूंजी निवेश के क्रम में पश्चिम बंगाल का स्थान तीसरा है । **(व्यवधान)** 31 मार्च, 1971 तक पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश 473.70 करोड़ रुपये था इससे बढ़ाकर 1.540 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

**श्री चित्त बसु :** मैंने ऐसा नहीं कहा ।

**श्री चरणजीत चानना :** तब कृपया विकास दर निकाल कर देखें ।

**श्री चित्त बसु :** वह गुमराह कर रहे हैं । मैंने कहा है कि यह छठी पंचवर्षीय योजना में कुल निवेश का केवल 5.77 प्रतिशत बनता है ।

**श्री चरणजीत चानना :** मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । सर्वप्रथम श्री सोमनाथ चटर्जी ने विशेष रूप से इस तारीख का उल्लेख किया है मैंने कहा है वर्ष 1971 से वर्ष 1980 के बीच कि पूंजी निवेश 1971 में 473.70 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,540 करोड़ रुपये हो गयी है... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय :** मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप श्री चित्त बसु द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करें ।

**श्री चरणजीत चानना :** मैं इनके द्वारा उद्धृत इनके राज्य में औद्योगिकीकरण के लक्षणों की बात कर रहा हूं । मैं इनकी ओर केवल ध्यान दिला रहा हूं । मुझे आंकड़ों में और इनकी व्याख्या में भी सुधार करना है । जहां तक 1971 की जनगणना के आधार पर केन्द्र द्वारा राज्य-वार प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का संबन्ध है, पश्चिम बंगाल राज्य देश में छठे नम्बर पर है । यह 281.80 रुपये है । मुझे प्रसन्नता होती यदि माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों के

विषय में कुछ कहा होता जहाँ प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश 77.22 रुपये, पंजाब, 229.59 रुपये, महाराष्ट्र 219.69 रुपये है।

**श्री चित्त बसु** : इन्होंने वर्ष 1971 के आंकड़ों को सूचित किया है। यही मुझे कहना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना तक पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास बहुत ऊंचा था। इसमें गिरावट व ठहराव तृतीय योजना के पश्चात प्रारम्भ हुआ मेरी शिकायत यही है।

**श्री चरणजीत चानना** : यदि माननीय सदस्य वार्षिक आंकड़े चाहते हों तो वे इस प्रकार हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 31.3.1971 | 473.70 | रुपये |
| 31.3.1972 | 518.00 | रुपये |
| 31.3.1973 | 588.40 | रुपये |
| 31.3.1974 | 650.20 | रुपये |
| 31.3.1975 | 785.30 | रुपये |
| 31.3.1976 | 760.00 | रुपये |
| 31.3.1977 | 768.30 | रुपये |
| 31.3.1978 | 1058.83 | रुपये |
| 31.3.1979 | 1082.80 | रुपये |
| 31.3.1980 | 1540.39 | रुपये |

यदि माननीय सदस्य इन सभी आंकड़ों को जोड़कर उन्हे योजनानुसार विभाजित करें तो उन्हें अपने वक्तव्य में सुधार करना होगा।

मैंने 1971 के आंकड़ों का हवाला इसलिए दिया है कि क्योंकि यही नवीनतम आंकड़े उपलब्ध थे। माननीय सदस्य उस सिद्धान्त पर बोल रहे हैं जिसमें वह जनसंख्या का सम्बन्ध पूंजी निवेश से जोड़ नहीं कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य 31.3.1981 को प्रति व्यक्ति विनियोग को लें तो उन्हें अपने वक्तव्य में परिवर्तन कर कहना होगा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के साथ लाभ नहीं कर रही है जहां प्रति व्यक्ति 77.22 रुपये, राजस्थान में 103.41 रुपये है। परन्तु मैं यह बार-बार कहूंगा यह सही मापदंड नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसे ही मापदंड मानते हैं तो उन्हें अपने वक्तव्य में परिवर्तन करना होगा और जहां तक निवेश का संबन्ध है उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

**श्री चित्त बसु** : यह मुझे पूरी बात बताए बिना चले जाते हैं।

**आचार्य भगवान देव** (अजमेर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो जाते हैं। क्या वह इस तरह बार-बार खड़े होते रहेंगे ?

**सभापति महोदय** : मिनिस्टर साहब जबाब दे रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बीच-बीच में···

**श्री आचार्य भगवान देव** : कभी-कभी यह तो शुरू से चल रहा है। आप उनसे चित्त को बस में करने के लिए कहें।

**सभापति महोदय** : श्री चित्त बसु को जवाब देने का अवसर मिलेगा।

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्यों ने छठी योजना के आंकड़ों के बारे में कहा है। 1980-85 के बीच, पेट्रोल और कोयला उद्योग सहित, केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनायों और राज्य कर आवंटन और परिव्यय, की प्रतिशतता एक बार फिर निकालनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल का प्रतिशत 5.68 है। यदि मैं इस प्रतिशत की तुलना पंजाब राज्य से करूं तो वहां के आंकड़े 0.36 है और हरियाण के 0.7 है।

**सभापति महोदय** : मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। परन्तु मैं यह सोचता हूं कि प्रतिशतता का यह प्रश्न, यदि इनका कुछ महत्व है, तो सभी के समझने की चीज है तथापि इस मामले में यह अप्रासंगिक है। उदाहरण के रूप में, जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गये और नियंत्रित उद्योगों का सम्बन्ध है, बिहार का दूसरा या तीसरा स्थान है। तो भी राज्य में अत्यधिक गरीबी है। अतः किसी राज्य या क्षेत्र की सम्पन्नता को आंकने की यह कसौटी नहीं हो सकती।

**श्री चरणजीत चानना** : मैं आपकी दलील की प्रशंसा करता हूं। मैं आपसे केवल यह अनुरोध करता हूं कि आप यह उन तक पहुंचाएं।

**सभापति महोदय** : मैंने कहा कि यह सभी के समझने के लिये है।

**श्री चरणजीत चानना** : किसी भी केन्द्रीय निवेश परियोजना का स्थान निर्धारण मूलभूत रूप से परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और संभाव्यता पर निर्भर करता है। माननीय सदस्यों ने बहुत से परियोजनाओं का उल्लेख किया है। मेरे पास यहां उन परियोजनाओं का ब्यौरा नहीं है। निस्संदेह, मैं उनको ब्यौरा दे सकता हूं। किसी भी परियोजना का केवल तकनीकी सम्भाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यहां तक हल्दीया का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि यह परियोजना अभी विचाराधीन है और विशेषज्ञों का एक दल, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव और प्रधान मंत्री सचिवालय का एक प्रतिनिधि भी शामित है; ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : मुझे विश्वास है, इस दल ने इसकी सिफारिश की है।

**श्री चरणजीत चानना** : मंत्रालय इस परियोजना पर विचार कर रहा है। सरकार हमेशा परियोजनाओं के स्थान निर्धारण का निर्णय परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी सम्भाव्यता के आधार पर लेती है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : जहां तक हल्दिया पैट्रो-केमिकल परियोजना का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के स्थान निर्धारण और प्रत्येक चीज को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। अब तो केवल प्रश्न यह है कि इसको वित्तीय सहायता कौन देगा। इसलिए समस्या स्थान निर्धारण की नहीं, परन्तु वित्त की है। जबकि सभी पैट्रो-केमिकल परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में है, इस परियोजना के लिए आप राज्य क्षेत्र को भी शामिल करना चाहते हैं। लेकिन हम वित्तीय भारवहन करने में समर्थ नहीं हैं। आप हमारी सहायता करें।

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि मैं आर्थिक व्यवहार्यता की बात कर रहा हूं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के लिए, जैसाकि पश्चिम बंगाल सरकार, वहां

के मुख्य मंत्री और राज्य के उद्योग मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है सबसे महत्वपूर्ण बात राज्य में केन्द्रीय निवेश को फिर से सक्रिय करने की है। वे औद्योगिक इकाइयां, जो पहले से केन्द्रीय क्षेत्र में हैं, और जिन इकाइयों को हमने 1976 में अपने हाथों में लिया था, उन इकाइयों ने तेजी से उत्पादन करना शुरू कर दिया था। लेकिन 1980-81 में हमने देखा कि उन इकाइयों ने फिर से भारी घाटा उठाना शुरू कर दिया और, महोदय, उनको एक बात समझनी चाहिए कि उदाहरण स्वरूप ब्रेटवेट जैसी कुछ एक इकाइयों को छोड़कर अधिकतर इकाइयों ने अपना काम सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया है और यह सब, पहले तो, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की सहायता से.....।

**सभापति महोदय :** क्या इन इकाइयों ने जमीन छोड़ दी है या वे आकाश में हैं ?

**श्री चरणजीत चानना :** नहीं, नहीं।

**सभापति महोदय :** आपने बताया कि वे ऐसा करने वाली हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, वे लड़खड़ा रही हैं।

**श्री चरणजीत चानना :** महोदय, अर्थशास्त्र के रनवे पर उड़ान का अर्थ हवाई पत्तनन की उड़ान से भिन्न है। मैं औद्योगिक रनवे की बात कर रहा हूं जिसके विषय में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं।

**सभापति महोदय :** हां, हां। मैं उसी के विषय में कह रहा हूं।

**श्री चरणजीत चानना :** 31.12.1979 को भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में औद्योगिक इकाइयों विशेषकर रूग्ण इकाइयों का सर्वेक्षण किया और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनके संबन्ध में देश में पश्चिम बंगाल पहले नम्बर पर था और मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की व्यथा समझता हूं।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) **:** महाराष्ट्र का नम्बर दूसरा है।

**श्री चरणजीत चानना :** हम इस कथा को समझते हैं परन्तु हम इसका निराकरण करना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय :** माफ करना। एक समय था जब ऐसा कहा जाना था, बंगाल आज जो सोचता है शेष भारत वह कल सोचेगा।' (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** बंगाल और बिहार दोनों।

**श्री चरणजीत चानना :** हम केवल गत दिनों की बात कर रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** हम आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं।

**श्री चरणजीत चानना :** आप हम से आने वाले दिनों की बात कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिन अधिक अच्छे होंगे।

**सोमनाथ चटर्जी** : आप हमें पीछे ले जाना चाहते हैं ।

**श्री चरणजीत चानना** : हम प्रगति को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रगति हमेशा कल के लिए होता है और कल के बेहतर होने की सम्भावना होती है ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वे कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र की स्थिति ऊँची होनी चाहिये क्या इस तरीके से यह संभव है ।

**सभापति महोदय** : भारतीय सदस्य को कहने दीजिए ।

**श्री चरणजीत चानना** : पश्चिम बंगाल राज्य को बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का 23 प्रतिशत रुग्णावस्था में है । हमारे सत्ता में आने के बाद 1979 के पश्चात वे अधिक लाभप्रद हो गईं। (व्यवधान) मुझे खेद है कि माननीय सदस्य मेरी बात को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि हमारी सरकार ने बढ़ावा देने की भूमिका निभाई । राज्य सरकार इससे भी अच्छी भूमिका निभा सकती है । मैं गलत हो सकता हूं । उन्होंने इकाइयों की रुग्णता को बढ़ाया है । मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । मेरे पास केवल 1979 के आँकड़े हैं ।

**सभापति महोदय** : रोगी आपके इलाज में है । आप औरों को हस्तक्षेप कैसे करने देंगे जिससे पेचीदगियां और बढ़ें ।

**श्री चरणजीत चानना** : जहां तक उद्योग का प्रश्न है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह संघ सूची में नहीं आता ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, हमारे किसी भी प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

**श्री चरणजीत चानना**: पश्चिम बंगाल राज्य में 20,841 इकाइयां हैं जो छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का 33 प्रतिशत हैं । हमारी नीति देश भर की मृत इकाइयों या रुग्ण इकाइयों विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य की इन इकाइयों को फिर से जीवन प्रदान करने में मदद करने की है । क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में बहुत अधिक संभावना है । कुछ ही समय पूर्व वहां का औद्योगिक वातावरण बहुत अच्छा था हम नहीं चाहते कि वहां का वातावरण किसी प्रकार से बिगड़े । वास्तव में, हम उन सभी क्षेत्रों में विशेषकर उन क्षेत्रों जहां पर आम सम्भावनाएं थीं, औद्योगिक सक्रियता का फिर से संचार करना चाहेंगे ।

अब माननीय सदस्य वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों के विषय में कह रहे हैं । माननीय सदस्य ने वित्तीय संस्थाओं से इनकी मिलने वाली सहायता के बारे में भी कहा है । सदस्य यह जानते हैं कि सहायता दो प्रकार की है—इनमें से एक वित्तीय संस्था है । पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकतर भाग जिसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है, उसे केन्द्रीय आर्थिक सहायता मांगने का भी हक है । फिर आपको निवेश के उपयुक्त वातावरण भी पैदा करना होगा । वह वातावरण बाहर से, किसी अन्य राज्य, बिहार, उड़ीसा और असम से आयात नहीं किया जा सकता ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** विकास इस विश्लेषण पर निर्भर नहीं करता ।

**श्री चरणजीत चानना :** केन्द्रीय आर्थिक सहायता एक दूसरे से संबन्धित हैं । औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र में यदि कोई छोटी इकाई चल रही हो तो यह केन्द्रीय आर्थिक सहायता की हकदार है । आपको इसका हिसाब लगाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको आंकड़ों का पता चलेगा, जो वक्तव्य आप दे रहे हैं—उसे वापिस ले लीजिए । यही बेहतर होगा । मैं कहना चाह रहा था, इसे ठीक किया जाना चाहिये । लेकिन ऐसा नहीं होगा उनको वापिस लेना पड़ेगा क्योंकि वह सारा बदल जाएगा । केन्द्र सरकार ने 1967-68 के बाद सबसे पहले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों का पता लगाया । तब सरकार ने उन क्षेत्रों में पूंजी आकृष्ट करने के लिए बहुत से प्रोत्साहन शुरू किए । सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सब कुछ फिर से करने के बाद भी हमने कार्यकारी बल (टास्क फोर्स) स्थापित करने की नई प्रक्रिया शुरू की है और राज्य सरकार को अपने औद्योगिक पिछड़े क्षेत्रों में आने और आन्दोलन शुरू करने को कहना शुरू कर दिया है । हम उन सबको केन्द्रीय आर्थिक सहायता दे रहे माननीय सदस्यों को वातावरण बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और उद्योग विभाग, सभी सम्बद्ध विभागों पर भी बल देना चाहिए । पहले तो उन्हें लोगों में बचत की आदतें पैदा करनी चाहिए और उन बचतों को निवेश में लगाना चाहिए । वही औद्योगीकरण होगा । केन्द्रीय सरकार इसे बढ़ावा देने की भूमिका निभाती है । केन्द्र सरकार औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र में केन्द्रक संयन्त्रों को बढ़ावा देने की भूमिका निभाती है ताकि सारे क्षेत्र का औद्योगिकरण हो सके । माननीय सदस्य ने कुछ परियोजनाओं का उल्लेख किया है जहां तक बी० एच० ई० एल० का प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न का जवाब भी दिया है कि बी० एच० ई० एल० ने अभी निवेश और निवेश स्थान विघटित करने का निर्णय नहीं किया है और बी० एच० ई० एल० ने पश्चिम बंगाल के लिए बिल्कुल नहीं लिखा है । देश के सभी राज्य विशेषकर देश में औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र का संबन्ध अपने भावी निवेश की परिधि में आते हैं । देश में सभी निवेशो में ऐसा ही होता है । प्रत्येक परियोजना के बारे में मैं अभी अपको उत्तर नहीं दे सकूंगा । मैं केवल यह चाहूंगा कि आप पश्चिम बंगाल राज्य पर इस बात का बल दें कि वह राज्य में काफी ईमानदारी से निवेश का माहौल उत्पन्न करे । माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि लोग वहां से स्थान बदलना चाहते हैं । वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय भी वहां नहीं हैं ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** एक भी नहीं ।

**श्री चरणजीत चानना :** आपको अपने राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए निवेश के उपयुक्त वातावरण पैदा करना चाहिये न कि ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये कि राज्य के उद्योग भी बाहर चले जायें ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** हम केन्द्र सरकार को आकृष्ट नहीं कर सकते । मुझे उन्हें क्या देना चाहिए, मैं यह नहीं जानता ?

**श्री चरणजीत चानना :** क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें बनाने के लिए वे आंकड़े फिर दोहराऊं कि·····

**सभापति महोदय :** उन्हें दोहराने का कोई फायदा नहीं। आपका क्या दृष्टिकोण रहा है···

**श्रीमती गीता मुखर्जी :** आपका क्या दृष्टिकोण रहा है ?

**श्री चरणजीत चानना :** हमारा रवैया बहुत ही सहायक रहा है।

**सभापति महोदय :** और सहानुभूति पूर्ण भी।

**श्री चरणजीत चानना :** सकारात्मक उससे भी कहीं अधिक है। उनका दृष्टिकोण शून्य से भी नीचे रहा है हमारा दृष्टिकोण शून्य से अधिक है। उनको प्रतिक्रिया करनी भी चाहिए। और प्रतिक्रिया हमेशा निवेश के लिए माहौल उत्पन्न करने के रूप में होनी चाहिए। केन्द्र सरकार सब कुछ करती है और वह चिंतित है·····

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** वे कांग्रेस (आई) का मंत्रिमण्डल चाहते हैं·····(**व्यवधान**)

**श्री चरणजीत चानना :** मेरा पहला वाक्य यह था कि माननीय चटर्जी जी कभी-कभी ऐसे वक्तव्य देते हैं जो सैद्धांतिक रूप से सही होते हैं। तथापि कभी-कभी वे ऐसे वक्तव्य देते हैं जो सही निरूपण नहीं करते एक निरूपण उन्होंने स्वयं दिया है। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि वहां कांग्रेस (आई) की सरकार होनी चाहिये मैंने केवल इतना कहा है कि यदि आप अपने शासन की अवधि देखें तो आपने केवल राज्य अवनति की है

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** असली बात अब बाहर आयी है।

**सभापति महोदय :** जहां तक पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का सम्बन्ध है मजाक को अलग नहीं किया जा सकता। आप इसे मजाक के रूप में लें। यदि मैंने आपको सही ढंग से सुना है, संघ सरकार की ओर से बोलते हुए, आपने यह विश्वास दिया था कि यदि पश्चिम बंगाल की सरकार सहायक या सही माहौल पैदा करने में ईमानदार है और सरकार अपनी अपेक्षित भूमिका निभाती है तो आप भी पीछे नहीं रहेंगे और प्रतिफल चुकाएंगे। क्या यह बात सही है ?

**श्री चरणजीत चानना :** जी, नहीं। आपकी अनुमति हो तो मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह गैर-सरकारी निदेश के लिये है। जहां तक केन्द्रीय निदेश का सम्बन्ध है, मैं बता ही चुका हूं कि पश्चिम बंगाल तीसरे नम्बर पर है। इसके साथ प्राथमिकता बरती जा रही है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल के पक्ष में भेद-भाव बरतने का दोशी कहा जा सकता है। मैं इसके आंकड़े पहले ही दे चुका हूं।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (दुर्गापुर) : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि 1971 से 1981 तक केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि का निदेश किया है ? क्या आप इसके आंकड़े बता सकते हैं ?

**श्री चरणजीत चानना :** मैं 1971 से 1981 तक की अवधि में केन्द्रीय निदेश की राशि तथा अन्य ब्यौरों के बारे में ही बता रहा हूं। 1540.39 करोड़ रुपये में से हमें केवल 473.70 करोड़ रुपये की ही गणना करनी हैं। मैं केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ही बता रहा हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** इस राशि का निदेश कहां हुआ है और कौन सी परियोजना में ? क्या यह एम० टी० पी० थी ? हम इसके बारे में जानना चाहते हैं।

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल में किये गये निदेश के बारे में मुझ से प्रश्न किया है ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैंने पूछा है कि "कृपया आप हमें यह बताइये कि पिछले 10 वर्षों के दौरान अन्य दूसरे राज्यों में तथा पश्चिम बंगाल में कितना-कितना केन्द्रीय निवेश हुआ है ?" इन राज्य सरकारों ने कितनी-कितनी राशि खर्च की है ।

**श्री चरणजीत चानना** : महोदय, जहाँ तक राज्य सरकार का सम्बन्ध हैं, प्रश्न यह नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार की ओर से उत्तर दे रहा हूं। मैं बता चुका हूं कि 31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में····· (**व्यवधान**) परियोजनाओं की सूची मेरे पास नहीं है ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हमें विश्वास दिलाइये ।

**श्री चरणजीत चानना** : मैं तो माननीय सदस्य को यही सलाह दे सकता हूं कि वह पुस्तकालय जायें और "भारत में सार्वजनिक उद्योग" नामक प्रकाशनों के चारों खण्डों को पढ़े । उन्हें केवल 1980 के ही नहीं बल्कि इन सभी वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है । मैं आपकी सहायता चाहता हूं । मैंने विशिष्ट रूप से संकल्प से सम्बन्धित कुछ बातों के बारे में जानना चाहा है । वह मुझे पुस्कालय भेज रहे हैं । क्या वाद-विवाद का यही उत्तर है । इसका अर्थ तो यह है कि हम सभी को पुस्तकालय जाना चाहिये । और मालूम करना चाहिये । यहां न प्रश्न करने की जरूरत है और न ही उसका उत्तर प्राप्त करने की ।

**सभापति महोदय** : यदि आंकड़े तत्काल उपलब्ध न हों तो ···

**श्री चरणजीत चानना** : महोदय, यह एक सरकारी दस्तावेज है। मैंने सारा ब्यौरा दे दिया है ।

**सभापति महोदय** : लेकिन पुस्तकालय जाने का प्रसंग कुछ·····नहीं है । (**व्यवधान**)

**सभाभति महोदय** : आप जो कुछ भी समय लेना चाहते हैं लीजिये लेकिन इन आंकड़ों के बारे में बताइये ।

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्य पुस्तकालय मत जायें । माननीय सद्रस्य को पुस्तकालय जाने की परेशानी भी न उठानी पड़े । ये चारों खण्ड संसद सदस्यों को वितरित भी किए गए थे । ये मेरे अपने पुस्तकालय में भी रखे हुए हैं । मैं उन्हें यह दे दूंगा । केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के बारे में सभी विवरण इन चारों खण्डों में दिया गया है ।

मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । मैंने उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों के बारे में स्पष्टीकरण कर दिया है तथा उनमें सुधार भी कर दिया है। इन सभी बातों को दोहराते हुए मेरा सुझाव है कि वे अपना संकल्प वापस ले लेंगे ।

**श्री चित्त बसु** : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने उस भावना को सही रूप से नहीं समझा है जिसके मातहत मैंने यह संकल्प दिया था। जैसा कि यह बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि मेरा अशय किसी प्रकार का प्रतिरोध करना नहीं है मेरा अशय तो केवल भारत सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल और अन्य दूसरे राज्यों की उन विशेष समस्याओं की ओर दिलाना है जिनसे आज वह पीड़ित हैं। परन्तु, यह उत्तर असहानुभूतिपूर्ण, अहितकर है, लापरवाही से पूर्ण है और निश्चित रूप से उद्दण्डता पूर्ण है।

**सभापति महोदय** : आप कितना समय और लेंगे

**श्री चित्त बसु** : मैं 5.25 तक अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। मैं भी बहुत अधिक उत्सुक हूं। कि अगला संकल्प प्रस्तुत किया जाए।

माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके पास कुछ संगत तथ्य और आंकड़े हैं जिनसे वे मेरे अरोपों का खण्डन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले आरोप शब्द का प्रयोग नहीं किया है। परन्तु अब मैं कह रहा हूं कि यह केवल आरोप ही नहीं है ये गम्भीर आरोप है और भारत सरकार के पास इन गंभीर आरोपों का प्रतिवाद करने के लिए कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए, हम यह देखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति निवेश की दर क्या है। योजना मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह हमारे पास है। यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 1981-82 के दौरान, केन्द्र द्वारा दी गयी प्रति व्यक्ति योजनागत सहायता आंध्र प्रदेश में 46 रु०, गुजरात में 41 रूपये, हरियाणा में 46 रु०, कर्नाटक में 57 रु०, महाराष्ट्र में 35 रु०, पंजाब में 47 रु०; राजस्थान में 48 रु०, उत्तर प्रदेश में 45 रु० और पश्चिम बंगाल में 32 रुपए है।

**श्री चरणजीत चानना** : यह योजनागत सहायता है।

**श्री चित्त बसु** : उन्होंने यह मान लिया है कि यह उत्तर दिया गया है। वह शायद यह सोच रहेथे कि पश्चिम बंगाल के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है। बल्कि इसके साथ पक्षपात बरता गया है। क्या ये आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं ? न तो मैंने ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं और न ही मुझे पुस्तकालय जाने की जरूरत है। मैं तो वैसे भी शायद ही कभी पुस्तकालय जाता हूं। अपने नोट तैयार करने के लिए मैं पुस्तकालय जाता हूं और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रकाशनों को पढ़ता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : जब से वह मंत्री बने हैं तब से उन्होंने सिवाय उन चीजों को छोड़कर जो उनके लिए तैयार की गई हैं, सभी कुछ पढ़ना बंद कर दिया है।

**सभापति महोदय** : उनका अपना अलग पुस्तकालय है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : ये तो तैयार कर लिए जाते हैं और उन्हें दे दिए जाते हैं। वह तो सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं।

**श्री चित्त बसु** : उनके पास उनका अपना पुस्तकालय है, उनके अपने आंकड़े हैं, और उन आंकड़ों को यहां प्रस्तुत करने का उनका अपना अलग तरीका है.....

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उन्हें छपवाने के लिए उनका अपना अलग प्रेस भी है।

**श्री चित्त बसु** : उन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं । मैं नीति सम्बन्धी मामलों में भेदभाव बरतने के भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ किए हैं । पश्चिम परियोजनायें विशेष के प्रति शत्रुता पूर्ण और अनुदान दृष्टि ही क्या है ? उन परियोजनाओं के बारे में एक अक्षर तक जानने की कोई इच्छा भी नहीं है । तीन माह से अधिक उपलब्ध कराने के लिए आंकड़े तक इकट्ठा नहीं कर प्रस्तुत करूं तो मैं अपने राज्य के लोगों से जाकर यह कह है, अब आप ही तय करिए कि यह आपके फायदे में हैं या में कोई उत्तर न देना ही ठीक समझा है । उन्होंने राज्य में मेरा आरोप यह है कि उन्हें भी इसके बारे में नोट कर अवधि के दौरान महानगरीय परिवहन परियोजना के सिव नहीं किया गया है और जहां तक मुझे याद है, वह भी 12 परियोजना अनुमान 500 करोड़ रुपए का था और संभावना है । (व्यवधान) मैं उनसे मांग करता हूं कि क्या एक सूची सभा पटल पर रखेंगे जो 1971-81 की अवधि के क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ? मेरा अरोप यह है कि करोड़ रुपए के निवेश के अलावा वहां कोई निवेश नहीं

उन्होंने रुग्णता का उल्लेख किया है । यह रुग्णता के कारण नहीं आयी है । पश्चिम बंगाल की वर्तमान सर वह इस सदन में ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि पश्चिम बंगाल से पूर्व कितने एकक रुग्ण थे ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : कितने बन्द हो गए थे और

**श्री चित्त बसु** : जहां तक मुझे याद है सच्चाई तो वरतते हुए तैयार करने चाहिए—रुग्ण एककों को बिना फिर से कार्यशील बनाया गया है ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वे सभी ठीक-ठीक कार्य कर

**श्री चित्त बसु** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस हूं कि बड़े उद्योगों की रुग्णता कुप्रबन्ध के कारण है ।

कम्पनी कानूनों का परिचालन कौन करता है । करती है या केन्द्रीय सरकार ? (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : टेप रिकार्डर चला दीजिए

**सभापति महोदय** : यहां तो टेप रिकार्डर एलाउड

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मि० व्यास टेप-रिकार्डर हैं ।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : सारी इंडस्ट्रीज भाग रही हैं इनकी गलती से ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : एक भी नहीं भागा ।

**श्री चित्त बसु** : आप बड़े औद्योगिक घरानों के इस प्रकार के कुप्रबन्ध के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते ? आपने उद्योगों का आधुनिकीकरण क्यों नहीं किया ? अपने जूट के अलावा अन्य उद्योगपतियों को अपनी पूंजी जूट के अलावा अन्य उद्योगों में लगाने की अनुमति क्यों दी है ? श्री ज्योति बसु ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते । **(व्यवधान)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह तीसरा मौका है जो हम ऐसा सुन रहे हैं । दिखाई देता है । कि श्री व्यास जूट उद्योगपतियों के मित्र हैं । हमसे जो पैसा ले जाते हैं ।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : गलत है, यह गलत है ।

**श्री चित्त बसु** : इसलिए, महोदय, पश्चिम बंगाल के उद्योगों की रुग्णता पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों के कारण नहीं है बल्कि भारत सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई गई नीतियों के कारण है । महोदय इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं.....

**सभापति महोदय** : कृपया समाप्त करिए ।

**श्री चित्त बसु** : महोदय, सारांश यह है कि मुझे यह दिखाई देता है कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति भेदभाव एवं शत्रुता की नीति अपनाती रही है और यह रवैया अभी भी जारी है और मैं उन्हें सावधान करता हूं कि जब तक वे अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करते, तब तक पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें समय-समय पर सही सबक सिखाते रहेंगे ।

मैं यहां आपसे क्षमा नहीं मांग रहा हूं । मैं यहां चाटुकारिता के तौर पर नहीं हूं । मैं इस माननीय सदन में अपने बलबूते पर हूं ताकि मैं आपको और आपकी सरकार को पश्चिम बंगाल की समस्याओं से अवगत करा सकूं और मैंने यह कार्य कर दिया है । अब यह आपका काम है कि आप इस पर क्या कार्यवाही करते हैं । क्या कार्यवाही की जाय, यह आप जानें; लेकिन यदि आपने अनुदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया तो इसके लिये आपको ही पछताना पड़ेगा । यदि आप सही कदम उठाते हैं तो पश्चिम बंगाल के लोग भी आपको सहयोग देंगे ।

महोदय, इसका चुनाव करना आपके हाथ में है मेरे हाथ में नहीं । उन्हें चयन करने दीजिये । धन्यवाद ।

मैं अब अपने संकल्प पर जोर देता हूं ।

**सभापति महोदय** : मैं अब इस संकल्प को सदन में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

*"यह सभा सिफारिश करती है कि पश्चिम बंगाल के व्यापक औद्योगिक विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन हल्दिया स्थित पेट्रो-रसायन उद्योग जैसी कतिपय औद्योगिक परियोजनायें*

अविलम्ब स्थापित करने के लिये, जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है, तुरन्त कदम उठाये जायें।"

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**सभापति महोदय :** अब हम भी लारेंस द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर विचार करते हैं।

---

## निर्माण कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के बारे में संकल्प

**श्री एम० एम० लारेंस** (इदुक्की) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा निर्माण कर्मकारों की दयनीय दशा पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है, जिनका शोषण निर्माण कार्यों के ठेकेदारों द्वारा किया जाता है और सरकार से सिफारिश करती है कि वह उनके हितों की रक्षा करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करे।"

श्रीमन्, कामगारों की स्थिति बहुत ही दयनीय और शोचनीय है; उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे ही ठेका समाप्त होता है या फिर जैसे ही काम खत्म होता है इन कामगारों को बड़ी बेदर्दी से नौकरी से हटा दिया जाता है और इनमें से बहुत से मजदूरों को तो अपने राज्य में वापस जाना पड़ता है; उनके पास अपना कोई स्थानीय निवास नहीं है। उन्हें अपने साथ अपने परिवार को भी ले जाना पड़ता है। ये बहुत अस्वास्थ्यकारी स्थानों में रहते हैं और इस प्रकार की झुग्गियों में रहते हैं जिन्हें घर की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने का मौका नहीं मिलता। वे बेरोजगारों की एक नयी पीढ़ी तैयार करते हैं जिसका ठेकेदार तथा अन्य शोषण फायदा उठाते हैं। उनके बच्चे अपने बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हैं। निर्माण उद्योग अधिकांशत: निजी ठेकेदारों के हाथ में हैं। वे कभी बाल-श्रमिकों की परवाह नहीं करते। वे सूर्य-उदय से सूर्यास्त तक काम करते रहते हैं। ठेकेदार बहुत भारी रिश्वत देकर ठेके प्राप्त करते हैं। इन गैर-कानूनी कार्यों को आखिर कौन संरक्षण देता है ? अन्य किसी उद्योग में इतनी आसानी से पैसा नहीं बनाया जा सकता जितना इस उद्योग में। बहुत से ठेकेदार थोड़े ही समय में लखपति बन गये हैं। ये ठेकेदार कामगारों को निहायत कम मजदूरी देकर गलत तरीकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए हर प्रकार का हथकण्डा अपनाते हैं। कई राज्यों में तो कामगारों को अभी भी 6 से 7 रु० प्रतिदिन दिये जाते हैं। उन्हें समयोपरि मजदूरी नहीं दी जाती। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाते। उन बेचारों को जो कि काम करते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। आमतौर पर ठेकेदार लोग उप-ठेकेदारों या श्रमिक-ठेकेदारों के माध्यम से मजदूर बुला लेते हैं। ये उप-ठेकेदार या श्रमिक ठेकेदार श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी का बहुत सा भाग अपने पास रख लेते हैं। निर्माण कर्मकारों को प्राय: निजी सम्पत्ति माना जाता है और इससे हमें दास-प्रथा की याद आती है। भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एकक निर्माण कार्य में इसी आधार पर खोले थे कि इस कार्य का विभागीयकरण किया जा सके हिन्दुस्तान स्टील कंसट्रक्शन कम्पनी बहुत जोर-शोर और प्रचार के साथ आरम्भ की गई थी परन्तु अब यह कम्पनी ठेकेदारों का निशाना बन गयी है। कम्पनी में लगभग 20 हजार नियमित कर्मचारी हैं परन्तु इसके ठेकेदारों के कर्मचारियों की संख्या 50 हजार से अधिक है.....

**सभापति महोदय** : लारेंस साहब, आप अपना भाषण पूरा कर लीजियेगा । अब सभा आधे घन्टे की चर्चा शुरू करेगी ।

## आधे घण्टे की चर्चा

### जीवन रक्षक औषधियां

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : सभापति महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और सदन में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है । लेकिन उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हो पाया है । पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाय तो समस्या और जटिल ही होती जा रही है । अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख को एक प्रश्न के जवाब में मन्त्री महोदय ने बतलाया है कि पिछले छः माह में पिछले वर्ष की तुलना में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके उत्पादन में कमी आई है । कमी की मात्रा 6 परसेंट से लेकर 98 प्रतिशत तक बढ़ी है । जिस मूल प्रश्न के उत्तर के ऊपर यह डिस्कशन हो रहा है उसमें मन्त्री महोदय ने बतलाया है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी नहीं है । उन्होंने कहा है—यह कहा जा सकता है कि आमतौर पर जीवन-रक्षक औषधियों की देय में कमी नहीं है । लेकिन हकीकत यह है, भले ही आपके हास्पिटल में स्टाक में वह दवाइयां पड़ी हुई हों, रोगियों को वह दवाइयां नहीं मिल रही हैं । उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है—स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेरल डाइन, आइसो वेम्जाइल फोर्ट, पास ग्रेन्युल, आइसोनायजीड, ये गोलियां और ऐन्टी वायटिक्स में ग्रीसोफुलविन, कारवेसलीन, क्लोरमफेनिकाल, ऐन्टी-कैंसर की दवाई—माइलोरन, ऐन्टी मलेरिया—क्लोरोक्नीन, हार्ट-अटैक की दवा—सोर बी टेट, तथा मिरगी की दवा डिलेन्टीन सोडियम कैपसुल, ये सब दवाइयां पैसा देने पर भी मार्केट में नहीं मिलती हैं । इसलिए यह कहना कि दवाई की कमी नहीं है, गलत है । दवाई की कमी है ।

अब रास्ता आपको निकालना है कि कैसे आप इसको पूरा करेंगे । उत्पादन का ब्यौरा मैं आपको देता हूं कि उत्पादन कितना है । एक दवा है क्लोरमफेनिकाल, उसकी आवश्यकता 210 टन की है और मन्त्री महोदय ने अपने 15 दिसम्बर, 1981 के जवाब में कहा है कि सरकार के मुताबिक इसका उत्पादन अभी तक 74.85 टन हो रहा है । आवश्यकता है 210 टन की और उत्पादन है 74.85 टन का । हालांकि यह भी इनकी फिगर सही नहीं है । दिक्कत क्या है कि जो प्रश्न इनसे पूछा गया था वह बेसिक स्टेज से कितना उत्पादन होता है, यह पूछा गया था लेकिन बेसिक स्टेज से उत्पादन यह नहीं है । बेसिक स्टेज से उत्पादन मुश्किल से मैं समझता हूं कि 30 टन के करीब होगा । है क्या कि एल बेस और बेसिक स्टेज दोनों को मिलाकर यह फिगर जोड़ दी गई है । सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम इसके एक्सपर्ट तो हैं नहीं, पता नहीं वह शायद होंगे, लेकिन इसमें कठिनाई सबसे बड़ी इसके अन्दर, चलने वाली धांधली की है क्योंकि यह ऐसी चीज तो है नहीं कि हम लोग इसको समझ लें । हमारी नौलेज में एक बात यह है कि जो लाइसेंस आप देते हैं वह बेसिक स्टेज का देते हैं लेकिन वह बेसिक स्टेज पर नहीं करके वह विचौलिया का जो सिस्टम होता है, इण्टरमीडियरी का, जो एल बेस में होता है उसी से वह सामान अपना खरीद लेते हैं और उसके बाद नतीजा क्या होता है—एक तरफ तो आपके मल्टीनेशनल्स हैं, एक तरफ स्माल स्केल इण्डस्ट्री है । स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में बहुतायत मात्रा में उस का उत्पादन हो सकता है लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि स्मालस्केल इण्डस्ट्री पर से एल बेस

के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दी है। अब जो कस्टम ड्यूटी की मात्रा बढ़ी है उसके कारण क्या होगा कि जो स्माल स्केल इण्डस्ट्री है वह मारी जायगी। जब स्माल स्केल इण्डस्ट्री मरेगी तो जो इनकी मल्टी नेशनल कम्पनी है उसकी मोनोपाली होगी। ये दोनों चीजें, मन्त्री महोदय, जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। मैं आपको मल्टी-नेशनल की गड़बड़ के बारे में बतलाता हूं। इनका एक सी० पी० सी० है। इसका जो 'सी' अक्षर है इसका मतलब लोग करप्ट रखते हैं। इनका जो काम चल रहा है उसका मेरे पास एक उदाहरण है। स्माल स्केल इण्डस्ट्री ने जो बीज 52 डालर प्रति किलो में खरीदा, उसी को इनका सी० पी० सी० 70 डालर में खरीदता है। जब इस भाव में लेने वाला कोई नहीं मिलता तो उसको छुपाने के लिये क्या करते हैं कि उसके ऊपर कस्टम डयूटी लगा देते हैं। कस्टम डयूटी लगाने से जो स्माल स्केल इण्डस्ट्री वाले हैं वे उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिये वे मारे जायेंगे और नतीजा क्या होता है कि मल्टी नेशनल की जो मोनोपोली है वह बरकरार रह जायेगी और इस तरह से सरकारी महकमा तथा उन लोगों की गड़बड़ बराबर चलती रहेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो हमें बतायें कि इसमें कस्टम डयूटी का क्या मतलब है।

मैं एक जगह मन्त्री जी का जवाब पढ़ रहा था—उन्होंने कहा है कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज पर लगाने से बेसिक स्टेज को प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे मिलेगा ? इस तरह से तो एक तरफ स्माल स्केल इण्डस्ट्री कम्पटीशन में नहीं आ सकेगा और दूसरी तरफ मल्टी नेशनल की गड़बड़ चलती रहेगी।

हमारे यहां कौन सी दवाइयां मिलावट वाली मिलती हैं और कौन सी दवाइयां ऐसी हैं जिन पर दूसरे देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है लेकिन हमारे यहां खूब चलती हैं—ये कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनका सम्बन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय से होगा और आप कह देंगे कि इनके लिए हमारी जबाव देही नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन का मामला है, जब तक आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ायेंगे लोगों को वे दवाइयाँ कैसे सुलभ होंगी ? आप मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था न कर सकें, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि सस्ते दर पर लोगों को दवाइयां मिल सकें, तो जीवन-रक्षक दवाइयां हैं कम से कम उनका तो हम लोगों तक पहुंचा सकें तथा किसी भी कीमत पर मिलें लेकिन उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह जो आपकी सी० पी० सी० की व्यवस्था है—ठीक नहीं है। एक जगह आपने जवाब में कहा है कि क्या करें, आई० डी० आर० में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है जिससे उसको दण्डित कर सकें। आपके पास यदि कोई अधिकार नहीं है तो एक्ट में संशोधन करवाइये, लेकिन जिस को लाइसेंस देते हैं, प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस देते हैं तो उनसे वह काम लेना चाहिए।

इस पर सदन में पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप सबसे पहले प्रोडक्शन को बढ़ाइए, जो कम्पटीशन का मामला है, उसमें जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं आप उनका सहयोग लें, वे आपको कम से कम दाम में दवाइयों का उत्पादन करके दे सकते हैं, बशर्ते कि जो हमारा सरकारी महकमा है, उसमें जो लोग बने हुए हैं वे भी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के साथ हों तथा मल्टी नेशनल्स के समय जो उनका मोह बना हुआ है उस मोह को थोड़ा कम करें, तब यह निश्चित रूप से फायदेमन्द साबित हो सकता है।

दवाइयां तब तक उपलब्ध नहीं होंगी जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, इसके लिए आप कह देंगे कि यह स्टेट का मामला है, हम उसमें कहाँ तक जा सकते हैं, किस जिले के हैड क्वार्टर में दवाइयां हैं, किस में नहीं हैं। लेकिन, सभापति महोदय, हमको तो जिले के हैड क्वार्टर में जाना पड़ता है। आप दूर मत जाइए, नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में आपकी डिस्पैन्सरीज हैं वहां ही बहुत सी दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं पिछली बार काल-एटेन्शन पर बोल रहा था, मैंने वह जाली दिखलाई थी जो पानी को चढ़ाती है। मैं अपनी कांस्टीचूएन्सी में घूम रहा था, मैंने देखा कि एक आदमी को पानी चढ़ाया जा रहा था। पानी चढ़ाने के बाद यदि वह दो महीने में मरता, लेकिन उस तरह से तो वह दो ही दिन में कोलेप्स कर जाएगा। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह जो उत्पादन में कमी आ रही है, तो उसका क्या कारण है और दूसरा यह है कि सस्ती दर पर दवाइयों का उत्पादन हो ताकि लोगों को दवाइयां कम दाम पर मिल सकें, लाइफ-सेविंग ड्रग्स लोगों को मिल सकें, इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

**पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : चेयरमैन साहब, मैं पासवान जी की बात को बहुत ठीक मानता हूं। उन्होंने जो यह कहा है कि दवाइयों का उत्पादन मुल्क में बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो जब हम दवाइयों के उत्पादन की तरफ देखते हैं, हमें यह देखना चाहिए कि हम कहां से चले थे और आज कहाँ पर हैं। 1947 के अन्दर अगर हम जाएं, इन्डिपेंडेंस के दिनों में जाएं और आज हम देखें, तो 1947 के अन्दर सारी फार्मेस्यूटिकल इण्डस्ट्री का उत्पादन सिर्फ 10 करोड़ रुपये का था और आज की फीगर्स को हम देखें तो सारी बल्क ड्रग्स का उत्पादन 240 करोड़ का है और फार्मूलेशन्स को अगर आप लें, तो वह 1200 करोड़ का है। तो आप यह देखें कि हम कहाँ से चल कर यहाँ तक बढ़े हैं। उत्पादन पर गवर्नमेंट की पूरी नजर है और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है। चाहे वह प्राइस का मामला हो, चाहे वह एक्सपेंशन का मामला हो और चाहे वह लाइसेंस देने का मामला हो, उसके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमने बहुत से लाइसेंस दिये हैं और अगर आप फिगर्स चाहें, तो वह भी मैं दे सकता हूं।

तो आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, उससे हम यह नहीं कह सकते कि दवाइयों के उत्पादन में कोई कमी आई है। हम इसको आगे ले जा रहे हैं और यह कहना सही नहीं होगा कि हमारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और दवाइयों का प्रोडक्शन कम हो रहा है।

होस्पीटल्स की इन्होंने बात की है। होस्पीटल्स के अन्दर दवाइयों के न होने की बात इन्होंने कही। इसमें एक और बात है और वह यह है कि यह जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट में दवाई हो तो होस्पीटल्स में भी हो। होस्पीटल्स के अन्दर, डिस्पेंसरीज के अन्दर दवाइयों को लेने का एक तरीका है। वे इनडेंट करते हैं और दवाइयों को प्रोक्योर करते हैं। मार्केट के अन्दर अगर दवाई उपलब्ध है, तो वे ले सकते हैं। यह हो सकता है कि मार्केट के अन्दर दवाई हो और होस्पीटल के अन्दर, डिस्पेंसरीज के अन्दर न हो और इसका जो इन्तजाम है, वह हैल्थ मिनिस्ट्री करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। वहां से वे आती हैं और जितनी दवाइयों को हमें पहुंचाना है, जितनी दवाई जहां पहुंचनी चाहिएं, उसके लिए बाकायदा मोनीटियरिंग किया जाता है और इसके लिए एक मोनीटियरिंग सेल है। हफ्तेवार रिपोर्ट आती है कि कहाँ पर कमी है और जहां पर कमी होती है, एकदम मेन्यूफैक्चरर को कहा जाता है कि तुम वहां पर दवाई भेजो और मेन्यू-

फैक्चरर उसको कम्पलाई विद करता है। तो यह सारा सिस्टम है और हम पूरी तरह से मापतोल करके इसको आगे चलाते हैं।

पासवान जी हर बात की काफी गहराई में जाते हैं। मैं इनको बतलाना चाहता हूं कि पिछले सालों में दवाइयों का उत्पादन, अगर हम फीगर्स को देखें, बढ़ा है और बहुत सी जगहों पर थोड़ा-बहुत डिक्रीज भी कहीं-कहीं पर हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण लेबर ट्रबल है और दूसरी कई चीजें बीच में आ जाती हैं, जिनकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। जहां पर उत्पादन में कमी आ जाती है लेबर ट्रबल्स वगैरह से, उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। सीवागीगी कम्पनी, जो बम्बई में है, से मिनिस्टर साहब ने बात की है और जो डिस्प्यूट है, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उत्पादन को कायम रखने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाती है। मैं नहीं समझता कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की मार्केट में कोई कमी है। यह हो सकता है कि एक दवा जो लोग आम तौर पर खाने के आदी हो गए हों, इसलिए डाक्टर भी उसी दवा को प्रिसक्राइब करते हों, लेकिन उसके बदले में दूसरी दवाई तो बाजार में मिलती ही है। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि वही दवाई होनी चाहिए, बल्कि दूसरी दवा भी ठीक काम करती है।

असेंशियल ड्रग्स करीब 80 हैं। वैसे वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन या हैल्थ मिनिस्टरी ने लाइफ सेविंग ड्रग्स की कोई खास फहरिश्त नहीं दी, लेकिन ये जो 80 के करीब दवाइयां हैं, इनके प्रोडक्शन को सरकार मानीटर करती है। हर तरफ से विजिलेंट रहकर प्रोडक्शन को एक्सीलरेट भी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें अब और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है।

इसी प्रकार से मल्टी नेशनल्स के बारे में कई बार बात उठाई जाती है कि इनका प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ता है। इनके लिए एक पैरामीटर बना हुआ है और उसी के तहत मल्टी नेशनल को काम करना होता है, इसलिए इन सारी चीजों पर सरकार की नजर है और ऐसा कोई प्रभाव इनका नहीं है।

**सभापति महोदय** : आपने बताया है कि अपने देश में उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ-साथ इंपोर्ट कितना बढ़ा है ? दूसरी बात यह है कि मल्टीनेशनल्स की बात आप कर रहे हैं, क्या यह फैक्ट है कि 133 फारमूलेशन ऐसे हैं जो उनके अपने देश में तो प्रतिबन्धित हैं, लेकिन हमारे यहां उनके जरिए इंपोर्ट किया जाता है ? कोई बात नहीं, आप इस पर विचार कीजिएगा।

**श्री राम विलास पासवान** : सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सी० पी० सी० ने एक चीज विदेश से 70 डालर में खरीदी और वही चीज स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज ने 52 डालर में खरीदी। इतना अन्तर कैसे हुआ ? क्या यह सरकार की लूट नहीं है ?

**श्री दलबीर सिंह** : इसको भी देख लेंगे।

**श्री सूरज भान** (अम्बाला) : सभापति महोदय, इसी महीने की 11 तारीख को जो जवाब हुआ, उसमें लिखा है कि 1979-80 के बजट में 17 दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी एग्जप्शन दिया जाता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इन 17 दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी एग्जंप्शन दिया गया था तो 4 दवाइयों पर पिछले महीने की 27 तारीख को वह एग्जप्शन कैसे हटा लिया गया ? एक तो यह सीरियस चीज है और दूसरी बात यह है कि हाउस चल रहा है और हाउस के चलते

हुए आपने नोटीफिकेशन बाहर किया है। हाउस में बताए बगैर। बजट में एग्जम्पशन दिया है और अब उसको वापिस ले लिया, हाउस के चलते हुए। इसके लिए हाउस को कान्फीडेंस में लेना चाहिए था। सबसे पहला मेरा सीरियस आब्जेक्शन यही है।

दूसरी बात यह है कि कुछ विदेशी कम्पनियां हैं जिनका श्री राम विलास जी ने भी जिक्र किया है। एक पार्क डेविस है और दूसरी बोहरिंगर नौल लिमिटेड वगैरह हैं। क्या उनको लाभ पहुंचाने के लिए तो आप यह काम नहीं कर रहे हैं? फारेन कम्पनियों को यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा ही कमाने देना चाहती है? इसका नतीजा क्या हुआ है? आपने नोटिफिकेशन दिया है। चार दवाइयों में से मैं केवल एक दो का जिक्र करना चाहता हूं। एक दवाई ऐसी है जो टी वी में काम आती है। भारत में टी वी के बहुत ज्यादा मरीज हैं। यह दवाई दो तरीके से तैयार हो सकती है। एक एल बेस से तैयार हो सकती है। उसमें छोटी इण्डस्ट्री भी इसे बना सकती है। एक लाख का प्लांट भी बना सकता है। लेकिन जो बेनजेलडे-हाइड है इसका विदेशी कम्पनी ही बना सकती है या वह कम्पनी बना सकती है जिसके पास दो करोड़ का प्लांट हो। एग्जम्पशन जो आपने हटाया है इसका नतीजा यह हुआ है कि एक बेस की कम्पनियां बिल्कुल खत्म हो गई है। इसी तरह से दूसरी दवाई निमोनिये में इस्तेमाल होती है। एक और दवाई है जो टाइफायड में इस्तेमाल होती है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। आपने जो एग्जेम्पशन दिया है उसके तीन नतीजे निकले हैं। पहला यह है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स महंगी होगी, दूसरा यह है कि विदेशी कम्पनियों को फायदा होगा और तीसरा यह है कि मेरी अपनी स्टेट में कम से कम तीस फैक्ट्रीज जो स्माल स्केल की है और जो फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में हैं वे बन्द हो गई हैं या होने वाली हैं, क्या यह सच है? मैं इन सब बातों का जवाब चाहता हूं।

**श्री कमल मिश्र मधुकर** (मोती हारी) : मन्त्री महोदय का जवाब सुन कर मुझे भोजपुरी की एक कहावत याद आ गई है। अपने मुंह मियां मिट्ठू। अपनी बड़ाई उन्होंने स्वयं कर दी है, अपने मुंह से कर दी है। राम विलास जी ने जो प्रश्न उठाये थे उनका उन्होंने सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दिया है। उनको उन्होंने टाल दिया है। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि गुआनी-डाइन हाइड्रोक्लोराइड, डी 2 एमीनोक्यूटानाल, डी 2 फिनाइल ग्लाइसीन आदि पर जो एग्ज़ैम्पशन अस्सी प्रतिशत दी गई थी वह क्यों दी गई थी और अब उसको क्यों हटा लिया गया है? क्या इसका नतीजा यह तो नहीं होगा कि मल्टी नेशनल कम्पनियों को इससे फायदा होगा। आप तो जानते ही हैं कि इस उद्योग में पांच पैसे लगा कर एक रुपया कमाया जाता है। मुनाफे का इस उद्योग में कोई हिसाब किताब नहीं है। दो-दो सौ प्रतिशत मुनाफा इस उद्योग में होता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो एग्जेम्पशन थी इसको आपने विदड्रा किया है क्या यह आत्मनिर्भरता की दिशा में सही कदम है या गलत कदम है? क्या ड्यूटी या कीमतें बढ़ने से बेकारी की समस्या बढ़ने जा रही है, स्मगलिंग बढ़ने जा रही है या नहीं? क्या उससे विदेशी मुद्रा का भी हनन तो नहीं होगा?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उद्योग विभाग में जो बड़ी गड़बड़ी चल रही है जिसकी चर्चा श्री राम विलास जी ने की है, सी० पी० सी० की बात की है, उस करप्शन को दूर करने की दिशा में आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं या नहीं?

आई० डी० पी० एल० का मुजफ्फरपुर में एक कारखाना है। रिपोर्ट यह है कि वह बन्द होने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अव्यवस्था के कारण वह बन्द होने जा रहा है। क्या उसको जो सामग्री चाहिए वह उपलब्ध नहीं की जा रही है इस वास्ते वह बन्द होने जा रहा है? रामैटीरियल की वजह से है। तो आई० डी० पी० एल०, मुजफ्फरपुर चलता रहे, उसकी रा-मैट रियल की दिक्कत दूर करने के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं कि नहीं। क्या सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि मल्टी नेशनल का अभी जो एकछत्र राज है वह समाप्त हो जाय? देश दवाई उद्योग में आत्म-निर्भर बन जाय इसकी कोई टाइम लिमिट आपने मुकर्रर की है? क्या आप यह भी सोच रहे हैं कि देश में जो अंग्रेजी पद्धति की दवायें हैं उनकी जगह पर देशी दवाओं को, जैसे आयुर्वेद और होम्योपैथी को विकसित करने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं कि नहीं? आपने कोई समय निर्धारित किया है जिसके अन्दर साधारण आदमी को दवायें सस्ती दर पर मिल सकें? अभी आज किसान और मजदूर दवाओं के दाम अधिक होने की वजह से खरीद नहीं पाते हैं और लोग मरते हैं। इसलिए उनकी आर्थिक सीमा के अन्दर दवाओं का दाम तय कर के उन्हें आसानी से पुहैया करा सकें, इस बारे में आपकी कोई योजना है?

इन सब मेरे सवालों का मंत्री जी जवाब दें।

**श्री सुधीर गिरि** (कन्टई) : सभापति महोदय, भारतीय औषध निर्माताओं के सम्बन्ध में बहुत से सवाल हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत में औषधियों की आवश्यकता बहुत है। यह एक मानवीय समस्या है और हर सरकार को कम से कम उन लोगों को दवाईयां उपलब्ध करानी चाहिए जो इन्हें खरीद सकते हों। मुझे इस बात में शक है कि वर्तमान सरकार हर किसी को मुफ्त दवाई सप्लाई करेंगे। परन्तु उन लोगों को तो कम से कम अवश्य ही दवाईयां उपलब्ध करायी जानी चाहिए जो खरीद सकते हैं। किसी भी सरकार के बने रहने के लिए यह बहुत आवश्यक शर्त है।

जब भी हम कोई विशेष ब्रांड की दवाई खरीदने बाजार में जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि यह मंहगी है। जब हम पूछते हैं कि भई ऐसा क्यों, तो उत्तर मिलता है कि उसने यह दवाईयां काले बाजार से खरीदी हैं और इसके लिए उसे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसलिए वह हमसे ज्यादा पैसे लेता है।

इस सभा में इस सम्बन्ध में बहुत बार चर्चा हुई और माननीय मंत्री महोदय और सरकार ने दवाइयों की कमी के बारे में बहुत से सवालों का उत्तर दिया और कहा कि यह कमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा और आवश्यक दवाईयां स्वदेशी निर्माताओं द्वारा बनायी जाएंगी और कुछ ही दवाईयों का विदेशों से आयात किया जाएगा। इन सभी बातों पर इस सभा में चर्चा हो चुकी है परन्तु ये सारे प्रश्न घूम-फिर कर एक ही जगह आ जाते हैं कि वितरण व्यवस्था दोषी है। मैं जानता हूं कि वर्तमान सरकार बहु-राष्ट्रीय कंपनियों जो कि देश में औषध उद्योग में बहुत कारबार कर रही हैं, को देश से बाहर निकाल नहीं पाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी निर्माताओं, चाहे वे स्वदेशी हो चाहे बहु-राष्ट्रीय कंपनियां, के द्वारा तैयार की गई दवाइयों को राज्यों को भेजा जाएगा, अस्पतालों को भेजा जाएगा और उन

लोगों को, एक समुचित वितरण प्रणाली के माध्यम से, भेजा जाएगा जो दवाइयां खरीद सकते हैं। यह मेरा साधारण सा प्रश्न है।

**सभापति महोदय :** मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इतने समझदार तो हैं कि आपके प्रश्न को समझ लें।

**श्री सुधीर गिरि :** मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि बंगाल इम्यूनिटी ने एम्पीसिलीन निर्माण करने का सुझाव दिया है। यह केन्द्रीय सरकार का एक उद्यम है क्या मंत्री महोदय इस उद्यम को एम्पीसिलीन बनाने की अनुमति देंगे ?

**प्रोफेसर रूपचन्द पाल** (हुगली) **:** जो कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कहा जा चुका है और जो कुछ आपने कहा है उसको देखते हुए मैं माननीय मंत्री से केवल विशिष्ट प्रश्न पूछूगा। ये सारी बातें हाथी समिति के सामने आई थी और हाथी समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं जैसे, विदेशी फर्मों का अधिग्रहण, एक ही मूल पदार्थ से बनने वाले उत्पादों का चरणों में लाया जाना और लघु क्षेत्र मदद करना, बड़े निर्माताओं, जो अपने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, से कहना कि वे मूल दवाइयों को फार्मूलेशन के लिए छोटे एककों को देगें। इन सभी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। जनता सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी परन्तु हम नहीं जानते कि उनकी प्रतिक्रिया क्या थीं।

आई० डी० पी० एल०, जिसे 1961 में मात्र इसी उद्देश्य से निगमित किया गया था कि वे हमें औषधियों के क्षेत्र में विदेशी फर्मों के चुगुल से निकालेगी और औषधियों के क्षेत्र में हमें और स्वतन्त्र बनाएगी, का कार्यकरण कैसा है ?

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश को लूट रही हैं। हमारे देश के सेवा निवृत्त अधिकारियों को बहु प्रबन्ध निदेशक का पद दे दिया जाता है। ऐसे कितने प्रबन्ध निदेशक हैं जो सरकार से सेवा निवृत्ति प्राप्त करके इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों में काम कर रहे हैं और अपने प्रभाव का प्रयोग करके दवाइयों की कीमतें बढ़ा के हमारे देश के लोगों को लूट रहे हैं ?

**श्री दलबीर सिंह :** ड्यूटी के बारे में जो कहा, वह ड्यूटी तो फाइनानंस मिनिस्ट्री ने लगाई है। उस बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन,

**श्री सूरजभान :** यदि उस एक्सटेंशन को रेस्टोर कर दें तो मामला खत्म हो जाता है।

**श्री दलबीर सिंह :** एल-बेस के बारे में स्थिति इस प्रकार है। एल-बेस क्लोरेमफेनीकाल पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक उत्पाद है और इस समय यह आई० टी० सी० पालिसी 1981-82 के परिशिष्ट-पांच और परिशिष्ट-26 में आता है। इसे 27 नवम्बर, 1981 तक कस्टम ड्यूटी की रियायती दर की छूट प्राप्त थी। परन्तु 27 नवम्बर, 1981 एल-बेस से यह छूट निम्न कारणों से हटा ली गई

देश में क्लोरेमफेनीकाल पाउडर का प्रारम्भिक चरणों में निर्माण करने वाली दो कंपनियां हैं। सरकार इस दवाई का प्रारंभिक चरणों में निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन देना चाहती है। प्रारंभिक चरणों से उत्पादन करने के आधार पर सरकार ने क्लोरेमफेनीकाल पाउडर का बिक्री मूल्य 622 रु० प्रति किलो रखा है। इससे सम्बन्धित फार्मूलेशनस का मूल्य भी इसी आधार पर तय किया जाता है। यह तो रही एल-बेस की स्थिति।

**श्री कमला मिश्र मधुकर** (मोतीहारी) : मंत्री महोदय बतायें कि ड्यूटी क्यों बढ़ायी और उसके बढ़ाने से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को घाटा हुआ या फायदा हुआ।

**सभापति महोदय :** अगर मैंने ठीक समझा है, तो उनका कहना है कि यह फाइनांस मिनिस्ट्री ने किया है और चूंकि यह फाइनांस मिनिस्ट्री से उनकी बातचीत नहीं हुई इसलिए वह तक्लीफ में नहीं जा सकते।

**श्री सूरजभान :** उन्होंने यह वृद्धि इस सभा को विश्वास में लिए बगैर की है।

**श्री दलबीर सिंह :** श्री मधुकर ने मल्टी नेशनल्ज के बारे में अपनी एलीगेशन्ज फिर दोहरायी हैं।

**सभापति महोदय :** उन्होंने आयुर्वेद के बारे में भी कहा है।

**श्री दलबीर सिंह :** यह एक अच्छा सजेशन है। अगर यूनानी आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिले, तो हमारे देश के लिए बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है।

श्री सुधीर गिरि ने मूल्यों का प्रश्न उठाया है। औषधियों के मूल्य मार्च, 1978 से अगस्त, 1980 तक अपरिवर्तनीय रहे हैं। इस अवधि के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः सरकार की नीति सम्बन्धित औषधियों की लागत के आधार पर मूल्य में वृद्धि पर स्वीकृति देने की है। जिससे कि औषधि उद्योग, मूल दवाईयां और फार्मुलेशन्ज का भारी मात्रा में निर्माण कर सके और इन्हें उपलब्ध करा सके। साथ ही निर्यात् के लिए उचित मात्रा में दवाईयां उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि इतने लम्बे अरसे तक मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई। हाथी समिति के प्रतिवेदन की जांच की गई थी और 1979 के बाद एक और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किया गया तब से मूल्यों में संशोधन किए जा रहे हैं।

बी० आई० सी० पी० हर चीज की जांच करती है और इस की सिफारिशों पर हम, यथा-वश्यक, मूल्यों में संशोधन करते हैं। कुछ मामलों में तो कीमतें कम की गई हैं।

जहां तक वितरण का प्रश्न है वर्तमान व्यवस्था बहुत संतोषजनक है। इन वर्तमान हालात में हम और कर भी क्या सकते हैं ? हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जिस क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं हो रहा या समुचित मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा हम आयात कर रहे हैं। जहां स्वदेशी उत्पादन पूरा नहीं होता हम विदेशों से आयात करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत का औषधि उद्योग अब बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यह सबसे अधुनातन उद्योग है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वितरण की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।

जहां तक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध हैं हम उनकी सब प्रकार की गतिविधियों, चाहे वे लाइसेंस देने के बारे में हो, कार्यप्रणाली के बारे में हो, या लाभ घोषित करने से सम्बंधित हो, से भली-भांति परिचित हैं। वास्तव में उनकी व्यापक जांच की जाती है। हर चरण में निग-रानी रखी जाती है। कहीं कोई ढील नहीं दी जाती। मैं यह कह सकता हूं कि बहु-राष्ट्रीय कंपनियां पूरी तरह से सरकार द्वारा तय की गई नीति के अन्दर काम कर रही हैं, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों का पालन कर रही हैं अर्थात् राष्ट्रीय हितों को पूरा कर रही हैं।

जहाँ तक अन्य छोटे-मोटे प्रश्नों का सम्बन्ध है मैं उनकी जांच करा लूंगा।

———

## सदस्य की गिरफ्तारी

**सभापति महोदय :** मुझे इस सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली, जिला, नयी दिल्ली का दिनांक 18 दिसम्बर, 1981 का निम्नलिखित आशय का आदेश प्राप्त हुआ है:—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्री राम लाल राही, लोकसभा सदस्य को, उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू की गई निषेधाज्ञा का अपने दल के 44 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ राजपथ, रफी मार्ग चौराहे पर लगभग 2.15 म०प० स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना संसद मार्ग, नयी दिल्ली के मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 643, दिनांक 18.12.81 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए जाने का आदेश देना अपना कर्तव्य समझा। उन्हें क्षेत्रीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**6·11 म० प०**

**इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार, 21 दिसम्बर, 1981 30 अग्रहायण 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

———